उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

MAJMC-118N
अन्तर सांस्कृतिक संचार : अवधारणा एवं आयाम

खण्ड

01

प्रमुख सांस्कृतिक अवधारणा

इकाई – 01

संस्कृति : अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया

इकाई – 02

विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का परिचय

इकाई – 3

संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा

इकाई – 4

सांस्कृतिक संचार के संवाहक

इकाई–10

राजनैतिक अवधारणा एवं संस्कृति

खण्ड परिचय : प्रमुख सांस्कृतिक अवधारणा

खण्ड.1 में निम्नलिखित पाँच इकाइयाँ हैं

1. संस्कृति अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया
2. विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का परिचय
3. संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा
4. सांस्कृतिक संचार के वाहक

संस्कृति एक मानव मूल्य है। यह अमूल्य और श्रेष्ठ धरोहर है जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी प्रगति पर अग्रसर है। धर्म, नैतिकता, और अध्यात्म के सहारे ही सुसंस्कृत व्यक्ति उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित होता है। सदाशयता, सहयोग, परोपकार, पर–सेवा, त्याग, निःस्वार्थ जीवन के मूल में संस्कृति की विशेषता है। सभ्यता, परम्परा, संस्कृति ये तीनों परस्पर संश्लिष्ट हैं।

द्वितीय इकाई में ग्रीक, अरब, बौद्ध, ता–ओ, कन्फ्यूसियस संस्कृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तृतीय इकाई में पूरब और पश्चिम की संस्कृति का तुलनात्मक परिचय है। चतुर्थ इकाई में सांस्कृतिक संचार की संवाहिका भाषा के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस खण्ड की पाँचवी इकाई में विशिष्ट राजनैतिक अवधारणाओं को सुस्पष्ट करने का प्रयास है। सभी राजनैतिक अवधारणाएँ किसी न किसी संस्कृति से सम्बद्ध है। इस खण्ड में संस्कृति को समग्र रूप में समझने का प्रयास किया गया है।

इकाई 1 संस्कृति : अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 संस्कृति

1.2.1 संस्कृति का अर्थ

1.2.2 संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति

1.2.3 संस्कृति की परिभाषा

1.3 संस्कृति की विशेषताएँ

1.4 संस्कृति के अंग

1.5 संस्कृति का महत्व

1.6 सभ्यता

1.6.1 सभ्यता का अर्थ

1.6.2 सभ्यता की परिभाषा

1.6.3 सभ्यता की विशेषताएँ

1.6.4 सभ्यता और संस्कृति में अन्तर

1.7 परम्परा और संस्कृति

1.8 संस्कृति की प्रक्रिया

1.9 सारांश

1.10 शब्दावली

1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.12 प्रश्नावली

1.12.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1.12.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1.12.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1.12.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

संस्कृति अर्थ अवधारणा एवं प्रक्रिया नामक इस इकाई का उददेश्य संस्कृति के विभिन्न पक्षों से आपको अवगत कराना है। इस इकाई के सम्यक् अध्ययन से आप जान सकेंगे :

- संस्कृति का अर्थ
- संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति
- संस्कृति की परिभाषा, विशेषता
- संस्कृति के अंग,
- परम्परा और संस्कृति में अन्तर
- संस्कृति की प्रक्रिया अथवा सांस्कृतिक संचार सभ्यता

1.0 प्रस्तावना

'संस्कृति' शब्द 'संस्कार' से बना है। संस्कार का तात्पर्य होता है कुछ कृत्यों को सम्पन्न करना। संस्कारों को सम्पन्न करने पर ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। संस्कृति केवल मानव समाज में पायी जाती है संचार भी मनुष्यों में ही है। संस्कृति निर्माण और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया संचार द्वारा ही पूर्ण होती है। समाज में उचित अनुचित का निर्धारण संस्कृति के द्वारा ही होता है। संस्कृति में मानव व्यवहार से सम्बन्धित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं जिसके पीछे पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव होता है। संचार प्रक्रिया द्वारा मनुष्य इसे सीखता है,

आत्मसात करता है और आगे बढ़ता है। संस्कृतिक संचार की यह प्रक्रिया अनवरत रुप से चलती रहती है। इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य भी संचार प्रक्रिया चलती है, इसे ही सांस्कृतिक संचार कहा जाता है।

इस इकाई में संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व को विस्तार से समझते हुए सभ्यता और परम्परा से संस्कृति किस प्रकार भिन्न है इसे भी स्पष्ट किया गया है। संचार के क्षेत्र में संस्कृति का क्या योगदान है और संस्कृति की प्रकिया क्या है इसे भी समझाने का प्रयास किया गया है।

1.2 संस्कृति

1.2.1 संस्कृति की अर्थ

संस्कृति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संस्कृति के अभाव में मनुष्य और पशु समान स्तर के हो जाते हैं।संस्कृति ही मनुष्य की वह अमूल्य और श्रेष्ठ धरोहर है जिसकी सहायता से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और प्रगति की ओर उन्मुख होता है। मनुष्य में ही कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पायी जाती हैं जो पशुओं में नहीं पायी जातीं। उदाहरण के लिए मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है, अपने हाथों को स्वतन्त्रतापूर्वक घुमा सकता है, इन हाथों की सहायता से वस्तुओं को अच्छी तरह पकड़ सकता है, निर्माण कार्य भी कर सकता है। मनुष्य अपनी तीक्ष्ण और केन्द्रित की जा सकने वाली दृष्टि से सूक्ष्म निरीक्षण कर सकता है, विविध घटनाओं को घटित होते देख सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक की सहायता से सोच सकता है, तर्क कर सकता है, कार्य–कारण सम्बन्धों का पता लगा सकता है और अनेक आविष्कार कर सकता है। इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त भाषा के आविष्कार ने मनुष्य को वह शक्ति प्रदान की है जिसकी सहायता से वह विचारों का आदान प्रदान कर सकता है तथा अपने चिन्तन के परिणामों को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित कर सकता है। भाषा और प्रतीकों के माध्यम से ही मानव ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर सका है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव ही प्रकृति में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी इन विशेषताओं एवं क्षमताओं के कारण संस्कृति का निर्माण

कर पाया है, भौतिक क्षेत्र में अनेक वस्तुओं को निर्मित कर पाया है एवं अभौतिक क्षेत्र में अनेक विश्वासों तथा व्यवहार के तरीकों को जन्म दे पाया है।

1.2.2 संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति

संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का तात्पर्य होता है कुछ कृत्यों या अनुष्ठानों को सम्पन्न करना। एक हिन्दू जन्म सें ही अनेक प्रकार के संस्कार सम्पन्न करता है जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है संस्कृति का सामान्य अर्थ होता है विभिन्न सस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को सम्पन्न करने पर ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है।

1.2.3 संस्कृति की परिभाषा

संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। विभिन्न विषय के विद्वानों ने इसे विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। समाजशास्त्रियों ने समाज के बौद्धिक नेताओं के लिए सांस्कृतिक अभिजात (Cultural Elite) शब्द का प्रयोग किया है। समाजशास्त्र के अन्य विद्वानों ने मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है।

कुछ विद्वानों ने संस्कृति को मानव निर्मित भाग बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण दो प्रकार का है. एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त एवं दूसरा मानव निर्मित। ये सारी वस्तुएँ जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है, जैसे विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, नियम आदि अन्य वस्तुएं संस्कृति के अन्तर्गत आती हैं वास्तव में संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, प्राणिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। संस्कृति सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होती है। संस्कृति जीवन यापन की एक सम्पूर्ण विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक,

मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बन्धनों से मुक्त करती है। इस प्रकार संस्कृति को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाते हैं ये ही उस समूह की संस्कृति है।

समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए राबर्ट वीरस्टीड ने लिखा है संस्कृति वह सम्पूर्ण जटिलता है जिसमें ये सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। उनका कहना है कि इसके अन्तर्गत हम जीवन जीने या कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हंस्तान्तरित होते हैं और जो समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं।

(Culture is the complex whole that consists of everything we thinkAnd doAnd haveAs Members of Society)-Robert Biersted. The social order, (1957).

पारसन्स ने अपनी पुस्तक "The Social System" में संस्कृति को एक ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। मैकाइबर एवं पेज ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति, मूल्यों, शैलियों, भावात्मक अभियानों का संसार है। यह हमारे रहने और सोचने के ढंगों, कार्य कलापों, कला साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनन्द में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। फेयरचाइल्ड के अनुसार ''प्रतीकों द्वारा सामाजिक रुप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है।"

संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जो व्यक्तित्व को समृद्ध और परिष्कृत बनाते हैं। चिन्तन और कलात्मक सर्जन की वे क्रियायें संस्कृति में आती है, जो मानव जीवन के लिए प्रत्यक्ष में उपयोगी न दिखायी देने पर भी उसे समृद्ध बनाती हैं। इनमें शास्त्र और दर्शन का चिन्तन, साहित्य, ललित कलाएं आदि का समावेश होता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना मुश्किल है। इसका मुख्य कारण है संस्कृति शब्द की जटिलता और व्यापकता। वास्तव में एक समाज विशेष के सम्पूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति के अन्तर्गत विचार तथा व्यवहार के सभी प्रकार आ जाते हैं। जो संचारात्मक अन्तः क्रिया के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं अर्थात मानव बोलने से, हाव भाव से तथा उदाहरण से इन्हें प्राप्त करता है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया है, वे सब संस्कृति के अर्न्तगत आती है।

व्यक्ति पारस्परिक सहयोग और सहायता से संस्कृति का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों के सामूहिक जीवन के विकास के साथ संस्कृति का भी विकास होता है। मानवता का विकास संस्कृति का विकास है। व्यक्तित्व का विकास ही सांस्कृतिक मूल्यों की अन्तिम परिणति है। पूर्ववर्ती पीढ़ितों की संस्कृति से शक्ति और प्रेरणा ग्रहण करने से ही भविष्य की पीढ़ियों का अधिक विकास हो सकता है, वे अधिक गौरवशाली बन सकती है। संस्कृति का लक्ष्य ही व्यक्ति को महिमामय जीवन प्रदान करता है।

1.3 संस्कृति की विशेषतायें (Characteristics of Culture)

संस्कृति की उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है :

1. **मानव निर्मित :** संस्कृति केवल मानव समाज में पायी जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं जैसे विकसित मस्तिष्क, केन्द्रित की जा सकने वाली आंखें, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति, गति की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है और इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित और विकसित कर सकता है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है।

2. **संस्कृति सीखी जाती है :** संस्कृति मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार

प्रतिमानों का योग है। यह जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता बल्कि जिस समाज में वह पैदा होता है उस समाज की संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मनुष्य द्वारा सीखे हुए समस्त व्यवहार संस्कृति के अंग नहीं होते। जो व्यवहार सम्पूर्ण या अधिकतर समूह समुदाय या समाज के होते हैं, उनसे ही संस्कृति का निर्माण होता है। सामूहिक व्यवहार ही प्रथाओं, लोकरीतियों, परम्पराओं रूढ़ियों आदि को जन्म देते हैं और वे केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं।

3. **संस्कृति का हस्तान्तरण होता है :** संस्कृति सीखी जाती है। नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तातरण होता है। भाषा के आविष्कार ने हस्तान्तरण की प्रक्रिया को और अधिक गतिशील बना दिया है। मनुष्य अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव को भाषा लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तान्तरित करता है। नयी पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भण्डार प्राप्त होता है। इस ज्ञान भण्डार में वे स्वयं का अनुभव और ज्ञान जोड़ते जाते है। इस प्रकार मानव ज्ञान एवं संस्कृति का कोष दिनों दिन बढ़ता जाता है और वह संचित होती जाती है। भूतकाल के अनुभवों का लाभ भविष्य में आने वाली पीढ़ी द्वारा उठाया जाता है। और इस प्रकार संस्कृति का हस्तान्तरण होता रहता है।

4. **विशिष्टता :** प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे समाज से भिन्न होती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है प्रत्येक समाज की आवश्यकताओं में भी विविधता होती है जो सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती है। एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिबर्तनों से भिन्न होते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की

संस्कृति में विशिष्टता पायी जाती है।

5. **सामाजिक गुण :** संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती बल्कि सम्पूर्ण समाज की देन होती है। संस्कृति का विकास समाज के ही कारण होता है। समाज के बिना संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की ही उपज होती है। संस्कृति के अंग जैसे प्रथाएं जनरीतियाँ भाषा, परम्परा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन, आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषता को प्रकट नहीं करते वरन् समाज की जीवनशैली का प्रतिनिधित्व करते हैं।

6. **संस्कृति एक आदर्श :** एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। उसी के अनुरूप अपने विचारों एवं व्यवहारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी श्रेष्ठताओं का उल्लेख करता है। यही उस व्यक्ति के लिए उसकी संस्कृति का आदर्श स्वरूप होता है।

7. **मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति :** संस्कृति की यह विशेषता है कि यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं हैं। उनकी पूर्ति के निमित्त ही उसने संस्कृति का निर्माण किया है। विद्वानों का मानना है कि संस्कृति का कोई भी तत्व निष्प्रयोज्य नहीं होता वरन् मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। किसी भी सास्कृतिक तत्व का अस्तित्व भी तभी तक बना रहता है जब तक वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त ही समय समय पर नए नये आविष्कार होते रहते हैं और कालान्तर में ये आविष्कार संस्कृति के अंग बनते जाते हैं।

8. **अनुकूलन की क्षमता :** संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढालने की क्षमता होती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आपको

परिवर्तित करती रहती है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलनशीलता का गुण स्पष्ट दिखाई देता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक कालीन संस्कृति है क्योंकि संस्कृति में समयानुरूप परिवर्तन हुए है। सांस्कृतिक परिवर्तन की गति काफी धीमी होती है, इसलिए कोई भी संस्कृति पूरी तरह समय के साथ नहीं बदलती है। संस्कृति ने अपने आपको भौगोलिक परितिस्थतियों के अनुरूप ढाला है। शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के आवास और वस्त्र की बनावट उष्ण प्रदेश में रहने वाले लोगों से भिन्न होती है।

9. सन्तुलन एवं संगठन संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। इकाइयां जिन्हें हम संस्कृति तत्व या संस्कृति (Copmplex) कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयां संगठित रूप से मिलकर ही सम्पूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती है। संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एकरुपता की ओर खिंचाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप सभी इकाइयां संगठित होकर एक सामूहिकता या समग्रता का निर्माण करती है। छोटे छोटे सामाजिक समूहों में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एकता स्पष्टतः देखी जा सकती है क्योंकि वहां संस्कृति में संघर्ष और तनाव पैदा करने वाली शक्तियां अधिक क्रियाशील नहीं हो पाती।

10. व्यक्तित्व निर्माण में सहायक एक मनुष्य का लालन पालन किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी पारिवारिक, सामाजिक संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति में पले व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है।

संस्कृति का निर्माण एवं विकास किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है। संस्कृति के किसी एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, सम्पूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण भी सम्पूर्ण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, दार्शनिक, वैज्ञानिक,

विचारक एवं नेता पैदा होते हैं जो समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं धर्म आदि में अनेक परिवर्तन करते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों, विचारों एवं धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा लगता है कि वे ही सम्पूर्ण संस्कृति के वाहक एवं निर्माता हैं किन्तु ऐसा नहीं है। वस्तुतः इन विद्वानों ने जो विचार ग्रहण किया और व्याख्या की वे उनसे पूर्व समाज में विद्यमान थे। अतः यह स्पष्ट है कि संस्कृति की रचना और निरन्तरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होता। संस्कृति में वृद्धि नवीन आविष्कारों के कारण होती रहती है। ये आविष्कार एकाएक नहीं होते वरन इसके पीछे भूतकाल का अनुभव होता है। मनुष्य किसी संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता है बल्कि संस्कृति में जन्म लेता है और उसी में विकसित होता है।

1.4 संस्कृति के अंग

प्रत्येक संस्कृति में संरचना एवं संगठन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह संरचना के अनेक छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों, भागों एवं उपभागों से मिलकर बनती है। इन इकाइयों के परस्पर निर्भर एवं सम्बन्धित होने से ही सम्पूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था तथा सन्तुलन देखने को मिलता है। किसी भी संस्कृति की सम्पूर्णता को समझने के लिए उसकी इकाइयों को समझना आवश्यक है। संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उपादान या अंगों में हम संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं।

1. **संस्कृति तत्व या इकाई (Cultural Trait or Element)** संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता द्य सांस्कृतिक तत्व के अविभाज्य होने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि उसका और विभाजन नहीं हो सकता बल्कि उसका मतलब यह है कि और विभाजन होने पर वह अर्थहीन हो जाएगा। उदाहरण के लिए पेन को एक सांस्कृतिक तत्त्व मान लिया जाय तो विभाजित होने पर वह बेकार हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई है।

2. **संस्कृति संकुल (Culture Complex)**– जिस प्रकार कई कोशों से मिलकर एक अंग तनता है, कई परिवारों से एक समुदाय बनता है उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक संकुल बनता है इसी को संस्कृति संकुल कहते हैं। गेंद, स्टिक, गोल के खम्भे, खिलाडियों की ड्रेस रेफरी की सीटी, खेल के विभिन्न नियम, आदि अनेक तत्वों से मिलकर संकुल बना है। सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों से मिलकर ही एक संस्कृति विशेष का विकास होता है।

3. **संस्कृति प्रतिमान : (Culture Pattern)** एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एक संकुल के रूप में एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ, जीवन के इस तरीके को सम्बद्धता, निरन्तरता और विशिष्टता प्रदान करता है। प्रत्येक संस्कृति में हमें कुछ मूलभूत प्रेरणाएं आदर्श या सिद्धान्त देखने को मिल जाते हैं जो दूसरी संस्कृतियों से भिन्न होते हैं। इन आदर्शों या सिद्धान्तों को सभी लोग स्वीकार करते हैं एवं उन्हें सीखते हैं जिससे लोगों के व्यवहार में एकरुपता उत्पन्न होती है।

4. **संस्कृति क्षेत्र (CultureArea)**– किसी भी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय उसके भौगोलिक पक्ष का भी ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित या विस्तृत होती है। उदाहरण के लिए एशिया या योरोप में हमें अनेक प्रकार के संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इन संस्कृतियों में जो भिन्नता अथवा एकरुपता दिखाई देती है उसका मुख्य कारण भौगोलिक परिवेश है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है जिसे हम संस्कृति क्षेत्र कहते हैं संस्कृति क्षेत्र के उस भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिससे संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से अलग कर

देती है जो उस क्षेत्र के बाहर हैं। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा सांस्कृतिक समानताओं में भौगोलिक क्षेत्र को प्रकट करती है जिसके आधार पर विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की जा सकती है। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा संस्कृतियों के ज्ञान के लिए उपयोगी यन्त्र है जो एक संस्कृति विशेष का विस्तार ज्ञात करने एवं उससे सम्बन्धित अन्य तथ्यों के संकलन में सहायक होती है।

1.5 संस्कृति का महत्व

प्रकृति में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का धनी है। संस्कृति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उसके व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है और उसे पशु स्तर से ऊँचा उठाकर मानव बनाती है। हजारों वर्षों से संस्कृति मनुष्य को विरासत में मिलती रही है, जिस पर आज उसे गर्व है। समाज एवं व्यक्ति के जीवन में संस्कृति के महत्व को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं :

1. संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह मानव की विभिन्न सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए ही समय समय पर अनेक आविष्कार होते रहे और वे संस्कृति के अंग बनते रहे। इन सबके साथ संस्कृति यह भी तय करती है कि मानव अपनी अगणित आवयकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करेगा।

2. प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी संस्कृति में ही जन्म लेता है। उसका पालन पोषण भी विशेष सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। व्यक्ति अपनी संस्कृति के अभौतिक तत्वों जैसे प्रथाओं, रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान आदि को ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व में उन्हें आत्मसात करता है। व्यक्तित्व में भिन्नता सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ही होती है इसीलिए व्यक्तित्व को संस्कृति का आत्मवैषयिक पक्ष कहा जाता है।

3. प्रत्येक संस्कृति में मानव व्यवहार एवं आचरण से सम्बन्धित कुछ मूल्य एवं आदर्श होते हैं। व्यक्ति इन आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप ही समाज में व्यवहार करता है। इन मूल्य की अवहेलना करने पर व्यक्ति को सामाजिक तिरस्कार का सामना भी करना पड़ता है। संस्कृति ही

व्यक्ति के खान पान एवं वेश भूषा का निर्धारण भी करती है।

4. समाज में उचित और अनुचित का निर्धारण संस्कृति के आधार पर ही होता है। प्रत्येक संस्कृति में सामाजिक प्रतिमान (Norms) प्रचलित होते है। इन सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहारों को उचित एवं प्रतिकूल व्यवहारों को अनुचित ठहराया जाता है। इस प्रकार संस्कृति ही व्यक्ति में नैतिकता एवं उचित अनुचित के भाव उत्पन्न करती है एक संस्कृति से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के व्यवहार समान होते हैं एक संस्कृति के रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं नैतिकता में समानता पाई जाती है। सभी व्यक्ति उसको समान रूप से मानते हैं और उसके अनुरूप आचरण करते है, इससे समाज में समानता एवं एकरूपना पैदा होती है।

5. संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण होता रहता है। नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी अनुभव एवं कौशल प्राप्त होता है जिसमें प्रत्येक पीढ़ी अपनी ओर से कुछ न कुछ जोड़ती ही है। इस प्रकार मानवीय ज्ञान, कुशलता एवं अनुभव में वृद्धि होती है।

6. संस्कृति में मानव व्यवहार से सम्बन्धित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं, जिनके पूर्वजों का अनुभव होता है। अतः व्यक्ति स्वतः ही समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों को सीखता एवं तदनुरुप व्यवहार करता रहता है। इससे व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के सम्मुख जब कभी कोई समस्या या संकट उत्पन्न होता है तो वह अपनी संस्कृति से प्राप्त अनुभवों एवं नियमों के अनुसार उसका समाधान करता है जिससे उसका समाधान करता है जिससे उसे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

7. एक व्यक्ति अपने समाज में कौन सा पद या स्थिति प्राप्त कर सकता है इसका निर्धारण संस्कृति द्वारा ही होता है। अर्जित एवं प्रदत्त प्रस्थितियों को प्राप्त करने के नियम एवं उससे सम्बन्धित व्यक्ति की भूमिका, शक्ति, कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व संस्कृतियाँ ही तय करती हैं। यही कारण है कि भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों में पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता एवं सन्तानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में भिन्नता पाई जाती है।

8. प्रत्येक संस्कृति में प्रथायें, रीति–रिवाज, लोकाचार एवं परम्पराएं आदि होते हैं। वे ही व्यक्ति के आचरण तथा व्यवहार को तय करते हैं और इस प्रकार व्यक्ति पर नियन्त्रण बनाते हैं। वैयक्तिक नियन्त्रण से ही सामाजिक नियन्त्रण बना रहता है। संस्कृति में परिवार, विवाह, धर्म, नैतिकता आदि से सम्बन्धित नियम भी होते हैं। जिनका पालन व्यक्ति को करना पड़ता है। इस प्रकार संस्कृति एक नियन्त्रक की तरह कार्य करती है।

1.6 सभ्यता

1.6.1 सभ्यता का अर्थ :

मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि वह अपनी मौलिक भूख और प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनसे मुक्त हो जाय। सभ्यता का तात्पर्य उन उपकरणों से है जिनके द्वारा मनुष्य उन जीवन स्थितियों का सृजन करता है जिसमें रहकर वह अपनी मूल आवश्यकताओं को स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा कर सके। मानव वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिन्ता करता है। मनुष्य को वस्त्र, आवास और जीवन यापन के लिए अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। सभ्यता से मतलब उन सब कला कौशल के तन्त्र और तरीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी मूल क्षुधाओं तथा आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूर्ण करता है। सभ्यता द्वारा मनुष्य अपनी परिस्थितियों को इस प्रकार नियन्त्रित और परिवर्तित करता है कि वह अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए स्वतन्त्रापूर्वक रहने की स्थितियां प्रस्तुत कर सके। सभ्यता मानव क्रिया कलापों से उत्पन्न होने वाली उन वस्तुओं का नाम है जो मनुष्य की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का कारण बनती है। सभ्यता का निर्माण करके मनुष्य ने जीवित रहने की कठिन क्रिया को रोचक और सम्पूर्ण बना लिया है और उन आवश्यकताओं को, जो उनके कष्ट का कारण थी आनन्द तथा रस का स्रोत बना डाला है।

सभ्यता का सम्बन्ध उपयोगिता के क्षेत्र से है और संस्कृति का मूल्यों के क्षेत्र से है। सभ्यता तथा संस्कृति उन उपलब्धियों और क्रिया कलापों से सम्बन्धित है जो मानव मस्तिष्क की रक्षा तथा प्रसार करते हैं। सभ्यता और संस्कृति में वही सम्बन्ध है जो साध्य और साधन में

होता है। जिस प्रकार साध्य–साधन को परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता उसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति को भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के सृजनात्मक क्रिया कलापों के परिणाम हैं। जब ये क्रिया कलाप उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होते हैं तब सभ्यता का जन्म होता है। जब ये क्रिया कलाप मूल भावना चेतना और कल्पना को प्रबुद्ध करते हैं तब संस्कृति का उदय होता है। ऐसे समाज जाति या वर्ग जो सांस्कृतिक दष्टि से उन्नत और श्रेष्ठ नहीं है, उच्च कोटि की सभ्यता को जन्म नहीं दे सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों ही मिले हुए हैं सांस्कृतिक क्रिया कलापों से सभ्यता विकसित होती है। संस्कृति के अभाव में सभ्यता अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती है। मानव समाज की समस्त उपलब्धियां सभ्यता तथा संस्कृति के अन्तर्गत आ जाती है।

1.6.2 सभ्यता की परिभाषा :

टायलर ने सभ्यता को परिभाषित करते हुए लिखा है– ष्सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के वैयक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव समाज के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है।"

प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइबर एवं पेज के अनुसार 'सभ्यता में उन भौतिक तत्वों का समावेश होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सभ्यता से हमारा अर्थ उस सम्पूर्ण यन्त्र पद्धति और संगठन से है जिसको मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियन्त्रित करने के लिए निर्मित किया है।'

1.6.3 सभ्यता की विशेषताएं

सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएँ :

1. सभ्यता में मानव निर्मित भौतिक वस्तुओं का समावेश होता है। 2. सभ्यता मूर्त होती है।

3. सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। यह मानव को आनन्द और सन्तुष्टि प्रदान करती है।

4. सभ्यता संस्कृति के विकास के उच्च स्तर को व्यक्त करती है।

1.6.4 सभ्यता और संस्कृति में अन्तर

सभ्यता एवं संस्कृति परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं किन्तु इन दोनों में पर्याप्त अन्तर भी है जो निम्नलिखित है :

1. सभ्यता को मापना सरल है क्योंकि इसका सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता से है। सभ्यता को वस्तुओं के गुणों एवं कुशलता के आधार पर मापा जा सकता है। सभ्यता साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वस्तुओं के गुणों एवं उपयोगिता का मूल्यांकन हम इस आधार पर करते हैं कि वे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक सहायक है। इसके विपरीत संस्कृति की माप सम्भव नहीं है। एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ या हीने नहीं बताया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अपने युग एवं परिस्थितियों की देन होती है।

2. सभ्यता उन्नतिशील है और वह एक दिशा में उस समय तक निरन्तर प्रगति करती रहती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा न आए। सभ्यता की प्रत्येक उपलब्धि का पूरा पूरा लाभ उठाने एवं उसमें सुधार करने का कार्य तब तक जारी रहता है जब तक कि उनसे श्रेष्ठ कोई नया आविष्कार न हो जाय। इसके विपरीत संस्कृति के विकास की कोई दिशा नहीं निर्धारित होती।

3. सभ्यता का हस्तान्तरण संस्कृति की अपेक्षा सरल होता है। संस्कृति का संचार समान मस्तिष्क वालों में ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे संस्कृति का ज्ञान नहीं है संस्कृति की प्रशंसा अथवा निन्दा नहीं कर सकता। सभ्यता के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है द्य वस्तु के निर्माण और आविष्कार में सहयोग किये बिना ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सभ्यता का प्रसार एवं हस्तान्तरण सरलता से हो जाता है। अपने पूर्वजों की सम्पूर्ण सभ्यता हम उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते हैं जबकि

संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। सभ्यता को ग्रहण अथवा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास करना आवश्यक नहीं है जबकि संस्कृति सीखने से (प्रयास के द्वारा) प्राप्त होती है।

4. संस्कृति से मानव को सन्तुष्टि एवं आनन्द का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य एवं साध्य है। इस संस्कृति रूपी साध्य को अपनाने के लिए सभ्यता का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए धर्म, कला, संगीत, साहित्य आदि हमें मानसिक शान्ति एवं आनन्द प्रदान करते है। इन्हें प्राप्त क के लिए हम अनेक भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो सभ्यता के अंग हैं।

5. सभ्यता का सम्बन्ध जीवन की भौतिक वस्तुओं से है जिसका अस्तित्व मूर्त रूप में मानव अस्तित्व के बाहर है जबकि संस्कृति का सम्बन्ध मानव के आन्तरिक गुणों से है, उसके विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं एवं आदर्शों से है। सभ्यता मानव हृदय से प्रस्फुटित होती है जबकि संस्कृति ऊपर से थोपी जाती है। सभ्यता का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं से हैं जिसमें नवीन आविष्कारों एवं खोजों के कारण परिवर्तन एवं सुधार सरल है। संस्कृति का सम्बन्ध व्यक्ति के विचारों, मनोभावों एवं आन्तरिक गुणों से है। अतः कठिन परिश्रम के बिना संस्कृति में परिवर्तन एवं सुधार सम्भव नहीं है।

1.7 परम्परा और संस्कृति (TraditionAnd Culture)

सामान्य रूप से परम्परा का अर्थ व्यवहार के उन तरीकों से समझ जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जनरीतियाँ और लोकाचार समाज द्वारा स्वीकृत विचारों और कार्य करने के तरीकों से ही सम्बन्धित है जबकि परम्परा के अन्तर्गत हम उन दार्शनिक विश्वासों और कलापूर्णपद्धतियों को भी सम्मिलित कर लेते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरन्तर हस्तान्तरित होती रहती है। परम्परा का निर्वाह अनेक प्रथाओं, लोकाचारों और जनरीतियों के माध्यम से हो सकता है और इस प्रकार परम्परा का क्षेत्र जनरीति या लोकाचार की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हो सकता है।

परम्परा की अवधारणा सामाजिक विरासत से अधिक सम्बन्धित है। इनकी प्रकृति अलिखित (मौखिक) होती है। सामाजिक विरासत के अलिखित रूप को हम परम्परा कहते हैं।

किसी भी मानव समाज के लिए परम्पराओं का विशेष महत्व होता है। परम्पराओं को सामाजिक संगठन, सामाजिक एकता, भावात्मक एकीकरण तथा सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह शक्ति एक ओर समाज को अतीत का स्मरण दिलाकर व्यक्तियों को संगठित रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। स्वस्थ परम्परा के अभाव में समाज को नए नए परीक्षण करने पड़ते हैं। परम्पाराओं के विद्यमान रहने पर व्यक्तियों के व्यवहारों में एकरूपता रहती है और किसी भी कार्य को करते समय हम अतीत के अनुभवों के आधार पर आश्वस्त रहते हैं। परम्पराएं आत्मविश्वास और दृढ़ता की परिचायक होती है।

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि परम्परा और संस्कृति दोनों ही समाज के आवश्यक और एक दूसरे से सम्बन्धित तथा समान महत्व के हैं। इनमें से किसी का भी महत्व मानव समाज के लिए कम नहीं है।

1.8 संस्कृति की प्रक्रिया और संचार

संचार मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना मनुष्य का एक पल बीतना कठिन हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मानव संचाररत रहता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह हर उस चीज के बारे में जानना चाहता है जिससे वह अनजान है। परिवार, समाज, देश दुनिया में हो रहे अभिनव परिवर्तनों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त करके मनुष्य उसके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करता है। संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचार के प्रचलित माध्यम भी मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास क्रम को दर्शाते हैं। संस्कृति भी संचार का एक प्रमुख माध्यम है। संस्कृति और संचार दोनों की ही विषय वस्तु मनुष्य है अतः दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है।

संस्कृति केवल मानव समाज में पायी जाती है। संचार भी मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। मनुष्य अपनी विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक

संरचना के कारण ही संस्कृति को निर्मित और विकसित करता है। संस्कृति निर्माण और विकास की यह प्रक्रिया संचार के द्वारा ही पूर्ण होती है। संस्कृति सीखी जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तान्तरण होता रहता है सीखने और हस्तान्तरण की प्रक्रिया अन्तर्वैयक्तिक अथवा मौखिक संचार द्वारा भी की जा सकती है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं अथवा अन्य मुद्रित माध्य संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दृ श्य श्रव्य माध्यमों, जैसे रेडियो टी०वी० सिनेमा एवं अन्य के द्वारा भी सांस्कृतिक ज्ञान का आदान प्रदान (संचार) होता है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इस संस्कृति को लोग विभिन्न ग्रन्थों के रूप में संकलित करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें।

संस्कृति का निर्माण समाज के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। सभी व्यक्ति अपने ज्ञान अनुभवों को आपस में बांटकर संस्कृति की निरन्तरता बनाए रखते हैं। इसमें संचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक सामाजिक समूह के लोगों के लिए उनकी संस्कृति आदर्श रूप में होती है। उसे मानने एवं उसके प्रचार प्रसार में वे संलग्न रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ एवं आदर्श बताने का प्रयास करता है। इस कार्य में वह संचार के विभिन्न तरीकों, माध्यमों का प्रयोग करता है।

संस्कृति की तरह संचार भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। संस्कृति का कोई भी तत्व निरुद्देश्य नहीं होता। यह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। मानवीय आवश्यकताओं के निमित्त ही समय समय पर विभिन्न माध्यमों (उपकरणों) का आविष्कार किया गया। कालान्तर में ये आविष्कृत संचार उपकरण मानव संस्कृति के अंग के रूप में स्थापित होते गये। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलनशीलता का गुण होता है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसर परिवर्तित होता रहता है। संस्कृति में होने वाले इन सामयिक परिवर्तनों का ज्ञान हमें संचार माध्यमों के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक मनुष्य का लालन पालन किसी विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश में ही होता है। जन्म के पश्चात शिशु अपनी पारिवारिक सामाजिक संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। वयस्क और प्रौढ़ होने

पर इसी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक हस्तान्तरित करता है। संस्कृतियों में प्रचलित रीति रिवाज धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान प्रथा एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है और उसी से उसका विकास होता है।

समाज में उचित और अनुचित का निर्धारण संस्कृति के द्वारा ही होता है। संस्कृति में मानव व्यवहार से सम्बन्धित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं जिसके पीछे पूर्वजों का ज्ञान अनुभव होता है। संचार प्रक्रिया द्वारा मनुष्य इसे सीखता है, अत्मसात करता है तथा आगे बढ़ता है।

संचार के उपकरणों का यदि सूक्ष्मता से विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति एक आदर्श, परिष्कृत, और प्राचीनतम संचार उपकरण है जिसके द्वारा हम एक संस्कृति में प्रचलित धर्म, दर्शन, कला, संगीत, साहित्य, परम्पराएं आदि से परिचित होते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृति और संचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मानवीय विकास के साधन भी हैं।

संस्कृति का मूल सूत्र है जीवन यात्रा के वास्तविक उपकरण, सामाजिक व्यवस्था और इन सबकी सहायता से बना मानस लोक। जीवन के भौतिक उपादान अक्सर बदलते रहते हैं, उन्हीं के अनुसार बदलती है सामाजिक व्यवस्था और मानस लोक। कोई भी संस्कृति अपरिवर्तनीय नहीं होती, रूपान्तर बराबर होता रहता है। ऋग्वेद कालीन संस्कृति, अशोक कालीन संस्कृति से भिन्न थी। मुस्लिम और इसाई संस्कृति का स्वरूप कुछ और था। अनादिकाल से भारत में अनेक जाति, सभ्यता, धर्म एवं संस्कृति का अबाध प्रवाह रहा। भारतीय संस्कृति ने समय और आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं से समझता किया तथा आदान प्रदान भी। भारत में अनेक सम्राटों का उत्थान– पतन हुआ। अन्धकारमय युग आया और अनेक राजनीतिक घटनायें घटी, जिनमें अधिकांश का नाम निशान भी अब नहीं रहा, फिर भी भारतीय संस्कृति की धारा कभी सूखी नहीं और उसने समय–समय पर हुए उत्थान पतन के बावजूद अपनी अनेक विशेषताओं को सुरक्षित रखा।

वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति और दर्शन ने भारत को मुग्ध

और मोहान्ध कर दिया है। कुछ शताब्दियों के सम्पर्क के फलस्वरूप पाश्चात्य जगत की अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रेरणाएं भारतीय संस्कृति में आकर समाहित हो गयी। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने इस नवीन संस्कृति के साथ काफी दूर तक विनिमय सम्बन्ध स्थापित किया। इस विनिमय के स्वरूप राष्ट्रवाद और विधानवाद के पश्चात सिद्धान्तवाद भारत की उर्वरा भूमि में आया और सम्पोषित होकर अंकुरित हो गया। इन दोनों संस्कृतियों का भारत भूमि में सम्मेलन हुआ और समन्वय की प्रयोगशाला में फलतः नवीन संस्कृति की रूप रेखा बनी। कहीं पुरानी बातों को मूलरूप में रखकर समझौता किया गया और कहीं नवीन बातों को बिल्कुल अत्मसात कर लिया गया। भारतीय संस्कृति की यह सहिष्णुता और समन्वय शक्ति उसकी एक बड़ी विशेषता है।

भारतवर्ष में संसार के प्रायः सभी धर्मों, संस्कृतियों के लोग रहते हैं। सांस्कृतिक संचार के माध्यम से यदि यहां इन सभी संस्कृतियों के मेल का आदर्श स्थापित हो जाए तो सारी दुनिया पर इसका प्रभाव पडेगा और संसार के लिए भारत पथ–प्रदर्शक हो जायेगा। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब एक धर्म और संस्कृति की खूबी को दूसरे धर्म के लोग पहचानें। देश के कर्णधारों, संचारविदों का यह कर्तव्य है कि पुस्तकों, अभिलेखों, भाषणों एवं चलचित्रों द्वारा भारत की भावी पीढ़ी के मन में भिन्न भिन्न धर्मों और संस्कृतियों की समानता का भाव भरें। इसी से भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषता की छाप दुनिया पर छोड़ सकेगा।

6.9 सारांश

इस इकाई में आपने जाना कि संस्कृति का सम्बन्ध संस्कार से है और संस्कार केवल मानव का ही होता है। संस्कार से ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। संस्कृति का सभ्यता और परम्परा से समानता का बोध होता है किन्तु वास्तव में ये तीनों भिन्न हैं।

आपने यह भी जाना कि संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण होता रहता है और यह निरन्तरता हमेशा बनी रहती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को भी आपने इस इकाई में पढ़ा। संचार का संस्कृति से क्या सम्बन्ध है तथा सांस्कृतिक और अन्तर्सांस्कृतिक संचार क्या है यह भी आपने इस इकाई में पढ़ा। संस्कृतिकरण की क्या प्रक्रिया है। समाज

में सांस्कृतिक संचार की क्या आवश्यकता और महत्व है इसे भी इस इकाई में स्पष्ट किया गया है।

6.10 शब्दावली

कलात्मक सर्जन	सुन्दर और आकर्षक वस्तुओं का निर्माण
वंशानुक्रमण	पीढ़ी दर पीढ़ी
अनुकूलन	ढालना, सामंजस्य स्थापित करना
अविच्छिन्नता	अलग न किया जा सकने योग्य

6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

जन संचार समग्र	डॉ. अर्जुन तिवारी
अन्तर्सास्कृतिक संचार	डॉ. मुक्ति नाथ झा
धर्म का समाजशास्त्र	डॉ. श्याम धर सिंह
जन संचारः कल और आज	डॉ. मुक्ति नाथ झा

1.12 सम्बन्धित प्रश्न

1.12.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति से क्या तात्पर्य है।
2. संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
3. सभ्यता और संस्कृति में अन्तर स्पष्ट करें।
4. परम्परा का संस्कृति से क्या सम्बन्ध है।
5. सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं।

1.12.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति से आप क्या समझते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
2. भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

3. परम्परा और सभ्यता को स्पष्ट करते हुए संस्कृति से इसकी भिन्नता स्पष्ट करें।

4. संस्कृति की प्रक्रिया को बनाए रखने में संचार की भूमिका स्पष्ट करें।

1.12.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसे "सम्पूर्ण जटिलता' कहा है।

   (क) मैकाइबर

   (ख) दुर्खीम

   (ग) राबर्ट वीरस्टीड

   (घ) पारसन्स

2. The Social System (द सोशल सिस्टम) पुस्तक के लेखक कौन हैं।

   (क) राबर्ट वीरस्टीड

   (ख) पारसन्स

   (ग) महर्षि अरवि

   (घ) राजा राम मोहन राय

3. ''सभ्यता मानव जाति की शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है।'' यह कथन

   (क) पारसन्स

   (ख) सोरोकिन

   (ग) टायलर

   (घ) कोम्ट

4. इनमें से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है।

(क) प्राचीनता,

(ख) धार्मिकता

(ग) देव परायणता

(घ) आधुनिकता

1.12.4 उत्तर

1. (ज्ज)   2. (ख)   4. (घ)   4. 3

इकाई– 2 विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का परिचय

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का आधार

2.3 पाश्चात्य संस्कृति

- 2.3.1 पाश्चात्य संस्कृति का आधार
- 2.3.2 पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताएँ
- 2.3.3 पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव

2.4 ग्रीक संस्कृति

- 2.4.1 ग्रीक संस्कृति का आधार
- 2.4.2 ग्रीक संस्कृति की विशेषताएं
- 2.4.3 ग्रीक संस्कृति का प्रभाव

2.5 अरब संस्कृति

- 2.5.1 अरब संस्कृति का आधार
- 2.5.2 अरब संस्कृति की विशेषताएं
- 2.5.3 अरब संस्कृति का प्रभाव

2.6 बौद्ध संस्कृति का आधार

- 2.6.1 बौद्ध संस्कृति की उत्पत्ति
- 2.6.2 बौद्ध संस्कृति की विशेषताएं
- 2.6.3 बौद्ध संस्कृति का प्रभाव

2.7 चीन की संस्कृति

- 2.7.1 ताओ संस्कृति

2.7.2 कन्फ्यूसियस संस्कृति

2.7.3 चीनी संस्कृति का प्रभाव

2.8 सारांश

2.9 शब्दावली

2.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

2.11 प्रश्नावली

2.11.1.लघु उत्तरीय प्रश्न

2.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

2.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

अध्ययन की इस इकाई का उद्देश्य आपको विश्व की प्रमुख संस्कृतियों से परिचित कराना है। इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे कि—

1. विश्व की प्रमुख संस्कृतियां कौन कौन सी हैं ?
2. विश्व की प्रमुख संस्कृतियों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ?
3. इन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?
4. इन संस्कृतियों का मानव जगत पर क्या प्रभाव है ?
5. विश्व के किस भ—भाग में किस संस्कृति का प्रभाव ज्यादा है ?

2.1 प्रस्तावना

संस्कृति को अनेक विद्वानों ने अपने—अपने तरीके से परिभाषित किया है। यदि सभी परिभाषाओं की समीक्षा की जाय तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सम्पूर्ण विश्व में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी गई हैं, या कही गई हैं, उनसे अपने आपको परिचित कराना ही संस्कृति है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक

शक्तियों का प्रशिक्षण दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अन्तर्राष्ट्रीय है। संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं। राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। उन संस्कृतियों के नाम भी राष्ट्रीय हो गये। जैसे भारतीय संस्कृति, योरोपीय संस्कृति, आदि। इस प्रकार विश्व में अनेक संस्कृतियां विकसित हुई। इस इकाई में हम विश्व की प्रमुख संस्कृतियों के रूप में पाश्चात्य (योरोपीय) संस्कृति अरब (मुस्लिम) संस्कृति, ग्रीक (यूनानी) संस्कृति, बौद्ध संस्कृति तथा चीन की संस्कृति का विस्तार से क्रमवार अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति से चर्चा इकाई 8 में की गई है।

2.2 विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का आधार

विश्व में जितनी भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में हैं उनका आधार धर्म ही है। प्रत्येक राष्ट्र में समाज में कभी कभी ऐसे महापुरुष पैदा हो जाते हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। प्राचीन प्रचलित धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं एवं मूल्यों में संशोधन करते हैं और एक नई सांस्कृतिक व्यवस्था को जन्म देते है। आगे चलकर यह सांस्कृतिक व्यवस्था समाज में प्रचलित हो जाती है और इस व्यवस्था के साथ इन महापुरुषों का नाम जुड़ जाता है। उदाहरण स्वरूप बौद्ध, ईसाई, आदि संस्कृतियां इनके प्रवर्तकों के नाम से विश्व में प्रचलित हुई।

धर्म ही संस्कृति का मूल आधार है। मनुष्य ने अपने दैनिक जीवन यापन के जो तरीके ईजाद किए, जो नियम बनाए, वही संस्कृति है। देश काल परिस्थिति के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन भी होते रहते हैं। आगे चल कर जब मानव समाज विभिन्न धार्मिक समूहों में बंट गया तो उनकी संस्कृतियां भी उनके समूह के धर्म के अनुरूप परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि जहाँ आदिकालीन भारत में वैदिक संस्कृति की प्रधानता थी वहीं आगे चल कर यही भारतीय संस्कृति बौद्ध, जैन, सिक्ख, आर्य समाज, ब्रहम समाज आदि समूहों में विभक्त हो गई। इन सब विभेदीकरण के मूल में धर्म की ही प्रधानता रही है। विश्व पटल पर यही संस्कृति इस्लाम, इसाई, यहूदी आदि रूपों में देखने को मिलती है।

इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति का मूल आधार धर्म ही है! धार्मिक विभिन्नताओं के कारण ही संस्कृतियों में भी भिन्नता पायी जाती है। देश – कालपरिस्थिति और धर्म से प्रभावित होकर संस्कृति अपना एक विशिष्ट रूप ले लेती है। जिसे आज हम पाश्चात्य (योरोपीय), पूर्वी (एशियाई) और अरब (इस्लाम) संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्व में जितनी भी संस्कृतियां प्रचलित हैं उनका आधार धर्म और दर्शन ही है।

2.3 पाश्चात्य संस्कृति

पृथ्वी के पश्चिमी भाग में बसे देशों की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति कहा जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख देशों में पुर्तगाल, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि है। इन्हीं देशों में जो संस्कृति प्रचलित है उसे ही पश्चात्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है।

2.3.1 पाश्चात्य संस्कृति का आधार

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि धर्म ही संस्कृति का मूल आधार है। पाश्चात्य संस्कृति के आधार के रूप में हम इसाई धर्म को मानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति, जिसमें सभी योरोपीय देशों की संस्कृतियां समाहित हैं, का मुख्य आधार इसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के धार्मिक उपदेश हैं। आज के लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा का जन्म हुआ था। तीन वर्ष की आयु से मृत्यु पर्यन्त ईसा ने धर्म प्रचार किया। इनके अनुयायियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। ईसा के प्रधान उपदेश विश्व में शैलोपदेश (पहाड़ पर उपदेश) के नाम से विख्यात हैं। यही शैलोपदेश पाश्चात्य संस्कृति का प्रमुख आधार है। ईसा के कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार से हैं।

1. जिनके अन्दर दीन भावना उत्पन हो गयी है, वे धन्य हैं, क्योंकि ईश्वर का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा।
2. जो आर्त्‌त भाव से रोते हैं, वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें भगवान की ओर से आश्वासन मिलेगा।
3. विनयी पुरुष धन्य हैं। वे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पूर्णता की प्राप्ति होती है।

4. दयालु पुरुष धन्य है, क्योंकि वे ही प्रभु की दया प्राप्त कर सकेंगे।

5. जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं को होगा।

6. शान्ति के प्रचारक धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान के पुत्र कहे जाएँगे।

7. धर्म पर दृढ.रहने के कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होता है।

8. कहा गया है कि व्यभिचार मत करो, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बुरे मन से किसी को देखता है, वह मन में उससे व्यभिचार कर चुका।

9. यदि तुम्हारी दाईं (एक) आंख तुम्हें ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए भला है कि एक अंग का नाश हो और सारा शरीर नरक से बचा रहे।

10. कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, पर मेरा कहना है कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो और अपने को कष्ट देने वालों के ईश्वर से प्रार्थना करो।

11. दान देना है तो गुप्त दान करो, घोषित दान व्यर्थ है। परमेश्वर सब देखता है, वह तुम्हारे गुप्त दान का पुरस्कार देगा।

12. कल की चिन्ता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिन्ता आप करेगा।

इस प्रकार के अनेक उपदेशों का उल्लेख मैथ्यू के पांचवे से सातवें अध्याय में है, जो ईसाई धर्म का सार है।

मरते समय ईसा ने क्षमा की जो अभय वाणी दी, वह विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। ईसा ने सूली पर चढ़ते समय शान्त भाव से कहा था– प्रभु ''इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता ! यह आत्मा तुम्हें अर्पित है।'' यह कह कर उन्होंने प्राण त्याग किया।

2.3.2 पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताएं

ईसाई धर्म की अनेक प्रमुख विशेषताएँ हमें पाश्चात्य संस्कृति में देखने को मिलती हैं। संक्षेप में वे विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. परमेश्वर एक है, जो निरंजन, निराकार और ज्योति स्वरूप है।
2. ईसा को परमेश्वर का पुत्र मानकर उनके चमत्कारों को ठीक मानना चाहिए।
3. ईश्वर की सदैव आराधना करनी चाहिए।
4. बाइबिल को सत्य मानना और सदैव सत्य वचन बोलना चाहिए।
5. चोरी और अन्य कुकर्मों से बचना चाहिए।
6. ईसा मरकर भी अमर है, उनका महिमामय पवित्र शरीर विद्यमान है। (God the father, God the sonAnd God the holy Ghost)
7. ईसा उनके पिता अर्थात् परमेश्वर और उनकी पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही हैं।

ईसाई धर्म ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। ईश्वर पुत्र ईसा ने मनुष्यों के उद्धार के लिए अवतार लेकर धर्म का उपदेश दिया और लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अतः उनकी भक्ति में ही सबका कल्याण निहित है। इसी प्रकार लोक कल्याण के लिए सभी को आत्म बलिदान की भावना और भातृ भाव रखना चाहिए। इससे मुक्ति मिलती है। इस सिद्धान्त को मान लेने से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। फिर मनुष्य को और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। सारांशतः ईसाई धर्म एकमात्र भक्ति और शरणागति का धर्म है।

ईसा की मृत्यु के बाद उनके आदेश से उनके शिष्यों ने उनका कार्यभार संभाला। ईसा के चार शिष्यों–मार्क, ल्यूक, मैथ्यू और जॉन ने उनकी जीवनी और उपदेशों का संकलन किया जो कालान्तर में न्यू टेस्टामेंट कहा गया। यहूदियों की बाइबिल भी इस बाइबिल में मिला दी गई और उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया।

312 ई. तक ईसाई समुदाय के लोग बड़े कष्ट और परिश्रम से धर्म प्रचार करते रहे। धीरे–धीरे शासक वर्ग ने इस धर्म को स्वीकार किया और संरक्षण देने लगे। शासकीय संरक्षण पाकर इस धर्म की जड़ें मजबूत होने लगी। ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा का पूर्ण निषेध रहने पर भी ईसा एवं मेरी की प्रतिमाओं का पूजन भक्तगण करते रहे। मध्य काल में पोप के पास असीम शक्ति हो गई थी। धार्मिक सत्ता का प्रमुख होने के कारण पोप अघोषित सम्राट के रूप में स्थापित हो गये। सन 1517 में मार्टिन लूथर ने पोप के विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया। उसने पोप के स्वार्थपूर्ण नियमों को एकत्र कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और यह प्रचारित किया कि वे नियम प्रजा के लिए हानिकारक हैं। विरोध करने के कारण लूथर और उसके अनुयायी प्रोटेस्टैन्ट नाम से विख्यात हुए।

ईसा की शिक्षाएँ अद्भुत थीं। श्पहाड़ पर के उपदेश' ैंनतउवद पद डवनदजंपद) के पांचवे, छठे और सातवें अध्याय जगत प्रसिद्ध हैं। ईसा की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की चरित्र भ्रष्टता तथा समाज की कुरीतियों की लीपापोती आदि करना नहीं था। मनुष्य हृदय को परिवर्तित कर हृदय मन्दिर में आदर्श मनुष्यता को प्रतिष्ठित करना था, और इसी पृथ्वी पर 'ईश्वर का राज्य' (Kindom of Heaven) उतारना था, मनुष्य का पुनर्जन्म करना था। नई किताब में ईसा ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी का मानव जन्म न हो तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से पैदा हुआ है वह आत्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि नैतिक शिक्षा ऊंची से ऊंची कोटि की क्यों न हो, वह मनुष्य के स्वभाव में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती।

ईसा की शिक्षा में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मनुष्यों को धर्म–शिक्षा के अनुकरण करने की बराबर प्रेरणा दी। ईसा ने मनुष्यों में अपने प्रति भक्ति का भाव और यह विश्वास उत्पन्न किया। ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है– 'जीवन और सच्चाई का मार्ग मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता।' ईसा ने अपने और ईश्वर में भिन्नता दिखाते हुए कहा है कि परमेश्वर ने जगत के प्रति ऐसा प्रेम दिखलाया कि उसने जगत को अपना एकलौता पुत्र भी दे

दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो और अनन्त जीवन पाए। इस प्रकार बाइबिल के अनेक वाक्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ईसा पर किसी न किसी रूप में अद्वैत वेदान्त का प्रभाव पड़ा था और यह समझते हुए कि प्रत्येक जीव उसी एक ईश्वर का अंश है और वह (ईश्वर) अंशी है, अपने और जोहवा (ईश्वर) में उन्होंने अभेद सम्बन्ध माना।

'बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता'– ईसा के इस कथन का अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के प्रतिनिधि रूप ईसा और परमात्मा में अभिन्नता का ज्ञान हुए बिना मनुष्य का उद्धार सम्भव नहीं। कथन का यह भी अभिप्राय है कि ईसा ईश्वर रूप थे और बिना ईश्वर रूप हुए मनुष्य के उद्धार की आशा नहीं। यदि हम बाइबल और गीता का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें आश्चर्यजनक समानता दीख पडेगी। भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। इसी प्रकार, बाइबल में भी ईसा ने यही कहा है कि मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार निश्चित है–अन्य उपाय नहीं है।

ईसा को ईश्वर की सत्ता के लिए किसी भौतिक अथवा दार्शनिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वे ईश्वर की सत्ता का आन्तरिक अनुभव करते थे। भगवान के समीप ही अपने को देखते थे और भगवान के सम्बन्ध में जो कुछ भी करते या कहते थे, सब अपने हृदय के अनुभव से। जिस प्रकार बालक माता की गोद में रहता है उसी प्रकार वे सदैव अपने को ईश्वर की गोद में समझते थे। उन्होंने अपने को कभी भगवान नहीं कहा। भगवान को पिता के रूप में देखना ही उनका लक्ष्य था।

ईसा की इन्हीं शिक्षाओं का आश्रय लेकर पश्चिमी देशों में अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार–प्रसार किया। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव विश्व में इतना व्यापक हुआ कि भाषा, रहन सहन, जीवन शैली आदि में मौलिक परिवर्तन करते हुए आज पूरे विश्व का पश्चिमीकरण हो रहा है।

2. 4. ग्रीक संस्कृति

ग्रीक संस्कृति अर्थात यूनान की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अनेक संस्कृतियों ने ग्रीक संस्कृति से प्रेरणा

लेकर अपने में परिवर्तन किए हैं। यूनान की संस्कृति को पाश्चात्य (रोमन) संस्कृति की जननी भी माना जाता है। समकालीन विश्व के अधिकांश तत्त्व हमें प्राचीन यूनान में दिखाई देते हैं। वैचारिक क्षेत्र के अतिरिक्त हस्त शिल्प, खनन, तकनीक, अभियान्त्रिकी (इन्जीनियरिंग) के मूलभूत सिद्धान्त, व्यापार, एवं वित्त सम्बन्धी प्रक्रियाएं राजनीतिक प्रणाली, जूरी के माध्यम से न्याय, नागरिक स्वतंत्रता, विश्वविद्यालयों, व्यायामशालाओं, क्रीडांगनों (स्टेडियम) खेलकूद, कला एवं साहित्य, और ईसाई धर्म विद्या तथा रीति रिवाजों, सभी का जनक ग्रीस को बताया गया है। प्राचीन यूनान आधुनिक योरोपियन सभ्यता का मूल स्रोत माना जाता है, परन्तु अनवरत सांस्कृतिक विकास को देखते हुए योरोपीय देशों की अपेक्षा भारत, चेतना एवं दृष्टिकोण के आधार पर यूनान के अधिक निकट हैं।

1.4.1. ग्रीक संस्कृति का आधार

प्राचीन काल में भूमध्य सागर के एक छोटे से प्रायद्वीप में हेलेनियस नाम की एक जाति निवास करती थी। अपने देश को वे हेलास नाम से पुकारते थे। यही हेलेनियस जाति ही आगे चलकर यवन अथवा ग्रीक नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन लोकगाथाओं के अनुसार उनके आदि पुरुष का नाम हेलेन था। यही उनके और उनके देश के नामों का उद्गम था। हेलास को ग्रीस नाम रोमनों द्वारा व्यवहृत ग्रेसी शब्द से मिला। योरोपीय देशों और पश्चिमी जातियों के सांस्कृतिक तथा अन्य पक्षों के विकास में इस जाति का विशेष योगदान रहा है। योरोप की सभ्यता एवं संस्कृति पर यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव आज भी विद्यमान है। पूर्व की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के सम्पर्क में आने वाला प्रथम पश्चिमी देश भी यही था। अतः पूर्वी संसार की दृष्टि से भी इस यवन जाति की सांस्कृतिक महत्ता कम नहीं है।

प्रसिद्ध विद्वान टायनवी ने प्राचीन यूनानी सभ्यता को एक कलाकृति कहा है। सभ्यताएं मानव समाज की श्रेष्ठतम एवं सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धियाँ हैं। यह सत्य है कि कलाकृतियां व्यक्तियों द्वारा निर्मित होती हैं और सभ्यता मानव समाज द्वारा किन्तु कलाकृतियों के सृजन में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होता ही है। सभ्यता सामाजिक कलाकृति है

जिसकी अभिव्यक्ति किसी सामाजिक कार्य में होती है।

हेलेनिज्म संस्कृति यूनान की संस्कृति अथवा ग्रीक संस्कृति का मूल आधार थी। इस संस्कृति के मूल में वैयक्तिक सुख एवं ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचने की लालसा थी। पाश्चात्य जगत में पिछली अनेक शताब्दियों में यूनानी संस्कृति ने प्रेरणा प्रदान करने की अनूठी क्षमता का प्रदर्शन किया है। पश्चिमी इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मोड़ या बिन्दु हो जहाँ यूननी संस्कृति की विस्फोटक शक्ति सक्रिय न रही हो। हेलेनिक संस्कृति व सभ्यता स्वयं मिस्री संस्कृति के विविध प्रभावों से युक्त एवं उद्‌भूत मानी जाती है। जन्म के साथ इसका तीव्र गति से देश और काल दोनों दृष्टियों से विस्तार प्रसार एवं विकास हुआ। पांचवी शताब्दी में पेरीक्लीज के शासन काल में यूनानी जन मानस ने स्वयं को अन्धविश्वास से मुक्त करने का प्रयास किया, नए विज्ञानों को जन्म दिया। चिकित्सा को बुद्धि संगत तथा इतिहास को धर्मनिरपेक्ष एवं नैतिक बनाया। काव्य, नाटक दर्शन, इतिहास तथा कला में काफी प्रगति की। इस चरमोत्कर्ष से हेलेनिक संस्कृति अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त की। उसके शिल्प, स्थापत्य एवं भवनों की सुन्दरता अतुलनीय थी। यही हेलेनिक संस्कृति कालान्तर में यूनानी (ग्रीक) संस्कृति का आधार बनी और ग्रीक संस्कृति के नाम से विश्व में विख्यात हुई।

1.4.2 ग्रीक संस्कृति की विशेषताएं

संक्षेप में ग्रीक संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं रू–

1. यूनानी (ग्रीक) संस्कृति शुद्ध रूप से प्रकृति से प्रारम्भ हुई मानी जाती है। इस संस्कृति में विस्तार युक्त मतों, रूढ़ियों तथा परम्पराओं से कोई उलझाव (विवाद) नहीं है।

2. मौलिकता ग्रीक संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अपने अपकर्ष में भी यूनानियों ने कम ग्रहण किया अधिक प्रदान किया।

3. ग्रीक संस्कृति स्वनिर्मित है। अर्थात इन्होंने अपनी संस्कृति का स्वयं निर्माण किया। यद्यपि औपनिवेशीकरण के युग में इन पर प्राच्य जगत का व्यापक प्रभाव पड़ा।

4. यवनों को विरासत में अपने पूर्वजों से आधार स्वरूप कोई उल्लेखनीय सांस्कृतिक देन नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने ऐसी बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियाँ अर्जित की जिससे मनुष्य को विवेक और सौन्दर्य की खोज में सदैव प्रेरणा मिलती रहे।

5. प्राचीन अशान्ति काल के अतिरिक्त शेष समय में हिंसात्मक क्रान्ति की अनुपस्थिति, क्रूर आपराधिक प्रवृत्ति का लगभग अभाव, सम्पत्ति और मनोरंजन के प्रति उचित मात्रा में आसक्ति इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यूनानी लोगों का जीवन अपेक्षाकृत आनन्दमय एवं सन्तोषजनक था।

6. यूनानी संस्कृति नैतिक आदर्शों की पक्षधर थी। इसी कारण वे मानसिक अस्थिरता और भावात्मक संघर्षों से सदा मुक्त रहे।

7. वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनकी प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता है।

8. नाटक एवं प्रतिमा विषयक कलाओं में सौन्दर्य की अनुभूति इस संस्कृति में सर्वत्र दिखाई देती है।

9. गणित, खगोल विद्या और विज्ञान का शिलान्यास ग्रीक संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है।

10. ग्रीक संस्कृति ने ही सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धान्तों का समन्वित संकलन किया है।

11. शासितों (जनता) के प्रति उत्तरदायी लोकतन्त्रीय शासन पद्धति, जूरी द्वारा न्यायिक परीक्षण प्रणाली का विकास और नागरिक स्वतंत्रता की विचारधारा ग्रीक संस्कृति की विशेषता है।

12. जन कल्याण एवं नागरिकों द्वारा शासन में सहयोग का विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व की भावना ग्रीक संस्कृति की एक अन्य विशेषता है।

13. ग्रीक संस्कृति की एक अन्य विशेषता यह है कि वहां के कानून प्रायः जन समर्थन पर आधारित होते थे, किसी राजा या

पुरोहित की इच्छा पर नहीं।

14. यवन धर्म सांसारिक (लौकिक) व्यवहारिक एवं मानव मात्र के अनुकूल था। देवी देवता की उपासना मानव जीवन को आदर्श बनाने के निमित्त थी। उन्होंने मानव का दैवीकरण और देवताओं का मानवीकरण किया।

15. यूनानी संस्कृति में कोई विशेष पुरोहित वर्ग नहीं था। वे किसी धार्मिक पंथ विशेष से भी बंधे नहीं थे। बद्धि और व्यवहार के क्षेत्र में पुरोहितों एवं देवताओं का हस्तक्षेप भी उन्हें स्वीकार नहीं था। यह ग्रीक संस्कृति की अद्‌भुत है।

संक्षेप में उपर्युक्त विशेषताएं ग्रीक संस्कृति को श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करती है।

1.4.3 ग्रीक संस्कृति का प्रभाव

ग्रीक संस्कृति विश्व की एकमात्र ऐसी प्राचीनतम संस्कृति है जिसने न केवल पाश्चात्य जगत को बल्कि सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। संक्षेप में हम ग्रीक संस्कृति के प्रभाव को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं :

1. ईश्वर से प्राप्त वैयक्तिक प्रस्थिति की चेतना यहूदी समुदाय को ग्रीक विचारों से ही प्राप्त हुई है। इसका उदभव प्रायः प्लेटो के साथ हुआ था।

2. मध्युगीन राजनीतिक विवाद, बडे अंशों में राजाओं द्वारा विधि की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना के प्रयासों से सम्बन्धित थे। विधि (कानून) शासन के ऐसे उपकरण थे जिनका निर्माण रोमनों ने किया था किन्तु ये संस्कारित ग्रीक संस्कृति से ही हुए थे।

3. 17वीं शताब्दी में जिज्ञासा एवं प्रयोग के नए वैज्ञानिक युग का आरम्भ होने तक चिकित्सा, खगोल विद्या और भूगोल के क्षेत्र में यूनान के सिद्धान्तों और मान्यताओं को असंदिग्ध विश्वास पद्धति के साथ स्वीकार किया जाता रहा। यूनानी चिकित्सा पद्धति आज भी विश्व व्यापी एवं प्रभावी चिकित्सा पद्धति है।

4. 1900 ई0 के लगभग तक सम्पूर्ण येरोप में ज्यामिति के तत्वों की शिक्षा ई०पू० चौथी शताब्दी के यूनानी गणितज्ञ यूक्लीडीज की पुस्तक से दी जाती थी। प्रसिद्ध रेखागणितज्ञ पाइथागोरस का सम्बन्ध यूनान से ही है। जिनका प्रमेय आज भी विश्व में रेखागणित में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ाया जाता है।

5. डायोनिसिय ई० पू० प्रथम शताब्दी का यूनानी था जिसने यह उल्लेखनीय अन्वेषण किया था कि व्याकरण के विज्ञान जैसा कोई तत्व था, अर्थात मनुष्य दैनिक बोलचाल में अचेतन रूप से अत्यन्त सूक्ष्म तथा जटिल नियमों का पालन करते हैं, जिनका अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात् व्याकरण को एक विषय के रूप में योरोप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय ग्रीक संस्कृति को ही है।

6. दर्शन के क्षेत्र में ग्रीक संस्कृति का प्रभाव सर्वविदित है द्य दर्शन का जनक यूनानी दार्शनिक व गणितज्ञ थेतस को माना जाता है। दर्शन का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान का मूल प्लेटो ने विस्मय को, अरस्तू ने यथार्थ को तयूसिस ने प्रज्ञा (हेतु) को बताया है। ये सभी विद्वान यूनानी थे और इनके दार्शनिक विचार आज भी विश्वव्यापी एवं प्रासंगिक हैं। यह ग्रीक संस्कृति के प्रभाव का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है।

7. विज्ञान भी दर्शन का ही अंग था। ग्रीक संस्कृति ने विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सत्य के प्रति आग्रह प्रदर्शित किया और विभिन्न वैज्ञानिक विधाओं को पृथक अस्तित्व प्रदान किया। अनेक वैज्ञानिक मान्यताओं का सृजन भी किया।

8. चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी यूनान की महत्वपूर्ण देन है। ई0पू0 460 में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेटीज ने जो चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित रचनाएं की, वे आज भी चिकित्सकों के लिए अनुकरणीय मानी जाती है।

9. विज्ञान एवं दर्शन के साथ ही कला और साहित्य में भी ग्रीक संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। यूनानी साहित्य आज भी जीवन्त और प्रासंगिक है। यही इस साहित्य का श्रेष्ठतम गुण

है और इस संस्कृति के प्रभाव का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी।

10. यन्त्रों को छोड़कर आधुनिक संस्कृति में (विशेषकर पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता में) शायद ही ऐसा कोई तत्व हो जिसका मूल यूनानी संस्कृति में न हो। स्कूल, जिमनाजियम, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, रेटॉरिक (वाकपटुता या अलंकार शास्त्र) फिजिक्स, बायोलॉजी, अनाटमी (शरीर रचना शास्त्र) कास्मेटिक्स (प्रसाधन), पोएट्री, म्युजिक, ट्रेजडी, कॉमेडी फिलासफी, थियोलॉजी (धर्मशास्त्र), इथिक्स, पालिटिक्स, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ही हुई है। यह ग्रीक संस्कृति के विश्वव्यापी प्रभाव का उदाहरण है।

ग्रीक संस्कृति के उपर्युक्त प्रभावों से यह स्पष्ट होता है कि यूनानी सभ्यता और संस्कृति में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का मार्ग दर्शन न करता हो। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विश्व पर, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत पर यूनानी संस्कृति का प्रबल प्रभाव रहा है।श

2.5.2 अरब (इस्लाम) संस्कृति का प्रभाव

इस्लाम के पवित्र ग्रन्थ कुरान में कुछ धार्मिक उपदेश दिए गये हैं। जिनका प्रभाव मानव मन पर गहरा पड़ता है। इनमें कुछ कर्म निन्दित कर्म की श्रेणी में रखे गये हैं और मनुष्यों को इन कर्मों से विरत रहने की सलाह दी गई है।

इस्लाम धर्म में कुछ कृत्यों की घोर निन्दा करते हुए इसे निन्दनीय बताया गया है। कुरान के अनुसार निम्नलिखित कर्म निन्दनीय माने गये हैं –

1. सूद लेना निन्दनीय कृत्य के साथ महापाप है।
2. कृपणता अपराध है इसलिए इससे बचना चाहिए।
3. फिजूलखर्ची निन्दनीय है।
4. मद्यपान का निषेध किया गया है।
5. जुआ खेलना महापाप है।

6. लोगों पर अन्याय करना एवं व्यर्थ धर्मात्मा होने की धूम मचाना निन्दनीय है।

इन निन्दित कर्मों के अतिरिक्त कुछ ऐसे उपदेश भी हैं जिनका पालन करने से मानव का कल्याण होता है। ये उपदेश आज के युग में भी प्रासंगिक और प्रभावी हैं।

कुरान के उपदेश– संक्षेप में हम कुरान के उपदेशों का सार निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं :

1. भिक्षुकों एवं फकीरों को दान देना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्म है।
2. दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा दूसरों से अपने प्रति अपेक्षित हो।
3. किसी के साथ अन्याय मत करो, इससे तुम्हारे प्रति भी कोई अन्याय नहीं करेगा। 4. भूखों को भोजन देना।
4. रोगी की सेवा करना और बन्धन में पड़े हुए लोगों को बन्धन मुक्त करना। 6. किसी भी मनुष्य के प्रति घृणा न करना।
7. पृथ्वी पर कभी भी मद में चूर नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान घमण्डी को प्यार नहीं करता।
8. दान देने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है।
9. जो दाहिने हाथ से देकर बाएं हाथ से उसको छिपा लेता है, वह सब पर विजय प्राप्त करता है।
10. जो अल्लाह के बन्दों से प्यार नहीं करते, अल्लाह उनसे प्यार नहीं करता।

इस्लामी सम्प्रदाय

मुसलमानों के कई सम्प्रदाय हैं किन्तु निम्नलिखित पांच प्रमुख माने गये है। 1. सुन्नी, 2. शिया, 3. वहाबी, 4. आगारवानी, 5 कादियानी। इसके अलावा हिन्दू वेदान्त मत के समान सूफी सम्प्रदाय भी हैं।

सभी सम्प्रदाय के लोग मोहम्मद साहब और कुरान में पूर्ण आस्था

रखते हैं। सुन्नियों की संख्या सर्वाधिक है। इमाम हुसैन के अनुयायी शिया और खलीफा के अनुयायी सुन्नी हो गये।

वहाबी आर्यसमाजियों की तरह मृत व्यक्ति की पूजा में विश्वास नहीं करते। इसी का अनुसरण करते हुए वहाबी राज इब्ज सईद ने, अरब के समस्त कब्रगाहों को तोड़वाकर उनका अस्तित्व मिटा दिया, अन्य विचारधारा वाले मुसलमानों का विचार कर केवल मोहम्मद साहब के स्मारक को छोड़ दिया।

आगारवानी भारत और अफ्रीका में रहते हैं और मेनन नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सर्वाधिक धनाढ्य मुसलमान होते हैं। इनका मानना है कि आगा खां ईश्वर के अवतार हैं और उन्हें मनुष्यों को नरक में भेजने का अधिकार हैं।

कादियानी मत के अनुयायी सिर्फ भारत के पंजाब प्रान्त में हैं। इसके प्रवर्तक गुलाम अहमद कादियान गुरुदासपुर जिले के थे। इनके नाम पर ही यह सम्प्रदाय कादियानी नाम से विख्यात है। यह मत सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान करता है। इस मत का मानना है कि मुहम्मद साहब अन्तिम पैगम्बर नहीं हैं। कृष्ण, नानक आदि सभी मोहम्मद साहब के समान पैगम्बर या अवतार है।

मुसलमानों का उदारवादी सम्प्रदाय जो परमप्रियतम के रूप में परमेश्वर की उपासना करता है सूफी कहलाता है। सूफी मत की यह धारणा है कि प्रभु की प्रेरणा शुद्ध हृदय से प्राप्त होती है। सूफी मत का मानना है कि जो कुछ सत्ता है वह एकमात्र प्रभु की है। यह मुस्लिम वेदान्तमत है और 'अनलहक' (मैं ही ब्रहम हूँ) इसका साधना मन्त्र है। सबमें प्रभु है और सब कुछ प्रभु में है। प्रभु के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर उसमें लीन होना ही सूफी साधना है। कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास और प्रार्थना इनका साधन है।

यह अरब संस्कृति के प्रभाव का ही परिचायक है कि विश्व के अधिकांश भागों में इनकी आबादी है। अरब देश, ईरान, ईराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अनेक राष्ट्र इस्लामी कानून से संचालित होते हैं जबकि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य में भी इस संस्कृति के समर्थकों को इस्लामी कानून का संरक्षण प्राप्त है। विश्व के जिस किसी

भी भू भाग पर इस्लाम संस्कृति के समर्थक हैं वहां की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

2.6 बौद्ध संस्कृति

गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। वे संसार में महान कार्य करेंगे ऐसी भविष्यवाणी विद्वानों ने उनके जन्म काल में ही कर दी थी। इन्होंने यथाविधि गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण शीघ्र ही वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गये। राजकुमार की संसार से विरक्ति एवं ध्यान में मग्न रहने की प्रवृत्ति के कारण पिता ने उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में ही कर दिया। विवाह, राजसी वैभव और सासारिक सुख गौतम बुद्ध को बांधकर न रख सका, और उन्होंने एक दिन अपने नवजात शिशु और पत्नी तथा समस्त राजकीय वैभव त्याग कर ब्रहमचारी के वेष में गृह त्याग कर दिया।

2.6.1 बौद्ध संस्कृति का आधार

बौद्ध संस्कृति का मुख्य आधार बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के प्रवर्त्तक गौतम बुद्ध हैं। भारत में हिन्दू धर्म की जटिलता के विरोध स्वरूप उपजा यह धर्म भारत में सर्वमान्य नहीं हो सका परन्तु वहीं यह धर्म जापान, मलेशिया, थाईलैण्ड, श्रीलंका और चीन में व्यापक रूप से मान्य हुआ और इन देशों की संस्कृति भी बौद्ध धर्म आधारित हो गई।

सर्वप्रथम गौतम ने तत्कालीन समय में प्रचलित तपस्या को अपने ज्ञान का साधन बनाया। उन्होंने (बोधगया के निकट) अपने पांच साथियों के साथ घोर तपस्या की। 66 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया था। इस शारीरिक दुर्बलता के कारण उन्होंने तपस्या त्याग दी। इस कारण इनके साथियों ने भी इनसे किनारा कर लिया। गौतम इस सबसे बेपरवाह होकर बोधिवृक्ष के नीचे विचारमग्न समाधि में लीन हो गये। अन्त में बैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बुद्धत्व (ज्ञान) प्राप्त हुआ। संसार में दुःख का कारण और उसके निवारण के उपाय का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। गौतम ने यह समझ लिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव ही सर्वोत्तम मार्ग है। यह नई बात गौतम ने मालूम की और अपने आपको बुद्ध के नाम से प्रकट किया।

बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात् गौतम बुद्ध अपने पांच साथियों की तलाश करते हुए काशी पहुंचे। काशी के निकट सारनाथ में वे अपने साथियों से मिले और उन्हें अपना नया सिद्धान्त बताया। बुद्ध के अनुसार जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, उन्हें दो बातें कभी नहीं करना चाहिए द्य प्रथम, जिन बातों से मनोविकार उत्पन्न होते हों और दूसरी तपस्या जो केवल दुःख देने वाली है और जिनसे कोई लाभ नहीं। इन दोनों को छोड़कर बीच का मार्ग ग्रहण करना चाहिए जिससे मन की शान्ति और पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है।

सारनाथ में बुद्ध पांच महीने रहे। इस दौरान उन्होंने 70 शिष्य बनाए और उन्हें मनुष्य को मुक्ति मार्ग बताने के लिए भिन्न–भिन्न दिशाओं में भेज दिया। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया। उनकी मृत्यु के पूर्व ही बौद्ध धर्म ने संसार में बड़ी प्रबलता और दृढ़ता स्थापित करली थी। बुद्ध ने अन्त में एक बार शिष्यों को फिर उपदेश दिया, धर्म का तत्व समझाया तथा अपने धर्म पर दृढ रहने की आज्ञा दी। बुद्ध ने उपदेश दिया कि–

''यदि मनुष्य मन में निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में संघ में और धर्म में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि– यह इस धर्म का मूल मन्त्र है।''

2.6.2 बौद्ध संस्कृति की विशेषताएँ

बौद्ध संस्कृति की विशेषताएँ बुद्ध के उपदेश में ही निहित हैं। बुद्ध ने जिन दार्शनिक सिद्धान्तों की स्थापना की वे ही इस संस्कृति की विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं–

संसार में बुद्ध का जन्म इस लिए हुआ कि वे संसार को वास्तविक दुःख का कारण बताएं और उसके निवारण के उपाय भी। इस धर्म का सारांश आत्मोन्नति और आत्म निरोध है। बुद्ध ने कहा है कि दुःख का अनुभव सभी करते हैं, किन्तु दुःख को जानने वाले थोड़े ही हैं। दुःख के अनुभव से दुःख की निवृत्ति नहीं होती, वरन दुःख के कारण के ज्ञान से निवृत्ति होती है। जन्म से मृत्यु पर्यन्त संसार दुःख रूप है। संसार में सुख स्थापन करने की चाहे जितनी भी चेष्टा की जाय, आनन्द एवं विलास की सामग्री चाहे जितनी भी एकत्र की जाय, किन्तु दुःख से

निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं और दुःख इसी का फल है। बुद्ध का सिद्धान्त है कि तृष्णा का सर्वतोभाव से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता है और इस तृष्णा नाश का ही नाम निर्वाण है। बुद्ध ने दुःख निवारण के आठ मार्ग बताए हैं जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे आठ मार्ग निम्नलिखित हैं :

1. **सम्मा दिट्ठी (सम्यक् दृष्टि)**– दुःख समुदाय का और दुःख निरोध का ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। जब तक हम इस संसार को दुःख रूप नहीं मानेंगे तब तक हमारे कर्तव्य का लक्ष्य उससे भागने की ओर न होगा। सच्चे ज्ञान के बाद ही सच्चा संकल्प आता है।

2. **सम्मा संकल्प (सम्यक् संकल्प)** – दुःख समुदाय के ज्ञान से निश्चय हो जाता है कि तृष्णा त्याग के बिना दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता। जब हमारा सबके साथ अद्वेष, अहिंसा और मैत्री का भाव होगा, तभी हमारी तृष्णा का नाश हो सकेगा। अतः हमें ऐसा भाव बना लेना चाहिए, जिससे किसी के प्रति हिंसा और द्वेष का व्यवहार न हो। यही विचार सम्यक् संकल्प है।

3. **सम्मा वाचा (सम्यक् वाचा)** – सब प्रकार के झूठ, दूसरों की निन्दा, अपमान, चुगली, झूठी गवाही आदि से विमुख रहमा चाहिए। निरर्थक वार्तालाप भी दूषित समझा जाता है। सम्यक् वार्तालाप मनुष्यों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे दूसरों का दिल दुःखी हो। यहाँ तक कि अपराधी को दण्ड देते समय भी आदर का व्यवहार होना चाहिए, और उसमें व्यक्तिगत बैर भाव और रोष की गन्ध भी नहीं आनी चाहिए।

4. **सम्मा कम्मान्त (सम्यक् कर्मान्त) –** सम्यक् कर्मान्त का तात्पर्य कर्म और पुनर्जन्म से है। बौद्ध धर्म में हिन्दू धर्म की भांति ही आवागमन माना गया है। लोग अपने कर्म के अनुरूप अच्छा या बुरा जन्म प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा के अनुसार प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, किन्तु उसका संस्कार और अन्तिम विचार एक नया रूप धारण कर लेता है। जातक कथाओं के अनुसार स्वयं बुद्ध ने अनेक बार जन्म लिया था।

कर्मों में पंचशील मुख्य हैं। सर्वतः पाप निवृत्ति को शील कहते हैं। ये पंचशील अर्थात पांच आज्ञाएं सभी बौद्ध गृहस्थों एवं भिक्षुओं के लिए है। वे इस प्रकार से हैं–

1. कोई किसी को न मारे,
2. चोरी न करे, अर्थात जो वस्तु न दी गई हो उसे न लें,
3. झूठ न बोलें,
4. नशीली चीजों का सेवन न करे,
5. व्यभिचार न करें।

भिक्षुओं के लिए पांच अन्य नियम हैं जो इस प्रकार हैं–

1. रात्रि में देर में भोजन न करना,
2. माला न पहनना और सुगन्धित द्रव्य का प्रयोग न करना,
3. भूमि पर सोना,
4. नृत्य–गीत में आसक्त न होना,
5. सोना–चांदी को व्यवहार में न लाना।

उपर्युक्त दसों आज्ञाएं भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। जबकि प्रथम पंचशील गृहस्थों के लिए अनिवार्य हैं।

5. **सम्मा जीव (सम्यक् जीविका)**– बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल कोई जीविका नहीं करनी चाहिए। अर्थात ऐसी आजीविका का आश्रय नहीं लेना चाहिए जिसमें हिंसा, चोरी और व्यभिचार करना पड़े तथा झूठ बोलना पड़े। अर्थात् बौद्ध धर्म का यह उपदेश है. कि मनुष्यों की आजीविका शुद्ध होनी चाहिए।

6. **सम्मा व्यायाम (सम्यक् व्यायाम)–** सम्यक व्यायाम का तात्पर्य कसरत या नाना प्रकार के योग आसन आदि से शरीर को कष्ट देना नहीं, परन्तु इसका तात्पर्य है शुभोद्योग द्य सच्चे उद्योग में चार बातें आती हैं।

1. अवगुणों के नाश का उद्योग करना,

2. नये अवगुणों से बचने का उद्योग करना,

3. गुणों को प्राप्त करने का उद्योग करना तथा

4. गुणों की वृद्धि आचार–विचार के द्वारा करना।

7. **सम्मा स्मृति (सम्यक् स्मृति)** – स्मृति से स्मरण और निरन्तर विचार करने का अर्थ लिया जाता है। मन सदैव शुद्ध होना चाहिए क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी कर्म निर्दोष होगा। कर्म से आशय कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के कर्मों से है। इस प्रकार मन को सम्यक् रूप से शुद्ध रखते हुए कर्म में लीन रहना चाहिए।

8. **सम्मा समाधि (सम्यक समाधि)** – समाधि का कर्तव्य पथ में अन्तिम स्थान है। शील के अनुशीलन से हमारी मानसिक क्रियाएं नियमित हो जाती हैं। शील समाधि की सीढी है। सत्कर्म के लिए जो चित्त की एकाग्रता सम्पादित की है। समाधि की इच्छा रखने वाले को भोजन व्यसन में आसक्ति का वर्जन कर उसके प्रति वैराग्य रखने का प्रयत्न करना पड़ता है। दुःख का नाश करने के उद्देश्य से शरीर धारण रखने के निमित्त ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भोजन से विराग उत्पन्न कर लेने पर निर्वाण पथ के यात्री को शरीर की नश्वरता पर विचार करना चाहिए। निर्वाण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अपना भाव ऐसा बना लेना चाहिए कि वह समस्त संसार का मित्र है।

1.6.3 बौद्ध संस्कृति का प्रभाव

बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने छठी शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में की थी। इस समय तक धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार हो चुका था। कर्मकाण्ड की प्रधानता थी और उसमें बड़ी जटिलताएं आ गई थी। सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य संस्कृत भाषा में होने के कारण जन साधारण की पहुँच से बाहर था। गौतम बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया उसमें जटिलता नहीं थी। उन्होंने जन भाषा में अपनी बात कही और लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म का मानना है कि न तो अधिक आसक्ति हो और न ही शरीर को तपस्या के

द्वारा अधिक कष्ट दिया जाए।

बुद्ध के उदान (उपदेश)– भावातिरेक में कभी कभी जो महापुरुषों के मुँह से वाक्य निकलता है उसे उदान कहते हैं। भिक्षु जगदीश कश्यप ने बुद्ध के उदान का अनुवाद हिन्दी में लिपिबद्ध किया है। कुछ प्रमुख उदान निम्नलिखित हैं–

1. मनुष्य अपने वंश अथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं होता परन्तु जिसमें सत्य और पुण्य है वही ब्राह्मण है और वही सत्य है। जिसने पाप को मन से बाहर कर लिया है, राग–द्वेष से रहित और संयमशील है, जो निर्वाण पद का ज्ञाता है, सफल बह्मचर्य वाला है वही अपने को ब्राह्मण कह सकता है।

2. जो प्रपंच को पार कर चुका, काम के कांटों को तोड़ चुका, मोह का क्षय कर चुका और सुख दुःख से लिप्त नहीं होता वही सच्चा भिक्षु है।

3. जितनी हानि शत्रु द्वारा शत्रु की होती है, झूठ के मार्ग पर लगा चित्त उससे अधिक हानि करता है।

4. ’जिसका चित्त शिला की तरह अचल रहता है, राग उत्पन्न करने वाले विषयों में अनुरक्त नहीं होता है, क्रोध करने वाले विषयों से क्रोध नहीं करता है, जो ध्यान लगाना जान चुका है– उसे दुःख नहीं हो सकता।

5. स्थिर शरीर और स्थिर चित्त से जाग्रत अथवा सुसुप्तावस्था में जो भिक्षु अपनी स्मृति को बनाए रखता है, वह ऊँची से ऊँची अवस्था को प्राप्त कर सकता है।

6. जिसने अपने वितर्कों को भस्म कर दिया है और अपने को पूरा पूरा पहचान लिया है वह अरूपसंज्ञी योगी सांसारिक आसक्ति को छोड़ चारों योगों (कामयोग, भवयोग, दृष्टियोग, और अविद्यायोग) के परे हो जाता है। उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता।

7. कामों में आसक्त, बन्धनों के दोष को नहीं देखने वाला बल्कि उन बन्धनों में और भी संलग्न रहने वाला इस अपार भवसागर

को पार नहीं कर सकता।

8. मोह के बन्धन में पड़ा हुआ संसार ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता है। सांसारिक मूर्ख जन उपाधि के बन्धन में बंधे हुए हैं। अन्धकार से सभी ओर घिरे पड़े. हैं। समझते हैं श्यह सदा ही रहने वाला है ज्ञानी पुरुष के लिए रागादि कुछ नहीं है।

9. दान देने से पुण्य बढ़ता है। संयम करने से बैर बढ़ने नहीं पाता। पुण्यवान बाप को छोड़ देता है। राग द्वेष और मोह के क्षय होने से परिनिर्वाण पाता है।

10. शोक करना, रोना– पीटना तथा और भो संसार में होने वाले अनेक प्रकार के दुःख प्रेम करने से ही होते हैं। जो प्रेम नहीं करता उसे कोई दुःख नहीं होता। जिनके मन में कभी प्रेम की भावना नहीं उठी है वे ही सुखी और शोक रहित होते हैं। इसलिए संसार में प्रेम (मोह माया) न बढाते हुए विरक्त रहने का यत्न करना चाहिए।

2.7. चीन की संस्कृति

चीन की संस्कृति में हमें चार धार्मिक संस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देता है। चारों धर्म बौद्ध, इस्लाम, ता–ओ और कन्फ्युसियस की चीन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानता है। बौद्ध और इस्लाम संस्कृति के बारे में आप जान चुके हैं। इस अध्याय में ता–ओ और कन्फ्युसियस संस्कृति के बारे में विस्तार से जानेंगे।

2.7.1 ता–ओ संस्कृति

इस धर्म के प्रवर्तक श्ता ओत्सी का जन्म ईसवी सन् से 604 वर्ष पूर्व हुआ था। आप चोरे राज्य के ग्रन्थागार के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय इतिहासवेत्ता भी थे। ता–ओ का कथन है कि ता–ओ (ईश्वर) एक है। वह आरम्भ में था और आगे भी सब काल में वर्तमान रहेगा। वह निराकार, अनादि, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वह बुद्धिगम्य नहीं है। उसका कोई नाम नहीं है। वह अवर्णनीय है। सब उसी पर निर्भर है। वह समस्त गोचर पदार्थ, आकाश और पृथ्वी का जनक है। सारांश यह

कि वह समस्त वस्तुओं का जनक है। इस प्रकार ता–ओ की शिक्षा में हम भारतीयता की सुगन्ध पाते हैं।

ता–ओ के अनुसार ता–ओ (ईश्वर) को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, सन्तोष, करुणा, प्राणिमात्र के प्रति दया, सच्चा ज्ञान और आत्मसंयम मुख्य साधन हैं। ध्यान और प्राणायाम इसके सहायक हैं। चित्त को संसार के विषयों से हटाकर एक लक्ष्य पर टिकाने की नितान्त आवश्यकता है, तभी चित्त में शान्ति का उदय हो सकता है।

ता–ओ के अनुसार वही सन्त है, जिसके मन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, जिसके जीवन में पश्चाताप का अवसर नहीं आता, जो अपने लिए कुछ संचय नहीं करता, जो न अपना प्रदर्शन करता है और न अपनी करनी पर घमण्ड, जो मोटा वस्त्र पहनता है, किन्तु हृदय में सद्‌गुणों को मोती की माला के सदृश धारण किये रहता है, जो अपनी प्रतिभा को छिपाये रहता है, जो कभी स्वप्न नहीं देखता, जो कभी चिन्ताग्रस्त नहीं होता, जो सुस्वादु भोजन की अ. कांक्षा नहीं करता, जिसे न जीवन से प्रेम है, न मृत्यु से भय, और जो प्रेम, घृणा, हानि लाभ, प्रतिष्ठा और अपमान से परे हैं। यह सब गीता में वर्णित जीवनमुक्त के गुणों से मिलता–जुलता है।

ता–ओ धर्म में साधु और साध्वी के लिए स्थान है। ये पीली टोपी पहनते हैं संसार से अलग जंगल, गुफा अथवा एकान्त स्थान में रहते हैं। ताओ धर्म सर्वोच्च नैतिकता, सात्विक जीवन, चित्त और शरीर के संयम की शिक्षा देता है। आत्मविजय द्वारा ता–ओ (ईश्वर) की प्राप्ति से मुक्ति होती है। यह पुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता में विश्वास करता है।

ता–ओ की शिक्षायें और उपदेश एक पुस्तक में संग्रहीत हैं। यह स्वयं ताओ की लिखी हुई है। बादशाह चींग ने राज्य भर में आज्ञा प्रचारित की कि ताओ की पुस्तक की प्रतिष्ठा राज्य नियम की तरह की जाय। .

ता–ओ के उपदेश –

1. अच्छों के प्रति मैं अच्छा रहूँगा। बुरों के प्रति भी अच्छा रहूँगा जिससे उन्हें भी अच्छा बना सकूँ।

2. जो जानते हैं, वे बोलते नहीं और जो बोलते हैं वे जानते नहीं।

3. मेरे पास तीन वस्तुएं है, जिन्हें मैं दृढतापूर्वक जुगोता रहूँगा (क) सौम्यता (दयालुता) (ख) कम खर्ची (मितव्ययिता) और (ग) नम्रता।

4. विनीत बनो, तभी तुम निर्भीक हो सकोगे। अपने आपको दूसरे के सम्मुख प्रदर्शित करने का प्रयत्न न करो, तभी तुम मनुष्यों के नेता हो सकोगे।

5. लालसा का शिकार होने से बढकर कोई पाप नहीं है। असन्तोष से बढकढ़र दुःख नहीं है। चाह से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है।

6. अपने को विनम्र प्रदर्शित करो, पवित्र रहो, अपनी जरूरतों को कम करो और इच्छाओं को संयम में रखो।

7. विद्वता का अभिमान न करो। तुम्हें सन्ताप नहीं होगा।

8. जहाँ आसक्ति है, वहीं बन्धन है। जहाँ बन्धन नहीं है, वहां आनन्द है। जीवन की उन्नति का यही तत्व है।

9. निष्कपट वचन मधुर नहीं होता, और मधुर वचन यथार्थ नहीं होता।

10. स्वयं उन्नत हो, ताकि तुम दूसरों का सुधार कर सको।

11. जन्म न आरम्भ है और न मृत्यु अन्त। अनादिकाल तक आत्मा आत्मा है।

12. वह मनुष्य धन्य है, जो साधु वचन बोलता है, साधु बातें सोचता है और साधु बातें मनन करता है।

ता–ओ के लेख और उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा गूढ़ हैं। उनके लेख पहेलियों के रुप में हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को लोगों ने मनगढन्त लथाओं से मिलाकर उन पर मिथ्या धार्मिक विश्वासों की कलई चढ़ा दी।

2.7.2. कन्फ्यूसियस संस्कृति

चीन में चार प्रधान धर्म प्रचलित हैं। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म,

कन्फ्युसियस की और ता–ओ धर्म। कन्फ्युसियस चीन के एक विख्यात धर्म प्रचारक सिद्ध पुरुष थे। चीनी लोग उन्हें कुंगफुतेज के नाम से पुकारते हैं। चीन देश की सभ्यता को प्रतिष्ठित करने वाले लोगों में कुंगफुतेज का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इस धर्म में तथा बुद्ध की शिक्षाओं में विशेष पारम्परिक विभेद न होने के कारण इन दोनों मतों का साथ ही साथ प्रसार हुआ। प्रत्येक चीनी सांसारिक जीवन के लिए कुंगफुतेज के सदुपदेशों में श्रद्धा रखता है, साथ ही साथ पारलौकिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए वह बौद्ध धर्म का पक्षपाती है। इस प्रकार चीनी सभ्यता और संस्कृति का मूलाधार दोनों धर्म की सम्मिलित शिक्षा है। इन दोनों धर्मों की शिक्षा दूध पानी की तरह मिलकर चीनवासियों के जीवन में इस प्रकार घुलमिल गई है कि इन दोनों के प्रभाव का पृथक करना दुस्तर है।

कुंग का जन्म ईसा पूर्व 551 वर्ष में आधुनिक शंगहुंग प्रान्त में श्यो' नामक स्थान पर हुआ था। कुंग बुद्ध के समकालीन थे। आपने अपने सदुपदेशों को व्यवहार में लाकर लोगों को चकित कर दिया। सर्वत्र शान्ति विराजने लगी। राजा ने इस सुव्यवस्था को देखकर आपके नियमों को सम्पूर्ण राज्य में प्रचारित किया। 73 वर्ष की आयु में ई. पूर्व 478 में आपकी मृत्यु हुई। आपके 500 शिष्यों ने गुरु की समाधि पर तीन वर्ष तक शोक मनाया और आपके उपदेशों का खूब मनन किया तथा दूर दूर देशों में आपकी नीतिमय शिक्षा का प्रचार किया। आपने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध भी किया था। आपके चार ग्रन्थ बड़े प्रसिद्ध हैं। संसार की समस्त प्रतिष्ठित भाषाओं में इन ग्रन्थ– रत्नों के अनुवाद हुए हैं।

सिद्धान्त

कुंग ने मनुष्य जीवन की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वर्ग, ईश्वर आदि की चर्चा ही न की। कुंग ने ईश्वर अथवा स्वर्ग के अस्तित्व को कभी इन्कार नहीं किया। आत्मा के पुनर्जन्म में उन्हें विश्वास था। फिर भी वे परलोक के सुधारने की उतनी चिन्ता नहीं करते, जितनी इहलोक के सधारने की। मनुष्य सामाजिक जीव है वह समाज में रहता है, पनपता है तथा अन्त में नष्ट हो जाता है। उसका समाज के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ है। अतः समाज की उन्नति से उसकी उन्नति

होगी। वैयक्तिक उन्नति मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। यह तो सामाजिक उन्नति का फल है।

कुंग के मतानुसार मनुष्य स्वभावतया अच्छा होता है और अच्छाई की ओर उसकी प्रवृत्ति रहती है। अच्छाई की पराकाष्ठा सिर्फ सन्तों में हो सकती है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को निष्काम भाव से तथा ईमानदारी और तत्परता के साथ कर्तव्य पालन करना चाहिए। जो सच्चरित्र और दैवी गुणों से भूषित है, वह मनुष्यों में 'चु–नट–जू' अर्थात श्रेष्ठ है।

समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ सद्व्यवहार करना हमारा परम धर्म हैं। माता पिता के प्रति भक्ति, दीन जन तथा सेवक के प्रति दया, भाई बंधुओं के साथ सहानुभूति रखने की सुन्दर शिक्षा देकर कुंग ने चीनी सभ्यता को बहुत ऊपर उठाया। आपत्ति के समय पुरुष के गुणों की परख होती है। इस विषय में उनका एक उपदेश बड़ा ही हृदयग्राही है। वे कहते हैं जब शीतकाल आता है, तब हम देखते हैं कि सब वृक्षों के बाद चीड़ और वार अपने पत्तों को त्यागते हैं। क्यों न हो, वे वृक्षों में श्रेष्ठ जो है। पूर्णधर्म के विषय में पूछने पर उन्होंने बतलाया पूर्णधर्म वह है जब तुम बाहर निकलो, तब प्रत्येक से यह समझकर मिलो, मानों वह तुम्हारा बड़ा अतिथि है। किसी के साथ ऐसा बरताव मत करो, जो तुम उससे अपने लिए नहीं चाहते। देश में कोई दुःखित होकर तुम्हारी निन्दा न करे और घर में भी कोई तुम्हारे विरोध में न कुड़बुड़ाये।

प्रजा के ऊपर पुत्र सा प्रेम रखना। उनके कल्याण की सर्वदा कामना करना। राज्य की आय को अपने व्यक्तिगत भोग विलास में न खर्च कर सार्वजनिक हित कामों में लगाना, हितेच्छु न्याय–परायण पुरुष को अमात्य पद पर प्रतिष्ठित करना आदि उपदेश कुंग ने दिये। पेटभर खाने को हो, सेना पर्याप्त हो और प्रजा का शासक में विश्वास हो तो वह राज्य समृद्ध होता है।पर यदि राजा में प्रजा का विश्वास न हो, तो वह राज्य ठहर नहीं सकता। अतएव राजा को धर्मात्मा, न्यायी, ईमानदार और कर्त्तव्य परायण होना चाहिए। जैसा राजा होगा, वैसी प्रजा भी होगी।

कुंग ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके मत से मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने को समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी

बनाना है। कुंग के उपदेश का सारांश आत्मविश्वास और पड़ोसियों के प्रति उदारता है। कन्फ्युसियस प्राणियों से पृथक जीवात्मा का अस्तित्व मानते थे। उनका विश्वास था कि दिवंगत पुरुष की आत्मा बिना शरीर के ही रहती है। आत्मा न केवल मनुष्य में ही होती है, अपितु वायु, अग्नि, पहाड़, नदी आदि में होती है और सभी की पूजा होती है। सबका दर्जा स्वर्ग और मनुष्य के बीच का है। कुंग मृत पितरों और शरीर रहित आत्माओं को इस प्रकार बलि प्रदान करते थे, मानों वे साक्षात उनके सामने उपस्थित हों। आत्माओं का काम अपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करना समझा जाता था।

कुंग के कुछ उपदेश–

1. भगवान के लिए निरभिमान होना सहज है, किन्तु निर्धन के लिए सन्तोष प्रकट करना कठिन है।
2. सदाचार के प्रति अनुराग सौन्दर्य के प्रति अनुराग की तरह हृदय से होना चाहिए।
3. अपनी तुलना में दूसरों को परखने का आत्मशासन रखो। इसी को मनुष्यता का सिद्धान्त कहते हैं।
4. न्याय के प्रति प्रेम, सिद्धान्त के प्रति आदर तथा सदाचार मनुष्य को विशिष्ट पुरुष बनाने में समर्थ होता है।
5. प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि अपनी वाणी पर संयम रखे और अपने आचरण के प्रति सजग रहे।
6. संसार एक मुसाफिरखाना है।
7. काम का आरम्भ करना मनुष्य पर निर्भर है और उसकी पूर्ति ईश्वर के हाथ में है।
8. क्षण भर अपने क्रोध को दबाकर तुम जीवन भर के पश्चाताप से बच सकते हो।
9. जिस प्रकार तुम दूसरों में दोष दिखाते हो, उसी प्रकार अपने में भी देखो दिखाओ। जिस प्रकार अपने–आपको क्षमा कर सकते हो उसी प्रकार दूसरों को भी क्षमा करो।

10. आज्ञापालन सत्कार से कहीं उत्तम है।

11. बीस वर्ष तक धार्मिक जीवन व्यतीत करना पर्याप्त नहीं है, किन्तु एक दिन भी बुराई करना बहुत बड़ा दोष है।

12. बुद्धिमान पुरुष वचन देने में विलम्ब करता है, किन्तु वचन देने पर उसका पालन अवश्य करता है।

13. आनन्द की तीन कुंजियां है (क) दूसरों में दोष न देखना, (ख) दूसरों की निन्दा न करना, न तुलना और (ग) दूसरों की बुराई न करना।

14. मनुष्य का हृदय आईना के समान होना चाहिए जिस पर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है, किन्तु उससे उसमें मैलापन नहीं आता।

15. कोलाहल न बाजार में है और न शान्ति जंगल में, मनुष्य के हृदय में है।

16. जब तुम जीवित प्राणी के प्रति अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हो, तो मृत व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार कर सकोगे।

17. ज्ञानी पुरुष के लिए अपना चित्त स्वर्ग है, किन्तु अज्ञानी के लिए वह नरक है।

18. सच्चा सद्भाव अपने संगियों के प्रति प्रेम करना है और सच्चा ज्ञान अपने साथियों को पहचानना है।

19. जो ईश्वरीय नियम से अनभिज्ञ है यह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं हो सकता।

20. ज्ञानी मनुष्य सन्देह से, धार्मिक मनुष्य चिन्ता से और वीर मनुष्य मद से मुक्त रहता है।

2.7.3 चीन की संस्कृति का प्रभाव

चीन की संस्कृति विशेष कर ता–ओ और कन्फ्युसियस संस्कृति का प्रभाव हमें चीन के बाहर देखने को नहीं मिलता। चीन में ही

कन्फ्युसियस संस्कृति का प्रभाव साधारण जनता पर अधिक है जबकि विशिष्ट जन यानि अभिजात्य वर्ग ता–ओ संस्कृति से प्रभावित है। क्षेत्र की दृष्टि से चीन का उत्तरी भाग जहां हाँ– हो नदी बहती है कन्फ्युसियस संस्कृति का अनुयायी है और दक्षिणी भाग जहाँ यांग त्सि–क्यांग नदी बहती है का क्षेत्र ता–ओ संस्कृति का समर्थक है। चीन के बाहर शेष विश्व में इन संस्कृतियों का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है।

कुंग का धर्म जनसाधारण के लिए और ता–ओ धर्म विशिष्ट पुरुषों के लिए है जो आत्मविजय, वैराग्य, संयम तथा समाधि की ओर स्वभाव से ही आकृष्ट है, वही विशिष्ट पुरुष है। कुंग ने सदाचार की शिक्षा को प्रधानता दी है, उनका लक्ष्य उत्तम मानवता की प्राप्ति था। ताओ धर्म की शिक्षा अद्वैत वेदान्त की शिक्षा से विशेष मिलती जुलती है, यह पक्का निवृत्ति मार्ग है। इसके अनुयायियों को घर बार छोड़कर पर्वतों में एकान्तवास करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति मार्ग को अज्ञान मूलक समझता है, संसार के क्षणिक सुखों की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखता है। इस मत का ध्येय है पूर्ण वैराग्य।

2.8 सारांश

इस इकाई में आपने यह जाना कि विश्व की प्रमुख संस्कृतियों की उत्पत्ति का आधार क्या है ? प्रमुख संस्कृतियों के रूप में आपने पाश्चात्य (ईसाई) संस्कृति, ग्रीक (यूनान) संस्कृति, अरब (इस्लाम) संस्कृति, बौद्ध संस्कृति और चीन की ता–ओ तथा कन्फ्युसियस संस्कृति के बारे में विस्तार से जाना। आपने यह भी जाना कि इन प्रमुख संस्कृतियों की उत्पत्ति का आधार क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा अन्य संस्कृतियों पर इन संस्कृतियों का क्या प्रभाव है। कैसे इन संस्कृतियों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है इनका यही प्रभाव अन्तर्सास्कृतिक संचार का संवाहक है।

2.9 शब्दावली

1. ग्रीक संस्कृति– यूनान की संस्कृति
2. अरब संस्कृति– मुस्लिम संस्कृति अथवा इस्लाम संस्कृति

3. सम्मा वाचा– सम्यक् वाच सम्यक् वार्तालाप

2.10 सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. विश्व दर्शन का अध्ययन– सांवलिया बिहारी लाल
2. प्राचीन यूनान का इतिहास – प्रो० शैलेन्द्र पांथरी
3. अन्तसास्कृतिक संचार– डॉ. मुक्ति नाथ झा
4. सम्पूर्ण पत्रकारिता–डॉ. अर्जुन तिवारी
5. जन संचार समग्र– डॉ. अर्जुन तिवारी

2.11 प्रश्नावली–

2.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति का मूल आधार क्या है ?
2. ग्रीक संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट करें ?
3. बुद्ध द्वारा बताए गये अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करें।
4. अरब (इस्लाम) संस्कृति के आधार स्पष्ट करें।

2.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाश्चात्य संस्कृति पर ग्रीक संस्कृति के प्रभाव की व्याख्या करें।
2. चीन की संस्कृति का उल्लेख करते हुए ता–ओ संस्कृति की विशेषताएं बताइये।
3. ग्रीक संस्कृति की प्रमुख विशेषाएँ क्या हैं।
4. इस्लाम और बौद्ध संस्कृति में अन्तर स्पष्ट करें।

2.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. हेलनियस जाति को किस नाम से जाना जाता है।

   क) ग्रीक

   ख) बौद्ध

ग) तिब्बती

घ) मंगोल

2. शैलोपदेश (पहाड़ पर के उपदेश) का सम्बन्ध किस संस्कृति से है।

क) इस्लाम

ख) बौद्ध

ग) चीन

घ) इसाई

3. अष्टांगिक मार्ग किसका सिद्धान्त है।

क) ता–ओ

ख) ईसा मसीह

ग) बुंद्ध

घ) हजरत

4. मोहम्मद साहब अरब संस्कृति (इस्लाम) के धार्मिक ग्रन्थ का नाम बताएं।

क) बाइबिल

ख) धम्मपद

ग) कु

घ) इनमें से कोई नहीं।

2.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (क) 2. (घ) 3. (ग) 4. (ज्ज)

इकाई –3 संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा

इकाई की रुपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 संस्कृति की पूर्वी अवधारणा

3.2.1 भारतीय संस्कृति और इसकी विशेषताएं

3.2.2 भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचार अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत एवं द्वैत वाद।

3.3 संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा

3.3.1 पाश्चात्य संस्कृति और इसकी विशेषताएं

3.3.2 पाश्चात्य संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचारः आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, उपभोक्तावाद।

3.4 वैश्वीकरण

3.4.1 वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी संस्कृति का दृष्टिकोण

3.4.2. वैश्वीकरण के प्रति पाश्चात्य संस्कृति का दृष्टिकोण

3.5 सारांश

3.6 शब्दावली

3.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

3.8 प्रश्नावली

3.8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

3.8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

3.8.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

3.8.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

पाठयक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको संस्कृति की पूर्वी और पश्चिमी अवधारणाओं से परिचित कराना है। इस इकाई के सम्यक् अध्ययन से आप जान सकेंगे –

1. संस्कृति की पूर्वी अवधारणा क्या है।
2. पूर्वी अवधारणा की प्रतिनिधि संस्कृति कौन सी है।
3. भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं।
4. संस्कृति की पाश्चात्य अवधारणा एवं उनकी विशेषताएँ
5. वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का दृष्टिकोण।

3.1 प्रस्तावना

इस इकाई में संस्कृति के सन्दर्भ में पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा का विस्तार से. विवेचन किया गया है। पूर्वी अवधारणा की प्रतिनिधि संस्कृति भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के साथ इस संस्कृति के प्रमुख प्रचलित सिद्धान्त के रूप में अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत तथा द्वैतवाद की व्याख्या की गई है। पाश्चात्य संस्कृति के रूप में रोमन तथा योरोपीय संस्कृति की विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं। पाश्चात्य संस्कृति की प्रमुख अवधारणाएं जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, अराजकतावाद तथा उपभोक्तावाद की विस्तृत विवेचना की गई है। इन सबके अतिरिक्त वर्तमान वैश्विक संस्कृति की प्रमुख अवधारणा वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का दृष्टिकोण है यह भी समझाने का प्रयास किया गया है।

3.2 संस्कृति की पूर्वी अवधारणा

संस्कृति की पूर्वी अवधारणा मुख्य रूप से धर्म और अध्यात्म से सम्बन्धित है। इस अवधारणा का मूल मन्त्र है कि मनुष्य का आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं होगा वह भौतिक रूप से प्रगति नहीं कर सकेगा। धर्म ही मनुष्य को सदाचारी और नैतिक बनाता है और बिना सदाचरण और नैतिकता के मानवीयता का विकास सम्भव नहीं है। इस अवधारणा

की प्रमुख प्रतिनिधि संस्कृति भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को समझे बिना संस्कृति की पूर्वी अवधारणा को कभी भी ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतः पूर्वी सांस्कृतिक अवधारणा के ज्ञान के लिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है।

3.2.1 भारतीय संस्कृति और इसकी विशेषताएं

भारतीय संस्कृति भारत राष्ट्र की एक समृद्ध विरासत है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अध्यात्म, ललित कलाएं, ज्ञान–विज्ञान, विविध विद्याएं, नीति, विधि–विधान, जीवन प्रणालियां और वे समस्त अन्य कार्य शामिल है जो उसे विशिष्ट बनाते हैं और जिन्होंने भारतीयों के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को धार्मिक और आर्थिक जीवन को, साहित्य, शिष्टाचार और नैतिकता को ढाला है। भारतीय संस्कृति का यही विकासक्रम रहा है। उसमें भी विविध संस्कृतियों के संघर्ष, मिलन, और सम्पर्क से परिवर्तन परिवर्धन और आदान–प्रदान होता रहा है, विविध श्रेष्ठ सांस्कृतिक तत्वों का संग्रह होता रहा है।

प्राचीन भारतीय समाज विभिन्न समूहों में विभक्त था, जिनकी अपनी विशिष्टताएँ थीं। ये विभिन्न समूह ही कालान्तर में जातियों के रूप में विकसित हुए। जातियों के उन्नयन के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं का भी निर्माण हुआ जो भारतीय जीवन की शैलियों को व्यक्त करती है। भारतीय समाज अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण विश्व के अन्य समाजों से अलग है। अन्य समाजों की तुलना में भारतीय समाज बाह्य कानूनों, नीतियों और बंधनों पर अपेक्षाकृत बहुत कम निर्भर है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा एक दूसरे पर दबाव और अत्याचार रोकने के लिए भारत में बहुत कम नियम बनाये गये। वस्तुतः व्यक्ति के माध्यम से अनेक ऐसे नियम, सदाचरण और प्रथा परम्परा का सन्निवेश हुआ कि उस समाज का प्रत्येक सदस्य उत्कृष्ट और सच्चरित्र हुआ। फलतः समाज और संस्कृति का विकास स्वाभाविक गति से हुआ, और उसका विभाजन भी वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार पर किया गया। भारतीय संस्कृति का आधार अत्यधिक प्राचीन है। इसके विकास क्रम का इतिहास हजारों वर्षों का है जिसमें अनेक सामाजिक तत्वों का योग है। वैदिक युग से ही भारत की संस्कृति उन्नत रही है।

अनेकानेक भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विकास वैदिक युग में ही हो गया था। सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न संस्थाओं का भी उन्नयन हुआ। भारतीय संस्कृति का उदय और विकास ऐसे समय में हुआ जब विश्व के अनेक देश आदिम अवस्था में थे। उनमें भारत जैसी व्यवस्थित और सुगठित सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है।

विशेषताएँ–भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

1. **प्राचीनता–** भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। भारत के अनेक स्थानों में पूर्व पाषाणकाल और पाषाणकाल में प्रयुक्त होने वाली दैनिक व्यावहारिक जीवन की अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। इन प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मानव इतिहास के प्रारम्भ काल से ही भारतवर्ष मानव समूहों की लीलाभूमि रहा है। प्रागैतिहासिक काल में भी भारत में मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करते गये। जब पृथ्वी पर यत्र तत्र सभ्यता का आरम्भ हो रहा था, भारतीय संस्कृति अपने उत्थान के मार्ग पर रथारूढ़ थी। सिन्धु घाटी की सभ्यता इसका स्पष्ट प्रमाण है।

2. **धार्मिकता–** भारतीय संस्कृति में धर्म और अध्यात्मवाद का विशिष्ट स्थान है। इस संस्कृति में धर्म की अभिव्यक्ति अत्यन्त व्यापक रूप में रही है। देवी देवताओं, धार्मिक क्रिया कलापों, कर्मकाण्ड, स्वर्ग नरक आदि धार्मिक सिद्धान्तों के साथ धर्म में उन अनेक नियमों और विधि–विधानों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनकी अनुभूति समाज के महापुरुषों को सत्य का अन्वेषण और जीवन में उनका उपयोग करते समय हुई थी। वास्तव में धर्म सांस्कृतिक उत्तराधिकार के रूप में वह अमूल्य निधि है जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठतम ऊँचाई तक अपने व्यक्तित्व का सफल विकास कर सके। भारतीय धर्मग्रन्थों में ऐसे सिद्धान्तों प्रणालियों, विधियों और निर्देशों का विशद विवेचन किया गया है जो यह स्पष्ट करते हैं कि संस्कारों के द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यताओं में किस प्रकार वृद्धि करें, चार आश्रमों में अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार

करें, चारों वर्गों के लोग सामाजिक व्यवस्था और प्रगति के लिए परस्पर कैसा व्यवहार करें किस प्रकार का खान–पान और रहन सहन व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए उपयोगी होता है। शरीर और मन की शुद्धि कैसे की जाय समाज में कृषि, पशु पालन वाणिज्य, व्यापार, उद्योग व्यवसाय तथा कला के अन्य कार्य किस प्रकार किए जायें, शिल्प और ललित कलाओं के सिद्धान्त क्या हैं, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं राजा की योग्यताएं क्या हैं उनके कर्तव्य क्या हैं, प्रजा पालन और प्रजा हित दर्शन के सिद्धान्त क्या हैं, न्याय दान कैसा और किस प्रकार हो, इत्यादि।

भारतीय संस्कृति में मानव की भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया है। भारतीय जीवन में आध्यात्मिक प्रगति और आनन्द की विशेष प्रतिष्ठा हुई। भारतीय दर्शन एवं आध्यात्म में मोक्ष को केन्द्र में रखकर ही सारे सिद्धान्तों की रचना हुई है इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म एवं आध्यात्म का स्थान सर्वोपरि है।

3. **दार्शनिक तत्व**– भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि प्रायः दार्शनिक रही है। भारतीय दर्शन जिज्ञासु के समक्ष ब्रह्म तत्वों का रहस्योदघाटन करता है। दार्शनिक प्रणालियों, सिद्धान्तों और परम्पराओं का आश्रय लेकर ही भारतीय संस्कृति प्रवाहित और विकसित होती रही है। दर्शन को राष्ट्रीय जीवन में व्यवहृत कर दिया गया है यह भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट देन है। पुराण इतिहासकार, लेखक, कवि, स्मृतिकार, कलाकार, चित्रकार आदि सभी अपने कार्यों व कृतियों में उच्च दार्शनिक तत्वों को लोकस्तर पर प्रतिष्ठित करने में संलग्न रहे हैं। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। धार्मिक और दार्शनिक आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए ही भारत में काव्य, शिल्प, ललित कलाएं, नृत्य, नाट्य आदि की प्रवृत्तियां समाज में सम्मानित हो रही हैं।

4. **देवपरायणता–** भारतीय संस्कृति की एक अन्य और प्रमुख विशेषता उसकी देवपरायणता रही है। भारतीय प्रगति के लगभग सभी क्षेत्र देवी देवताओं से सम्बन्धित कर दिए गये। इन देवी

देवताओं को यज्ञ, पूजन, अर्चन, आदि से प्रसन्न करके उनकी कृपा से स्वर्ग में स्थान पाने की कल्पना भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इस देवपरायणता की भावना से भारतीयों की लगभग समस्त प्रवृत्तियों पर देवों की छाप रही। एक भारतीय सदैव शुभ ओर सही कार्य करना चाहता है क्योंकि उससे देवगण प्रसन्न होते हैं। बुरे और पाप कर्म करने वाले को देवगण दण्डित करते हैं। इस भावना के कारण भारतीयों ने ईश्वर के लिए सर्वस्व समर्पित करना सीखा। यही देवपरायणता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है।

5. **एकीकरण और समन्वय की भावना**– भारतीय संस्कृति में एकीकरण और समन्वय की अपार शक्तियाँ युगों से चली आ रहीं हैं। भारतीय संस्कृति के मनीषियों की दृष्टि समन्वयात्मक रही है। उन्होंने अपने जीवन में तपोमय अनुसंधान और अन्वेषण किये तथा दूसरे देशों या सम्प्रदाय के अनुसंधानों और उनके सिद्धान्तों को समादर की दृष्टि से देखा, उसमें जो कुछ ग्रहण करने योग्य मिला उसे उन्होंने अपनाया, अपनी संस्कृति में समावेश किया। इस जिज्ञासु प्रवृत्ति और समन्वयात्मक भावना से भारत में मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन भारत की विचारधाराओं और सामाजिक संस्थाओं में ही इसका दर्शन नहीं होता अपितु मध्य युग में भी विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय कर संस्कृति को समृद्ध करने के निरन्तर प्रयत्नों में भी इसकी अभिवृद्धि हुई है तथा आज भी जबकि पश्चिम से नवीन विलक्षण प्रवृत्तियां और विचारधाराएं हमारे देश में प्रविष्ट हो रही हैं, भारतीय संस्कृति की यह विशेषता विद्यमान है। इस संस्कृति की सम्मिश्रण और सहिष्णुता, एकीकरण और समन्वय की रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण ही भारतीय संस्कृति में विविध पुनीत धाराओं का अलौकिक समागम हुआ है।

6. **भावनात्मक एकता**– भारतीय संस्कृति में भावना की प्रच्छन्न एकता और प्रयास की अनुपम अविच्छिन्नता सदा से विद्यमान रही है। इससे भारत की एकता प्रस्फुटित हुई और अनेकता में एकता का सिद्धान्त मूर्तमान हुआ। भारत के अधिकतम मनीषियों और

कलाविदों ने अपने कार्यों में अविच्छिन्नता और सारे देश की सांस्कृतिक एकता की भावना रखी। इन मनीषियों और कलाविदों के अनुसंधान से सारे देश ने पूर्ण लाभ उठाया और इन्हीं के बल पर भारत की एकता प्रस्फुटित और विकसित हुई। देश में बहने वाली प्रमुख नदियों, नगरों, पर्वतों आदि को सबके लिए मान्य और दर्शनीय बताकर इसी एकता की भावना को मजबूत किया गया। भारत के प्रमुख आचार्यों और सन्तों ने समस्त भारत में भ्रमण करके अपने ज्ञान का प्रकाश वितरित किया। राम और कृ ष्ण का आदर्श चरित्र और उनकी मान्यता देश की एकता का परिचायक बनी। मनुस्मृति का राजधर्म सारे भारत में स्थापित हुआ और उससे राजनीतिक और प्रशासकीय एकता बनी रही।

7. **सर्वे भवन्तु सुखिन :** मनुष्य प्रायः अपनी सुख समृद्धि की कामना रखता है। भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रन्थों में हमेशा इसी बात पर बल दिया गया है कि किसी को कष्ट न दो, दूसरे के कष्ट दूर करने के लिए हमेशा तन, मन, धन, से सम्बद्ध रहना चाहिए तथा सदैव दूसरों की उन्नति में सहायक होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का यही उपदेश रहा है कि मनुष्य को उन सुखों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनकी प्राप्ति के लिए दूसरे का शोषण करना पड़े। भारतीय संस्कृति के उन्नायकों की यह भावना रही है कि अपना सर्वस्व त्याग करके भी दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ सत्य, शिव एवं सुन्दर हो यह सबके लिए हो।

भारतीय संस्कृति उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही चौतन्यता और चिन्तन को प्रस्फुटित कर सकी है। इन विशिष्ट गुणों से ही यह संस्कृति आज भी विश्व में विद्यमान है, श्रेष्ठ है, जबकि अनेक संस्कृतियाँ विलुप्त हो गयी। भारतीय मानस अपनी संस्कृति की विशिष्टताओं से, अपनी अमर सांस्कृतिक निधि के सदुपयोग से राष्ट्रीय जीवन का उत्थान कर सके और विश्व को अपनी सांस्कृतिक धरोहर दे सके।

3.2.2 भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचार

कुछ प्रमुख प्रचलित भारतीय सांस्कृतिक विचार, सिद्धान्त इस

प्रकार से हैं

अद्वैतवाद–

अद्वैतवाद के प्रबल मेधावी प्रवर्तक शंकराचार्य के मत के अनुसार जितना भी दृश्यवर्ग है, वह सब माया के कारण ही विभिन्न सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह एक अखण्ड शुद्ध चिन्मय ही है। सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान एक अखण्ड सच्चिदानन्द का अनुभव करना ही ज्ञान है तथा भेद (माया) में सत्यता का बोध करना ही अज्ञान है। अतएव शंकर ने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। फलस्वरूप उन्होनें इ न को ही स्वीकार किया है। उनके रुप से अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति है।

शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद के द्वारा जीव और ब्रहम की एकता स्पष्ट करते हुए मानव को जीव में ब्रहम की खोज करने का मार्ग प्रशस्त किया। श्अहं ब्रह्मास्मि' का सूत्र वाक्य देकर मनुष्य को स्वयं में ही ईश्वर की तलाश करने की प्रेरणा दी। एकेश्वरवाद की अवधारणा को पुष्ट करता यह सिद्धान्त प्रत्येक जीव में ईश्वर की आकृति को स्पष्ट करता है। शंकराचार्य ने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर का कोई एक विशेष आकार नहीं है। वह निर्गुण और निराकार रूप में सर्वत्र विद्यमान है।

विशिष्टाद्वैत–

शंकराचार्य के मत में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होने के कारण सगुण ईश्वर की भक्ति अथवा अवतारवाद की धारणा के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। अतएव प्राचीन भागवतवर्ग के अनुयायी वैष्णवी के लिए इस अद्वैतवाद के विरुद्ध जिसे उन्होंने मायावाद के नाम से पुकारना शुरु कर दिया था, आन्दोलन मचाना और अपने मतविशेष की पुष्टि के लिए नवीन दार्शनिक भूमिका तैयार करना आवश्यक हो गया।

शंकराचार्य ब्रह्म को सब प्रकार के गुणों से रहित निर्गुण मानते हैं। रामानुज को यह स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने गुणों से ब्रहम को समन्वित मानकर अद्वैत के साथ विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया। परन्तु रामानुज का कहना है कि यह मनमानी बात तो नहीं है, कोई वस्तु बिना गुणों के नहीं होती। गुणों के गुण रहते ही है। यदि ब्रहम एक

सत्ता है, तो उसमें गुण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रहम को सगुण या सविशेष माना है और इस प्रकार अद्वैत के साथ विशिष्ट शब्द लगा दिया है।

द्वैताद्वैत

निम्बाकाचार्य ने द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन किया, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर, जीव ओर जगत तीनों ही ब्रह्म हैं उन्होंने रामानुज के मत को स्वीकार नहीं किया। रामानुज ने ब्रह्म को केवल ईश्वरत्व का प्रतिपादन माना है। उनके मन से यद्यपि जीव जगत और ईश्वर भिन्न है तथापि जीव और जगत का व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलम्बित है, स्वतंत्र नहीं और परमेश्वर में ही जीव तथा जगत के सूक्ष्म तत्व रहते हैं द्य जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म में लीन होने पर भी उनमें कोई विकार नहीं होता, जीव अणु और अल्प है मुक्त जीव भी अणु है मुक्त और बद्ध में यही भेद है कि मुक्त जीव ब्रहम के साथ अपने और जगत के अभिनत्व का अनुभव करता है किन्तु बद्ध जीव ऐसा नहीं करता। इस प्रकार द्वैताद्वैत मत एक तरह के भेदाभेदवाद हैं। इस मत के अनुसार द्वैत सत्य है और अद्वैत भी। इस सम्प्रदाय की एक विशेषता है कि इसके आचार्यों ने अन्य मतों के आचार्य की तरह दूसरे मत का खण्डन नहीं किया है।

द्वैताद्वैत का सीधा मतलब है द्वैत + अद्वैत। अर्थात भारतीय दर्शन की द्वैतवादी विचारधारा भी सही है और अद्वैतवादी भी। दोनों के गुणों का समन्वय करती यह विचारधारा जन सामान्य को ईश्वर भक्ति से जोड़ने का एक सफल प्रयास है।

शुद्धाद्वैत–

बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत अथवा निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत से समझौता करने पर तैयार न थे। अतएव सबको अलग रखकर उन्होंने अपने मतवाद के लिए एक बिल्कुल नई दार्शनिक भित्ति तैयार करने का निश्चय किया। इसके अनुसार उपनिषद् में वर्णित ब्रहम की अद्वैतसत्ता तो निर्विवाद स्वीकार कर ली गयी, किन्तु शंकर के इस मत को किसी एकमात्र निर्विशेष ब्रहम की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार्य है, शेष सब कुछ माया है बिल्कुल उलट दिया गया। संक्षेप में, इसके

अनुसार माया रहित शुद्ध जीव और परब्रह्म एक ही वस्तु है। बल्लभ ने घोषणा की कि ब्रहम की अद्वैतता तो माया की कल्पना के बिना भी सिद्ध है। वस्तुतः अद्वैत ब्रह्म कारण और कार्य इन दोनों ही रूपों में सत्य और एक है यह विशुद्ध है। माया के ऊपर वह अवलम्बित नहीं है। यह सारा दृश्य जगत इस ब्रहम की शक्ति का ही विस्तार है।

द्वैतवाद–

शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में मध्य युग के उत्तर काल में जो विविध दार्शनिक और धार्मिक विचारधाराएं आईं, उनमें मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैतवाद का एक विशिष्ट स्थान है। मध्वाचार्य के विशुद्ध द्वैतवाद में ब्रह्म जीव और जगत को एकता की धारणा के लिए कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रह गई। इनकी दृष्टि में तो एक ओर स्वतंत्र अद्वितीय चेतन ब्रहम और दूसरी ओर अस्वतंत्र जड़ प्रकृति या परतन्त्र जीव है। इन दोनों को ही यथार्थ सत्ता मानी गई है उन्होंने इनके भेद को नित्य माना अनित्य नहीं। उनका कहना है कि परब्रहा और जीव को कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असम्बद्ध बात है। इसलिए दोनों को सदैव भिन्न मानना चाहिए क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति में भी एकता नहीं हो सकती। आपके विचार में ब्रहम और जीव में सेव्य सेवकमात्र का सम्बन्ध है। रामानुज और मध्वाचार्य ने विशेषकर दक्षिण भारत में विष्णु की पूजा का परब्रहम की पूजा के रूप में प्रसार किया। वृन्दावन के निकट निम्बाकाचार्य और बल्लभाचार्य का कार्यक्षेत्र रहा। अतएव पश्चिम, भारत में विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा परब्रह्म की पूजा के रूप में प्रचलित किया। बाद में चौतन्य महाप्रभु में बंगाल के घर –घर में कृष्ण मत का प्रचार किया। परब्रह्म के रूप मे श्री राम के प्रचार का विशेष श्रेय स्वामी रामानन्द को है। रामानन्द ने वैष्णव सम्प्रदाय को अधिक विस्तृत तथा उदार बनाया। अतएव उनके मुख्य शिष्यों में कबीर, धन्ना और रैदास हुए। उन्हीं की शिष्य परम्परा में गोस्वामी तुलसीदास हुए जिनके लिखे रामचरितमानस को रामानन्द के सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ मानना चाहिए। इस ग्रन्थ की शिक्षा का सार यह है कि राम की भक्ति और उपासना से ही जीव सांसारिक कष्टों से तथा आवागमन से बच सकता है। इस उपासना का अधिकारी मनुष्यमात्र है। जाति–पाति का भेद इसमें अवरोध

उपस्थित नहीं कर सकता।

शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में भारत के भिन्न भिन्न भागों में द्वैत, विशिष्टाद्वैत शुद्ध और उनके अन्तर्गत चौतन्य सम्प्रदाय और रामानन्द सम्प्रदाय आदि वैष्णव– सम्प्रदायों का प्रसार हुआ, जिनका सिद्धान्त है कि शिक्षा की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन भक्ति है। भगवान ने भी गीता में कहा है – अव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना अत्यन्त कठिन और क्लेशमय है। यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्व का वर्णन है तथापि यह केवल साधन है और भक्ति ही अन्तिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना अथवा न करना बराबर है।

3.3. संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा

संस्कृति की पूर्वी अवधारणा में जहां धर्म को प्रधान माना गया है वहीं पाश्चात्य सांस्कृतिक अवधारणा में व्यक्ति के विकास को महत्व दिया गया है। विकसित व्यक्तित्व ही धार्मिक, सदाचारी तथा नैतिक हो सकता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए पश्चिमी संस्कृति के सभी सिद्धान्त, विचार व्यक्ति के विकास एवं जगत के भौतिक विकास को ही लक्ष्य मानकर निरूपित किए गये हैं। पाश्चात्य संस्कृति का आरम्भिक आधार तो धर्म था परन्तु समय के प्रवाह में यह व्यक्तिवादी हो गया और व्यक्ति के विकास पर ही केन्द्रित हो गया। संक्षेप में, पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताएं यहां उल्लिखित हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी जगत के भौतिक विकास में उनकी व्यक्तिवादी संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है।

3.3.1 पाश्चात्य संस्कृति और इसकी विशेषताएँ

पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य आधार रोमन संस्कृति है और रोमन संस्कृति का आधार ग्रीक संस्कृति। इस प्रकार ग्रीको रोमन संस्कृति को ही पाश्चात्य संस्कृति कहा जा सकता है। ग्रीक संस्कृति का उदय ईसा पूर्व हो चुका था जबकि इसी संस्कृति पर आधारित रोमन साम्राज्य का आधिपत्य मध्य युग तक बना रहा। इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति को मूल रूप से ग्रीको–रोमन संस्कृति के ही नाम से जाना जाता है। ग्रीको रोमन संस्कृति के अवशेष आज भी पाश्चात्य संस्कृति में विद्यमान है।

1. **प्राचीनता–** पाश्चात्य संस्कृति जिसे ग्रीको रोमन संस्कृति भी कहा जाता है विश्व की प्रमुख प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है।

2. **धार्मिकता–** भारतीय संस्कृति की भांति पाश्चात्य संस्कृति में भी धर्म की प्रधानता है। इस संस्कृति में इसाई धर्म की अभिव्यक्ति अति व्यापक रूप में की गई है। ईसा उपदेशों, धार्मिक नियमों, विधि विधानों को इस संस्कृति में व्यापक स्थान दिया गया है। ईसा के उपदेशों के साथ इसाई धर्म में उन सिद्धान्तों को भी सम्मिलित किया गया है जिसकी अनुभूति समाज के महापुरुषों और धर्मगुरुओं (पोप) को सत्य का अन्वेषण और जीवन में उनका उपयोग करते समय हुई थी।

3. पाश्चात्य संस्कृति में उन सदाचरणों और नियमों का उल्लेख मिलता है जिनक पालन से व्यक्ति का आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो सके। जैसे सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और प्रगति के लिए परस्पर कैसा व्यवहार करें तथा किस प्रकार का खान पान और रहन सहन व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होता है।

1. शरीर और मन की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। समाज में कृषि, पशु पालन, वाणिज्य व्यापार उद्योग व्यवसाय तथा कला के अन्य कार्य किस प्रकार किए जाएं, शिल्प और ललित कलाओं के सिद्धान्त व्यक्ति के अधिकार औरकर्तव्य, प्रजा पालन औरप्रजाहित दर्शन के सिद्धान्त आदि की व्यापक व्याख्या पाश्चात्य संस्कृति में मिलती है।

4. प्राचीन दार्शनिकों ने राजनीति, अर्थ, समाज और मानवशास्त्र से सम्बन्धित जो विचार व्यक्त किए उनको पाश्चात्य संस्कृति में प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

5. व्यक्तिपरायणता पाश्चात्य संस्कृति की मौलिक विशेषता है। व्यक्ति ही समाज है की नीति का अनुसरण करते हुए पाश्चात्य संस्कृति ने व्यक्ति के विकास पर ही ज्यादा बल दिया है। व्यक्तिवाद व्यक्ति्परायणता पाश्चात्य संस्कृति की आधार शिला है।

6. भावनात्मक एकता और एकीकरण की भावना पाश्चात्य संस्कृति

की एक औरप्रमुख विशेषता है। व्यक्ति को और व्यक्ति के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखकर ही पाश्चात्य संस्कृति के तमाम नियम सिद्धान्त बनाए गये हैं और इसी से व्यक्ति में भावात्मक एकता के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है।

पाश्चात्य संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही पश्चिमी जगत आज भौतिक विकास के शिखर पर है। अपने इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण पश्चिमी संस्कृति के पोषक राष्ट्र आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रणी है और सम्पूर्ण विश्व को या यो कहें कि सम्पूर्ण मानवता को भौतिक विकास का मार्ग दर्शन कर रहे हैं।

3.3.2. पाश्चात्य संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचार

जैसा कि स्पष्ट है कि पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य आधार भौतिक साधनों द्वारा मनुष्य का अधिकाधिक हित साधन हैं। इसी क्रम में मानव हित साधन के निमित्त अवधारणाएं, विचार विकसित किए गये जो इस प्रकार से हैं–

1. आदर्शवाद

सांस्कृतिक जगत में राज्य की महत्ता स्थापित कर उसे महिमामंडित करने वाली विचारधारा आदर्शवाद के रूप में विकसित हुई। दार्शनिक दृष्टि से आदर्शवाद को विचारवाद भी माना जाता है जिसमें विचारों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। विश्व में विचार ही मूल एवं वास्तविक सत्य है। चिन्तन तथा दर्शन के क्षेत्र में आदर्श वाद का यह तात्पर्य है कि भौतिक वस्तुएं सत्य या वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। किसी वस्तु की वास्तविकता या सच्चाई वस्तु विशेष में नहीं वरन उसके विचार मात्र में निहित होती है। संस्कृति का यह सिद्धान्त भौतिकवाद के बिलकुल विपरीत है।

आदर्शवाद एक समष्टिवादी दर्शन है। यह नैतिक तथ्यों एवं दार्शनिक तर्क श्रृंखला के माध्यम से राज्य की सर्वोपरिता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। आदर्शवाद की एक लम्बी परम्परा रही है। इस विचारधारा का प्रारम्भिक रुप प्राचीन यूनान में विकसित हुआ। जिस

प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का उद्‌गम स्थल यूनान को माना जाता है उसी प्रकार आदर्शवाद का जनक भी यूनान ही है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस विचारधारा को एक व्यवस्थित सिद्धान्त का रूप दिया। अरस्तू ने भी आदर्शवाद की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहकर ही जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सकता है। समाज के आदर्श को अपना अनुकरणीय मानकर अपना सामाजिक एंव सांस्कृतिक विकास कर सकता है। प्लेटो और अरस्तू के बाद रोमन काल और मध्ययुग में आदर्शवादी दर्शन का कोई महत्वपूर्ण प्रवर्तक नहीं हुआ।

आधुनिक आदर्शवाद की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम जर्मनी में हुई। जहां प्रसिद्ध दार्शनिक अगस्त काण्ट ने इसे परिष्कृत किया। बाद में अनेक दार्शनिकों ने जिसमें हीगेल, ग्रीन आदि प्रमुख हैं, आदर्शवाद को क्रमिक रुप से विकसित किया। आदर्शवादी चिन्ताओं ने राज्य का दार्शनिक ऐतिहासिक तथा नैतिक आधार प्रस्तुत करके राजनीतिक चिन्तन को एक नया रूप दिया। योरापीय चिन्तकों के अतिरिक्त बीसवीं सदी में भारत के महात्मा गांधी के विचार भी एक निश्चित सीमा तक आदर्शवादी हैं। यह आदर्शवाद की व्यापकता का एक स्पष्ट प्रमाण है।

2. व्यक्तिवाद—

पाश्चात्य सांस्कृतिक चिन्तन के क्षेत्र में व्यक्ति का अन्य राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के साथ सम्बन्धों का निरुपण प्रमुख विषय रहा है। पहले जहाँ धर्म की प्रधानता थी वहीं अब व्यक्ति की प्रधानता का भाव निरूपित होने लगा। 15वीं 16वीं शताब्दियों में सामाजिक, आर्थिक वैचारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। इस सांस्कृतिक परिवर्तन में व्यक्ति, व्यक्ति तथा व्यक्ति एवं सत्ता के मध्य परम्परागत सम्बन्धों की पुर्नव्याख्या की गई। पुनरोदय और सुधार आन्दोलनों के फलस्वरूप धर्म आधारित मध्यकालीन परम्पराएं नष्ट हुई और दार्शनिकों के सांस्कृतिक चिन्तन में एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात हुआ जिसे व्यक्तिवाद कहा गया। वैयक्तिक विकास के लिए व्यक्ति, समाज और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों की तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत करने में अग्रणी

इस विचारधारा का मूल आधार यही है कि धर्म और राज्य व्यक्ति के लिए हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के विकास और परिष्कार में हाब्स, लाक, रुसो, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ तथा हर्बर्ट स्पेन्सर जैसे दार्शनिकों का प्रमुख योगदान रहा है।

व्यक्तिवाद को मध्यवर्गीय समाज का दर्शन भी कहा जाता है। इस विचारधारा में मनुष्य को सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र माना गया है। इस विचारधारा का यह मानना है कि मनुष्य अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिकाधिक स्वतंत्रता का अधिकारी है। व्यक्तिवादी विचारधारा में वैयक्तिक उन्मुक्तियों पर विशेष बल दिया गया है क्योंकि व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास तभी सम्भव है जब उसके सम्मुख बाधाएं कम से कम हों। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु व्यक्ति के लिए उत्तम जीवन की प्राप्ति को एक नैतिक विचार मानते थे परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के आदर्श स्वरूप को प्राथमिकता देते थे।

व्यक्ति्वादी विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस धारणा को अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार इंगलैण्ड के व्यक्ति्वादी दार्शनिक लॉक के विचारों से प्रभावित है। इंग्लैण्ड व्यक्तिवाद की मुख्य भूमि रहा है। आधुनिक राज्यों के संविधानों में भी नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं के वैधानिक संरक्षण की व्यवस्था किसी न किसी रूप में सर्वत्र पायी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसी स्वतंत्रताओं को मानव अधिकारों के रूप में मान्य किया है।

3. उदारवाद

एक सांस्कृतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद सतत प्रवाहमान है जीवन को बेहतर बनाना तथा जीवन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आसन्न बाधाओं को दूर करना ही इसका उद्देश्य है। सहज एवं गतिशील मानव जीवन के लिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वैचारिक व्यवस्था को लोचपूर्ण बनाना एवं उससे सम्बन्धित जटिलताओं का विरोध उदारवाद में निहित है।

उदारवाद का एक क्रमबद्ध सिद्धान्त के रूप में विकास दुरुहता लिए हुए है क्योंकि इसमें विविध प्रकार के दार्शनिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सिद्धान्त सम्मिलित हैं। यह कोई स्थिर विचारों का समूह नहीं है। यह संशोधनों एवं विस्तारण का विषय रहा है। इसी कारण उदारवादी विचारों की प्रवृत्ति तथा प्रकृति भिन्न–भिन्न कालों देशों तथा उसके प्रतिनिधि विचारकों में समरूप नहीं रही है।

उदारवाद का सारभूत अर्थ है स्वतंत्रता अर्थात बाध्य प्रतिबन्धों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। उदारवाद जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दमनकारी हस्तक्षेप का विरोधी है, चाहे वह नैतिक हो या धार्मिक, सामाजिक हो या राजनीतिक, आर्थिक हो या सांस्कृतिक। उदारवाद इस तरह निरंकुश राजसत्ता को चुनौती देने वाला सिद्धान्त है और इसकी प्रमुख समस्या व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों पर पुनर्विचार की रही है। अतः उदारवाद एक गतिशील सिद्धान्त है।

उदारवाद एक सिद्धान्त के रूप में किसी एक विचारक अथवा इतिहास के किसी एक खण्ड से सम्बन्धित नहीं है। इसका मूल प्राचीन युनानी विचारकों से सम्बन्धित है जिन्होंने उदारवाद के दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त चिन्तन की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया था। मध्यकाल में ईसाई धर्म गुरुओं ने दासता का विरोध एवं धार्मिक स्वतंत्रता काविरोध करते हुए उदारवाद के सिद्धान्तों के प्रसार में महत्वपूर्ण में योगदान किया। उदारवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तकों में मिल्टन, स्पिनोजा, लॉक, पेटे, जैफरसन, रुसो, काण्ट, बेंथम, मिल, स्पेन्सर, हयूम, माण्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, बैजामिन फ्रैंकलिन, कोल आदि महान समाजशास्त्रियों तथा दार्शनिकों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने विभिन्न मात्राओं और विभिन्न विधियों से उदारवाद के ध्येय का समर्थन किया है।

उदारवादी चिन्तन ने बहुआयामी मानवीय स्वतंत्रता पर बल देकर वैयक्तिक गरिमा एवं अस्तित्व का बोध कराया है। उदारवादी विचारधारा अरस्तू के विचारों से लेकर आज तक अस्तित्व में बनी हुई है। कभी उदारवाद ने पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के विकास का पथ प्रशस्त किया इनकी दमनात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध उदारवादी आन्दोलनों ने ही जनता

को इन बुराइयों से मुक्त कराने की प्रेरणा दी। अपनी इस गतिशील प्रवृत्ति के कारण परिवर्तनशील एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उदारवाद जीवन्त बना रहा। वैज्ञानिक चमत्कारों के युग में तेजी से सिमटती हुई परिवर्तनशील दुनिया में मानवीय मूल्यों के प्रति निरन्तर सजगता ही उदारवाद की प्रमुख विशेषता है।

4. अराजकतावाद

मानव जीवन को शोषण एवं वर्ग भेद की बुराई से मुक्त करने के लिए संकल्पित विचारधाराओं में अराजकतावाद का प्रमुख स्थान है। मूलतः यह विरोध का सिद्धान्त है जो सत्ता के पूंजीभूत स्रोतों तथा राज्य, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा धर्म को नकारता हुआ चलता है। अराजकतावादी चिन्तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साध्य मानते हैं जिसके साधन के निमित्त राज्य सदृश संस्था को ही समाप्त कर देने के समर्थक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करने के लिए स्वतंत्र हो सके। उसके ऊपर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नियन्त्रण की कोई चेष्टा न हो यही अराजकतावाद का मुख्य लक्ष्य है।

अराजकतावादी विचारधारा 19वीं शदी के अन्तिम वर्षों में योरोप तथा अमेरिका के विशेषतः कुछ ऐसे क्रान्तिकारी चिन्तकों के मस्तिष्क की उपज थी जो अत्यधिक बुद्धिमान तथा कल्पनावादी बच्चों की जाति का निर्माण करते हैं और जिनपर कागजी दुनिया से बाहर अपनी देख रेख कर लेने का विश्वास नहीं किया जा सकता। अराजकतावाद का महत्व इसबात में है कि उसने सांस्कृतिक राजनीतिक चिंतकों को राज्य, धर्म तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की बुराइयों के निवारण के लिए चिन्तन करने तथा सुधार करने की प्रेरणा प्रदान की।

5. उपभोक्तावाद

बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में पाश्चात्य संस्कृति में एक नए विचार का उदय हुआ जिसे उपभोक्तावाद कहा गया। इस विचार के मूल में व्यक्तिवाद और पूंजीवाद की धारणा निहित है। औद्योगिक क्रान्ति और संचार क्रान्ति ने मनुष्य को सुविधा भोगी बना दिया। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को इतना सहज और आसान बना दिया है कि अब मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में उपकरणों काप्रयोग करने लगा है। आज

के मनुष्य की जीवन शैली प्रौद्योगिकी आधारित हो गयी है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मनुष्य अब असम्भव को भी सम्भव बनाने लगा है।

वर्तमान विश्व में आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था ने बाजारीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया। बाजार व्यवस्था ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया। पाश्चात्य विकसित देश मनुष्य को उपभोक्ता मानकर अनेक प्रकार के नए उत्पाद बाजार में लाने आरम्भ किये। इन उत्पादों के विज्ञापन ने इनके प्रति जनता में रुचि बढाई और इनका उपभोग होने लगा। उपभोक्तावाद का आश्रय लेकर पश्चिमी देश मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी घुसपैठ बनाने लगे। पूर्णतः अर्थ केन्द्रित इस व्यवस्था का जनक कोई व्यक्ति या दर्शन नहीं है बल्कि वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति का वाणिज्यिक स्वरूप ही उपभोक्तावादी संस्कृति के रूप में विश्वव्यापी बना है।

उपभोक्तावाद आज इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि पूर्व में प्रचलित सारी सांस्कृतिक अवधारणाएं इसके समक्ष गौण हो गयी है। यही कारण है कि आज का विश्व उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर बढ़ रहा है।

3.4 वैश्वीकरण

सांस्कृतिक दृष्टि से वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण विश्व की एक संस्कृति हो और उस संस्कृति को विश्व के सभी राष्ट्रों की जनता खुले मन से स्वीकार करती हो। किन्तु वैश्वीकरण की यह धारणा वर्तमान परिवेश में सही नहीं है इसका मुख्य कारण यह है किवर्तमान वैश्वीकरण अर्ध केन्द्रित है। इसमें मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। वैश्वीकरण का गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करने पर हमें इस सन्दर्भ में दो अवधारणाएं स्पष्ट दीख पड़ती हैं। एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वी। इन्हीं के बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे।

3.4.1 वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी संस्कृति का दृष्टिकोण –

पूर्वी संस्कृति, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय संस्कृति करती है में वैश्वीकरण की भावना प्राचीन काल से ही विद्यमान है।

अयं निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम।

उदारचरितानां तु बसुधैव कुटुम्बकम द्यद्य

अर्थात यह मेरा है यह दूसरे का है ऐसा सोचना संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, उदारचरित वाले लोगों के लिए यह वसुधा ही एक परिवार की तरह है।

भारतीय संस्कृति का यह प्राचीन सूत्र वाक्य वैश्वीकरण की प्राचीन अवधारणा को स्पष्ट करता है। जब पूरी पृथ्वी ही एक परिवार की तरह होगी तो प्रत्येक व्यक्ति भावात्मक रुप से एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। मानवीय संवेदनाएं एक दूसरे के सुख दुख में मनुष्यों को भागीदार बनाती है। इस प्रकार के वैश्वीकरण में न धन की महत्ता है न राष्ट्र की। भाई चारे का विश्वव्यापी सन्देश देती यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने की एक प्राचीन वैचारिक प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में आज भी यथावत है। उदाहरण के लिए जब कभी कोई राष्ट्र दैवी अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार होता है तो सम्पूर्ण विश्व उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। इसमें न तो राजनीतिक हित की बाधा आती है और न ही राष्ट्रीय हित की। पूर्व रूप से मानवीय संवेदना पर आधारित यह वैश्वीकरण आदिकाल से लेकर अनन्तकाल तक चिरस्थायी रहने वाला है क्योंकि इसके मूल में मनुष्य की भावात्मक एकता है। अतः वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी संस्कृति का दृष्टिकोण पूर्णतः मानवीय है।

3.4.2. वैश्वीकरण के प्रति पाश्चात्य संस्कृति का दृष्टिकोण

वर्तमान वैश्वीकरण का जो स्वरूप हमारे सामने है वह पाश्चात्य संस्कृति का ही स्वरूप है। इस वैश्वीकरण ने सही अर्थों में विश्व में दूरी और समय का महत्व कम कर दिया है। विश्व के किसी भी भू भाग में व्यक्ति कभी भी पहुँच सकता है। दूर देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात कर सकता है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विश्व के किसी भी भू भाग में घटने वाली किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी मिनटों में सारे विश्व को प्राप्त हो जाती है। यह पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधारा में वैश्वीकरण का एक ऐसा स्वरूप है जो विश्व व्यापी होने के साथ साथ उपयोगी भी है। सूचना क्रान्ति के वर्तमान युग

में वैश्वीकरण का आधार भी परिवर्तित हो गया है स्थान और समय की सीमाएं सिमट गयी कितु मानवीय संवेदनाओं की कमी के कारण दिलों की अर्थात मानव मानव के बीच की दूरी बढ़ गई।

वर्तमान वैश्वीकरण अर्थ केन्द्रित है। यदि मनुष्य के पास आर्थिक सम्पन्नता है तो सारी दुनिया उसके कमरे में सिमट जाती है और वैश्वीकरण साकार हो जाता है। अर्थाभाव में यह वैश्वीकरण दिव्य स्वप्न बन कर रह जाता है। पाश्चात्य विकसित देशों ने नयी बाजार व्यवस्था को विश्व बाजार व्यवस्था के रूप में प्रचलित कर वैश्वीकरण का क्रम आगे बढाया। यह वैश्वीकरण एक प्रकार से सुविधा सम्पन्न देशों का आर्थिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद बन कर रह गया है। मानवीय संवेदनाओं के स्थान पर अर्थ इसका मुख्य आधार है भारतीय संस्कृति की उपेक्षित विचार धारा सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति इस वैश्वीकरण का मुख्य आधार है।

3.5 सारांश

इस अध्याय में आपने संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन किया। पूर्वी अवधारणा की प्रमुख संस्कृति भारतीय संस्कृति तथा इसकी विशेषताओं का आपने अध्ययन किया। इस संस्कृति की प्रचलित प्रमुख अवधारणाओं में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि के बारे में विस्तार से जाना। संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा के अन्तर्गत आपने पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताओं से सुपरिचित हुए। इसके साथ ही विभिन्न पाश्चात्य सांस्कृतिक अवधारणाओं जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद एवं उपभोक्तावाद के बारे में विस्तार से समझा। वैश्वीकरण के प्रति पाश्चात्य एवं पूर्वी संस्कृति का क्या दृष्टिकोण है यह भी आपने इस इकाई में पढ़ा। संक्षेप में संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणाओं का विस्तार अध्ययन आपने इस इकाई में किया।

3.6. शब्दावली

1. देवपरायणता	देवी देवता के प्रति समर्पित) निष्ठा
2. द्वैतवाद	दो (ब्रहम और जीव) रूपों का विचार

3.	अवधारणा	विचार, सिद्धान्त
4.	उपभोक्तावाद	उपयोग की वस्तुओं के प्रति आसक्ति
5.	समष्टिवाद	समूह की पक्षधर अवधारणा

3.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता – डॉ. अर्जुन तिवारी
2. संस्कृति के चार अध्याय – रामधारी सिंह दिनकर
3. राजनीतिक अवधारणाएं एव प्रवृत्तियां – डॉ. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी
4. अन्तर्सांस्कृतिक संचार – डॉ. मुक्तिनाथ झा

3.8 प्रश्नावली

3.8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

संस्कृति की भारतीय अवधारणा क्या है।

द्वैतवाद के सिद्धान्त क्या हैं ?

संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा क्या है?

पाश्चात्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।

3.8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संस्कृति की वर्तमान विश्व को देन स्पष्ट करें।
2. भारतीय संस्कृति की प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।
3. पाश्चात्य सांस्कृतिक अवधारणाओं की व्याख्या करते हुए वर्तमान विश्व में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करें।
4. वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के प्रति पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टिकोण की समीक्षा करें।

3.8.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे।

   (क) शंकराचार्य,

   (ख) बल्लभाचार्य

   (ग) माध्वाचार्य

   (घ) इनमें से कोई नहीं

2. देव परायणता किस सांस्कृतिक अवधारणा की प्रमुख विशेषता है।

   (क) अरब

   (ख) बौद्ध

   (ग) पाश्चात्य

   (घ) भारतीय

3. निष्काम कर्म का सन्देशदेने वाला कौन सा भारतीय धार्मिक ग्रन्थ है।

   (क) वेद

   (ख) पुराण

   (ग) रामायण

   (घ) गीता

3.8.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. क
2. घ
3. घ

इकाई 4 सांस्कृतिक संचार के संवाहक भाषा एवं व्याकरण

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 सांस्कृतिक संचार

4.3 सांस्कृतिक संचार की संवाहक भाषा

4.3.1 भाषा का अर्थ

4.3.2 भाषा की परिभाष

4.3.3 भाषा के तत्व

4.3.4 भाषा की विशेषता

4.4 भाषा विकास के चरण

4.5 सांस्कृतिक संचार और व्याकरण

4.5.1 व्याकरण का प्रयोग

4.5.2 वाक्य निर्माण

4.5.3 भाषा में परिवर्तन और व्याकरण

4.6 सांस्कृतिक संचार में भाषा एवं व्याकरण का महत्व

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

4.10 प्रश्नावली

4.10.1 लघुउत्तरीय प्रश्न

4.10.2 दीर्घउत्तरीय प्रश्न

4.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

4.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

4.3 उद्देश्य

1. इस इकाई को अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे कि –
2. भाषा क्या है ?
3. भाषा द्वारा संचार कैसे होता है?
4. भाषा के विकास की रूपरेखा क्या है?
5. सांस्कृतिक संचार और व्याकरण में क्या सम्बन्ध है ?
6. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भाषा का स्वरूप कैसे बदलता है ?

9.1 प्रस्तावना

संस्कृतियों के आदान–प्रदान में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है। मानव जीवन की लोक यात्रा भाषा से ही प्रारम्भ होती है। कहा गया है

श्वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। व्याकरण के जनक पाणिनि और पातंजलि ने संस्कृति का मूलाधार भाषा और व्याकरण ही माना है। भाषा वह दिव्य शक्ति है जो मानव को पशुओं से अलग करती है। भाषा के कारण बन्दर मामा और कौवा काका तथा बिल्ली मौसी को वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका जो मानव को। विविध संस्कृतियों के संचरण में शुद्ध परिशुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा की अपनी महत्ता है। भाषा दूरी को समाप्त करती है। दो दिलों को जोड़ती है। आज सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद का जो विकृत रूप वर्तमान है. उसे हम सुसंस्कारित भाषा के अधिकाधिक प्रयोग से परिष्कृत कर सकते हैं।

4.2 सांस्कृतिक संचार

भाषा ही मनुष्य को संस्कारवान बनाती है और व्याकरण भाषा को सजाता है। संचार के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। संस्कृति का विस्तार प्रवाह भाषा के ही माध्यम से होता है। अपने सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में अन्य लोगों को बता सकते हैं। भाषा संचार के साथ ही सांस्कृतिक संचार का भी प्रमुख माध्यम है। सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग कर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को चिरस्थायी बना सकते हैं। व्याकरण के प्रयोग से भाषा पुष्ट होती है। अतः संचार की किसी भी विधा में भाषा एवं व्याकरण की महत्ता स्वतः सिद्ध है। दो विभिन्न संस्कृतियों के मध्य विचारों का आदान–प्रदान ही सांस्कृतिक संचार है जो विश्व शान्ति का नियामक है।

4.3 सांस्कृतिक संचार की संवाहिका भाषा

संस्कृतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती है। हस्तान्तरण की यह प्रक्रिया जब अवरूद्ध होती है तभी सांस्कृतिक अवमूल्यन होता है। विगत पीढ़ी से आगत पीढ़ी तक संस्कृति भाषा के माध्यम से ही पहुँचती है। वाचिक अथवा लिखित रूप से ही संस्कृतियां आगे बढकर निरन्तरता बनाती हैं। संस्कृति के इस प्रवाह में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा माध्यम से हम अतीत की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, वर्तमान के सन्दर्भ में मूल्यांकन करते हैं और भविष्य के लिए संरक्षित करते हैं। सांस्कृतिक प्रवाह के इस महत्वपूर्ण माध्यम ‘भाषा’ को पूर्ण रूप से जाने बिना हम सांस्कृतिक संचार में भाषा की महत्ता स्पष्ट

नहीं कर सकते। अतः भाषा क्या है, इसके लक्षण तथा लाभ–हानि का ज्ञान आवश्यक है।

9.3.1 भाषा का अर्थ

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसे सदैव आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों के द्वारा अपने आपको प्रकट करता है तो कभी संकेत मात्र से ही उसका काम चल जाता है। उदाहरण स्वरूप समाज के उच्च और शिक्षित शहरी वर्ग में लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं जबकि अशिक्षित एवं निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज में निमंत्रित करने के लिए हल्दी, सुपारी या इलाइची बांटना ही पर्याप्त होता है। रेलवे के गार्ड और चालक का विचार विनिमय झंडियों से ही हो जाता है। तात्पर्य यह कि गंध–इन्द्रियां, स्वाद–इन्द्रियाँ स्पर्शइन्द्रिय, दृ श्य इन्द्रिय, तथा कर्ण–इन्द्रिय इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों में से किसी भी माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है। इन सभी में सर्वाधिक प्रयोग कर्णेन्द्रिय का ही होता है। अपनी सामान्य बातचीत में हम इसी का प्रयोग करते हैं। वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर विचार अथवा भाव ग्रहण करता है।

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सामान्य अर्थों में भाषा उसे कहते हैं जो बोली और जाती है और बोलना भी केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा वह है जो बोला जाय।

4.3.2. भाषा की परिभाषा

भाषा को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। संचार की दृष्टि से भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं।

1. प्लेटो ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अन्तर है द्य विचार आत्मा की मूक अथवा

अध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति है पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं।

2. स्वीट ने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।

3. वेन्दिए के अनुसार भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता हैं। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राहय, कर्णग्राहय और स्पर्शग्राहय।

4. इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार – Language may be definedAsAnArbitrary system of vocal symbols by means of which] human beingA member ofA social groupAnd participants in culture interactAnd communicate.

   (भाषा एक ध्वनि प्रतीकों की ऐच्छिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य संस्कृति एवं संचार में सक्रिय सहभागिता करता है)

इस प्रकार हम भाषा को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं।

4.3.3 भाषा के तत्व

भाषा के निम्नलिखित तत्व होते हैं :

1. भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुँचाती है, अर्थात भाषा विचार विनिमय का साधन होती है।

2. भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकली ध्वनि समष्टि होती है। इसका आशय यह है कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियों (जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना आदि) से भी विचार विनिमय हो सकता है, किन्तु वे भाषा के अन्तर्गत नहीं आते।

3. भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियाँ (शब्द) सार्थक तो होती है किन्तु उनका भावों या विचारों से कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता। यह सम्बन्ध यादृच्छिक या माना हुआ होता है। इसीलिए भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। इसका आशय यह है कि किसी ध्वनि समष्टि या शब्द का जो अर्थ है, वह यों ही बिना किसी तर्क नियम या कारण आदि के मान लिया जाता है। यदि यह सम्बन्ध सहजात, तर्कपूर्ण, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता।

4. भाषा में प्रतीक वस्तु का नहीं उसकी मानसिक संकल्पना का होता है।

5. भाषा एक व्यवस्था होती है। उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसलिए वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता वही समझता है।

6. भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और उसी में वह बोली तथा समझी जाती

4.3.4 भाषा की विशेषता

भाषा से आशय मानव भाषा से है। यही विशेषता इसे मानवेतर भाषाओं से अलग करती है। मानव भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं

1. **यादृच्छिकता–** यादृच्छिक का तात्पर्य होता है इच्छानुसार या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज स्वाभाविक या तर्क पूर्ण सम्बन्ध नहीं है। वह समाज की इच्छानुसार मात्र माना हुआ सम्बन्ध है। यदि सहज स्वाभाविक सम्बन्ध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता।

2. **सृजनात्मकता–** भाषा में शब्द और रुप तो प्रायः सीमित होते हैं, किन्तु उन्हीं के आधार पर हम अपनी आवश्यकतानुसार नित्य नए–नए असीमित वाक्यों का सृजन करके उनका प्रयोग करते हैं। हम ऐसे अनेक वाक्यों का रोज प्रयोग करते हैं, जो उस

रूप में पहले कभी प्रयुक्त नहीं हुए। वाक्यों के नए होने पर भी श्रोता को उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती।

3. **अनुकरणग्राह्यता** –मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति कोई भाषा नहीं जानता। वह समाज में ही अपनी भाषा सीखता है। अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य अनेक भाषाएं सीख सकता है। मानवेतर प्राणियों में यह क्षमता नहीं होती।

4. **परिवर्तनशीलता–** मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। मानवीय भाषा देश–काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

5. भाषा पैतृक नही अर्जित सम्पत्ति होती है। अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। यह आस–पास के लोगों से अर्जित की जाती है इसीलिए यह पैतृक न होकर अर्जित सम्पत्ति है।

6. भाषा परम्परा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा का जनक समाज और परम्परा ही है व्यक्ति नहीं।

7. भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं होता यह कभी पूर्ण नहीं हो सकती।

8. भाषा की एक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। भौगोलिक सीमा के बाहर उसके स्वरूप में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से आरम्भ होकर निश्चित काल तक व्यवहत होती है। यह भाषा अपने काल की परवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है।

9. भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है।

10. हर भाषा का स्पष्ट अथवा अस्पष्ट एक मानक रुप होता है।

4.4 भाषा विकास के चरण

भाषा विकास के मुख्य रूप से तीन चरण है। कहा जाता है कि मनुष्य बन्दरों का विकसित रुप है। यदि यह सत्य है तो कभी हमारी भाषा बन्दरों की भाषा के समीप रही होगी। बन्दरों में उच्चारित या वाचिक भाषा के साथ–साथ आंगिक संकेतों की भी भाषा मिलती है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानव भाषा का प्रारम्भिक रुप पशुओं की तरह आंगिक रहा होगा।

भाषा का दूसरा रूप वाचिक हुआ। आरम्भ में मानव भाषा में आंगिक संकेत अधिक थे और वाचिक कम किन्तु धीरे धीरे पहले का प्रयोग कम होता गया और दूसरे का बढ़ता गया। भाषा का तीसरा रुप लिखित है। इससे भाषा की उपयोगिता बढ़ गई है। अपने लिखित रूप में भाषा देश काल से बंधी नहीं है। आज लिखकर सैकड़ों साल के बाद भी पढा जा सकता हे या किसी प्रकार यहां लिखकर उसे कहीं भी भेजा जा सकता है।

भाषा का विकास मानवीकरण की प्रक्रिया का एक अंग था। प्रतीक व्यवस्था ने मानव को अभिव्यक्ति की शक्ति दी। मानव के अध्येताओं को एक भी ऐसा समूह नहीं मिला जो भाषाविहीन हो। सीमित शब्द भंडार वाले समूह अवश्य मिले किन्तु इस सीमित शब्द संख्या में भी सांस्कृतिक संचार की अदभुत क्षमता थी। मौखिक संस्कृति ने मानव जीवन के आयाम बदले और परम्पराओं को स्थायित्व देने में आश्चर्यजनक सफलता पायी। लिपि का अविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रान्ति थी। ध्वनि पर आधारित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों से प्रयोग किए थे। चित्र लिपि इसी प्रकार का एक प्रयोग था। चित्रलिपि का सम्बन्ध किसी भाषा से न होने के कारण उसकी मौखिक अभिव्यक्ति भी सम्भव नहीं थी। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया। चित्र लिपि का संवर्द्धित रुप श्आइडियोग्राफी' थी जिसमें स्थितियों और घटनाओं की प्रस्तुति के साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की सीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण ही नहीं करते थे बल्कि वे उनसे

सम्बन्धित विचारों को भी अभिव्यक्त करते थे। ध्वनि आधारित लिपि के विकास के पहले कई संक्रमण कालीन लिपियां आई जो मूलतः आइडियोग्राफी थी, पर जिनमें धीरे–धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। इसके पश्चात लोगोग्राफी का विकास हुआ जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतन्त्र चिन्ह था, इस लिपि को शब्द लेखन भी कहा जा सकता है। इसके पश्चात ध्वनि आधारित लिपि का अविष्कार हुआ। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अन्त कर उसे भाषा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया। इस प्रकार भाषा और लिपि के विकास ने जहां एक ओर भावाभिव्यक्ति के नए आयाम स्थापित किए वहीं दूसरी ओर संचार को एक नई गति दी।

4.5 सांस्कृतिक संचार और व्याकरण

संचार के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। किन्तु मनुष्य कब किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करे इसका ज्ञान भी मनुष्य को होना चाहिए। हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन वाक्य रचनाओं में एक नियम बद्धता होती है। वाक्य रचना के इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत के विद्वानों ने इस विषय पर गम्भीर चिन्तन किया और व्याकरण सम्बन्धी कुछ नियमों की संरचना की। इन भारतीय मनीषियों में महर्षि पाणिनि और पतंजलि का नाम सर्वोपरि है। पाश्चात्य विद्वानों में यूनान के महान दार्शनिक डायोनिसिस ने ई.पू. प्रथम शताब्दी में ही यह खोज की थी कि मनुष्य दैनिक बोलचाल की भाषा में अचेतन रूप से अत्यन्त सूक्ष्म तथा जटिल नियमों का पालन करते हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है और जिन्हें व्यवस्थित रुप दिया जा सकता है। यही नियम तथा सिद्धान्त व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

पाणिनि ने व्याकरण सम्बन्धी नियमों पर एक ग्रन्थ लिखा जिसे श्अष्टाध्यायी' कहा जाता है तथा पतंजलि के ग्रन्थ को भाष्य कहा जाता है। ये दोनों व्याकरण के मूल ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं। इन ग्रन्थों की उपयोगिता और महत्ता इस तथ्य से प्रमाणित है कि किसी भी भाषा के व्याकरण का ज्ञान इसके मूल में है और भारत सहित अनेक विदेशी भाषाओं में इस ग्रन्थ का अनुवाद किया जा चुका है।

वाक्य रचना के कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से ही वाक्य बोध गम्य होते हैं। वाक्य के तत्वों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का व्यवस्थित प्रयोग ही व्याकरण का मूल विषय है। मनुष्य चाहे माने चाहे वह व्याकरण के सामान्य नियमों का पालन करता ही है या यों कहा जाय कि उसे इन नियमों का पालन करना ही पड़ता है। इसके अभाव में वाक्य अर्थहीन और प्रभावहीन हो जाते हैं।

4.5.1 व्याकरण का प्रयोग

वैसे तो व्याकरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका अध्ययन किया जाता है किन्तु यहां हम केवल संचार की दृष्टि से वाक्य रचना में व्याकरण के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी का अध्ययन करेंगे।

हिन्दी लेखन मुद्रण में वर्तनी की एकरूपता लाने के अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने 1960 में वर्तनी सम्बन्धी कुछ सुझाव प्रकाशित किए थे। व्याकरण के नियमों के अनुरुप तथा संचार के लिए आवश्यक कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। इन्हें हम संचार में व्याकरण का प्रयोग भी कह सकते हैं। वे निम्नलिखित हैं

1. संयुक्त और वियुक्त (पृथक) शब्द

1. विभक्तियों को शब्दों से अलग लिखना चाहिए, जैसे इन्सान ने, कुतूहल से, घर वहां की, यहां से उसने, इसीलिए, 1. पर, दीवार में आदि। किन्तु स्थान बोधक सर्वनामों को छोडकर (जैसे आदि) शेष सर्वनामों के साथ विभक्तियां जुड़ी रहनी चाहिए जैसे, हमको उन्हीं का आदि।

2. पूर्णकालिक क्रियाओं का श्कर साथ में जुडा होना चाहिए, जैसे पीकर, खाकर, गाकर, खोलकर आदि।

3. संयुक्त क्रियाओं के दोनों अंश अलग अलग लिखे जाने चाहिए, जैसे, जी गया, ले आए, कर देना आदि।

4. संख्यावाचक विशेषण प्रति शब्द के साथ जुड़ा रहना चाहिए, जैसे प्रतिक्षण, प्रतिदिन प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आदि।

5. आदर सूचक श्जी' मूल संज्ञा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, जैसे बहनजी, बाबूजी, महात्माजी, आदि)

6. – विवाद, निम्नलिखित दो भिन्न शब्दों के संयोग से बने हुए प्रचलित शब्द जुड़े रहने चाहिए, जैसे, वादचाल–चलन, यथा–स्थान, देख भाल, आत्महत्या आदि।

7. निम्न परिस्थितियों में शब्दों के बीच हाइफन (–) का प्रयोग किया जाना चहिए।

   (अ) जब दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाते हुए बीच की विभक्ति का लोप कर जाय जैसेस्वरूप – विश्लेषण, कृषि मंन्त्री, साहित्य समारोह, सरकार विरोधी, आदि।

   (ब) जब अतिरिक्त प्रभाव के लिए किसी विशेषण को दोहराया जाय अथवा समानार्थी या विपरीतार्थक शब्दों को मिलाकर चमत्कार की सृष्टि की जाए, जैसे दो–चार, किसी–नकिसी, पति–पत्नी, हँसी–मजाक, थोडा बहुत, आचार–विचार, लेन–देन आदि।

   (स) जब विशेष विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही संज्ञा की रचना की जाए जैसेव्यक्ति विशेष कार्य विशेष आदि।

   (स) जब किसी शब्द के साथ श्भर' अथवा ' मात्र लगाकर पूर्णता या सीमा का आभास दिया जाए, जैसे– दिन–भर, जीवन भर, अनुभूति मात्र, स्वप्न मात्र आदि।

8. जो संस्कृत शब्द हिन्दी में कुछ रुप बदलकर प्रचलित हैं उन्हें उनके हिन्दी रूप में ही लिखा जाना चाहिए, जैसे महत्व, कर्तव्य, उज्जवल, तत्व, दुख आदि।

9. अन्य भाषाओं के अनेक शब्द जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर की अर्ध ध्वनि और पूर्ण ध्वनि सन्देहास्पद हो, पूरे अक्षर से ही लिखे जाने चाहिए, जैसे गरमी, सरदी, शरम, वरण, बिलकुल आदि।

विराम तथा विरामेतर चिन्हों का प्रयोग

भारतीय व्याकरण में विराम चिन्हों का प्रयोग प्राचीन काल से ही प्रचलन में हैं। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ अष्टाध्यायी में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। सांस्कृतिक संचार की दृष्टिसे हिन्दी में प्रयुक्त विराम एवं विरामेतर चिन्हों का परिचय इसप्रकार से है।

पूर्ण विराम–

1. वाक्य समाप्त होने पर वाक्य के अन्त में इसका प्रयोग किया जाता है। चिन्ह (1) प्रश्न वाचक
2. इसका प्रयोग क्या, क्यों, आदि वाले वाक्यों के अन्त में किया जाता है। चिन्ह (?)
3. **विस्मयादिबोधक चिन्ह** – विस्मय, भय, इच्छा, सम्बोधन, स्वीकृति, निराशा, तुलना, लज्जा, उद्वेग, आदि प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। (!)
4. **अर्धविराम–** जब किसी संयुक्त वाक्य में प्रधान वाक्यों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध न हो एक ही मुख्य वाक्य पर आधारित, सभी आश्रित वाक्यों के बाद, उदाहरण सूचक यथा, जैसे आदि शब्दों के पूर्व अर्थ विराम का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह (य)
5. **अल्पविराम –** हिन्दी में अल्प विराम का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हिन्दी में तो इसका अर्थ भेदक मूल्य है अतः सम्प्रेषक को इसका समुचित प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। (,)

विरामेतर चिन्ह – हिन्दी में निम्नलिखित विरामेतर चिन्हों का चिन्ह प्रयोग किया जाता है जो काव्य की स्पष्टता के लिए आवश्यक है।

1. **उद्धरण चिन्ह** –इसका प्रयोग उद्धृत अंशों की पृथकता सूचित करने के लिए किया जाता है।

   चिन्ह (" ")

2. **तिर्यक रेखा–** इसका प्रयोग विकल्प सूचित करने के लिए किया जाता है।

चिन्ह (

3. **कोष्ठक–** कोष्ठक का प्रयोग विशेष विवरण या अर्थ आदि देने के लिए किया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है – () छोटा कोष्ठक, {} मंझला कोष्ठक, [] बड़ा कोष्ठक इसके अतिरिक्त अन्य विरामेतर चिन्हों का प्रयोग भी सुविधानुसार किया जाता है।

4.5.2 वाक्य निर्माण

संचार के लिए प्रसारित सन्देश वाक्यों में ही होते हैं। सांस्कृतिक संचार हो या संचार की कोई अन्य विधा सम्प्रेषक को वाक्य निर्माण करना ही पड़ता है। सार्थक एवं प्रभावी सम्प्रेषण के लिए वाक्य निर्माण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जैसे –

1. वाक्य छोटे होने चाहिये।
2. सरल और प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए।
3. दूसरी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मूलरूप में ही किया जाना चाहिए।
4. वाक्य निर्माण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया–विशेषण आदि का यथोचित स्थान पर बोध गम्य प्रयोग होना चाहिए।
5. भाषा प्रचलित एवं आम जन की होनी चाहिए।
6. विराम चिन्हों का प्रयोग यथा स्थान करते रहना चाहिए।
7. क्षेत्रीय भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।
8. जटिल शब्दों का प्रयोग, जहां तक संभव हो, नहीं करना चाहिए।
9. अनुवाद में भी जन भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।
10. वाक्य निर्माण करते समय संचार के लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। अर्थात विद्वानों के लिए विद्वानों की भाषा और आम जन के लिए साधारण भाषा प्रयोग की जानी चाहिए।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब वाक्य की संरचना की जाती है तो संचार प्रभावी होता है और उसके सार्थक परिणाम भी प्राप्त होते हैं।

4.5.3 भाषा में परिवर्तन और व्याकरण

भाषा में परिवर्तन भाषा की एक विशेषता है किन्तु इस परिवर्तन का कारण और भाषा के परिवर्तित रूप का सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि व्याकरण के नियम यहां भी प्रभावी हैं। इस परिवर्तन को वस्तुतः परिवर्तन न कहकर भाषा का विकास कहना चाहिए क्योंकि भाषा का विकास इन्हीं परिवर्तनों के कारण होता है। भाषा में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होते हैं।

1. ध्वनि परिवर्तन

भाषा की ध्वनियों में कई कारणों से परिवर्तन होता हैरू रू

(1) **प्रयत्न लाघव—** कम बोलकर अधिक सम्प्रेषण करने की प्रवृत्ति प्रयत्न लाघव कही जाती है।

आगम— आगम का तात्पर्य किसी ऐसी ध्वनि के आ जाने से है जो पहले शब्द में न हो। जैसे स्कूल —इस्कूल, सूर्य—सूरज, दवा दवाई, समुद्र—समुन्दर, मूर्ति—मूरत आदि।

लोप— इसमें किसी ध्वनि का लोप हो जाता है और वह शब्द से बाहर हो जाता है जैसे— ज्येष्ठ—जेठ दुग्ध—दूध सप्त—सात आदि।

विकार— बोलने में सुविधा की दृष्टि से कभी कभी एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे— शाक—साग, हस्त—हाथ आदि।

(2) **बल—** बोलते समय किसी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द या वाक्यांश पर अधिक बल दिया जाता है तो ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे नदी—नद्दी, वहाँ— उहें।

(3) **भावातिरेक—** प्रेम, क्रोध, शोक, आदि भावों की अधिकता के कारण भी शब्द ध्वनि में परिवर्तन होता है जैसे—देवर—देवरवा,

राम–रमुआ, पूत–पुतऊ।

(4) अज्ञानता शब्दों का सही रुप न जानने के कारण भी लोग कई प्रकार से शब्द ध्वनियों में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे पोस्ट कार्ड पोस्कार्ड, रास्ता रस्ता आदि।

रूप परिवर्तन–

रूप परिवर्तन के कारण भाषा की रूप रचना में भी परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में व्याकरण के अनुसार तीन वचन होते हैं पर हिन्दी में इसके केवल दो ही रुप रह गये हैं। पहले केवल मुझे और मुझको ही प्रयुक्त होता था परन्तु अब मेरे को भी प्रयुक्त होने लगा। इसी प्रकार असल काअर्थ ही है असल में पर इसकी जानकारी न होने के कारण कुछ लोग दरअसल में ऐसा प्रयोग करके इसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं।

शब्द परिवर्तन –

शब्द परिवर्तन के कारण अनेक पुराने शब्दों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए पहले माप की इकाई के लिए सेर और मन का प्रयोग होता था पर अब किलो और क्विन्टल का प्रयोग होने लगा है। नई पीढ़ी को इस मन और सेर का पता ही नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव एवं विकास के सहज परिणाम होते हैं।

वाक्य परिवर्तन–

वाक्य परिवर्तन के अन्तर्गत वाक्य रचना में होने वाले परिवर्तन आते हैं। वाक्य रचना का परिवर्तन कई रूपों में दिखाई देता है। जैसे–

(1) संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण सम्बन्धी परिवर्तन को अन्ययात्मक परिवर्तन कहते हैं।

(2) एक भाषा से विकसित दूसरी भाषा में पदों के क्रमों में प्रायः परिवर्तन हो जाता है इसे पदक्रमात्मक परिवर्तन कहते हैं।

(3) सुविधा की दृष्टि से प्रयोग में वाक्यों के कुछ घटक लुप्त हो जाया करते हैं इसे लोपात्मक परिवर्तन कहते हैं जैसे राम नहीं

पढ़ता है के स्थान पर राम नहीं पढ़ता से काम चल जाता है।

वाक्य रचना के ये परिवर्तन कभी ध्वनियों के कारण कभी उच्चारण की सुविधा के कारण कभी अन्य भाषा के प्रभावों के कारण होते हैं।

अर्थ परिवर्तन –

भाषा का मुख्य कार्य विचारों, अर्थों का सम्प्रेषण है। इसके अभाव में भाषा, भाषा न होकर केवल ध्वनि मात्र रह जाती है। यद्यपि हर भाषा में शब्दों के कुछ निर्धारित अर्थ होते हैं किन्तु कुछ कारणों से इनके अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। ये कारण निम्नलिखित हैं

1. **अर्थ विस्तार**– अर्थ विस्तार अर्थ परिवर्तन की वह दिशा है जिसमें शब्द के अर्थ की सीमा अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाती है। जैसे संस्कृत शब्द तैलम् का शब्दिक अर्थ तिल का रस होता है, किन्तु इसी तैलम् से बना तेल शब्द आज हिन्दी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में अपने अर्थ विस्तार के कारण सभी प्रकार के तेल के लिए प्रयुक्त होने लगा है।

2. **अर्थ संकोच** जिस प्रकार शब्दों के अर्थ का विस्तार होता है उसी प्रकार शब्दों के अर्थ में संकुचन भी होता है जब कोई शब्द पहले विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होकर बाद में सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तो वहां अर्थ संकोच होता है। जैसे गो शब्द का पहले अर्थ था चलने वाला किन्तु आज सभी चलने वाले को गो न कहकर केवल गाय के लिए प्रयुक्त होने लगा है। शब्दों का अर्थ सदा व्युत्पत्ति के आधार पर ही नहीं होता, वह मुख्यतः प्रवृत्ति के आधार पर होता है अर्थात उसका निर्धारण लोक व्यवहार से होता है।

3. **अर्थादेश–** अर्थादेश में शब्दों के अर्थ का न तो विस्तार होता है और न ही संकोच बल्कि शब्द का अर्थ कुछ से कुछ हो जाता है। जैसे साहस शब्द का प्रयोग पहले लूटमार करने वाले के लिए प्रयुक्त होता था अब यह अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है।

विद्वानों ने अर्थ परिवर्तन के अनेक कारण बताएं हैं, जैसे

परिवेश का परिवर्तन

1. विनम्रता प्रदर्शन
2. व्यंग्य
3. अज्ञानता
4. सुश्राव्यता
5. संक्षेपण
6. सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग
7. लाक्षणिक प्रयोग
8. प्रयोग का विचलन
9. भावात्मक बल, आदि।

संचार के लिए भाषा आवश्यक है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा संचार के तीनों उद्देश्यों सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की पूर्ति होती है। सांस्कृतिक संचार में तो भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भाषा का वाचिक लिखित स्वरूप ही हमें अतीत की सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी कराता है। वर्तमान में हम भाषा के ही माध्यम से संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके उसका अनुसरण करते हैं तथा भाषा के ही माध्यम से हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भविष्य के लिए संरक्षित कर पाते हैं।

संस्कृति का निरन्तर प्रवाह भाषा के ही माध्यम से सम्भव है। संस्कृति की निरन्तरता बनाए रखते हुए भाषा ही इसके प्रचार–प्रसार का संवाहक बनती है। व्याकरण भाषा को शिष्ट बनाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शृंगार करते हैं। भाषा में व्याकरण की उपयोगिता और महत्ता के सन्दर्भ में, श्री कुबेर नाथ राय का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है–

''कभी पढ़ा था कि व्याकरण भाषा का पुलिसमैन है। जब कोई शब्द वाक्य के भीतर कुमार्गगामी होता है तो उसकी आवारागर्दी को ठीक करने के लिए व्याकरण उस पर लाठी चार्ज करता है, अश्रु गैस छोड़ता है और गिरफ्तार करता है, जिससे वाक्य संहिता का ठीक–ठीक पालन होता रहे। तब भी कुछ कालिदासों और शेक्सपियरों की शह पाकर कुछ शुद्ध नक्सलपंथी रास्ता अख्तियार कर रही लेते हैं और बाद में अपनी

क्रान्ति की संवैधानिक स्वीकृति भी पा जाते हैं। तब बेचारा व्याकरण अपना सा मुँह लेकर रह जाता है। तथ्य तो यह है कि कौतुकमयी शुद्ध रूपा वाश्री व्याकरण की चौकीदारी में रहते हुए भी उसके पाश–अंकुश के या उसके लाठी के अधीन नहीं। यह तेजोमयी चटुलचक्षु शब्द–श्री अपनी गरिमा को छन्दबद्ध और छन्दमुक्त दोनों रूपों में प्रकाशित करती है। छन्द का नियम मानना इसके लिए आवश्यक नहीं। चिट्ठी–पत्री और बोल–चाल के स्तर पर और कथा–वार्ता के स्तर पर यह नियम मानकर चलती है, पर अपने चरम प्रस्फुटन के अवसर पर यह शब्द– श्री नियमाधीन नहीं रहती है।''

कोई भी भाषा मूलरूप से ध्वन्यात्मक ही होती है। भाषाएं प्राकृतिक रूप से श्रुतिग्राह्य होती हैं। श्रुतिग्राह्य होने के कारण ही भाषाएं समाज में जीवित रहती हैं और उनका विकास होता रहता है। आज भी दुनिया में किसी भाषा के बोलन वाले सभी शिक्षित नहीं होते किन्तु भाषा के द्वारा उनका सम्प्रेषण एक दूसरे के साथ होता रहता है। कालान्तर में सन्देशों के सम्प्रेषण की आश्यकता एवं अभिव्यक्ति को संजोए रखने की इच्छा ने लिपि को जन्म दिया। लिपियों के विकास ने भाषा के श्रव्य रूप को दृ श्य रूप में परिवर्तित कर दिया। लिपि के विकास के बाद जब भाषा का लेखन शुरू हुआ तो उसके ध्वन्यात्मक रूपों के सही लेखन की आवश्यकता महसूस की गई।

कोई भी भाषा एक विस्तृत क्षेत्र और व्यापक जन समुदाय के बीच व्यवहृत होती है। एक भाषा–भाषी समुदाय के लोग शिक्षित भी हो सकते हैं और अशिक्षित भी। उनके शैक्षिक स्तर का प्रभाव भाषा के उच्चारण और लेखन पर भी पड़ता है। भाषा के लेखन और उच्चारण में एक रूपता बनी रहे इसके लिए व्याकरण का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। व्याकरण भाषा को संस्कारित करता है। विभिन्न भाषा के व्याकरण के नियम भी भिन्नभिन्न होते हैं। सदियों पूर्व भारतीय मनीषियों ने व्याकरण के कुछ सर्वमान्य नियम प्रतिपादित किए। इनमें पाणिनि और पातञ्जलि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाणिनि व्याकरण के नियमों का उल्लेख अपने ग्रन्थ अष्टाध्यायी में विस्तार से किया है। पातंजलि ने भाष्य लिखकर व्याकरण को सर्वग्राह्य बनाया।

पाणिनी और पतंजलि ने व्याकरण नियमों की रचना संस्कृत भाषा के सन्दर्भ में किया था किन्तु इसके नियम लगभग सभी भाषाओं में समान रूप से लागू होते हैं। इन दोनों मनीषियों ने व्याकरण की रचना करके संस्कृत के साथ अन्य भाषाओं को भी जीवन्त बनाया।

इस प्रकार व्याकरण के नियमों से परिष्कृत भाषा का प्रयोग जब सन्देश सम्प्रेषण में किया जाता है तो प्रेषित सन्देश अपना सार्थक प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं और संचार का लक्ष्य भी पूरा होता है सांस्कृतिक संचार में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। व्याकरण युक्त परिष्कृत भाषा में जब सांस्कृतिक संचार किया जाता है तो उसका व्यापक असर होता है। शिष्ट भाषा संस्कृति की समृद्धि का परिचायक होता है। समृद्ध संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर अन्य संस्कृतियाँ भी अपने को समृद्ध बना सकती हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

उपर्युक्त कथन से यह तो स्पष्ट है कि सांस्कृतिक संचार में भाषा और भाषा के लिए व्याकरण कितना महत्वपूर्ण है। व्याकरण से अलंकृत भाषा सांस्कृतिक संचार में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।

4.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपने जाना कि भाषा क्या है, भाषा के तत्व क्या हैं, भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। व्याकरण के बारे में भी आपने इस इकाई में विस्तार से अध्ययन किया द्य वाक्य निर्माण में क्या क्या सावधानियाँ अपेक्षित है, भाषा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है तथा इन सबमें व्याकरण की क्या उपयोगिता है यह सब आपने इस इकाई में अध्ययन किया। संचार एवं सांस्कृतिक संचार में भाषा की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में आपने जाना। यही इस इकाई का सार है।

4.7 शब्दावली

1. संक्षेपण संक्षिप्त (छोटा) करना

2.	सुश्राव्यता	अच्छी तरह सुनने योग्य
3.	संकुचन	सीमित होना
4.	वाचिक	बोलकर
5.	भाषिक	भाषा का
6.	अवमूल्यन	पतन, गिरावट

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता — अर्जुन तिवारी
2. जन संचार समग्र — डॉ. अर्जुन तिवारी
3. जन संचारः विविध आयाम — वेद प्रताप वैदिक
4. अन्तसांस्कृतिक संचार — मुक्ति नाथ झा

4.9 प्रश्नावली

4.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सांस्कृतिक संचार को स्पष्ट कीजिए
2. भाषा किसे कहते हैं? इसका अर्थ स्पष्ट करें।
3. व्याकरण के भारतीय ग्रन्थकार एवं उनके ग्रन्थ का नाम बताएं।
4. कीजिए।
5. वाक्य निर्माण में क्या क्या सावधानियां अपेक्षित हैं?

4.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख परिभाषाओं की विवेचना
2. भाषा के तत्व क्या हैं? भाषा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
3. भाषा में परिवर्तन किस प्रकार होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए।
4. व्याकरण का क्या उपयोग है? सांस्कृतिक संचार में भाषा एवं

व्याकरण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

4.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. प्रमुख व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे?

   (क) पतंजलि

   (ख) वशिष्ठ

   (ग) बृहस्पति

   (घ) पाणिनि

2. अर्थ विस्तार किसका होता है?

   (क) शब्द का

   (ख) भाषा का

   (ग) वाक्य का

   (घ) कोई नहीं

3. विस्मयादिबोधक चिन्ह इनमें से कौन है ?

   (क) (।)

   (ख) (?)

   (ग) (!)

   (घ) (,)

4. प्रश्नवाचक चिन्ह तथा अर्धविराम इनमें से कौन हैं?

   (क) (?)

   (ख) (? ।)

   (ग) (?;)

   (घ) (?!)

4.9.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (घ)
2. (क)
3. (ग)
4. (ग)

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

MJMC-118N
अन्तर सांस्कृतिक संचार : अवधारणा एवं आयाम

अन्तर सांस्कृतिक संचार

02

खण्ड

इकाई 5

अन्तर सांस्कृतिक संचार रू अर्थ एवं प्रक्रिया

इकाई 6

विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास

इकाई 7

अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

खण्ड–3 खण्ड–परिचयः अन्तर सांस्कृतिक संचार

अन्तर सांस्कृतिक संचार खण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं रू

1– अन्तर सांस्कृतिक संचाररू अ एवं प्रक्रिया

2 – विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास

3– अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

4– विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति

5– समसामयिक सन्दर्भ एवं अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ दो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य संचार है। अन्तर सांस्कृतिक संचार का ही परिणाम है कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति विश्व व्याप्त है। इस खण्ड की दूसरी इकाई में देव संस्कृति, मानव संस्कृति और राक्षस संस्कृति के संघर्ष को स्पष्ट किया गया है। विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि संचार और संस्कृति परस्पर संश्लिष्ट हैं। अन्तर सांस्कृतिक संचार धर्म, राजनीति, अर्थ से प्रमाणित होता है। धार्मिक, कट्टरता एवं सहिष्णुता, राजनीतिक मतमतान्तर तथा आर्थिक कारकों का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर गहरा असर होता है। चतुर्थ इकाई में आर्थिक साम्राज्यवाद सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के परिप्रेक्ष्य में अन्तर सांस्कृतिक संचार को सुस्पष्ट किया गया है। अंतिम इकाई में समसामयिक सन्दर्भ में अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता को अपरिहार्य बतलाया गया है।

इकाई 05—अन्तर सांस्कृतिक संचार— अर्थ एवं प्रक्रिया

इकाई की रूप रेखा —

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 संचार एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

5.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

5.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया

5.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार के सिद्धान्त

5.5.1 मानक सिद्धान्त

5.5.2 लोकप्रिय सांस्कृतिक दृष्टिकोण

5.5.3 निर्भरता सिद्धान्त

5.5.4 अन्य सिद्धान्त

5.6 अन्तर सांस्कृतिक संचार और जन माध्यम

5.6.1 पारम्परिक माध्यम

5.6.2 मुद्रित माध्यम

5.6.3 आधुनिक माध्यम

5.7 अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोक संस्कृति

5.8 सारांश

5.9 शब्दावली

5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

5.11 प्रश्नावली

5.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

5.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

5.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ एवं प्रक्रिया को समझाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रमुख सिद्धान्त अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया अन्तर सांस्कृतिक संचार और जनमाध्यमों का सम्बन्ध अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोक संस्कृति का सम्बन्ध।

5.1 प्रस्तावना

संचार और संस्कृति दोनों का सम्बन्ध व्यक्ति से है। समाज के साथ ही दोनों का विकास होता है। सृष्टि के विकास में जब मनुष्य के मन में संचार की भावना का विकास हुआ तो सर्वप्रथम उसने अपनी संस्कृति को बाह्य जगत से एवं बाह्य जगत की संस्कृति को अपने समूह से परिचित कराने का कार्य किया। यह कहना कठिन है कि सृष्टि में पहले संस्कृति का विकास हुआ या संचार का। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं और दोनों का ही विकास समाज में साथ–साथ हुआ। विभिन्न समाज के समूहों की संस्कृति को एक दूसरे से परिचित कराने की विद्या को ही अन्तर सांस्कृतिक संचार कहा जाता है। प्रस्तुत इकाई में आप अन्तर सांस्कृतिक संचार के इन्हीं पक्षों से परिचित होंगे।

5.2 संचार एवं अन्तर–सांस्कृतिक संचार

मनुष्य स्वभावतः एक जिज्ञासु प्राणी है। आदिकाल से ही वह देश,

दुनिया, समाज तथा ब्रह्माण्ड के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। जिज्ञासा की इसी प्रवृत्ति ने संचार को जन्म दिया। संचार एक सहज प्रवृत्ति है साथ ही साथ सार्थक चिन्हों के द्वारा सूचनाओं एवं विचारों के आदानप्रदान की एक प्रक्रिया भी। समस्तं प्राणिजगत संचार की एक लम्बी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन का ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब वह संचार की प्रक्रिया से होकर न गुजर रहा हो।

संचार देखने, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने सोचने और विचार विमर्श के द्वारा होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समूह दूसरे समूह से एक देश दूसरे देश से, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से संचार के द्वारा ही जुड़ते हैं। संचार के लिए भाषा और माध्यम दोनों ही आवश्यक हैं।

संचार का मुख्य उद्देश्य वैचारिक धरातल पर सहभागिता अथवा साझेदारी स्थापित करना होता है। संचार और अन्तर सांस्कृतिक संचार दोनों में काफी समानता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में संचार की विषय–वस्तु संस्कृति और सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बद्ध होती है। संचार की ही भांति अन्तर सांस्कृतिक संचार के भी तत्व होते हैं। जैसे–

सम्प्रेषक

जिस प्रकार संचार में सम्प्रेषण एक अनिवार्य तत्व है उसी प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार में भी सम्प्रेषक का होना अनिवार्य होता है। सम्प्रेषक अर्थात् वह व्यक्ति जो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की सफलता के लिए सम्प्रेषक में निम्नलिखित, गुण आवश्य होने चाहिए।

1. संचार की निपुणता
2. मनोवृत्ति
3. ज्ञान का स्तर
4. सांस्कृतिक–सामाजिक आचरण

सन्देश– सम्प्रेषण जो कुछ कहता है उसे सन्देश कहते हैं। अन्तर–सांस्कृतिक संचार में सन्देश सांस्कृतिक विषयों से सम्बद्ध होते

हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी, सांस्कृतिक मूल्य तथा आदर्श, संस्कृति की विशेषताएं आदि अन्तर सांस्कृतिक संचार में सन्देश के रूप में व्यक्त किए जाते हैं।

माध्यम– सम्प्रेषक और श्रोता के मध्य सन्देशों के आदान–प्रदान के लिए माध्यम का होना अनिवार्य होता है। ये माध्यम, मौखिक, मुद्रित अथवा आधुनिक, इन तीनों में से कोई एक अथवा तीनों ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गायत्री पीठ के सम्प्रेषक मौखिक (सत्संग) मुद्रित (पुस्तिकाएं) आधुनिक (आडियो–वीडियो कैसेट्स) आदि तीनों माध्यमों का प्रयोग सम्प्रेषण में करते

संग्राहक

श्रोता को ही संचार की भाषा में संग्राहक कहा जाता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में संग्राहक को धैर्यपूर्वक सन्देश सुनना और ग्रहण करना चाहिए। सन्देश सुनकर उसका अनुपालन भी श्रोता के लिए आवश्यक होता है और यही अन्तर सांस्कृतिक संचार की सार्थकता भी है।

प्रतिपुष्टि

संचार प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए प्रतिपुष्टि अति आवश्यक है। प्रतिपुष्टि से ही सम्प्रेषण यह जान पाता है कि श्रोता ने सन्देश ग्रहण किया या नहीं और किया तो उस सन्देश का उस पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रतिपुष्टि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में हो सकती है। प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि में श्रोता स्वयं उत्तर देता है जबकि परोक्ष प्रतिपुष्टि शोध के रूप में होती है।

5.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

अन्तर सांस्कृतिक संचार का सीधा अर्थ होता है दो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में संचार प्रत्येक संस्कृति की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को सांस्कृतिक समूह प्रचारितप्रसारित करते हैं जिससे अन्य संस्कृति के लोग इसे समझ सकें। यह विशेषता जब किसी अन्य सांस्कृतिक समूह के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुकूल होती है तो वे उसे स्वीकार कर आत्मसात करते हैं। प्रतिकूल स्थिति में उन विशेषताओं

को दूसरी संस्कृति के लोग अस्वीकार कर देते हैं। उदाहरण के लिए भारत में प्रचलित प्राचीन धार्मिक संस्कृति में व्याप्त जटिलता को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अनुयायियों की संख्या वृद्धि और अपनी संस्कृति से हिन्दुओं का पलायन होने लगा। इस पलायन वाद को रोकने के लिए हिन्दु संस्कृति के आचार्यों ने अपनी संस्कृति में व्याप्त जटिलताओं को दूर कर दिया जिसके अपेक्षित परिणाम हुए और हिन्दु संस्कृति से पलायन तथा बौद्ध संस्कृति के विस्तार दोनों पर ही अंकुश लग गया।

संस्कृतियों के विकास ने मनुष्य की जिज्ञासा को और भी बढ़ाया। वह अपने से उन्नत संस्कृति की बारीकियों को जानने की चेष्टा करने लगा ताकि तदनुरूप अपनी संस्कृति का भी विकास कर सके। इसी जिज्ञासा ने विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संचार की प्रक्रिया को जन्म दिया जो आगे चलकर अन्तर सांस्कृतिक संचार के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। अन्तर सांस्कृतिक संचार के ही कारण विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां क्षेत्र विस्तार के साथ आज समुन्नत अवस्था में है। उदाहरण के रूप में प्राचीन ग्रीको–रोमन संस्कृति जिसका प्राचीन काल में सीमित क्षेत्र था आज पाश्चात्य संस्कृति के रूप में विश्व–व्यापी हो गया है। लगभग सभी प्राचीन और आधुनिक संस्कृतियों के अनुयायी युवा वर्ग में पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। वहीं एक बात और है कि अपने को सर्वोत्तम और उन्नत संस्कृति कहने वाले पाश्चात्य संस्कृति के अनुयायी अब आत्मिक शान्ति की तलाश में भारतीय एवं बौद्ध आध्यात्मिक संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह अन्तर सांस्कृतिक संचार का ही परिणाम है कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का प्रभाव व्यापक होता जा रहा है और विश्व के तमाम भौतिक रूप से विकसित देश अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को त्याग कर भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की ओर खिंचे चले आ रहे हैं।

5.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया

प्रत्येक मनुष्य प्रायः किसी न किसी संस्कृति में ही जन्म लेता है। उसी संस्कृति में उसका लालन–पालन होता है। परिवार के पश्चात जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे परिवार से भिन्न संस्कृति में शिक्षा ग्रहण

करना होता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद जब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाता है तो उसे एक नया सांस्कृतिक परिवेश मिलता है। उच्च शिक्षा के बाद जब वह व्यवसाय की ओर उन्मुख होता है तो एक नयी व्यावसायिक संस्कृति से उसका सामना होता है। इस प्रकार जन्म से लेकर जीविकोपार्जन के आरम्भ तक एक व्यक्ति अनेक सांस्कृतिक परिवेश से होकर गुजरता है और हर परिवेश में वह कुछ न कुछ नया सीखता है। जब वह पूर्ण परिपक्व होकर समाज में स्थापित होता है तब अपनी मूल पारिवारिक संस्कृति को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक सांस्कृतिक समूहों के सम्पर्क में आता है। अपनी पारिवारिक संस्कृति से उन संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित करता है तथा अपने ज्ञान और अनुभव के क्षेत्र का विस्तार करता है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अपनी मूल संस्कृति में वह अपने ज्ञान और अनुभव मिलाकर अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करता है इस प्रकार संस्कृति का प्रवाह बना रहता है। इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक समूह के परिवार जब आपस में एक दूसरे के ज्ञान और अनुभव की साझेदारी करते हैं तो अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसे हम निम्न चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।

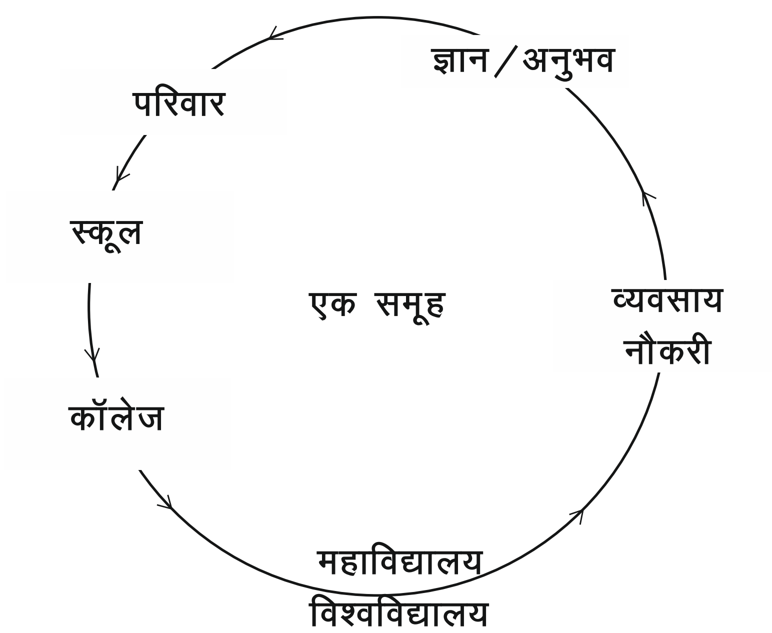

ऐसे असंख्य समूह समाज में विकसित होते हैं और हर स्तर पर उनमें सांस्कृतिक संचरण होता रहता है। यह संस्कृति चक्र सदैव विभिन्न

सांस्कृतिक चक्रों के सम्पर्क में रहते हैं। और उनमें संचार होता रहता है। संचार की यही प्रक्रिया अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया कहलाती है जो इस प्रकार से पूर्ण होती है।

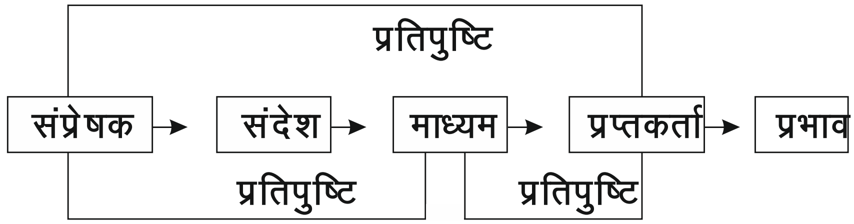

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है।

1. **विश्वसनीयता–** अन्तर सांस्कृतिक संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का आधार विश्वास है। यह विश्वास सम्प्रेषक की इच्छाशक्ति पर निर्भर होता है। अतः अन्तरसांस्कृतिक संचार सम्प्रेषक की इच्छाशक्ति से प्रभावित होता है। सम्प्रेषक को यह विश्वास होना चाहिए कि वह श्रोता को कितनी सूचना प्रेषित करे जिसका सार्थक प्रभाव हो। इसी प्रकार सूचना प्राप्तकर्ता को भी संप्रेषक में पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
2. **सन्दर्भ** अतर–सांस्कृतिक संचार में जो संदेश प्रसारित किए जाते हैं, सन्दर्भों के साथ हों और संदेश और सन्दर्भ में विरोधाभाष नहीं होना चाहिए। सन्दर्भ सन्देश को पुष्ट और प्रमाणित करते हैं इसलिए सन्दर्भों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
3. **विषयवस्तु** अन्तर सांस्कृतिक संचार से श्रोता वर्ग का निर्धारण विषयवस्तु के

अनुरूप होना चाहिए। प्राप्तकर्ता के विश्वास और मूल्य के अनुरूप विषयवस्तु का सम्प्रेषण होगा तो उसका सार्थक परिणाम और प्रभाव भी परिलक्षित होगा।

4. **स्पष्टता** सन्देश सरल भाषा में स्पष्ट और बोधगम्य होने चाहिए। शुद्ध चयन उपयुक्त हों और द्विअर्थी न हों जिससे प्रेषक और श्रोता सन्देश से एक ही अर्थ ग्रहण कर सकें।

5. **5. निरन्तरता तथा एकरुपता** – सम्प्रेषण निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में संदेश को श्रोता तक पहुँचाने के लिए उसकी लगातार आवृत्ति करनी पड़ती है। सन्देश की हर पुनरावृत्ति में सांस्कृतिक मूल्यों एवं सन्देशों की एकरुपता बनी रहनी चाहिए।

6. **माध्यम** अन्तर सांस्कृतिक संरचना में उन्हीं माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिसे प्राप्तकर्ता सार्थक और उपयोगी समझता है तथा जो प्राप्तकर्ता को सहज उपलब्ध हो। नएनए माध्यमों के चयन का प्रयोग प्रायः प्रभावहीन ही रहता है।

7. **श्रोताओं की क्षमता–** अन्तर सांस्कृतिक संचार में श्रोताओं की भाषा, परिवेश, संस्कृति आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि श्रोता वर्ग की क्षमता और आश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है तो सन्देश प्रभावकारी नहीं होते और सम्प्रेषण व्यर्थ हो जाता है।

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया की सार्थकता और सफलता के लिए उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

5.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार के सिद्धान्त

अन्तर सांस्कृतिक संचार के लिए कोई पृथक सिद्धान्त नहीं है। संचार के प्रचलित सिद्धान्तों में से ही कुछ का प्रयोग अन्तर सांस्कृतिक संचार में किया जा सकता है। वे निम्नलिखित

5.5.1 मानक सिद्धान्त (Normative Theory)

संचार के मानक सिद्धान्त के अन्तर्गत कुल छः सिद्धान्त हैं। संचार विशेषज्ञ साइबर्ट, पीटर्सन, तथा श्रम द्वारा पूर्व में प्रतिपादित श्प्रेस के चार सिद्धान्त में डेनिस मैक्वेल ने दो और सिद्धान्त जोड़कर इसे मानक सिद्धान्त के रूप में स्थापित किया। उनके अनुसार मानक सिद्धान्त के अन्तर्गत निम्नलिखित सिद्धान्त आते हैं।

1. सर्वसत्ता वादी सिद्धान्त (Authoritarian Theory)
2. स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का सिद्धान्त (Free & Press Threory)
3. सोवियत मीडिया (साम्यवादी) सिद्धान्त (Soviet Media Theory)
4. सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त (Social Responsibility Theory)
5. जनमाध्यमों का विकास सिद्धान्त (Development Media Theory)
6. जनतांत्रिक सहभागिता सिद्धान्त (Democratic Participant Theory)

मानक का तात्पर्य यह है कि जनमाध्यमों का स्वरूप कैसा होना चाहिए तथा इनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं और व्यवहार में क्या हैं ? इसके साथ ही जन माध्यमों के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सन्दर्भों का भी ज्ञान सम्प्रेषक को होना चाहिए। इस सिद्धान्त के मूल में यह तथ्य निहित है कि जन माध्यमों का स्वरूप राज्य के सांस्कृतिक परिवेश एवं स्वरूप के अनुरूप ही होता है।

5.5.2 लोकप्रिय सांस्कृतिक दृष्टिकोण

जन माध्यमों के सन्दर्भ में इस अवधारणा के प्रवर्तक विद्वान मुख्य रूप से साहित्य और संस्कृति से सम्बद्ध रहे हैं। इनका मानना है कि जन माध्यमों विशेषकर प्रेस के द्वारा सन्देश प्रसारित कर किसी समाज के सांस्कृतिक स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रेस के द्वारा समाज के अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली समूह की संस्कृति को कम शक्तिशाली समूह में सम्प्रेषित कर उनका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं।

5.5.3 निर्भरता सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के द्वारा इस बात की व्याख्या की गई है कि ग्रहणकर्ता किस प्रकार जनमाध्यमों पर अपनी निर्भरता महसूस करते हैं। माध्यम आडिएन्स को प्रभावित करते हैं, यह सत्य है, लेकिन यह एकांगी प्रक्रिया नहीं है। माध्यम भी आडिएन्स की प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं। संज्ञानात्मक संरचना में माध्यमों की भूमिका निम्नलिखित मानी गई है

अस्पष्टता का समाधान और परिस्थितियों की व्याख्या के क्षेत्र को सीमित करना ताकि आडिएन्स इसे आसानी से समझ सके।

1. दृष्टिकोण का निर्माण
2. कार्यक्रमों का निर्धारण
3. 'आस्था' का विस्तार
4. मूल्यों का स्पष्टीकरण

भावात्मक प्रभाव को समझे बिना दृष्टिकोण निर्माण के संज्ञानात्मक प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन है। तीव्र सामाजिक टकराव के समय जन माध्यमों के चित्रण के आधार पर शासन उन सांस्कृतिक समूहों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों का निर्माण कर उचित कार्यवाही कर सकता है। इसके अतिरिक्त जन माध्यम लोगों को उनके सांस्कृतिक लक्ष्यों की ओर सक्रिय करने अथवा निष्क्रिय करने दोनों तरह की भूमिका निभा सकते हैं।

5.4 अन्य सिद्धान्त

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धान्त भी हैं जिनका प्रयोग अन्तर सांस्कृतिक संचार की सफलता के लिए किया जा सकता है वे हैं

1. सामाजिक प्रभाव या एकात्म सद्धान्त
2. उपयोग एवं संतृप्ति सिद्धान्त
3. परावर्ती प्रक्षेपीय सिद्धान्त
4. संगति या सन्तुलन सिद्धान्त
5. उदारवादी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त
6. अन्तर सांस्कृतिक संचार

उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना पाठ्यक्रम के 'खण्ड–एक' इकाई तीन, में की गई है। अतः यहाँ उन सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति उचित नहीं है।

5.6 अन्तर सांस्कृतिक संचार और जन माध्यम

अन्तर सांस्कृतिक संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें सम्प्रेषक का बड़ी संख्या में ग्राहियों के साथ निरन्तर सम्पर्क होता रहता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की सरलता और सफलता के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में मुख्य रूप से जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वे संचार के ही प्रचलित माध्यम हैं और वे निम्नलिखित हैं।

5.6.1 पारम्परिक माध्यम

प्राचीन काल से ही अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यम के रूप में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संगीत के तीन अंग होते हैं– गायन, वादन और नृत्य द्य ये तीनों ही अन्तर– सांस्कृतिक संचार के प्रमुख घटक रहे हैं और आज भी हैं। संगीत को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। शास्त्रीय संगीत और लोक–संगीत'

शास्त्रीय संगीत की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है। धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य का आयोजन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। शास्त्रीय संगीत में

अनुशासन और नियम का विशेष महत्व होता है। इसके गाने बजाने का स्थान, समय एवं स्वरूप पूर्व निर्धारित होता है। जटिलता के कारण यह आम लोगों तक अपनी पैठ नहीं बना सका क्योंकि इसकी राग–रागिनियां कर्णप्रिय होते हुए भी आम लोगों के समझ के परे रही। यही कारण है. कि शास्त्रीय संगीत विशिष्ट जन के मनोरंजन का साधन मात्र बन कर रह गया।

लोक संगीत आम जन का संगीत है। इसमें नियम अनुशासन का कोई स्थान नहीं होता। मनुष्य जब अपने आनन्द और दुख की अभिव्यक्ति गाकर करता है तो वही लोक संगीत बनता है। यह आम लोगों के लिए आम लोगों द्वारा रचे और गाए जाने वाले गोत हैं। इसकी भाषा जन सामान्य की भाषा और परिवेश से सम्बद्ध होती है इसलिए यह शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होती है।

नाटक और लोक कलाएं भी इसी प्रकार के प्रचलित पारम्परिक माध्यम हैं जिनसे अन्तर सांस्कृतिक संचार को गति मिलती है लोक नाट्य, नौटंकी, भांड़, यात्रा कठपुतली आदि पारम्परिक माध्यमों के रूप में प्रचलित हैं। धार्मिक नाट्यकलाओं में रासलीला और रामलीला का क्षेत्र विस्तार सम्पूर्ण विश्व में हो चुका है।

आज का युग इलेक्ट्रानिक माध्यम का युग है। इसके बावजूद परम्परागत माध्यमों का प्रयोग अन्तर–सांस्कृतिक संचार में निरन्तर हो रहा है। माध्यम सम्मिश्रण (मीडिया मिक्स) जिसमें पारम्परिक और आधुनिक माध्यमों का साथ–साथ प्रयोग हो रहा है, अन्तर सांस्कृतिक संचार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। विभिन्न देश की सरकारें एक दूसरे देश में समझौते के तहत लोकनृत्यों और लोकनाट्यों द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। पारम्परिक माध्यमों की

सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विचारों का सम्प्रेषण उस क्षेत्र की भाषा एवं परिवेश के अनुरूप किया जाता है जहां पर सन्देश प्रेषित करना होता है। इससे लोगों को आसानी से सन्देश समझ में आते हैं और इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार का उद्देश्य भी पूर्ण होता है।

5.6.2 मुद्रित माध्यम

मुद्रण यन्त्र के आविष्कार से सम्पूर्ण विश्व के वैचारिक धरातल पर एक अद्‌भुत क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। मुद्रित माध्यमों से मानवीय जीवन के सभी पहलुओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इन माध्यमों की प्रभाव क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कारक आज मुद्रित माध्यम बन गए हैं। कई देशों में तो मुद्रित माध्यमों का प्रारम्भ ही अन्तर सांस्कृतिक संचार स्थापित करने के लिए हुआ। इसाई धर्म और संस्कृति के प्रचारकों ने सम्पूर्ण विश्व में अपनी संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए प्रेस की स्थापना की और वहीं से अपनी संस्कृति का प्रसार प्रारम्भ किया। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि मुद्रित माध्यमों का आविष्कार, प्रचार और प्रसार अन्तर सांस्कृतिक संचार की ही देन है।

मुद्रित माध्यमों में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, आदि समयावधि आधारित पत्र–पत्रिकाएं आती हैं। विषय की दृष्टि से साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक आदि विषयों से सम्बद्ध मुद्रित सामग्री आती हैं। इसी प्रकार आयु तथा लिंग आधारित मुद्रित सामग्री का प्रकाशन भी होता है। पुस्तकें, पम्फलेट आदि भी मुद्रित माध्यम के रूप में अन्तर सांस्कृतिक संचार का वाहक बनती हैं।

मुद्रित माध्यम बौद्धिक वर्ग को प्रभावित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका प्रभाव बहु आयामी होता है। अन्तर– सांस्कृतिक संचार में मुद्रित माध्यमों का बढ़ता प्रभाव तीव्र गति से हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा के विकास और साक्षरता दर में हो रही निरन्तर वृद्धि के कारण मुद्रित माध्यमों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। मुद्रित माध्यम न केवल जन चेतना जाग्रत करने में बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वित करने में, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि अन्तर सांस्कृतिक संचार की सफलता का एक प्रमुख कारण मुद्रित माध्यमों का दिनोदिन बढ़ता प्रयोग है।

5.6.3 आधुनिक (इलेक्ट्रानिक) माध्यम

वर्तमान युग संचार– क्रान्ति का युग है। आधुनिक परिष्कृत संचार उपकरणों ने अब समय और स्थान की दूरी को महत्वहीन बना दिया है। मार्शल मैकलूहन की विश्व ग्राम की परिकल्पना साकार हो चुकी है। आधुनिक माध्यमों में क्रमशः टेलीफोन, वायरलेस, रेडियो, टेपरिकार्डर, टेलीविजन, वीडियो, सिनेमा, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, उपग्रह संचार प्रणाली आदि आते हैं। इन उपकरणों के विकास और प्रयोग ने समाज में अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन किए हैं।

विकसित संचार व्यवस्था का उपयोग करके सम्पन्न राष्ट्र अपनी संस्कृति का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक अब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का रूप लेना शुरू कर दिया है। आधुनिक जन माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की जनता में सार्थक सम्प्रेषण कर पाता है। इनकी इसी विशेषता का उपयोग करके अन्तर–सांस्कृतिक संचार में सम्प्रेषक अपनें सन्देशों को व्यापक स्तर पर जनमानस तक पहुँचाने में सफल होते हैं। आज की युवी पीढ़ी का पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता आकर्षण और उसका अन्धानुकरण अन्तर सांस्कृतिक संचार में आधुनिक माध्यमों की सफल उपयोगिता का ज्वलन्त प्रमाण है।

5.7 अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोकसंस्कृति

सृष्टि में जब से भी विकास हुआ संस्कृति की दो धाराएं एक–साथ विकसित हुई। एक अभिजात्य वर्ग की विशिष्ट संस्कृति तथा दूसरी सामान्य वर्ग की साधारण संस्कृति। समय के प्रवाह के साथ दोनों ही संस्कृतियाँ विकसित हुई। दोनों में परस्पर संचार का आदान–प्रदान हुआ। दोनों ने ही एक दूसरे की कुछ चीजों को अपनाया। इतना सब होते हुए भी इन दोनों संस्कृतियों का अन्तर समाप्त नहीं हुआ।

लोक संस्कृति जन सामान्य की संस्कृति है। जो लोग भौतिक परिवर्तनों से दूर और आडम्बरहीन जीवन शैली अपनाते हैं उन्हें ही लोक की संज्ञा दी जाती है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में लोग संस्कृति का अत्यधिक महत्व होता है। इन्हीं के माध्यम से सांस्कृतिक संचार को व्यापक बनाया जाता है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में लोक संस्कृति जीवन्त है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में सम्प्रेषक के लिए लोक ही एक विशाल

प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। लोक संस्कृति की दीन–हीन दशा का विकास करना, एक– दूसरी लोक संस्कृतियों का आपस में परिचय कराना, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, तथा उन्नत संस्कृतियों के समकक्ष लोक संस्कृति को प्रतिष्ठित करना अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रमुख उद्देश्य होता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यम से जहां लोक संस्कृतियों का प्रचार–प्रसार होता है वही इसके बहुआयामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे लोक संस्कृति के जीवन्त स्वरूप को देखने के लिए दूर–दराज के क्षेत्र के लोग जुटते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, राजस्व में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आर्थिक समृद्धि आती है और लोक संस्कृति को व्यापक प्रचारप्रसार मिलता है। यह सब सम्भव होता है अन्तर–सांस्कृतिक संचार की गतिशीलता से। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोक संस्कृति का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट होता है।

5.8 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपने यह जाना कि संचार और अन्तर सांस्कृतिक संचार में क्या सम्बन्ध है। अन्तर सांस्कृतिक संचार क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। किन सिद्धान्तों का आश्रय लेकर अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में पारम्परिक माध्यम, मुद्रित माध्यम और आधुनिक माध्यमों की क्या उपयोगिता और महत्ता है तथा लोक संस्कृति के विकास में अन्तर अन्तर सांस्कृतिक संचार– अर्थ एवं प्रक्रिया सांस्कृतिक संचार किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं।

5.9 शब्दावली

सम्प्रेषक – सन्देश देने वाला

संचरण – संचारित करना

घटक– अंग

सर्वांगीण – चौतरफा (सभी तरह से)

सर्वोपयोगी– सबके लिए उपयोगी

5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

जनसंचार समग्र जनसंचाररू कल और आज सम्पूर्ण पत्रकारिता अन्तसांस्कृतिक संचार 5.11 प्रश्नावली 234सम्प्रेषक सन्देश देने वाला संचरण संचारित करना 5.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्नअन्तर सांस्कृतिक संचार क्या है ? मुद्रित माध्यमों का प्रयोग अन्तर सांस्कृतिक संचार में कैसे किया जा सकता है ? संचार और अन्तर सांस्कृतिक संचार में क्या अन्तर है ? अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रमुख घटक क्या हैं? 1–2घटक अंग सर्वांगीण – चौतरफा (सभी तरह से) सर्वोपयोगी – सबके लिए उपयोगी 34– 5.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न– डॉ० अर्जुन तिवारी डॉव मुक्तिनाथ झा श्डॉ० अर्जुन तिवारी डॉव मुक्ति नाथ झा अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रक्रिया का सोदाहरण वर्णन करें। अन्तर सांस्कृतिक संचार की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यमों का वर्णन करते हुए स्पष्ट करें कि आज के युग में कौन सा माध्यम सर्वोपयोगी है और क्यों ? अन्तर सांस्कृतिक संचार में लोक संस्कृति की क्या उपयोगिता है ?

5.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. रामायण की रचना किसने की ?

क– वेद व्यास,

ख– वशिष्ठ,

ग– बाल्मीकि

घ– तुलसीदास

2. गीता किस महाकाव्य का अंश है ?

क– रामायण,

ख– महाभारत,

ग–रघुवंश

घ—कादम्बरी

3. पुराणों की संख्या कितनी है ?

क— 18,

ख— 19,

ग—20,

घ—10

4. मुद्रण यन्त्र का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग किस लिए किया गया।

क— समाचार पत्र के लिए,

ख—व्यापार के लिए

ग— ईसाई धर्म के प्रचार के लिए

घ—इनमें से कोई नहीं

5.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1 — ग

2 — ख

3 — क

4 — ग

इकाई 6 विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार का आरम्भ

6.3 प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

6.4 मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

6.5 औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार के संवाहक प्रमुख देश

6.5.1 पुर्तगाल और अन्तर सांस्कृतिक संचार

6.5.2 फ्रान्स और अन्तर सांस्कृतिक संचार

6.5.3 ब्रिटेन और अन्तर सांस्कृतिक संचार

6.6 आधुनिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

6.7 अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण घटनाएं

6.8 सारांश

6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

6.10 शब्दावली

6.11 प्रश्नावली

6.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

6.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

2.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास नामक इस इकाई का उद्देश्य आएको विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार के एतिहासिक विकास को विस्तार से समझाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ।
2. प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार का स्वरूप क्या था।
3. मध्य काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार का स्वरूप।
4. औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रमुख कारक क्या थे।
5. वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की क्या स्थिति है।
6. अन्तर सांस्कृतिक संचार के कौन से माध्यम आज किस रूप में प्रचलित हैं।

6.1 प्रस्तावना

संस्कृति का विकास जब से हुआ तभी से मनुष्य अपने जीवन–यापन के नए–नए तरीके आविष्कृत करता रहा है। आविष्कार के प्रत्येक चरण ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया है। इन संस्कृतियों के बारे में जानने को मनुष्य सदैव लालायित रहा है। संस्कृति ज्ञान की इसी

लालसा ने संचार की एक नई विधा को जन्म दिया। इसी को अन्तर सांस्कृतिक संचार कहा गया। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के प्रत्येक चरण ने अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक नई दिशा और गति प्रदान की। इन्हीं बातों की सम्यक् जानकारी पाठ्यक्रम की इस इकाई में देने का प्रयास किया गया है।

6.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ

अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ कब से हुआ इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सृष्टि के आरम्भिक विकास में किस प्रकार संस्कृतियों का टकराव होता था इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय धर्म ग्रन्थों में मिलता है। इन ग्रन्थों में वर्णित कथाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय सृष्टि में तीन जातियों (योनियों) की प्रधानता थी। देवता, मनुष्य और राक्षस। तीनों की संस्कृतियां भिन्न थी फिर भी कहीं–कहीं उनमें अदभुत समानता दीख पड़ती।

देवता देवलोक में विचरण करते थे। उनके पास असीम शक्तियाँ थीं जिनसे वे जन कल्याण का कार्य करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था पर उस समय का मानव समाज आधारित था। इसी व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित कार्य करते हुए मनुष्य अपना जीवन यापन करते थे। राक्षस पाताल लोक में रहते थे। अन्याय, अत्याचार आदि दुष्प्रवृत्तियां उनकी दिनचर्या थी। मनुष्य और देवता प्रायः सदाचरण का ही पालन करते थे। मानव सदैव देवताओं की कृपा की कामना करते रहते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अप–तप यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते रहते थे। राक्षस भी अपनी वर्चस्व वृद्धि के लिए दैवी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वे मनुष्यों की तरह ही जप–तप यज्ञ आदि का आश्रय लेते थे। मनुष्य अपनी तपस्या से जो दैवी शक्ति प्राप्त करते थे उसका उपयोग वे सदैव जन कल्याण के निमित्त ही करते थे और इसी कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी थी किन्तु राक्षस जब दैवी शक्ति प्राप्त करते थे तो उनमें अहंकार उत्पन्न हो जाता था और वे अपनी प्राप्त शक्तियों का उपयोग केवल अत्याचार और उत्पीड़न में करते थे। इस प्रकार इन तीनों संस्कृतियों में, देव संस्कृति,

मानव–संस्कृति और राक्षस संस्कृति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस संघर्ष में मानव या तो तटस्थ रहता था या देवताओं के साथ द्य क्योंकि अन्याय का प्रतिकार करना ही मानव संस्कृति है। इस सांस्कृतिक संघर्ष में सैदव राक्षस संस्कृति ही पराजित होती रही।

प्राचीन वांग्मय के अनुसार इस युग में संदेशों के आदान–प्रदान का एक मात्र साधन था मौखिक। दूत के द्वारा एक दूसरे से सन्देशों और सूचनाओं का आदान–प्रदान होता था। उसी युग में नारद नाम के एक ऐसे पात्र का उल्लेख भी मिलता है जो कभी भी, कहीं भी आ–जा सकता था। देवता, , मनुष्य और राक्षस तीनों के द्वारा वह समान रूप से सम्मानित था। नारद ही उस जमाने में 'आज के रिपोर्ट' की भूमिका निभाता था। तीनों संस्कृतियों के मध्य संचार सेतु के रूप में प्रतिष्ठित नारद ही अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रमुख संवाहक था।

वैदिक और पौराणिक गाथाओं में जितनी भी कथाओं का उल्लेख है उनके मूल में संस्कृति ही है। सांस्कृतिक संघर्षों को इस प्रकार संचारित किया गया कि आने वाली पीढ़ी सदैव सन्मार्ग का अनुसरण करे और कल्याण पथ पर अग्रसर हों। नारी सम्मान को प्रचलित करने के लिए नारी को देवी के रूप में स्थापित कर पूजनीय बनाया गया और जनमानस में इसे प्रचलित किया गया। संस्कृतियों के संघर्ष और परिणाम की कथा को इस प्रकार संचारित करना ही अन्तर–सांस्कृतिक संचार है और इसे ही हम अन्तर– सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ मान सकते हैं।

परवर्ती काल, जिसे महाकाव्यों का युग कहा जाता है, में भी रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की पूर्व की परम्परा को ही आगे बढ़ाया। रामायण में आर्य संस्कृति और रक्ष संस्कृति (राक्षस) के परस्पर संघर्ष की गाथा से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि आर्य संस्कृति ही श्रेष्ठ संस्कृति है। महाभारत में मानवीय संस्कृति के दो विरोधी रूपों के संघर्ष को संचारित करते हुए सत्य, न्याय और धर्म की पक्षधर संस्कृति (अच्छाई) को बुराई से श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट होता है कि अन्तर–सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ वैदिक काल में ही ह्मे चुका था। इस अन्तर सांस्कृतिक संचार की विषय–वस्तु मुख्य रूप से सांस्कृतिक संघर्ष ही रहा है और इसी के माध्यम से मनुष्य को शुद्ध सांस्कृतिक आचरण का सन्देश भी

दिया गया है। इन सबके बावजूद उपर्युक्त को प्रमाणित करने के लिए प्राचीन धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

6.3 प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

प्राचीन काल में जब मनुष्य आखेटक के रूप में जीवन यापन कर रहा था तब न उसे संस्कृति का ज्ञान था और न ही संचार का। कालान्तर में सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। परिवार की अवधारणा उत्पन्न हुई और कबीलों का निर्माण हुआ। छोटे–बड़े असंख्य कबीले बने। कबीलाई समाज घुमन्तू था। वह एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता था। घूमते हुए जब एक कबीले दूसरे कबीले के सम्पर्क में आते थे तो उनमें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष होता था। विजेता विजित की सांस्कृतिक धरोहरों और मान्यताओं को नष्ट कर देते थे और अपनी सांस्कृतिक विरासत को मानने के लिए बाध्य करते थे। इस प्रकार विजेता और विजित कबीलों के मध्य अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया की शुरूआत हुई।

लगभग यही स्थिति अन्तर सांस्कृतिक संचार की तब तक बनी रही जब तक राज्य नामक संस्था का विकास नहीं हुआ। राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान स्थापित हुई, उनके अपने धर्म विकसित हुए। राज्यों में आपस में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राजदूत से विभिन्न राज्यों के मध्य अन्तर–सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया भी आरम्भ हुई। प्राचीन राज्यों में क्षेत्र विस्तार और साम्राज्य विस्तार की भावना प्रबल थी। हर राज्य अपने से उन्नत संस्कृति वाले राज्यों पर अधिकार करके अपनी संस्कृति का विस्तार भी करना चाहते थे। भारतीय वैदिक साहित्य में राजाओं द्वारा राजसूयज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए जाने की परम्परा का उल्लेख मिलता है। इस यज्ञ को करने वाले राजा को पृथ्वी के समस्त राज्यों पर अपना अधिकार करना आवश्यक था। इस प्रकार विजेता राजा की संस्कृति का प्रचार–प्रसार विजित राज्यों पर होता था तथा संस्कृतियों का आदान–प्रदान करते हुए अन्तर–सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया पूर्ण की जाती थी।

अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण हमें ईसा

पूर्व 6 वीं शताब्दी से ही मिलाने लगता है। इस अवधि में भारत में जैन और बौद्ध धर्म की अवतारणा हुई। मौर्य राज्य के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का विश्व व्यापी प्रचार–प्रसार किया। राज्याश्रय से बौद्ध संस्कृति का विकास भारत सहित, वर्मा, श्रीलंका, चीन आदि देशों की प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण है।

ई० पू० 3सरी सदी के लगभग यूनान का प्रसिद्ध शासक सिकन्दर विश्व विजय के अभियान पर निकला। इसके पूर्व भी यूनान का साम्राज्य आस–पास के क्षेत्रों तक फैल चुका था। यूनानी विद्या का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा था। वहाँ की जीवन शैली, खेल–कूद, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, उद्योग आदि से सारे विश्व में एक नई सांस्कृतिक चेतना का उदय हो रहा था। इसी अवधि में सिकन्दर के विश्व विजय अभियान ने यूनानी संस्कृति को विश्व व्यापी बना दिया। सिकन्दर ने अपनी युद्ध नीति, व्यूह रचना, साहस और पराक्रम से लगभग पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसने जिन राज्यों को जीता वहां यूनानी संस्कृति की छाप छोड़ी। वह अपने सेना नायकों को विजित राज्यों का शासक बना देता था, यूनानी लड़कियों की, खासकर सामन्त परिवार की कन्याओं की, शादी विजित राष्ट्रों के शासकों से करके उन्हें अपना सांस्कृतिक गुलाम बना लेता था। सिकन्दर के आचरण से यही स्पष्ट होता है कि उसने यूनानी संस्कृति के प्रचार–प्रसार और अन्तर–सांस्कृतिक संचार के लिए युद्ध को अपना माध्यम बनाया।

विभिन्न देशों के लोग पर्यटन के माध्यम से भी प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे थे। चीन के यात्री इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। चीनी यात्री ह्वेन सांग और फाह्यान की भारत यात्राओं के जो विवरण उपलब्ध होते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि इन यात्रियों ने भारतीय संस्कृति का गहनता से अध्ययन किया, उन्हें लिपिबद्ध किया और उसे शेष विश्व तक पहुँचाया।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में पर्यटन, युद्ध, सांस्कृतिक प्रचार–प्रसार, धर्म प्रचार, व्यापार–वाणिज्य आदि अन्तर सांस्कृतिक संचार के साधन के रूप में प्रचलित थे और इन्हीं का आश्रय लेकर कहीं शान्ति, सौहार्द और सद्भाव के साथ तो कहीं विजेता–विजित सम्बन्धों में बाध्यकारी रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार

की प्रक्रिया अपनायी जाती रही और प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार की यही स्वरूप प्रचलित था।

6.4 मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

विश्व इतिहास का मध्य–काल धार्मिक संस्कृति के प्रभुत्व का काल है। इस काल में अनेक प्राचीन संस्कृतियों का लोप अथवा संकुचन हुआ वहीं अनेक नवीन संस्कृतियों का उदय और विस्तार हुआ।

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक यूनानी संस्कृति पर रोम का प्रभुत्व हो गया। धर्म आधारित रोमन साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे योरोप में हो गया। रोमन साम्राज्य में यूनानी दास की स्थिति में रहने लगे। इस स्थिति में भी यूनानी अपने ज्ञान और संस्कृति का चमत्कार दिखलाते ही रहे। रोमन साम्राज्य के अधीन रहते हुए उन्होंने साम्राज्य के प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं साम्राज्य को दीं। व्यायाम, खेल, शिक्षा, स्थापत्य, आदि क्षेत्रों में यूनान का वर्चस्व बना रहा। हाँ अब उनका नाम रोमन संस्कृति हो गया। धर्म की प्रभुसत्ता स्थापित करने वाली रोमन संस्कृति का प्रभाव सम्पूर्ण योरोपीय जगत पर पड़ा। राज्यों के शासक बिना पोप (धर्मगुरू) की अनुमति के कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। सारे योरोप की सत्ता संचालन का केन्द्र श्पोप' ही था। इस प्रकार सम्पूर्ण योरोपीय जगत एक सांस्कृतिक सत्ता के अधीन संचालित हो रहा था। इसाई संस्कृति के प्रचार–प्रसार का कार्य राज्यों का दायित्व बन चुका था। इसाईयत के प्रचार–प्रसार की आड़ में एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार होने लगा था।

एक ओर जहाँ योरोपीय जगत में इसाई संस्कृति का विस्तार हो रहा था वहीं शेष विश्व में इस्लाम का विस्तार हो रहा था। इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचारक शस्त्र बल से पूरे विश्व के इस्लामीकरण की प्रक्रिया का बढ़ावा दे रहे थे। एशिया महाद्वीप में उन्हें व्यापक सफलता भी मिली। इस्लामी संस्कृति के प्रचारक जहां कहीं भी गए बलपूर्वक अपनी संस्कृति को प्रचारित किया। इस्लामी संस्कृति का प्रसार अब देश से निकलकर, मिस्र, पश्चिम अफ्रीका, सीरिया, ईराक, ईरान, ओमान, पूर्वी द्वीप समूह, अफगानिस्तान, भारत, चीन, तुर्कीस्तान, आदि देशों तक हो गया। इस्लाम प्रचारक जहां कही भी गए वहाँ उन्होंने सबसे पहले उस

देश के धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करना शुरू किया। पूर्व प्रचलित सांस्कृतिक मान्यताओं को नष्ट करके अपनी संस्कृति को स्थापित करना इस्लाम प्रचारकों का प्रमुख उद्देश्य बन गया। उन्होंने प्राचीन काल में प्रचलित विजेता–विजित सम्बन्ध की तर्ज पर भी अपनी संस्कृति को थोपने का कार्य किया।

मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार की उपर्युक्त स्थिति के कारण जहाँ एक ओर इसाई और इस्लाम संस्कृति का विस्तार हुआ वहीं दूसरी ओर हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि धार्मिक संस्कृतियों में संकुचन होने लगा। इनका प्रभाव कम हुआ और ये एक निश्चित क्षेत्र में सिमट कर रह गए। सम्पूर्ण मध्यकालीन अन्तर–सांस्कृतिक संचार का इतिहास संस्कृतियों के संघर्ष से ही भरा पड़ा है' सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक इसाई संस्कृति और इस्लाम संस्कृति में वर्चस्व का संघर्ष चलता रहा। इसके बाद दोनों संस्कृतियों ने शेष विश्व पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए अपने प्रचार की दिशा बदल दी। इस प्रकार इसाई योरोप में तथा इस्लाम शेष विश्व में फैल गए।

मध्यकालीन इतिहास में अन्तर सांस्कृतिक संचार का तरीका, उद्देश्य सब कुछ बदल गया। उद्देश्य हो गया अपनी संस्कृति का विश्व व्यापी प्रसार और तरीका जो इच्छा हुई अपनाया गया। इसमें नैतिक अनैतिक का विचार नहीं था। एक संस्कृति ने धन बल का आश्रय लिया तो दूसरी ने शस्त्र बल का। येनकेन प्रकारेण अपनी संस्कृति का प्रचार–प्रसार करना ही मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रमुख लक्ष्य था और सम्पूर्ण मध्यकाल का सांस्कृतिक संचार भी इसी पर केन्द्रित था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन अन्तर–सांस्कृतिक संचार का इतिहास सांस्कृतिक संघर्षों का ही इतिहास है और उस समय उत्पन्न हुआ सांस्कृतिक संघर्ष किसी–न–किसी रूप में आज भी जीवित है।

6.5 औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

औपनिवेशिक काल से तात्पर्य साम्राज्यवाद से है जिसका तात्पर्य है अन्य राज्यों पर अपना वैधानिक अधिकार स्थापित करना। यह प्रक्रिया मध्यकाल में ही आरम्भ हो गई थी किन्तु मध्यकालीन साम्राज्यवाद का

लक्ष्य विजित राष्ट्रों की संस्कृति को नष्ट करके विजेता की संस्कृति को स्थापित करना था परन्तु उसके बाद का औपनिवेशिक काल भिन्न प्रकृति का था। इस काल में विजेता विजित राष्ट्रों के ऊपर शासन करते थे और अपनी शासकीय सुविधा के लिए उन राष्ट्रों का विकास करते थे। इस क्रम में पुर्तगाल, फ्रान्स, स्पेन, ब्रिटेन आदि देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। औपनिवेशिक काल में सम्पूर्ण विश्व में अन्तर–सांस्कृतिक संचार के प्रमुख देशों में पुर्तगाल, फ्रान्स और ब्रिटेन का महत्वपूर्ण स्थान है।

6.5.1 पुर्तगाल और अन्तर संस्कृतिक संचार

पुर्तगाल एक छोटा सा राष्ट्र है। समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ के लोगों का विश्व के शेष भाग से सम्पर्क जल मार्ग द्वारा ही होता था। नौ परिवहन के क्षेत्र में इस राष्ट्र ने काफी पहले प्रगति कर ली थी। समुद्र पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात पुर्तगालियों ने अपने व्यापार वृद्धि के लिए तटवर्ती राष्ट्रों पर अपना अधिकार करना शुरू किया। इनकी एक विशेषता थी कि ये किसी भी राष्ट्र के समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार करते थे ताकि उस देश से अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। व्यापार वृद्धि में आने वाले अवरोधों को ये बल पूर्वक समाप्त करते थे। इन्होंने अपने द्वारा अधिकृत क्षेत्रों की संस्कृति को नष्ट नहीं किया और न ही उन क्षेत्रों पर शासन करने के ही ये इच्छुक थे। इन्होंने अपने व्यापार के साथ ही अपनी मूल संस्कृति और इसाई धर्म का प्रचार–प्रसार भी आरम्भ किया। भारत सहित विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर श्प्रेस' की स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही की है। इस प्रकार पुर्तगाल ने विश्व के सभी क्षेत्रों में जहाँ जलमार्ग द्वारा जाया जा सकता था, अपने व्यापार और इसाई धर्म तथा संस्कृति का प्रचार–प्रसार किया और इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आज भी उन राज्यों में विद्यमान हैं जहाँ पर उनका अधिकार था।

6.5.2 फ्रान्स और अन्तर सांस्कृतिक संचार

फ्रान्स की संस्कृति पुर्तगालियों से भिन्न थी। पुर्तगाल जहाँ अपने व्यापार वृद्धि के लिए उपनिवेशों की संख्या बढ़ा रहा था वहीं फ्रान्स

अपनी सैन्य संस्कृति और वैचारिकी के लिए। फ्रान्स ने जहाँ कहीं भी अधिकार जमाया वहां की सैन्य संरचना में आमूल परिवर्तन किया। फ्रांसीसी सैन्य संस्कृति में इतना आगे था कि विश्व के तमाम छोटे–बड़े राज्यों में उसके सैन्य अधिकारी प्रशिक्षक रूप में कार्य करते थे। जिन राज्यों में फ्रान्स का आधिपत्य नहीं था वहां वे मैत्री सन्धि के द्वारा प्रविष्ट हुए और सेना के प्रशिक्षण का कार्य करने लगे। इस कार्य में जहाँ एक ओर फ्रान्स की सैन्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था वहीं दूसरी ओर सैनिक साज–समान की बिक्री से उसके व्यापार में भी वृद्धि हो रही थी। वैसे तो फ्रान्स भी इसाई धर्म और संस्कृति का प्रचारक देश था किन्तु उसकी प्राथमिकता सैन्य संस्कृति के प्रचार–प्रसार की ही थी। इस प्रकार से फ्रान्स ने विश्व में एक नए प्रकार की सांस्कृतिक संचार व्यवस्था कायम की जिसके द्वारा समस्त राज्यों की सेनाओं का फ्रान्सीसीकरण होने लगा। युद्ध कला में प्रवीण होने के कारण अपनी विशिष्ट संस्कृति का संचरण फ्रान्स द्वारा किया जा रहा था। यह अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में फ्रान्स का एक महत्वपूर्ण योगदान था।

फ्रान्स की विभिन्न राज्य क्रान्तियों ने विश्व संस्कृति में मानव अस्तित्व को एक नई दिशा दी। लोकतन्त्र की स्थापना, वैयक्तिक स्वतंत्रता का विकास आदि ऐसी बाते थीं जिसने समस्त विश्व में वैचारिक क्रान्ति की एक नई लहर पैदा की। अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में फ्रान्स का यह महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है।

6.5.3 ब्रिटेन और अन्तर सांस्कृतिक संचार

ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में ब्रिटिश राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इतना व्यापक था कि विश्व के दो तिहाई राष्ट्र उसके उपनिवेश थे। ब्रिटेन औद्योगिक क्रान्ति का जनक था। अपने उपनिवेशों में अपना नियन्त्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने उनका सर्वांगीण विकास किया। यातायात के साधनों का विकास, परिवहन का विकास, संचार माध्यमों का विकास और अन्य संसाधनों का विकास ब्रिटेन ने यद्यपि अपनी सत्ता की सुविधा के लिए किया किन्तु फिर भी उपनिवेशों का भौतिक विकास तो हुआ ही। इस विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए उसने अपने

उपनिवेशों के मानव संसाधन का भरपूर दोहन किया। अपने उपनिवेशों से ब्रिटेन ने उद्योग के लिए उपलब्ध कच्चे माल का भी अत्यधिक दोहन किया और उन सामानों का प्रयोग अपने उद्योगों में करके तैयार माल की बिक्री के लिए उसने अपने उपनिवेशों को बाजार के रूप में स्थापित किया। कठोर शासकीय नियन्त्रण और मूलभूत ढांचे में विकास के बावजूद ब्रिटेन ने अपने उद्योगों को उपनिवेशों में नहीं स्थापित किया।

ब्रिटिश शासन में अनेक क्रूरताओं और अमानवीय आचरण के बावजूद ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों का जो भौतिक विकास किया उससे उन क्षेत्रों की संस्कृति में आमूल परिवर्तन हुआ। संचार धनों का विकास यद्यपि शासक वर्ग ने अपनी सुविधा के लिए था किन्तु उससे लाभान्वित शासित वर्ग भी हुआ। ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रसार इतना व्यापक हुआ कि विश्व के तमाम देश आज भी उसी शिक्षा नीति का अनुसरण करके योग्य लोगों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। प्रेस की स्थापना, रेडियो की स्थापना, इसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार–प्रसार, भवन निर्माण, परिवहन और यातायात के साधनों का विकास, रेल एवं सड़क मार्ग का विकास तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में ब्रिटेन की उपयोगिता और महत्ता स्वतः परिलक्षित होती है।

6.6 आधुनिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

बीसवीं सदी का आरम्भ सम्पूर्ण विश्व के सांस्कृतिक जगत में एक नई चेतना के साथ हुआ। इस समय औपनिवेशिक काल समाप्त हो रहा था। बहुत छोटे–बड़े राष्ट्रों का उदय हो रहा था। इन राष्ट्रों में अपनी पारम्परिक संस्कृति के प्रति चेतना जागृत हो चुकी थी। अपने पूर्व शासकों के समकक्ष होने का गौरव उन्हें प्राप्त हो चुका था। अब ये राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास में लग गये थे। वैयक्तिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानता का स्वरूप सर्वत्र दिखाई देने लगा था। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्र भी सम्मान के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने लगे थे।

संचार तकनीक के दिनों दिन विकसित होने के कारण आधुनिक

काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार में गति आई। अपने उद्‌भव क्षेत्र से संस्कृतियों का प्रसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प तेजी से होने लगा। वस्तु एवं विचारों का सम्प्रेषण और प्रसारण त्वरित गति से होने लगा। वस्तु एवं विचार समाज को प्रभावित करते हैं तथा परिवर्तन की दिशा तय करते हैं। कोई भी नया विचार अपने मूल स्थान से क्षेत्रीय, तब राष्ट्रीय और तब फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलता है। यदि किसी वस्तु, प्रौद्योगिकी कला अथवा संस्कृति की उपयोगिता जन सामान्य के लिए है तो उसका प्रसारण अवश्य होगा और प्रसारित वस्तु, प्रौद्योगिकी, कला अथवा संस्कृति का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत होगा। आधुनिक युग के प्रसार माध्यमों की तीव्रता ने इस कार्य को आसान और सर्व सुलभ बना दिया है।

आज का विश्व एक गांव बन चुका है। संचार माध्यमों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से बढ़ाया है। एक देश दूसरे देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, जीवन शैली आदि के बारे में जानना चाहते हैं। इस जानकारी को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव सहजता से उपलब्ध करा रहे हैं। टेलीविजन और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी ने इसे और भी आसान बना दिया है। व्यापारिक एवं प्रौद्योगिकी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वैचारिक आदान–प्रदान के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। मानवीय समस्याओं पर विश्वव्यापी बहस हो रही है। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया है। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की एवं कार्यक्रम तय किये जा रहे हैं।

संचार साधनों के आधुनिक युग में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति एवं विचारों के प्रसारण को काफी आसान बना दिया है। चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान की नवीन परिकल्पनाओं के जनक आज पश्चिमी राष्ट्र हैं। सम्प्रति ये देश विश्व के अग्रणी देश हैं और सम्पूर्ण विश्व में परिवर्तन की दिशा सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रसार के प्रभाव के कारण सम्पूर्ण विश्व आर्थिक सामाजिक प्रगति की ओर अग्रसर है। विश्व में तमाम राजनीतिक विभेद होते हुए भी अनेक समस्याओं पर एकता दिखाई देती है। मानवाधिकार गरीबी, उत्पीड़न,

आर्थिक सहायता, प्राकृतिक विपत्तियों एवं महिलाओं के अधिकार के प्रति विश्व जनमत में चेतना का संचार हुआ। वैचारिक प्रसार के प्रभाव से सम्पूर्ण विश्व में जागरूकता आयी है। धार्मिक कट्टरता एवं आतंकवाद के प्रति समस्त विश्व एकमत है। प्रसार प्रभाव के कारण ही संस्कृतियों का विस्तार होता है तथा विशिष्टता एवं वैविध्य के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिमण्डलों का जन्म होता है। जीवन के ढंग, सामाजिक कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ तथा वैचारिक जागरूकता के कारण परिमण्डल विशिष्ट हो जाते हैं।

आधुनिक युग संचार क्रान्ति का युग है। प्रत्येक धर्म और संस्कृति को अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार इन संचार साधनों के उपयोग की स्वतन्त्रता है। विकसित राष्ट्र अपनी उन्नत संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर परे विश्व में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना में लगे हैं। वहीं अपेक्षाकृत कम विकसित राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बचाए रखने के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार–प्रसार में ज्यादा रूचि लेने लगे हैं। विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा है ताकि सांस्कृतिक संचार का व्यापक प्रसार हो। आधुनिक युग में अन्तर सांस्कृतिक संचार की यही विशेषताएं हैं। आज से समय में संचार माध्यमों ने संस्कृतियों को इतना मिश्रित कर दिया है कि उनका मूल स्वरूप ही अब लुप्त होता जा रहा है और एक नई संस्कृति, जिसे फ्युजन संस्कृति कहा जाता है, का प्रादुर्भाव हो रहा है।

6.7 विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण घटनाएं

विश्व इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेक ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिनका अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–

ई० पू० 1500	भारत में आर्यों का आगमन, ऋग्वेद का रचना काल
ई० पू० 1000	गंगा की घाटी में आर्यों का विस्तार, ब्राह्मण ग्रन्थों का रचना काल

ई० पू० 900	महाभारत युद्ध
ई० पू० 800	रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों का रचनाकाल महाकाव्य युग
ई0 पू0 550	उपनिषदों का रचनाकाल
ई० पू० 544	बुद्ध का निर्वाण
ई० पू० 537	आर्यों का प्रसार दक्षिण भारत और श्रीलंका तक
ई0 पू0 500	उपनिषदों का रचनाकाल
ई0 पू0 326	सिकन्दर का भारत पर आक्रमण
ई0 पू0 321	मौर्य वंश का शासन आरम्भ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना काल
ई० पू० 272–232	सम्राट अशोक का शासन काल
ई० पू० 145	चोल शासक द्वारा श्रीलंका विजय
ई0 पू0 58	विक्रम संवत् का आरम्भ
ई0 पू0 26	भारत के पांड्य शासक ने अपना राजदूत रोम भेजा।
ईसवी 40	सिन्धु घाटी और पश्चिमी भारत में शक सत्ता की स्थापना।
ईसवी 52	भारत में सेंट थामस द्वारा इसाई धर्म का प्रचार आरम्भ।
ईसवी 78	शक् संवत का आरम्भ
ईसवी 320	गुप्त काल का आरम्भ,
ईसवी 380–413–	गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, साहित्यिक पुनर्जीवन, हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार
ईसवी 622	हिजरी संवत् का आरम्भ
ईसवी 711	मुहम्मद बिन कासिम का सिंध आक्रमण

ईसवी 735	राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय
ईसवी 1026	महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ की लूट
ईसवी 1206	गुलाम वंश का आरम्भ
ईसवी 1333	मंगोलों का आक्रमण
ईसवी 1339	तैमूर का भारत पर आक्रमण
ईसवी 1498	वास्कोडिगामा का भारत (कालीकट) आगमन
ईसवी 1298	गोवा पर पुर्तगाल का नियन्त्रण स्थापित
ईसवी 1221	भारत में मुगल राजवंश का आरम्भ
ईसवी 1510	अकबर का राज्यारोहण
ईसवी 1526	हिन्दू धर्म और एस्लाम के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से
1556	अकबर का राज्यारोहण
ईसवी 1582	हिन्दू धर्म और स्लाम के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने दीन–ए–इलाही धर्म की घोषणा की।
ईसवी 1600	ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना
ईसवी 1609	हालैण्ड की कम्पनी ने पुलीकाट में फैक्टरी स्थापित की।
ईसवी 1611	अंग्रेजों की कम्पनी ने मसूली पटनम में फैक्टरी स्थापित की।
ईसवी 1631	ताजमहल का निर्माण
ईसवी 1639	अंग्रेजों की कम्पनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जार्ज की नींव डाली।
ईसवी 1739	फारस के शासक नादिरशाह का दिल्ली पर कब्जा।

ईसवी 1742	पांडिचेरी का गर्वनर फ्रांसीसी डूप्ले बना ।
ईसवी 1748	अंग्रेज–फ्रांसीसी युद्ध (प्रथम) ।
ईसवी 1773	ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया।
ईसवी 1784	पिट्स इण्डिया एक्ट ।
ईसवी 1828	सामाजिक सुधारों का काल।
ईसवी 1831	रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिक्खों का उत्थान।
ईसवी 1853	भारत में रेल सेवा का आरम्भ
ईसवी 1857	भारत में स्वाधीनता की पहली लड़ाई ।
ईसवी 1858	ब्रिटिश सम्राट ने भारत में अंग्रेजी राज्य को अपने नियन्त्रण में लिया।
ईसवी 1861	इण्डियन काउन्सिल एक्ट, इण्डियन हाइकोर्ट्स एक्ट इण्डियन पेनल कोड।
ईसवी 1878	वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
ईसवी 1908	न्यूजपेपर्स एक्ट
ईसवी 1947	भारत की स्वतन्त्रता
ईसवी 1951	प्रथम आम चुनाव
ईसवी 1954	भारत–चीन में पंचशील समझौता
ईसवी 1958	माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारम्भ
1977	विदेश मन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा पहली बार सुयंक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण (8 दिसम्बर)
1981	प्रथम त्रि–अक्षीय स्थिरीकृत प्रयोगात्मक संचार उपग्रह (एपल) अपनी कक्षा में स्थापित।
	20 के अन्तराल में पहला तीर्थ यात्री दल कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रवाना।

1984	आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पंजाब में सेना का नियन्त्रण आपरेशन ब्लू स्टार
1986	भारत की पहली चल टेलीफोन तथा रेडियो पेजिंग सेवा का आरम्भ (जनवरी)
	देश का पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह अपना उत्सव' नई दिल्ली में प्रारम्भ (नवम्बर)
1994	रूपर्ट मर्डोक ने नई दिल्ली में स्टार टी० वी० पर हिन्दी का पे चौनल आरम्भ करने की घोषणा की।
1995	सार्क देशों ने साफ्टा के रास्ते में आने वाली रूकावटों को दूर किया।
	सार्क देशों के सांसदों और संसद अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में
1997	ट्रिनिडाड के प्रधानमंत्री वासुदेव पाण्डे अपने पूर्वजों के वंशजों से मिलने आजमगढ़ (उ0 प्र0) के गांव लखमनपुर आए।
	दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का भारत आगमन।
1999	भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर बस सेवा का आरम्भ ईसाई धर्म पोप जान पाल द्वितीय का भारत आगमन।
2002	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नई दिल्ली में सम्पन्न

विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कार जिनके कारण अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक नई दिशा मिली, निम्नलिखित हैं–

आविष्कार	**आविष्कारक देश**	**वर्ष**
कागज	चीन	105 (ई० पू०)
प्रिंटिंग प्रेस	जर्मनी	1455 ई0
तार संचार	फ्रान्स	1787 ई0

टाइप राइट	इटली	1808 ई0
ट्रान्सफार्मर	ब्रिटेन	1831 ई0
तार संचार कोड	अमेरिका	1837 ई0
प्रिंटिंग प्रेस रोटरी	अमेरिका	1846 ई0
रेडियो तार संचार	अमेरिका	1864 ई0
माइक्रोफोन	अमेरिका	1876 ई0
टेलीफोन	अमेरिका	1876 ई0
फाउन्टेन पेन	अमेरिका	1884 ई0
सिनेमा (मूक)	फ्रान्स	1885 ई0
लाउडस्पीकर	अमेरिका	1900 ई0
सिनेमा (बोलता)	जर्मनी	1922 ई0
सिनेमा (संगीत ध्वनियुक्त)	अमेरिका	1923 ई0
टेलीविजन	अमेरिका	1927 ई0
ट्रांजिस्टर	अमेरिका	1948 ई0
माइक्रो प्रोसेसर	अमेरिका फ्रान्स	1971 ई0

6.8 सारांश

संचार और संस्कृति दोनों समाज में ही विकसित होते हैं। अन्तर सांस्कृतिक संचार भी समाज में ही संस्कृतियों के मध्य होता है। मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास और उसका इतिहास भी अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास है। इस इकाई में आपने अन्दर सांस्कृतिक संचार के इतिहास का क्रमवार अध्ययन किया और प्राचीन काल, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल तथा आधुनिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रचलित स्वरूप के बारे में जाना।

संस्कृति के चार अध्ययन प्राचीन यूनान का इतिहास प्राचीन भारत रामधारी सिंह दिनकर– प्रो० शैलेन्द्र प्रसाद पांथरी – डॉ० राजबली पाण्डेय

6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

अन्तर सांस्कृतिक संचार	रामधारी सिंह दिनकर
प्राचीन यूनान का इतिहास	प्रो0 शैलेन्द्र प्रसाद पांथरी
प्राचीन भारत	डॉ. राजबली पाण्डेय

6.10 शब्दावली

1– आखेटक– शिकार करके जीवन यापन करने वाला

2– राज्याश्रय –राज्य का संरक्षण (आश्रय)

3– संकुचन – सीमित (संकुचित) होना

6.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर–सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ कैसे हुआ? स्पष्ट करें।
2. फ्रान्स का अन्तर सांस्कृतिक संचार में क्या योगदान है।
3. संचार साधनों ने अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक नई दिशा दी है। संक्षेप में बताएं।

6.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

अन्तर सांस्कृतिक संचार के ऐतिहासिक विकास पर एक निबन्ध लिखें।

औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार की स्थिति स्पष्ट करें।

6.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. दीन–ए–इलाही धर्म किस शासक ने घोषित किया था।

   क – औरंगजेब

   ख–हुमायूं

   ग–शाहजहां

   घ–अकबर

2. रामचरित मानस के रचयिता का नाम बताएँ।

क–सूरदास,

ख–तुलसीदास,

ग–कबीरदास,

घ – रामानन्द

3. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस सन् में पारित हुआ।

क– 1876,

ख–1877

ग–1878

घ–1979

4. 1877 में किस भारतीय विदेश मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण थां?

क– गुलजारी लाल नन्दा,

ख– इन्द्र कुमार गुजराल

ग– अटल बिहारी बाजपेयी

घ– यशवन्त सिन्हा

6.1.1.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1– घ

2– ख

3–ग

4–ग

इकाई 7 अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक(धार्मिक राजनैतिक, आर्थिक)

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

7.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर धार्मिक प्रभाव

7.3.1 विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य

7.3.2 धार्मिक संगठन

7.3.3 धार्मिक कट्टरता एवं सहिष्णुता

7.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर राजनैतिक प्रभाव

7.4.1 राजनीतिक संस्थाएं (सरकार)

7.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्थापन

7.4.3 राजनीतिक दल

7.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आर्थिक प्रभाव

7.5.1 औद्योगीकरण

7.5.2 प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का विकास

7.5.3 वैश्वीकरण

7.6 सारांश

7.7 शब्दावली

7.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

7.9 प्रश्नावली

7.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

7.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

7.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

7.9.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया अनेक रूपों में एवं अनेक स्तरों पर प्रभावित होती है। इस इकाई का उद्देश्य आपको अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले इन्हीं प्रभावों के बारे में समझाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

2. अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया धर्म से कैसे प्रभावित होती है।
3. राजनीति का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
4. आर्थिक शक्तियां अन्तर सांस्कृतिक संचार को कैसे प्रभावित करती हैं।

7.1 प्रस्तावना

आर्थिक, प्राविधिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की स्थितियों ने विभिन्न मानव–समूहों को अलग–अलग रूप से प्रभावित किया। एक ही समाज के अलग–अलग समूहों के विकास की गति में भी अन्तर पाया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह और छोटे–बड़े समुदाय आज भी विद्यमान हैं। नए सांस्कृतिक प्रतिमानों और कलारूपों को सहयोग और प्रतिस्पर्धा की स्थिति से निकलकर सह अस्तित्व की नई शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। इन सबके पीछे अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाली वे शक्तियाँ हैं जो संस्कृति के विकास के साथ ही अस्तित्व में आयीं और आज भी समाज में विद्यमान हैं। इन्हीं शक्तियों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में आप करेंगे।

7.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

अन्तर सांस्कृतिक संचार में संस्कृति की प्रधानता रहती है और संस्कृति में सामूहिकता की। विभिन्न मानव समाजों की सामाजिक आर्थिक संरचना में जिस मात्रा में जटिलता और विशेषीकरण के तथ्य आए उसी अनुपात में उनकी सामूहिक चेतना भी प्रभावित होती गई। नगरीकरण और औद्योगिकरण ने सामाजिक जीवन को नए आयाम दिए। इनके कारण समाज में स्तरीकरण बढ़ा और वर्ग भेद सशक्त रूप से प्रकट हुआ। शिक्षा और विज्ञान के विकास ने मानवीय चेतना का विस्तार किया। इसके कारण व्यक्ति की मानसिकता में भी परिवर्तन आया। समाज में नए मूल्यों का उदय हुआ। नयी जीवन–दृष्टियाँ स्वीकृति पाने लगीं। इस प्रकार समाज में एक छोटे प्रबुद्ध वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ और इस वर्ग तथा जन साधारण के बीच की दूरी बढ़ती गई। इस प्रबुद्ध वर्ग ने वैचारिक और राजनीतिक रूप से समाज को संचालित करना शुरू

कर दिया। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाला एक वर्ग बन गया जिसे हम राजनीतिक समूह भी कह सकते हैं। –

बदलते आर्थिक परिवेश में परिष्कृत कलाओं का विकास हुआ। इनमें से कुछ तो लोक कलाओं से उभरी थी और स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई थी। कलारूपों में विशेषज्ञता भी विकसित हई और कलाओं का व्यसायीकरण होने गा। इस प्रक्रिया में जहां एक ओर कला शैली की अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रभावित करने वाले कारक (धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक विशेषता रूढ़ हुई वहीं दूसरी ओर नए–नए प्रयोगों ने इन कलाओं को नए आयाम दिए। अलग से पहचानी जा सकने वाली कलाकारों की एक नयी श्रेणी का जन्म हुआ। धर्म और विश्वास की भूमिका में बदलाव आया और कलाओं पर उनका प्रभाव कम होने लगा। आर्थिक प्राविधिक क्रान्ति ने उत्पादन का स्वरूप तो बदला ही, साथ ही उत्पादन से जुड़े परम्परागत मूल्यों को अस्त–व्यस्त कर दिया। कला के सामान्य उत्पादन में अर्न्तनिहित सौन्दर्य चेतना क्षीण हुई और उपयोगितावाद ने उसके सृजनात्मक पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला द्य मनोरंजन के नए रूपों ने के जन्म लिया और जन माध्यमों के विकास ने सामूहिकता के स्वरूप को नया विस्तार दिया। कला रूपों और प्रकारों में संघर्ष और सह अस्तित्व की नयी प्रक्रियाएं आरम्भ हुई। अन्तर सांस्कृतिक संचार ने आदान–प्रदान द्वारा संस्कृतियों को नए तत्व दिए जिन्हें भिन्न मात्राओं और अलगअलग रूपों में आत्मसात किया गया।

आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास की स्थितियों ने विभिन्न मानव–समूहों को अलग–अलग मात्राओं में प्रभावित किया। एक ही समाज के अलगअलग समूहों और समुदायों के विकास की गति में भी भिन्नता पायी जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह और छोटे–बड़े समुदाय आज भी मिलते हैं। नए सांस्कृतिक प्रतिमानों और कलारूपों को सहयोग और प्रतिस्पर्धा की स्थिति से निकलकर सह–अस्तित्व की नयी शर्ते स्वीकार करनी पड़ी। सामूहिकता के ह्रास, विशेषीकरण के उदय और जीवन शैली के बदलते स्वरूपों ने संस्कृति के प्रकार्यों को ही बदल दिया। मनोरंजन के नए रूप विकसित हुए। शिक्षा की विषय वस्तु बदल गई और विशेषीकृत शैक्षिक संस्थाओं का जन्म हुआ। ज्ञान–विज्ञान के

सीमान्तों का विस्तार हुआ, जिसने आस्था और विश्वास का मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी। जीवन के प्रवाह को भी नई दिशा और गति मिली। नयी जीवन शैलियां विकसित होने लगी। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ने संस्कृतियों पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ा है किन्तु सांस्कृतिक चेतना अतीत के कुछ तत्वों को कम से कम संकेत चिन्हों के रूप में हो, पुर्नजीवित कर रही हैं। यह अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में पड़ने वाले बाह्य प्रभावों का ज्वलन्त उदाहरण है। ऐसे अनेक कारक हैं जो अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को आधुनिक भाषा में दबाव–समूह कहा जाता है। वैसे तो अनेक प्रकार के दबाव समूह अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हैं किन्तु उनमें राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारक प्रमुख हैं। नए सामाजिक उद्देश्य, नियोजित आर्थिक परिवर्तन की दिशा और उनसे सम्बद्ध राजनीतिक निर्णय अनिवार्य रूप से संस्कृति से प्रभावित होते हैं और संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। इन कारकों का क्रमवार विश्लेषण आगे किया गया है।

7.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर धार्मिक प्रभाव

संस्कृतियों का धर्म से प्रत्यक्ष और प्रगाढ़ सम्बन्ध होता है। संस्कृतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मूल रूप में हस्तान्तरित नहीं हो पाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी संस्कृति के हस्तान्तरण में अपने ज्ञान और अनुभव जोड़ती जाती है। इस प्रकार एक ऐसा समय आता है कि संस्कृति का मूल स्वरूप लुप्त हो जाता है। यहीं से संस्कृति के क्षेत्र में धार्मिक हस्तक्षेप आरम्भ होता है। धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार धार्मिक परम्पराओं और धार्मिक संस्कृति में तो परितर्वन हो जाता है। जबकि धर्म का मूल स्वरूप अपरिवर्तित ही रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कभी भी धर्म के स्वरूप में छेड़–छाड़ की जाती है तो धार्मिक नेताओं और अनुयायियों द्वारा इसका प्रबल विरोध आरम्भ हो जाता है।

7.3.1 विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य

धर्म की व्याख्या धार्मिक नियमों का प्रतिपादन धर्माचार्य करते हैं। हिन्दू धर्म में शंकराचार्य, मुस्लिम (इस्लाम) धर्म में मुफ्ती और मौलवी, इसाई धर्म में पोप और पादरी, बौद्ध धर्म में दलाई लामा आदि शीर्षस्थ

धर्माचार्य होते हैं। सभी धर्मों में आचार्य की व्यवस्था की गई है धर्म संबंधी किसी प्रकार के विवाद पर अपना अन्तिम निर्णय देते हैं और उस निर्णय को सम्बन्धित धार्मिक समुदाय के लोग बाध्यकारी रुप से मानते हैं। धर्म का स्वरूप कभी नहीं बदलता। विभिन्न धर्माचार्यों धर्म की व्याख्या भी अपने तरीके से की है किन्तु बावजूद इसके धर्म के मूल स्वरूप में परिवर्तन इन धर्माचार्यों को मान्य नहीं होता।

धर्माचार्य सभाओं के माध्यम से प्रवचन के द्वारा धर्म के स्वरूप को जनता में संचारित करते हैं। धार्मिक सभाओं में व्यवहार के कुछ निर्धारित मानदण्ड होते हैं जिनका पालन जनमानस के लिए अनिवार्य होता है। धार्मिक सभाओं में अधिक परिचित और अधिक आत्मीय प्रकार के व्र पर कुछ प्रतिबन्ध होते हैं। एक उच्चतर शक्ति की उपस्थिति की भावना भक्तों में अथवा धार्मिक व्यक्तियों में एक श्रद्धा की मनोवृत्ति उत्पन्न करती हैं जो उसके साथियों से उसके सम्बन्धों को सीमित करती है। पवित्र और लौकिक के बीच में अन्तर अनेक प्रकार के निषेधों को महत्वपूर्ण बना देता है। इसी क्रम में धार्मिक आनन्द के अतिरेक में कुछ क्षणों के लिए अन्य प्रकार के निषेधों को समाप्त भी कर देता है। ये मनोवृत्तियाँ विशेष प्रकार के धार्मिक उत्सवों और कर्मकाण्डों के अवसर पर व्यक्त होती हैं। प्रत्येक पवित्र अवसर इस प्रकार धर्माचार्यों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक मनाया जाता है। ये समारोह सामाजिक सम्पर्क के परिसीमन एवं दिशा निर्देशन के नियमित तथा निर्धारित पथ बना देते हैं। इस प्रकार विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा निर्धारित करते हैं एवं उसे प्रभावित करते हैं।

7.3.2 धार्मिक संगठन

विभिन्न धर्मों के कुछ अपने विशिष्ट संगठन होते हैं। धर्मों की शाखाएं–प्रशाखाएं भी होती हैं उनके भी संगठन होते हैं। ये सभी धार्मिक संगठन अपने धार्मिक रीति–रिवाजों को अपने विशेष ढंग से संचालित करते हैं। इनमें से कुछ संगठन राष्ट्रीय होते हैं जबकि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने संगठन के धार्मिक स्वरूप को विभिन्न देशों में मूल रूप से संचारित किया जाता है। उदाहरण के लिए इसाई धर्म के संगठन का एक निश्चित स्वरूप है जो अपने पूर्व

निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप इसाई धर्म का प्रचार–प्रसार करते हैं। इसी प्रकार हिन्दू धर्म का भी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है 'इस्कॉन'। इस संगठन के सदस्य विश्व में कहीं भी हों नियमित रूप से 'हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे' श्हरे रामा हरे रामा, रामा–रामा हरे हरे' का कीर्तन नाचते–गाते हुए सड़कों पर करते हैं। जहाँ पर यह कीर्तन होता है वहां का जन समूह भी इनके साथ जुड़ जाता है चाहे वह किसी भी संस्कृति का हो। ये सब कुछ ऐसे उदाहरण है जो धार्मिक संगठनों का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। धार्मिक संगठन अन्तर सांस्कृतिक संचार को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के कुछ संगठन श्जेहाद' के नाम पर आतंकवाद का सहारा लेते हैं। जबकि जेहद अपने आप में एक पवित्र अवधारणा है जिसका शाब्दिक अर्थ है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। कुछ तथाकथित धर्माचार्यों ने जेहाद शब्द का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ऐसे धार्मिक संगठन अन्तर सांस्कृतिक संचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

7.3.3 धार्मिक कट्टरता एवं सहिष्णुता

विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सभी के लक्ष्य एक ही हैं और वह है अपने धार्मिक नियमों के अनुरूप नैतिक जीवन यापन करते हुए ईश्वर का सन्निध्य प्राप्त करना। इस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धर्मों के पंथ निर्धारित हैं। इस निर्धारित पंथ का अतिक्रमण जब होता है तो धर्मों में संघर्ष अथवा विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। इस विरोध का समाधान जब आपसी सूझ–बूझ, तालमेल और सद्भाव के साथ होता है तो उसे धार्मिक सहिष्णुता कहा जाता है। वहीं जब इस विरोध का समाधान उन्मादी तरीके से संघर्ष के द्वारा जय–पराजय के साथ किया जाता है तो उस स्थिति को धार्मिक कट्टरता कहा जाता है।

जिस सत्ता या शक्ति की ओर धार्मिक प्रवृत्ति उन्मुख होती है उनको इन्द्रियों द्वारा सामान्य तरीकों से अथवा वैधानिक अन्वेषण की प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। संस्कृतियों के आपसी सम्पर्क में जब उदारता आती है तो धार्मिक सत्ता को अतिक्रमण की आशंका होने लगती हैं इसी क्रम में कट्टर धार्मिक मानसिकता वाले लोग सांस्कृतिक प्रवाह

और अन्तर सांस्कृतिक संचार की निरन्तरता को बाधित करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज इस कट्टर धार्मिक मानसिकता को उग्रवाद की संज्ञा देता है।

वर्तमान परिवेश में विश्व स्तर पर दो धर्म अपनी कट्टरता के कारण अन्तर सांस्कृतिक संचार को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इस्लाम धर्म अपने को सर्वव्यापी बनाने के लिए हर उचित अनुचित मार्ग का सहारा लेता है वहीं ईसाई धर्म भी इससे पीछे नहीं है। एक धन बल का सहारा लेकर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो दूसरा शस्त्र बल से इसे पाना चाहता है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या करते हुए ये दोनों ही धार्मिक संस्कृति के निर्विरोध प्रचार–प्रसार में अवरोधक का कार्य करते हैं और अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हैं। हिन्दू और बौद्ध धर्म धार्मिक साहिष्णुता का सहारा लेकर अन्तर सांस्कृतिक संचार को गतिशील बनाते हैं और परोक्ष रूप में इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

7.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर राजनीतिक प्रभाव

संस्कृति और राजनीति के अन्तर्सम्बन्धों पर लम्बे समय से विचार मंथन चल रहा है। विचारकों का एक सशक्त और मुखर वर्ग संस्कृति की स्वतन्त्रता का समर्थक है। उसे संस्कृति के क्षेत्र में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। विचारकों का एक दूसरा वर्ग है जो संस्कृति के सम्बन्ध में विचार करते समय उन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को और शक्तियों को भी ध्यान में रखता है जिनके द्वारा अन्ततः संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता है। इस प्रकार राजनीतिक निर्णय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते ही रहते हैं। यह विचारधारा संस्कृति के क्षेत्र में सार्थक राजनीतिक हस्तक्षेप को ऐतिहासिक अनिवार्यता मानता है। विचारकों का एक अन्य वर्ग ऐसा भी है जो न तो संस्कृति की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं और न ही राजनीति के निरंकुश हस्तक्षेप के अधिकार को। संस्कृति स्वयं पूर्ण और स्वतन्त्र इकाई नहीं होती। मानवीय आवश्यकताओं के दबाव इसके स्वरूप को परिवर्तित करते रहते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन संस्कृति के स्वरूप को नए मोड़ देते हैं। उसके लक्ष्यों और साधनों को पुनः परिभाषित करते हैं।

संस्कृति की अन्तः प्रक्रियाएं इन परिवर्तनों के मूल में रहती हैं। राजनीतिक निर्णय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संस्कृति की दिशा निर्धारित करते हैं। राजनीति का संस्कृति में निरंकुश हस्तक्षेप दीर्घावधि में घातक हो सकता है। इस सन्दर्भ में आदर्श स्थिति तो वह होगी कि सत्ता और वृत्ति मूलक समूहों में निरन्तर संवाद हो और राजनीति स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र का परिसीमन करे। अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव को हम निम्नलिखित तीन रूपों में देख सकते हैं।

7.4.1 राजनीतिक संस्थाएं (सरकार)

संस्कृति के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में निरन्तर होता रहता है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और नियन्त्रण में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकार के अनेक निर्णय और उससे जुड़ी नीतियां उस धरातल का स्पर्श नहीं करते जो संस्कृति की परिसीमित व्याख्या के क्षेत्र में आती हैं किन्तु ये भी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा एक स्वतन्त्र और स्वायत्तशासी क्षेत्र माना जाता है परन्तु संस्कृति से उसका गहरा सम्बन्ध होता है। शिक्षा नए जीवन मूल्य देती है, नयी क्षमताएं देती हैं और परम्परा के कई पक्षों के पुनर्परीक्षण की प्रेरणा बनती है। शिक्षा का स्वरूप अतीत, वर्तमान और भविष्य के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करता है। आज के समाज में शिक्षा को सरकार का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व माना जाता है।

जन संचार के साधन सत्ता से अपने समीकरण स्थापित करते हैं। उनमें और सरकार में टकराव की स्थितियाँ आती हैं परन्तु उनमें निरन्तर युद्ध नहीं होता। रेडियो और टी०वी० जैसे माध्यमों का कई देशों में सरकार से सीधा सरोकार होता है। तीसरी दुनिया और समाजवादी देशों में तो इनका संचालन ही सरकार द्वारा होता है। यदि ऐसा न भी हो तो उनकी नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार का कुछ न कुछ नियन्त्रण होता ही है। जो माध्यम सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में हैं उनकी स्थिति और भी स्पष्ट है। सरकार उनके कार्यों में हस्तक्षेप करती है और माध्यम अन्तर सांस्कृतिक संचार में हस्तक्षेप करते हैं।

जनसंचार के तीन मुख्य कार्य हैं, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन द्य

ये तीनों संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कालान्तर में ये माध्यम संस्कृति के प्रभावी अंग बन जाते हैं और परम्परा तथा समाज के बीच मध्यस्थता करते हैं। अनेक परिस्थितियों में सांस्कृतिक सम्पदा की रक्षा का दायित्व सरकार को स्वीकार करना होता है। इन सम्पत्तियों का सर्वेक्षण और संरक्षण व्यय और काष्ट साध्य होता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण और प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का रख–रखाव निजी उपक्रमों द्वारा सम्भव नहीं होता। दुर्लभ और विनष्ट होते कला रूपों के संरक्षण में भी सरकारों की महत्वपूर्ण भमिका होती है।

संस्कृति की अनेक श्रेष्ठ उपलब्धियाँ सरकारों के संरक्षण के कारण ही सम्भव हुई है। उदाहरण के रूप में योरोप के चर्च और भारत के मन्दिरों को देखा जा सकता है। दोनों को ही राज्य (सरकार) का समर्थन प्राप्त था। इस्लामी संस्कृति के उत्कृष्ट सर्जन में भी धर्म और सत्ता का सहयोग था। जैन और बौद्ध स्थापत्य कला और चित्रकला पृष्ठभूमि में भी यही शक्ति थी। वर्तमान बदले परिवेश में सरकारों की भूमिका गौण नहीं हुई है। इस प्रकार सरकारें जाने–अनजाने अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। हुए

7.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थापन

अन्तर सांस्कृतिक संचार को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित करती हैं। विभिन्न देशों में अपने सांस्कृतिक मंत्रालय होते हैं। ये एक दूसरे से सांस्कृतिक आदान–प्रदान की व्यवस्था करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हज यात्रा के लिए प्रोत्साहन और कैलाश मानसरोवर यात्रा की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। विभिन्न देश सांस्कृतिक आदान–प्रदान की सन्धि के द्वारा गीत–संगीत, लोक संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम दूसरे देशों में आयोजित करते हैं। देशों के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी इस दिशा में क्रियाशील रहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षेस, कॉमनवेल्थ, जी– 77, योरोपीय संघ, आसियान, जी–8, आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कांग्रेस, वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज, यूनेस्को आदि ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक होते हुए भी अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में सतत् क्रियाशील रहते हैं।

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त

द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर विभिन्न राष्ट्र आपस में सांस्कृतिक आदान–प्रदान करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, सांस्कृतिक एवं संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन आदि ऐसे कार्य हैं जो अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थापन के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं।

7.4.3 राजनीतिक दल

विश्व के अधिकांश देशों में आज लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सरकार का गठन आम चुनाव के द्वारा होता है। इस चुनाव में अनेक राजनीतिक दल भाग लेते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा पहचान होती है। अपनी इन्हीं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के बल पर वे चुनाव में भाग लेते हैं, विजयी होने पर सरकार का गठन करते हैं और तब अन्तर सांस्कृतिक संचार की गति और दिशा निर्धारित करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने विचारों और आदर्शों के अनुसार अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करते हैं अथवा विरोध करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल अन्तर सांस्कृतिक संचार को सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभावित करते हैं।

7.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आर्थिक प्रभाव –

अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने में आर्थिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक रूप से सम्पन्न संस्कृतियां, अपने आर्थिक संसाधनों का सहारा लेकर, अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार–प्रसार करती हैं। अपेक्षाकृत विपन्न संस्कृति का प्रभाव क्षेत्र सीमित हो जाता है। विभिन्न देशों में सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यक्रम भी एक प्रकार से संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप होते हैं। विकास की योजनाएं समाज के आर्थिक आधार को बदलती हैं और नागरिकों की संस्कृति के उपयोग की क्षमता और उसकी प्रक्रियाओं में सहभागिता की संभावनाओं को विस्तार देती हैं। जब गरीबी की संस्कृति बदलती है तो पूरी संस्कृति का ढांचा बदल जाता है। युवा पीढ़ी के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्तरीकरण में राज्य की आर्थिक नीतियों द्वारा लाए गए

परिवर्तनों के सांस्कृतिक परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं।

विभिन्न संस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण भी अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करता है। इस प्रकार की सम्पदा का संरक्षण काफी व्यय साध्य होता है। कभी–कभी तो समस्या इतनी गम्भीर और खर्चीली होती है कि ऐसे प्रयत्नों में अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता अनिवार्य हो जाती है। इस प्रकार से इतना तो स्पष्ट है कि सांस्कृतिक संरक्षण, सम्वर्धन और विकास में अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थ की व्यवस्था करने वाली संस्था या व्यक्ति अथवा राज्य सांस्कृतिक संचार को निश्चित रूप से अपने हित साधन में लगा सकते हैं और इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रमाणित कर सकते हैं।

वर्तमान परिवेश में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं– 1– औद्योगीकरण, 2– प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का विकास, 3 – वैश्वीकरण।

7.5.1 औद्योगीकरण

तीव्र औद्योगिक विकास आज राज्यों की अनिवार्य आवश्यकता है। औद्योगिक विकास ने पारम्परिक सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन कर दिया है। पारम्परिक ग्रामीण संस्कृति का लोप और आधुनिक नगरीय संस्कृति का विकास तीव्र गति से हो रहा है। रोजगार की तलाश में ग्रामीणों का नगरों की ओर पलायन हो रहा है। अनेक प्राचीन पारम्परिक संस्कृति की मान्यताओं को भूल कर लोग संस्कृति के नए स्वरूप को अपनाते जा रहे हैं। उद्योगों का जाल पूरे देश में फैलने से पारम्परिक कृ षि संस्कृति प्रभावित हुई। औद्योगिक विकास ने मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया। जीवन की नई शैली विकसित हुई। आर्थिक समृद्धि ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक सोच में परिवर्तन किया। नए सांस्कृतिक परिवेश और मूल्यों का उदय हुआ। रोजगार से आयी समृद्धि ने मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया। इस विकास ने मानव वैचारिकी को एकदम से बदल दिया। जब वैचारिकी में परिवर्तन होगा तो संचार की दिशा भी परिवर्तित होगी और उसी के अनुसार अन्तर

सांस्कृतिक संचार भी प्रभावित होगा। अतः औद्योगीकरण ने निश्चित रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित किया है।

7.5.2 प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का विकास

आधुनिक युग संचार क्रान्ति का युग है। उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी और परिष्कृत संचार तकनीक ने विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। पलक झपकते ही किसी सूचना का संचार सम्पूर्ण विश्व में हो जाता है। सूचनाओं के प्रवाह में अब समय और दूरी की कोई बाधा नहीं रह गयी है।

विभिन्न संस्कृतियाँ अन्तर सांस्कृतिक संचार को निरन्तर प्रवाह के लिए पत्र–पत्रिकाएं, रेडियो, एफ0एम0 रेडियो, टी० वी० और टी० वी० चौनल, इण्टरनेट आदि माध्यमों का उपयोग करती हैं। इन जन माध्यमों का उपयोग काफी व्यय साध्य होता है। इसके सफल संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस धन की व्यवस्था कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा, समूह द्वारा या संस्था व्यक्ति विशेष द्वारा, समूह द्वारा या संस्था द्वारा की जाती है। धन की व्यवस्था करने के कारण उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का प्रभुत्व इन माध्यमों पर हो जाता है और वे अपनी इच्छानुसार इन माध्यमों का संचालन करते हैं। अपनी मर्जी से अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा तय करते हैं। यह आर्थिक समूह, संचालक, प्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक संचार और परोक्ष रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करता है। संस्कृतियां चाहते हुए भी इनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाती तथा उन प्रभाव समूहों के अनुरूप ही अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तथा दिशा निर्धारित करती हैं।

7.5.3 वैश्वीकरण

वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था ने सम्पूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप दे दिया है। इस व्यवस्था में संस्कृतियाँ भी एक उत्पाद के रूप में आ गयी हैं। संचार माध्यम संस्कृति के उत्पादक बन गए हैं। मनुष्य केवल उपभोक्ता बन कर रह गया है। अर्थ केन्द्रित वैश्वीकरण ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया है जिसे उपभोक्तावादी संस्कृति कहा जाता है। मनुष्य अब

उपभोग की वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करने लगा है। ऐसी स्थिति में सम्पन्न राष्ट्र अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार–प्रसार करने लगे हैं और मीडिया ने संस्कृतियों को मिश्रित करके एक नई संस्कृति का आविष्कार कर लिया जिसे फ्यूजन संस्कृति कहा जाने लगा। कमजोर आर्थिक क्षमता वाले राष्ट्रों का अपनी संस्कृति के लोप होने का डर सताने लगा और ये अपनी संस्कृति के प्रति और भी कठोर रवैया अपनाने लगे। इस प्रकार एक बार पुनः संस्कृतियों के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह सब केवल आर्थिक वैश्वीकरण के कारण ही है। इस प्रकार वर्तमान अर्थ केन्द्रित वैश्वीकरण ने अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हुए इसकी गति और दिशा में व्यापक परिवर्तन किए हैं।

7.6 सारांश

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संस्कृति का सम्बन्ध भी मनुष्य से है। आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं भी मनुष्य द्वारा ही संचालित होती हैं। अतः अन्तर सांस्कृतिक संचार पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस इकाई में आपने जाना कि कैसे अन्तर सांस्कृतिक संचार धर्म, राजनीतिक और अर्थ से प्रभावित होते हैं। अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारकों में से धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक और आर्थिक कारकों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में आपने किया।

7.7 शब्दावली

प्रादुर्भाव–	– उत्पन्न होना
अन्तर्निहित	– शामिल होना, मिला होना, अन्दर के छुपे तथ्य
सृजनात्मक	– सृजन (रचना) करने से सम्बंधित
सीमान्त	– सीमा का अन्त
अतिक्रमण	– हस्तक्षेप

7.8 सन्दर्भ ग्रन्थ–

1– संस्कृति के चार अध्याय – – रामधारी सिंह दिनकर

2– सर्व दर्शन संग्रह सीमान्त प्रो० उमाशंकर शर्मा

3– भारत की संस्कृति और कला राधाकमल मुखर्जी

4– अन्तसांस्कृतिक संचार डॉ. मुक्तिनाथ झा

5– जनसंचार राधेश्याम श

ार्मा

6– सम्पूर्ण पत्रकारिता डॉ० अर्जुन तिवारी

3.9 प्रश्नावली

7.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करें?
2. राजनीतिक दल अन्तर सांस्कृतिक संचार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
3. वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

7.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले धार्मिक कारकों की समीक्षा कीजिए।
2. अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारकों का मूल्यांकन करें।
3. अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन–कौन से हैं? स्पष्ट करें।

7.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किस धर्म के धर्म गुरू को पोप कहा जाता है ?

   क–यहूदी,

   ख–इस्लाम,

   ग– पारसी,

घ–इसाई

2. बौद्ध धर्म गुरू को किस नाम से जानते हैं।

क– शंकराचार्य,

ख– दलाईलामा,

ग– मौलवी,

घ– इनमें से कोई नहीं

3. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'इस्कॉन' का सम्बन्ध किस धर्म से है।

क–हिन्दू,

ख–इसाई,

ग–इस्लाम,

घ–जैन

7.9.1 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1– घ

2– ख

3– क

इकाई 08— विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति

इकाई की रूप रेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार

8.3 आर्थिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

8.4 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

8.5 अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता का दुष्प्रभाव

8.5.1 अन्तर सांस्कृतिक विवाद

8.5.2 पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट

8.5.3 पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव

8.5.4 आतंकवाद का क्षेत्र विस्तार

8.6 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाएं

8.6.1 संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग

8.6.2 अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन

8.6.3 क्षेत्रीय सांस्कृतिक संगठन

8.6.4 सांस्कृतिक सहयोग परिषदें

8.7 सारांश

8.8 शब्दावली

8.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

8.10 प्रश्नावली

8.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

8.10.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

8.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

8.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

- पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से समझाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप

- आर्थिक साम्राज्यवाद का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कर सकेंगे।
- अन्त सांस्कृतिक संचार के माध्यम से किस प्रकार सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना की जा सकती है, जान सकेंगे।
- अन्तर सांस्कृतिक संचार में संचार रिक्तता (संवाद हीनता) के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, जान जाएंगे।
- वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं के बारे में जान सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

वर्तमान विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे संस्कृति का संक्रमण काल कहा जा सकता है। तमाम पुराने पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों का लोप हो रहा है। नवीन संस्कृतियाँ और उनके मूल्य विस्तार पा रही हैं। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आर्थिक शक्ति मानव जीवन की नियामक शक्ति बन गई है। जीवन के हर क्षेत्र में अर्थ का प्रभुत्व बढ़ गया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को संवेदनहीन बना दिया है। तमाम तरह के सांस्कृतिक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और उत्पन्न किए जा रहे हैं। ऐसे में अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्ता स्वयं बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों का अध्ययन हम पाठ्यक्रम की इस इकाई में करेंगे।

8.2 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार

वर्तमान विश्व संचार और सूचना क्रान्ति से सर्वाधिक प्रभावित है। मनुष्य के सामाजिक जीवन में संचार एक आवश्यक प्रक्रिया है। मनुष्यों को गुमराह करने एवं पथ प्रदर्शित करने, सम्मोहन एवं अनुसरण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेस, रेडियो, टी०वी०, सिनेमा, कम्प्यूटर आदि संसार के तकनीकी परिवर्तनों ने संचार क्षमता में विशेष वृद्धि कर सामूहिक व्यवहार के क्षेत्र में नवीन समस्याएं तथा नवीन सम्भावनाएं प्रस्तुत की हैं। संचार साधनों ने आडिएन्स के आकार का विस्तार किया है। आज एक व्यक्ति परिष्कृत संचार साधनों का प्रयोग करके अपनी बात लाखों–करोड़ों तक पहुँचा सकता है।

आधुनिक मानव की विपल बुद्धि तथा संचार के उन्नत साधनों द्वारा उन तक सुगमता से पहुँचना समाज विज्ञान वेत्ताओं के लिए एक रोचक विषय बन गया है। मानवी सम्पर्क के अवरोधों को ध्वस्त कर संचार माध्यम ज्ञान तथा सांस्कृतिक उत्तेजना और चेतना की सीमा के भीतर अधिकतम संख्या में लोगों को उपस्थित करने लगे हैं। अब तक संचार माध्यम सामाजिक शिक्षा के पथ प्रशस्त करती रही है। वर्तमान विश्व में यह प्रचारवादी के रूप में स्थापित हो रही है और विशिष्ट विचार के विक्रेता के रूप में अपने संचालकों का एक हथियार बन गई हैं। जन माध्यमों की अपनी प्रकृति तथा अत्यधिक सीमित जन सहभागिता के कारण इस प्रकार के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं।

वर्तमान विश्व में जन माध्यमों ने एक नए प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक समूह उत्पन्न किया है। यह सामाजिक सांस्कृतिक समूह आधुनिक समुदाय के सभी सदस्यों से निर्मित है जिन तक आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। वर्तमान विश्व में जन माध्यमों का महत्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। प्रचारवादी प्रणालियों की बढ़ती हुई महत्ता की स्थिति यह है कि अब प्रशासनिक अभिकरणों, व्यापारिक संगठनों, स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में इस क्षेत्र में काम करने के लिए समाज वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ तथा संचार विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। इन विशेषज्ञों ने आडिएन्स निर्माण के विश्लेषण, श्रोतागण अनुक्रियाओं का अध्ययन तथा विविध प्रकार के संचार के विश्लेषण का कार्य आरम्भ कर दिया है।

वर्तमान विश्व ने जिस मानव समाज की संरचना की है वह बहु समूही तथा अनेक मानकों वाला समाज है। इसमें वर्ण, जाति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन विद्यमान है। इनमें प्रायः सांस्कृतिक संघर्ष चलते रहते हैं। इन संघर्षों के समाधान में आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा किया जाने वाला अन्तर सांस्कृतिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में जन माध्यम एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में क्रियाशील है जिनके माध्यम से अन्तर–सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सफलतापूर्वक गतिशील रहती है ।

वर्तमान विश्व की आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि

बिना अन्तर सांस्कृतिक संचार के इनमें सामन्जस्य बना पाना कठिन होता है। एक ओर आर्थिक रूप से सम्पन्न योरोपीय राष्ट्र हैं जो अपने उत्पादों को विश्व व्यापी बनाने के क्रम में लगे हैं। दूसरी ओर विकाशील राष्ट्रों का ऐसा समूह है जो विकसित राष्ट्रों से आर्थिक, वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। इसी क्रम में कुछ अविकसित राष्ट्र भी हैं जो अपनी विपत्र आर्थिक स्थिति के कारण अन्य राष्ट्रों से समझौता करने को बाध्य होते हैं परन्तु अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति ज्यादा कठोर और जागरूक भी रहते हैं। इस प्रकार इन समूहों में कभी भी विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने पाए इसके लिए इन राष्ट्रीय समूहों में अन्तर सांस्कृतिक संचार आवश्यक हो जाता है। समय, दूरी, भौगोलिक सीमा ये सब अब संचार साधनों के लिए बेमानी हो गये हैं। संचार माध्यमों की सर्व व्यापकता ने आज के वैश्विक परिवेश को एकदम बदल दिया है। इस बदलते परिवेश में मानव–मानव के बीच सहयोग की भावना का विकास हुआ है। इस भावनात्मक विकास को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्ता स्वयं सिद्ध है ।

8.3 आर्थिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

आर्थिक साम्राज्यवाद आधुनिक विश्व की एक प्रमुख घटना है। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनेक नए–नए राष्ट्रों का उदय हुआ। आर्थिक और व्यापारिक रूप से समृद्ध देशों को इन राष्ट्रों के रूप में एक नया बाजार प्राप्त हो गया और वे अपने व्यापार वृद्धि के मार्ग तलाशने लगे। 1990 के दशक में इन सम्पन्न राष्ट्रों के सौजन्य से पूरे विश्व में व्यापार की एक समान प्रक्रिया अपनायी गई जिसे मुक्त बाजार व्यवस्था का नाम दिया गया। इस मुक्त बाजार व्यवस्था में सम्पन्न राष्ट्रों के उत्पाद गुणवत्ता में श्रेष्ठ होने के कारण और अपेक्षाकृत कम कीमत के कारण विश्व में लोकप्रिय होते गए और एक प्रकार से विश्व बाजार पर सम्पन्न राष्ट्रों का नियन्त्रण हो गया। आर्थिक उदारीकरण एवं मुक्त बाजार व्यवस्था के तहत विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा क्योंकि अब ये सहजता से उपलब्ध होने लगीं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लेकर बड़े–बड़े उत्पादों तक सब पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा हो गया और उनका व्यापार दिन दूना–रात चौगुना की गति से

बढ़ने लगा। विकाशील राष्ट्रों ने यद्यपि इनसे प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया फिर भी अभी तक वे इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके हैं। इसका मुख्य कारण वे है कि इन राष्ट्रों के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। आर्थिक सहायता देने वाली वैश्विक संस्थाओं पर सम्पन्न राष्ट्रों का परोक्ष नियन्त्रण होता है और उनकी शर्तों पर ही किसी राष्ट्र को आर्थिक सहायता दी जाती है। विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्रों के अंशदान से ही संचालित होती हैं। सम्पन्न राष्ट्रों का अंशदान इन संस्थाओं में ज्यादा होता है इसलिए इसके संचालन में भी उनका नियन्त्रण रहता है। ऐसी स्थिति में लगभग विश्व भर की वित्तीय व्यवस्था के संचालन पर इनका प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक संसाधन में कमजोर रहने वाले कुछ राष्ट्र मानव श्रम एवं बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए आवश्यक मानव श्रम और बौद्धिक सम्पदा उच्चतम पारिश्रमिक देकर सम्पन्न राष्ट्र इसे क्रय कर लेते हैं और इस क्षेत्र में भी इनकी भूमिका को महत्वहीन बना देते हैं। इस प्रकार से सम्पन्न आधुनिक विश्व में एक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं जिसमें संघर्ष और विरोध का कोई स्थान नहीं होता। सब कुछ अर्थ केन्द्रित होता है। धन की आवश्यकता सभी को होती है और धन के आवश्यकता की पूर्ति उन राष्ट्रों के शर्तों के अनुरूप होती है जो धन उपलब्ध करातें हैं। इस प्रकार एक नए प्रकार का साम्प्रज्यवाद अस्तित्व में आया जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाने लगा।

इस आर्थिक साम्राज्यवाद के स्थायित्व के लिए साम्राज्यवादी शक्तियां अन्तर सांस्कृतिक संचार का सहारा लेती हैं। अपनी आर्थिक संस्कृति का प्रचार–प्रसार करके जनमानस का ध्यान आकर्षित करती हैं। उन्हें प्रभावित करती हैं। अपनी संस्कृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाने को प्रेरित करती है और इस प्रकार अपने आर्थिक साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और प्रसार में अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक साधन के रूप में प्रयोग करती हैं।

8.4 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

आधुनिक विश्व में आर्थिक साम्राज्यवाद की ही तरह सांस्कृतिक

साम्राज्यवाद का भी खतरा मंडराने लगा है। पाश्चात्य संस्कृति के नायक पश्चिमी राष्ट्र संयुक्त रूप से पूरी दुनिया पर अपनी सांस्कृतिक सत्ता कायम करने के क्रम में हर गलत–सही तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान युद्ध और खाड़ी युद्ध (द्वितीय) में यह स्थिति देखने को मिली। इन दोनों स्थानों पर विश्व भर के मीडिया कर्मी जुटे थे। परन्तु पश्चिमी राष्ट्रों के सैन्य कर्मी उन्हीं समाचारों को प्रसारित करने देते थे जो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुकूल होता था। इस प्रकार एक तरह से उन्होंने विश्व भर की मीडिया को नियन्त्रित कर रखा था। यह नियन्त्रण उन्होंने अपनी संस्कृति के दमनकारी स्वरूप को छिपाने के लिए लगा रखा था। पूरी दुनिया युद्ध के उन्हीं दृश्यों से परिचित होती थी जिनसे उनकी सांस्कृतिक कुरूपता के स्थान पर यह परिलक्षित हो कि वे मानव समाज के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अपनी उन्नत तकनीकी और परिष्कृत संचार माध्यमों के बल पर पश्चिमी संस्कृति के संवाहक राष्ट्र पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रचार–प्रसार करने लगे। यह सब अचानक इतनी तेजी से हुआ कि शेष संस्कृतियाँ इनका प्रतिकार नहीं कर सकीं और इस प्रकार इनका सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित होता चला गया। एकाकी परिवार, उन्मुक्त शारीरिक सम्बन्ध, समलैंगिक विवाह आदि सांस्कृतिक कुरीतियाँ इतनी व्यापक हो गयीं कि शेष संस्कृतियों के लोग भी इसके प्रभाव में आ गए। संस्कृति के पारम्परिक मूल्य नष्ट होने लगे। नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना होने लगी। समाज के एक प्रभावशाली वर्ग ने इसे नव संस्कृति के रूप में स्वीकार कर लिया। यह सब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का परिचायक है।

अन्तर सांस्कृतिक संचार के द्वारा संस्कृति का प्रचार–प्रसार तीव्रगति से हो रहा है। अब हिन्दू बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुस्लिम बच्चे मदरसों में गीता और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ऐसा अचानक नहीं हुआ बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते साम्राज्य को रोकने का एक सत्प्रयास है। इसी सांस्कृतिक घटना से प्रेरित होकर ब्रिटेन में यह निर्णय लिया गया है कि सेकेण्डरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खासकर मुसलमान बच्चों को ब्रिटिश संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। यह विभिन्न

संस्कृतियों को एक दूसरे से मिलाने, परिचित कराने एवं एक दूसरे को जानने का एक अच्छा प्रयास है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की यह एक बड़ी विशेषता है कि वह किसी भी संस्कृति को साम्राज्य विस्तार करने से रोकती है।

8.5 अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता का दुष्प्रभाव

संवादहीनता किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक होती है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में तो संवादहीनता के और भी घातक परिणाम होते हैं। संक्षेप में अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता के दुष्प्रभावों को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं–

8.5.1 अन्तर सांस्कृतिक विवाद

सामाजिक जीवन में संचार एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। समाज की संस्कृति को पुष्ट करने मे अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में आती हैं तभी अन्तर सांस्कृतिक विवाद उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण ही संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आरम्भ होती है और संस्कृतियाँ परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। पर संस्कृतिकरण में एक सांस्कृतिक समूह दूसरी संस्कृति के बहुत से तत्वों को ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों में सम्पर्क के कारणं पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हुई जिससे दोनों ही संस्कृतियों नें परस्पर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और ग्रहण किया। व्यक्तियों का निकट और निरन्तर सम्पर्क सास्कृतिक सम्पर्क को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार विदेश जाकर रहने तथा विजेता द्वारा पराजित लोगों पर अपनी संस्कृति थोपने पर भी सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ता है। यही सांस्कृतिक सम्पर्क कालान्तर में अन्तर सांस्कृतिक विवाद को जन्म देता है।

अन्तर सांस्कृतिक विवाद में व्यक्ति प्रभावित होता है। उसे नवीन संस्कृति से अनुकूलन करना पड़ता है। इस दौरान उसे तमाम तरह की मानसिक प्रताड़ना मिलती रहती है। व्यक्ति पहले से ही किसी संस्कृति विशेष के अनुरूप ढल चुके होते हैं। अपने मूल्य तथा जीवन विधियां तय

कर चुके होते हैं। नवीन संस्कृति का अनुसरण उनके लिए मानसिक तनाव का कारण होता है। यहीं से सांस्कृतिक विवाद का आरम्भ होता है। एक संस्कृति की अपेक्षा दूसरी संस्कृति को श्रेष्ठ बताना अन्तर सांस्कृतिक विवाद का कारण बनता है। कभी–कभी राष्ट्रीय हित और राजनीति भी अन्तर सांस्कृतिक विवाद को जन्म देते हैं।

संचार के मूलभूत उद्देश्यों में से एक है शिक्षा संचार माध्यमों के द्वारा संस्कृति के गुणों के बारे में प्रचारित करके, उसके आदर्शों का प्रचार करके जन मानस में पर–संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की जा सकती हैं। संचार माध्यमों के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक विवाद की जड़ पर प्रहार करके उसे समाप्त किया जा सकता है। सूचना देना संचार का लक्ष्य होता है। अतः अन्तर सांस्कृतिक विवाद के दुष्परिणामों के बारे में जनमानस को सूचित करके विवाद को दूर किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर सांस्कृतिक विवाद को हल करने, ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने और अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना जगाने में अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

8.5.2 पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट

प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ निश्चित मूल्य एवं आदर्श होते हैं। पीढ़ी–दर–पीढ़ी उनका हस्तान्तरण होता रहता है। आने वाली पीढ़ी उन मूल्यों एवं आदर्शों का उसी प्रकार सम्मान करती हैं जिस प्रकार उनके पूर्वज किया करते थे। अन्तर–सांस्कृतिक संचार मे मनुष्य को दूसरी संस्कृतियों के मूल्यों और आदर्शों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर में जब मनुष्य को दूसरी संस्कृति में कम परिश्रम से ज्यादा भौतिक सुख मिलने की सम्भावना नजर आती है तो वह अपनी संस्कृति के पारम्परिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति अनासक्त हो जाता है और उन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करता है जो अपेक्षाकृत नवीन होते हैं। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता की स्थिति में पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आने लगती है।

8.5.3 पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव

वर्तमान विश्व में आधुनिक पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। संगीत, कला, शिल्प आदि विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्लैमर के बढ़ते प्रभाव ने युवा पीढ़ी को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आज की युवा पीढ़ी 'शार्टकट' तरीके से धन, यश और प्रसिद्धि की आकांक्षी है। बिना परिश्रम के सब कुछ पाने की ललक युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेजी से आकर्षित कर रही हैं। संचार उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता ने युवाओं को पश्चिम की ओर देखने को मजबूर कर दिया है। संचार उपकरणों की आमद पश्चिम से ही ज्यादा हो रही है। इसी प्रकार परिष्कृत संचार उपकरणों के द्वारा पश्चिमी राष्ट्र अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कर रहे हैं। उनकी समृद्धि की ओर शेष विश्व के युवा वर्ग तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के इस व्यापक प्रभाव का एक प्रमुख कारण अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता भी है। अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता के कारण ही शेष संस्कृति प्रचार–प्रसार की दौड़ में पाश्चात्य संस्कृति से पीछे हैं। यही कारण है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार तेजी से विश्व व्यापी स्तर पर हो रहा है ।

8.5.4 आतंकवाद का क्षेत्र विस्तार

अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता का एक प्रमुख दुष्परिणाम है आतंकवाद का क्षेत्र विस्तार आज विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आतंकवाद से संघर्ष कर रहे हैं। भारत में खालिस्तान समर्थक आतंकवाद, कश्मीर का आतंकवाद, आसाम एवं पूर्वोत्तर सीमाप्रान्त का आतंकवाद, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत में नक्सलवाद, श्रीलंका में लिट्टे, रूस में चेचेन विद्रोही, तथा शेष विश्व में इस्लामी आतंकवाद। इस प्रकार विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आज आतंकवाद से त्रस्त हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आतंकवाद की कोई संस्कृति नहीं होती। विध्वंस और विनाश के समर्थक ये आतंकवादी कभी भी मानवता के पक्षधर नहीं हो सकते अपनी आतंकवादी संस्कृति का बल पूर्वक विस्तार करना इनका परम लक्ष्य है। हमारे ही बीच हमारी ही संस्कृति का सहारा लेकर ये आतंकवादी अपनी हिंसा की संस्कृति का व्यापक प्रसार कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के

संरक्षण में पलने वाले इस आतंकवाद ने जब अपने संरक्षक पर ही प्रहार किया तो पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी संस्कृति की रक्षा के आड़ में आतंकवाद को कथित रूप से समाप्त करने के लिए ईराक और अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने अपने सैन्य बल से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। किन्तु उनकी इस कार्यवाही के विरोध स्वरूप जो आतंकवादी एक निश्चित क्षेत्र में सिमटे हुए थे वे अब अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से छोटे–छोटे समूहों में सारे विश्व में फैल गए। इस प्रकार आतंकवादी संस्कृति का क्षेत्र विस्तार हो गया और इस सबके मूल में है केवल अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता। इस पर सार्थक और प्रभावी नियन्त्रण केवल अन्तर सांस्कृतिक संचार के द्वारा ही सम्भव है ।

8.6 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहन करने वाली संस्थाएं

द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए सम्पूर्ण विश्व ने मानवता के कल्याण के लिए विश्व शान्ति की आवश्यकता स्वीकार की। विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग ने तमाम विचार मंथन के बाद यह स्वीकार किया कि यदि विश्व को युद्ध और विनाश से बचाना है तो धर्म और संस्कृति का प्रचार–प्रसार आवश्यक है। विश्व में जितनी भी धार्मिक संस्कृतियाँ प्रचलित हैं उनके सामान्य मानवीय पक्ष को प्रचारित करके ही विश्व बन्धुत्व की भावना का प्रसार किया जा सकता है। इसके लिए लगभग सभी देशों ने अपने देश में सांस्कृतिक उन्नयन का कार्य आरम्भ किया इस कार्य में विकसित देश अपने उन्नत संसाधनों के बल पर अग्रणी हो गए और अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को विश्व जनमत पर थोपने लगे इस निराशाजनक स्थिति से निजात पाने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना महसूस की गई जो विश्व की तमाम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करते हुए उनके संरक्षण और संवर्धन का कार्य सफलता पूर्वक कर सके। अन्तर सांस्कृतिक संचार को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित करने वाली कुछ विशिष्ट संस्थाएं इस प्रकार से है–

8.6.1 संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग

द्वितीय विश्व के बाद पूरे विश्व में शान्ति और सद्भाव कायम

करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र के सामने विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक असमानता को दूर करने का एक महान् लक्ष्य था। इन सबके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपनी देख–रेख में अनेक संस्थाओं का गठन किया। उनमें सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास के लिए 'यूनेस्को' नामक संस्था का गठन किया गया।

मित्र राष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों ने 1945 में लन्दन में सम्मेलन करके इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मूर्तरूप देने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया जो विश्व में शिक्षा और संस्कृति का विकास करते हुए अन्तर सांस्कृतिक संचार का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस संस्था का संविधान भी इसी सम्मेलन में बनाया गया। इस संस्था का नाम 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' रखा गया है। इस संस्था (यूनेस्को) का विधिवत गठन 4 नवम्बर 1946 को हुआ। 1945 में इस संस्था का संविधान बनाया गया था जिसमें इसके उद्देश्यों की विस्तार से चर्चा की गई है। इस संस्था को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं।

"विश्व के नागरिकों के लिए जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना न्याय, विधि शासन और मानवीय अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति सार्वजनिक आदर की वृद्धि करने के उद्देश्य से शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से सहयोग देना ही इस संस्था का लक्ष्य है।''

यूनेस्को एक व्यापक और प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संस्था के तीन अंग है। महासम्मेलन, कार्यपालिका मण्डल और सचिवालय।

महासम्मेलन

इसमें संस्था के सदस्य राज्यों में से प्रत्येक का एक सदस्य होता है। इस महासम्मेलन का एक वर्ष में दो बार अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में संगठन की नीति–रीति तथा कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इसी के द्वारा कार्यपालिका मण्डल का निर्वाचन भी होता है।

कार्यपालिका मण्डल संगठन के महासम्मेलन के अधिवेशन में कार्यपालिका मण्डल के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस मण्डल में 20 सदस्य होते हैं। कार्यपालिका मण्डल की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है। कार्यपालिका मण्डल का मुख्य कार्य महासम्मेलन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का पालन करना है।

सचिवालय–

यह एक विशाल कार्यालय है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका अध्यक्ष प्रधान निदेशक होता है। निदेशक के निरीक्षण में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के लोग कार्यालय में काम करते हैं। सचिवालय के 6 मुख्य विभाग हैं।

1. **शिक्षा विभाग** – यह विश्व भर में और विशेषकर अविकसित और विकासशील राष्ट्र में शिक्षा के प्रचार–प्रसार का कार्य सम्पादित करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा के स्तरोन्नयन में उन राष्ट्रों की सहायता करता है तथा स्वयं भी कार्यक्रम संचालित करता है।
2. **प्राकृतिक विज्ञान विभाग** – यह विभाग दुनिया भर में फैले प्राकृ तिक विज्ञान विभाग की विभिन्न शाखाओं भौतिकी, रसायन, जन्तु, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि के अध्ययनअध्यापन की उच्च स्तरीय व्यवस्था संचालित करता है।
3. **सामाजिक विज्ञान**– प्राकृतिक विज्ञान की ही भांति सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों की शिक्षा व्यवस्था संचालित करना तथा विशेषज्ञों का आदान–प्रदान करना इस विभाग का मुख्य कार्य है ।
4. **सांस्कृतिक कार्य–**विभिन्न देशों की संस्कृतियों के नष्ट हो रहे धरोहरों का संरक्षण तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान इस विभाग का मुख्य कार्य है।
5. **संचार–**विकासशील और विकसित राष्ट्रों के मध्य जन माध्यमों की कार्यशैली में सन्तुलन बनाना, जनसंचार कर्मियों को प्रशिक्षित करना इस विभाग का मुख्य कार्य है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का न्यूज पूल तथा नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यस्था की स्थापना इस विभाग द्वारा किए गए कार्यों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

6. **तकनीकी सहायता**– विभिन्न दैवी एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचने एवं विकास परक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए यह विभाग जरूरत मन्द राष्ट्रों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार यूनेस्को अपने इन विभागों अनुभागों की सहायता से सम्पूर्ण विश्व में विकास की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करता है तथा सम्पूर्ण विश्व को विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराता है। यूनेस्को के मुख्य कार्यक्रम 8 विभिन्न शीर्षकों से संचालित होते हैं। वे निम्नलिखित हैं

1.शिक्षा, 2–प्राकृतिक विज्ञान, 3–सामाजिक विज्ञान, 4–सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5 व्यक्तियों का आदान–प्रदान, 6–जनसंचार, 7–पुनर्वास, 8–तकनीकी सहायता।

सांस्कृतिक क्षेत्र में यूनेस्को विभिन्न कलाओं, नाटक, नृत्य, संगीत, चित्रकला, वास्तु कला, स्थापत्य कला, साहित्य, दर्शन आदि विषयों से सम्बन्धित वस्तुओं, व्यक्तियों समूहों, अभिलेखों एवं पाण्डुलिपियों के संरक्षण–संवर्धन का कार्य सम्पादित करती है। अन्तसांस्कृतिक संचार की दिशा में यह संस्था विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करती है जिससे विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान को प्रोत्साहन मिलता है और अन्तर सांस्कृतिक संचार का मार्ग प्रशस्त होता है।

8.6.2 सांस्कृतिक संगठन

यूनेस्को के अतिरिक्त अन्तसांस्कृतिक संचार की दिशा में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन क्रियाशील हैं। जैसे योरोपियन आर्थिक क्षेत्र, यूरेटन, योरोपीय संसद, फ्रेन्च–समुदाय, जी–8, जी77, कामनवेल्थ यूनियन, आर्थिक सहयोग तैथा विकास संगठन, आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कांग्रेस, वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज आदि। अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में इन संस्थाओं का प्रत्यक्ष योगदान होता है। इनके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो परोक्ष रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करती हैं।

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र आपस में सांस्कृतिक आदानप्रदान करते हैं। वर्तमान संचार क्रान्ति के युग में सूचना प्रौद्योगिकी के विश्व व्यापी संजाल ने पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है। इन्टरनेट और उपग्रह चौनलों के माध्यम से अब सांस्कृतिक आदान–प्रदान की प्रक्रिया और भी सरल एवं गतिशील हो गई है। विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका सांस्कृतिक आदान–प्रदान में महत्वपूर्ण होती जा रही है और अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में इसकी सम्भावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। यह स्थिति न केवल अन्तर सांस्कृतिक संचार बल्कि विश्व शान्ति और मानवता के कल्याण के लिए एक शुभ संकेत है।

8.6.3 क्षेत्रीय सांस्कृतिक संगठन

यूनेस्को एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय संगठन भी क्रियाशील रहते हैं। उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं–

आसियान–(ASEAN)

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण–पूर्व एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करना है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोह के लिए प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

सार्क–(SAARC)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) सार्क का गठन सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन में 1985 में किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीप आदि सात देश हैं। इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देना

तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना।

2. आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, तथा सांस्कृतिक सहयोग की गति को तेज करना ।
3. सामूहिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना तथा उसे मजबूत करना।
4. पारस्परिक विश्वास, समझदारी तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझने एवं समाधान की प्रक्रिया में योगदान करना ।
5. आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना।
6. अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग पर बल देना।
7. अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने पारस्परिक सहयोग को मजबूत करना।
8. अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

इन संगठनों के अतिरिक्त अरब लीग, अफ्रीकी एकता संगठन, योरोपीय समुदाय, एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग, राष्ट्रमण्डल आदि संगठन अन्तर सांस्कृतिक संचार में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

8.6.4 सांस्कृतिक सहयोग परिषदें

प्रत्येक देश में सांस्कृतिक गतिविधियों के सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक संचालन के लिए सांस्कृतिक सहयोग परिषद नामक संगठन की स्थापना की जाती है। इसके नाम विभिन्न देशों में अलग–अलग होते हैं किन्तु कार्य इनका सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन ही होता है। भारत जैसे विशाल देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्षेत्र के नाम से इसका विभाजन करके संस्था को और भी कार्यकुशल बनाया गया है। सांस्कृतिक सहयोग परिषदें देश के बाहर दूसरे देश से सांस्कृतिक समझौता करती हैं और उस समझौते के अनुरूप सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान–प्रदान करती हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक सहयोग परिषदें देश के भीतर एवं बाहर अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करती हैं।

8.7 सारांश

अब तक इस इकाई में आपने जाना कि अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति क्या है। कौन–कौन सी परिस्थितियाँ अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करती हैं। अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता का क्या दुष्परिणाम होता है और इन दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों की अन्तर–सांस्कृतिक संचार में क्या भूमिका होती है। इन सब बातों का विस्तृत अध्ययन आपने इस इकाई में किया है। आगे की इकाई में आप समसामयिक सन्दर्भ में अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे।

8.8 शब्दावली

आसियान – एसोशिएशन आफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स

सार्क – साउथ एशियन एसोसियेशन आफ रीजनल कोआपरेशन

8.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन – दीनानाथ वर्मा

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिः सिद्धान्त एवं व्यवहार– डॉ० महेन्द्र कुमार

जनसंचार समग्र – डॉ. अर्जुन तिवारी

अर्न्तसांस्कृतिक संचार – डॉ. मुक्तिनाथ झा

8.10 प्रश्नावली

8.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार के सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए ।
2. यूनेस्कों और अन्तर सांस्कृतिक संचार का समीक्षात्मक वर्णन करें।
3. वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट करें।

8.10.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार में संवादहीनता के क्या दुष्परिणाम होते हैं? स्पष्ट करें।
2. अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की समीक्षा कीजिए।

8.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. यूनेस्को के कार्यपालिका मण्डल में कितने सदस्य होते हैं।

   क–20,

   ख–30,

   ग–40,

   घ–25

2. सार्क की स्थापना कब हुई।

   क– 1984,

   ख–1985,

   ग–1986,

   घ–1987

3. आसियान की स्थापना का वर्ष बताएं द्य

   क– 1967,

   ख– 1966,

   ग–1965

   घ–1968

4. यूनेस्को का विधिवत गठन हुआ था।

   क–4 नवम्बर 1946,

ख– 4 अक्टूबर 1947,

ग– 15 अगस्त 1947

घ– इनमें से कोई नहीं।

8.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. क
2. ख
3. क
4. क

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

MJMC-118N
अन्तर सांस्कृतिक संचार : अवधारणा एवं आयाम

खण्ड
03
प्रमुख सांस्कृतिक अवधारणा

इकाई – 09

अन्तर सांस्कृतिक संचार का संवाहक आधुनिक मीडिया

इकाई – 10

अन्तर राष्ट्रीय समाचार समितियाँ एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

इकाई – 11

अन्तर सांस्कृतिक संघर्ष एवं संचार

इकाई – 12

आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार

इकाई–13

खण्ड–3 खण्ड–परिचय अन्तर सांस्कृतिक संचार के विभिन्न आयाम

आयाम अन्तर सांस्कृतिक संचार के विभि आयाम के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं रू रू1– अन्तर सांस्कृतिक संचार का संवाहक आधुनिक मीडिया 2– अन्तर राष्ट्रीय समाचार समितियाँ एवं अन्तर सांस्कृतिक पंचार 3 – अन्तर सांस्कृतिक संघर्ष एवं संचार 4– आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव 5– धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक दबाव एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधा दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य परस्पर सम्प्रेषण को ही अन्तर सांस्कृतिक संचार कहा जाता है। आदिम जातियाँ भ्रमणशील थीं, उनमें संस्कृतियों का परस्पर आदान–प्रदान चलता रहता था। मीडिया तथा वर्तमान की द्रुतगामी संचार साधनों ने संस्कृतियों को फैलाया है। इलेक्ट्रानिक मीडिया ने अन्तर सांस्कृतिक संचार को चतुर्दिक रूप से प्रभावकारी बनाया है। समाचार के अढ़तिये समाचार समितियों ने विश्व के एक कोने का समाचार दूसरे कोने तक पहुँचाया है। संचार मार्ग में अर्थ, धर्म, राजनीति की बाधा को कैसे दूर करें इन सभी तथ्यों पर इस खण्ड में प्रकाश डाला गया है।

,

इकाई 09— अन्तर सांस्कृतिक संचार का संवाहक आधुनिक मीडिया

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 अन्तरसांस्कृतिक संचार

9.2.1 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

9.2.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया

9.2.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का विकास

9.3 आधुनिक मीडिया

9.3.1 मीडिया के प्रकार

9.3.2 आधुनिक मीडिया से आशय

9.3.3 आधुनिक मीडिया के प्रकार

9.4 आधुनिक मीडिया एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

9.4.1 प्रिंट मीडिया और अन्तरसांस्कृतिक संचार

9.4.2 इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

9.4.3 इण्टरैक्टिव मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

9.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव

9.5.1 सकारात्मक प्रभाव

9.5.2 नकारात्मक प्रभाव

9.6 सारांश

9.7 शब्दावली

9.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

9.9 सम्बन्धित प्रश्न

9.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

9.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे –

5. अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ एवं प्रक्रिया
6. आधुनिक मीडिया से आशय
7. प्रिंट मीडिया एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार
8. इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार
9. अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव

9.1 प्रस्तावना

अन्तर सांस्कृतिक संचार दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य

सम्प्रेषण को कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के मध्य आधुनिक मीडिया के माध्यम से निरन्तर संवाद या सम्प्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। आधुनिक मीडिया से आशय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं इन्टररैक्टिव मीडिया से है। वर्तमान समय में अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया इन्हीं माध्यमों से सम्पन्न हो रही है। अतः अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है।

9.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया मनुष्य के सभ्य और सुसंस्कृ त होने के साथ ही प्रारम्भ हो गयी थी। वर्तमान समय में संचारक्रान्ति के कारण वैश्विक स्तर पर तीव्रगति से यह प्रक्रिया चल रही है। सर्वप्रथम अन्तर सांस्कृतिक संचार की अवधारणा और विकास पर विचार करना समीचीन होगा।

9.2.1 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

अन्तर सांस्कृतिक संचार शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है – अन्तऱसांस्कृतिक. संचार। अंतर शब्द का अर्थ है– पारस्परिक, बीच में मध्य में सांस्कृतिक शब्द का अर्थ है–सस्कृति सम्बन्धी। सांस्कृतिक शब्द संस्कृति का विशेषण है। संचार शब्द का अर्थ है–चलना, चलने की क्रिया या फैलना। संचार शब्द संज्ञा है। इस प्रकार अन्तरसांस्कृतिक संचार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ– पारस्परिक सांस्कृतिक फैलाव अर्थात् दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य परस्पर सम्प्रेषण। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें संस्कृति और संचार शब्द के अर्थ एवं परिभाषा पर विचार करना होगा।

संस्कृति–सामान्य अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग श्सुसंस्कृत' या श्संस्कार' के अर्थ में किया जाता है। संस्कृति को विचारकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। निम्नलिखित परिभाषाएं इनमें प्रमुख हैं

ई० वी० टायलर– ''संस्कृति वह जटिल सम्पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास कलाएँ, नैतिकता, विधि, प्रथाएँ और वे सभी योग्यताएँ और

क्षमताएँ सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें समाज के एक सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है।''

ए0 एल0 क्रोबर– ''संस्कृति मनुष्य की एक मात्र विशेष उपज है और सृष्टि में इसका एक विशेष गुण है।''

जे० एस० स्लोटकिन– ''संस्कृति समाज में पायी जाने वाली प्रथाओं का अंग और ओ कोई भी इन प्रथाओं के अनुरूप कार्य करता है वह संस्कृति में भाग लेता है। शारीरिक दृष्टिकोण से किसी भी समाज की संस्कृति वह है जिसके अनुसार उन सामाजिक प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है।''

वाल्टर– ''संस्कृति कार्य और विचार की सीखी हुई वह पद्धति है जो एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों को प्रदान की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं का एक परीक्षित समाधान प्रस्तुत करती हैं।''

विलियम आगर्बन से संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में परिभाषित करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है।

1. **भौतिक संस्कृति**– भौतिक संस्कृति में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। यथा रेल, मोटर, वायुयान, रेडियो, टेलीविजन, मेज, कुर्सी इत्यादि मानव निर्मित वे सभी पदार्थ जिन्हें हम देख सकते हैं। यह प्रायः सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
2. **अभौतिक संस्कृति**– अभौतिक संस्कृति के अन्तर्गत जनरीतियों, लोकाचारों, रूढ़ियों, प्रथाओं, विश्वासों, आदर्शों, विधियों और कलाओं का समावेश होता है। यह अमूर्त होता है। प्रोफेसर सोरोकीन ने तीन प्रकार के संस्कृति रूपों की परिकल्पना प्रस्तुत की हैं– एन्द्रियिक, भावात्मक और आदर्शात्मक। एंथोनी गीडेंस मानते हैं कि किसी समूह द्वारा धारण किए जाने वाले मूल्य तथा उसके पालन किए जाने वाले मानकों और उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली भौतिक वस्तुओं के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आलोक में संस्कृति का अभिप्राय उन सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं से है जो कि मनुष्य समाज के पास हैं। जैसे– कला, विचार विश्वास प्रथा, विज्ञान और विविध प्रकार के उपकरण इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जीवन निर्वाह के जितने भी विशिष्ट स्वरूप ही समाज में विकसित होते हैं, उन्हें ही संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति ही एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से एक समाज से दूसरे समाज को पृथक किया जा सकता है।

संचार – संचार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ हैचलना। यहाँ चलने का अर्थ है किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाना। अंग्रेजी में संचार को 'कम्युनिकेशन' कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकों शब्द से हुई है। 'कम्युनिको' का शाब्दिक अर्थ है– साझेदारी अर्थात् अनुभवों, भावों, विचारों और जानकारियों की साझेदारी या आदान–प्रदान। संचार की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित है–

''अमेरिकन सोसाइटी आफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के अनुसार आपसी समझ विश्वास व बेहतर मानव सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में किया गया सूचनाओं व विचारों का आदान–प्रदान ही संचार है।''

लीलैण्ड ब्राउन – ''मनुष्य के कार्यक्षेत्र, विचारों व भावनाओं के प्रसारण व आदानप्रदान की प्रक्रिया संचार है।''

थीयो हैमान– ''संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व सन्देश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच सके। संचार मनुष्य को जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है।''

विल्वर श्रेम– ''संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुँचता है।''

वीवर– ''वे सभी तरीके जिसके द्वारा मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रभावित कर सके।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुभवों, विचारों, भावों, जानकारियों, सूचनाओं का आदान–प्रदान या साझेदारी ही संचार है।

अन्तर सांस्कृतिक संचार– अन्तर सांस्कृतिक संचार के घटक

शब्दों के अर्थ एवं परिभाषा के आलोक में इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य पारस्परिक सम्प्रेषण ही अन्तर सांस्कृतिक संचार है। इसमें संस्कृति के व्यवहार सम्बन्धी पक्ष, यथा– खान–पान, वेश–भूषा आदि, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष, यथा साहित्य, विज्ञान, कला, संगत आदि तथा मूल्य सम्बन्धी पक्ष, यथासत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, समता, धर्मनिरपेक्षता एवं मानवता आदि का विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग आपस में अदान–प्रदान साझेदारी और अन्तक्रिया करते हैं।

S	⇄	M	⇄	C	⇄	D	⇄	E
(Source)		(Message)		(Channel)		(Decoder)		(Effect)
संचारक		सन्देश		माध्यम		प्राप्तकर्ता		प्रभाव

9.2.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सामान्यतः संचार की प्रक्रिया से भिन्न नहीं है अपितु वह संचार की प्रक्रिया ही है जिसमें संदेश के रूप में सांस्कृतिक सूचना, ज्ञान, जानकारी, गतिविधियाँ और क्रियाकलापों का विभिन्न माध्यमों से सम्प्रेषण होता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्कृतियों के मध्य आपस में सम्पन्न अन्तर्क्रिया द्वारा प्रतिपुष्टि या प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। संचार की प्रक्रिया इस प्रकार है–

अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया के तत्व मुख्य रूप से पांच होते हैं। सम्प्रेषक या सन्देशकर्ता वह होता है जो सन्देश सम्प्रेषित करता है। वह किसी सांस्कृतिक समूह का सदस्य होता है। संचार प्रक्रिया में संदेशों का आदान प्रदान होता है। संदेश के रूप में सांस्कृतिक विचार, सांस्कृतिक तथ्य, सांस्कृतिक ज्ञान या जानकारी, सांस्कृतिक शब्द या संकेत प्रेषित किया जाता है। संदेशकर्ता संदेश का सम्प्रेषण किसी न किसी माध्यम से करता है। आमने–सामने संचार की प्रक्रिया में ध्वनि, संकेत, ज्ञानेन्द्रियाँ और भाषा माध्यम का काम करते हैं। दूर अवस्थित व्यक्ति तक संदेश सम्प्रेषण के लिए मुद्रित माध्यम– समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, पुस्तकें, बैनर, पम्पलेट, पर्चे एवं ब्रोसर आदि, इलेक्ट्रानिक माध्यम रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि, इन्टरैक्टिव माध्यममोबाईलफोन,

कम्प्यूटर, इण्टरनेट आदि तथा परम्परागत माध्यम नृत्य, वाद्य, संगीत, नाटक, नौटंकी कठपुतली, मेला आदि सम्मिलित किए जाते हैं। श्रोता या प्राप्तकर्ता वह होता है जो सन्देश को प्राप्त करता है। इसमें एक या एक से अधिक सांस्कृतिक समूहों के व्यक्ति होते हैं। प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता का प्रत्युत्तर होता है, जो संचार प्रक्रिया के सम्पन्न होने पर विभिन्न सांस्कृतिक समूहों पर पड़ने वाले प्रभावों द्वारा अभिव्यक्त होता है। प्रतिपुष्टि सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ होता है। इस प्रकार सम्प्रेषक, सन्देश, माध्यम, श्रोता और प्रति पष्टि इन पांच प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त संचार प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संकेतीकरण, संकेत वाचन और गन्तव्य स्थल इन तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है। संकेतीकरण में शब्दों के साथ चित्र आदि संकेतों का प्रयोग होता है। श्रोतः द्वारा संदेश का संकेत वाचन करके अर्थ स्पष्ट करना संकेत वाचन है। जिन व्यक्तियों या सांस्कृतिक समूहों के लिए संदेश का महत्व होता है उन व्यक्तियों या सांस्कृतिक समूहों तक पहुँचना सन्देश का गन्तव्य स्थल है।

9.2.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का विकास

मानव सभ्यता के उद्‌भव एवं विकास के साथ ही अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। आदिम जातियाँ जीवन यापन हेतु निरन्तर भ्रमण करती थीं। विभिन्न भ्रमणशील जातियाँ अपने विचारों, भावों और अनुभवों को आपस में आदान–प्रदान करती थी। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सुमेरियन, बैबीलोनियन, असीरियन हित्ती, यहूदी, कैल्डियन, इजियन, सैन्धव आदि प्रमुख हैं। इन सभ्यताओं में अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के चित्राक्षर पूर्ववर्ती एवं समकालीन मेसोपोटामिया एंव मिश्र की सभ्यता से मिलते–जुलते हैं। हड़प्पा संस्कृति, सैन्धव संस्कृति, सुमेरियन एवं मैसोपोटामियन संस्कृति में परस्पर व्यापारिक सम्बन्धों के साक्ष्य भी मिलते हैं। सैन्धव संस्कृति के लोगों के बारे में सम्भावना है कि ये भूमध्य सागरीय नृवंश के ते और भारतीय द्रविड़ लोगों के साथ उनके सहसम्बन्ध थे। सैन्धव संस्कृति एवं समकालीन विश्व की अन्य संस्कृतियाँ नगरीय थी, जबकि आर्य लोग, जो आल्पस पर्वत के पूर्व में निवास करते

थे, कृषक एवं यायावर चरवाहा जाति के लोग थे। कालान्तर में आर्य विश्व के विभिन्न भागों में फैल गये और वहां की मूल जातियों से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया से एक समिश्रित संस्कृति को जन्म दिया। आर्यों की महानतम थाती वेद हैं। उत्तर वैदिक काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्मानुयायियों ने विश्व के विभिन्न भागों में धर्म प्रचार के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा दिया।

भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में बाह्य आक्रमणों द्वारा भी अन्तर सांस्कृतिक संचार को नया आयाम मिला। यूनानी, पार्थियन, कुषाण, शक और हूण आक्रमण सांस्कृतिक आदान–प्रदान की प्रक्रिया तेज हुई। भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में इस्लाम धर्मानुयायियों ने आक्रमण के द्वारा न केवल अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया वरन् अपनी संस्कृति एवं अपने धर्म का भी प्रसार किया। यूरोपीय पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रान्ति के बाद इसाई धर्मानुयायी यूरोप वासियों ने विश्व के अधिकांश भागों में व्यापार वाणिज्य द्वारा कालोनीज बनाकर उपनिवेशवाद को जन्म दिया और यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति का तीव्रगति से प्रचार एवं प्रसार किया। प्राचीन काल में भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का विस्तार किया, किन्तु इस विस्तार की प्रकृति यूरोपवासियों के औपनिवेसिक विस्तारवादी नीति से भिन्न थी। मेगनस्थनीज, फाह्यान और हवेनसांग जैसे विदेशी दूत भारत में आकर यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता का गहन अध्ययन किया और अपने देशवासियों को विशिष्ट भारतीय संस्कृति से परिचित कराया, वहीं महेन्द्र एवं संघ मित्रा ने श्रीलंका आदि देशों का भ्रमण करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

प्राचीन काल से लेकर पश्चिम की औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व तक उत्प्रवास, भ्रमण संघ, सम्मेलन, वाणिज्य व्यापार, दौत्यकर्म, वाह्य आक्रमण, धर्म प्रचार, मुद्रा, शिलालेख आदि द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सम्पादित होती रही। औद्योगिक क्रान्ति के बाद नये–नये वैज्ञानिक आविष्कारों से यातायात एवं संचार की गति तीव्र हुई। मुद्रण मशीन के आविष्कार से मुद्रित माध्यम का जन्म हुआ तथा मार्सकोड एवं टेलीफोन के आविष्कार से इलेक्ट्रानिक मीडिया की उत्पत्ति हुई। आज मुद्रित माध्यमसामाचार पत्र, पत्रिकाएँ पैम्फलेट, ब्रोसर, बैनर, पर्चे आदि

इलेक्ट्रानिक माध्यम रेडियो, टी०वी०, फिल्म आदि तथा इन्टरैक्टिक मीडिया मोबाईल फोन, पेजर, फैक्स, कम्प्यूटर और इण्टरनेट आदि के द्वारा बहुत तीव्र गति से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सम्पादित हो रही है। अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से लैस आधुनिक मीडिया अन्तर सांस्कृतिक संचार की संवाहक है।

9.3 आधुनिक मीडिया

प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अपने विचारों–भावों एवं अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लिया है। संचार माध्यमों का स्वरूप मानवता के विकास के साथ–साथ परिवर्तित होता रहा है।

9.3.1 मीडिया के प्रकार

मानव जाति अपनी लम्बी ऐतिहासिक विकास यात्रा में जिन माध्यमों के द्वारा अपने विचारों, भावों और अनुभवों का आदान–प्रदान करती रही है और वर्तमान में कर रही हैं उसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। 1 प्राचीन माध्यम, 2– पारम्परिक माध्यम, 3 आधुनिक माध्यम प्राचीन माध्यम प्राचीन काल में संदेश सम्प्रेषण के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार ढोल या के संकेतों का प्रयोग करता था। जैसे विभिन्न प्रकार की आवाज लगाना, बिगुल बजाना, आग या धुंआ करना, गुफाओं में शैलचित्र बनाना, सिक्कों और बर्तनों पर अनेक प्रकार का चित्रांकन आदि। आगे चलकर जब मनुष्य ने भाषा और लिपि का विकास कर लिया तो शिला खण्डों आदि पर संदेश लिखना आरम्भ किया। सतत् प्रवहमान नदियों की जलधारा में बांस की नलियों या तुम्बियों द्वारा भी संदेश भेजा जाता था। संदेश सम्प्रेषण के लिए कबूतर और बाज जैसे पक्षियों का भी प्रयोग होता था। वैदिक काल के यज्ञ– होम भी संदेश सम्प्रेषण के माध्यम थे।

पारम्परिक माध्यम

पारम्परिक माध्यमों का उद्‌भव भी आदिकाल में ही हो चुका था, तभी से यह माध्यम आज तक अस्तित्व में है। वर्तमान समय में पारम्परिक माध्यमों के महत्व को देखते हुए इनका प्रयोग इलेक्ट्रानिक माध्यमों तक किया जाने लगा है। पारम्परिक माध्यमों में लोकगीत, नृत्य,

लोकनृत्य, रंगमंच, रासलीला, रामलीला, भवाँई, नौटंकी जात्रा, तमासा, वरान्काथा, कठपुतली, ड्रामा, मेला, पर्व, उत्सव, त्यौहार आदि आते हैं। इन माध्यमों से हमारी सांस्कृतिक क्रिया कलापों, गतिविधियों एवं चेतना की अभिव्यक्ति भी होती है।

आधुनिक मीडिया

यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप नये–नये यंत्रों के आविष्कार से मानव जाति ने आधुनिक युग में प्रवेश किया, मुद्रण यंत्र के आविष्कार एवं मुद्रण कला के विकास के साथ ही संचार माध्यमों का भी आधुनिकीकरण हुआ। तब से लेकर अब तक संचार के क्षेत्र में अनेक नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार हुआ और माध्यमों का स्वरूप ही बदल गया। आधुनिक मीडिया के अन्तर्गत समाचार पत्र.

पत्रिकाएँ, रेडियो, टी०वी०, फिल्म, फोटोग्राफी, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर इण्टरनेट आदि का समावेश हो गया।

9.3.2 आधुनिक मीडिया से आशय

यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामने आये। ज्ञान का उदय हुआ, तर्क का विकास हुआ। नये–नये वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे और मानवजाति की विकास यात्रा ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। संचार के क्षेत्र में मुद्रण यंत्र का आविष्कार और मुद्रणकला के विकास से आधुनिकयुग का शुभारम्भ हुआ। मुद्रणकला के विकास से प्रिंट मीडिया का उदय हुआ। इसी प्रकार सैमुअल एम० वी० मोर्स ने जब टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किया तो सन्देश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोर्सकोड से भेजना सम्भव हुआ। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके इलेक्ट्रानिक मीडिया का शुभारम्भ किया। इसके बाद रेडियो, टी0वी0, फिल्म, फैक्स, पेजर, कम्प्यूटर और इन्टरनेट आदि नयेनये आविष्कारों ने समय एवं दूरी को अत्यन्त संकुचित करके पूरे विश्व को एक ग्राम के रूप में बदल दिया।

यूरोपीय पुनर्जागरण के पूर्व विचारों, भावों एवं अनुभवों के आदान–प्रदान का माध्यम मनुष्य, पशु–पक्षी एवं प्राकृतिक पदार्थ थे।

मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद संचार माध्यमों का स्थान यंत्रों ने लेना प्रारम्भ कर दिया। टेलीफोन के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्यं नये–नये आविष्कारों का ऐसा सिलसिला चला कि वर्तमान युग आई० टी० युग के नाम से जाना जाने लगा। यांत्रिक माध्यमों से होने वाला संचार ही आधुनिक मीडिया का पर्याय हो गया। इसमें प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को सम्मिलित किया गया। सेटेलाइट पर आधारित संचार व्यवस्था ने संचार क्रान्ति को जन्म दिया जिससे कम्प्यूटर और इन्टरनेट ने एक नया आयाम प्रदान किया।

9.3.1 आधुनिक मीडिया के प्रकार

आधुनिक मीडिया को हम निम्नलिखित तीन श्रेणी में बाँट सकते हैं– 1 प्रिंट मीडिया, 2इलेक्ट्रानिक मीडिया, 3– इन्टरैक्टिव मीडिया प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत समाचार पत्र–पत्रिकाएं पुस्तक, बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, ब्रोसर आदि आते हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया, इलेक्ट्रानिक माध्यम के अर्न्तगत रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, आदि आते हैं।

इण्टरेक्टिव मीडिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर, मोबाइल, इन्टरनेट, पेजर, फैक्स, मोडम आदि आते हैं।

वर्तमान् समय में आधुनिक मीडिया के द्वारा ही संचार प्रक्रिया सम्पादित हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही परम्परागत माध्यमों का भी प्रयोग कर रही है। आधुनिक मीडिया अन्तर सांस्कृतिक संचार में मध्यस्थ एवं उपकरण दोनों भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। आधुनिक मीडिया द्वारा संचार की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से चल रही है। आज कोई भी सूचना या समाचार पल भर में विश्व के किसी भी कोने में प्रसारित हो जा रहा है। पूरा विश्व एक इकाई के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है।

9.4 आधुनिक मीडिया एवं अन्तरसांस्कृतिक संचार

आधुनिक मीडिया के उद्‌भव के पूर्व लोग अपने विचारों, भावों एवं अनुभूतियों का अदान–प्रदान सीधे करते थे। आज सीधे संवाद बहुत कम हो रहे है। वर्तमान समय में आधुनिक मीडिया ही उपकरण और मध्यस्थ दोनों भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। आधुनिक मीडिया ने विभिन्न

सांस्कृतिक समूहों में अन्तर सांस्कृतिक संचार की गति को अत्यन्त तीव्र कर दिया है। आधुनिक मीडिया के द्वारा अन्तर संस्कृतिक संचार का प्रसार वैश्विक स्तर पर हो गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया और इन्टरैक्टिव मीडिया द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया का अध्ययन अलग–अलग करना व्यावहारिक दृष्टि से समीचीन होगा।

9.4.1 प्रिंट मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

प्रिंट मीडिया से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया मुद्रण यंत्र के आविष्कार के पूर्व से ही सम्पादित होती चली आ रही है। भाषा और लिपि के विकास के बाद से ही ज्ञानी एवं विद्वत् समाज की अपने अनुभूति जन्य ज्ञान एवं अर्जित विद्या को भोजपत्र और ताम्रपत्र पर लिखकर संरक्षित करने की प्रवृत्ति रही है। विश्व का समस्त ज्ञान विज्ञान मुद्रण यंत्र के आविष्कार के पूर्व भोजपत्र, ताम्रपत्र एवं कागज पर हस्तलिखित रूप में ही संरक्षित था। मेगस्थनीज फाह्यान एवं ह्वेनसांग ने अपने यामा विवरणों को अपनी डायरी में लिखकर ही भारतीय ज्ञान–विज्ञान एवं संस्कृति से अपने देशवासियों को परिचित कराया। तिब्बतवासी बौद्ध धर्मानुयायियों ने पाली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म, दर्शन एवं साहित्य का तिब्बती भाषा में अनुवाद करके अन्तर सांस्कृतिक संचार के द्वारा तिब्बत में बौद्धधर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। मुस्लिम विद्वानों ने भी भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति से सम्बन्धित हस्तलिखित ग्रन्थों का फारसी अरबी आदि भाषाओं में अनुवाद किया। अमीर खुसरों ने फारसी भाषा में प्राचीन भारतीय मनीषा का अनुवाद किया। इसी प्रकार भारतीय विद्वानों ने भी विश्व के अन्य धर्मों एवं संस्कृतियों से भारतीयों को परिचित कराने के लिए भारतीय भाषाओं में वहां के ज्ञानविज्ञान एवं धर्म–दर्शन से सम्बन्धित ग्रन्थों का अनुवाद किया।

विश्व में मुद्रणकला का आरम्भ भी धर्म एवं संस्कृति के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से ही हुआ। आठवीं शताब्दी में धार्मिक दस्तावेजों का मुद्रण लकड़ी के ठप्पों से कोरिया और जापान में आरम्भ हुआ। पूर्वी एशिया में नवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक धारणीसूत्र एक हजार पृष्ठों वाली बौद्ध ग्रन्थ 'त्रिपिटक' और 'वज्रसूत्र' मुद्रित हुई। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में जब जर्मनी के गुटेनवर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया

तब पहली पुस्तक 'बाइबिल' ही छपी। पुर्तगालियों ने जब भारत में सोलहवीं शताब्दी के मध्य में प्रिन्टिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया तो उसके पीछे भी इसाई धर्म एवं संस्कृति के प्रचार–प्रसार का ही उद्देश्य था। जब प्रथम भारतीय भीम जी पारिख ने प्रिन्टिंग प्रेस बम्बई में लगाया तो उनका उद्देश्य भारतीय धर्मग्रन्थों का प्रकाशन ही था। इस प्रकार प्रिन्टिंग यंत्र का आविष्कार एवं मुद्रण कला का विकास धर्म एवं संस्कृति के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से हुआ।

मुद्रण यंत्र के आविष्कार और मुद्रण कला के विकास से संचार के क्षेत्र में क्रान्ति आई। इसके पूर्व हस्तलिखित पत्रों एवं पुस्तकों से ज्ञान और जानकारी का आदान–प्रदान और प्रचार–प्रसार समाज में बहुत सीमित था। मुद्रणालय के आविष्कार से पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं और अन्य पाठ्य सामग्रियों का प्रचुर प्रकाशन संभव हुआ जिसने जन साधारण के लिए ज्ञान का द्वार खोल दिया। प्रिंट मीडिया आज शिक्षित जन मानस में संचार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। मुद्रण तकनीक में निरन्तर हो रहे विकास ने अब मुद्रित माध्यमों को और भी प्रभावी बना दिया है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि नियतकालिक एवं अनियत– कालिक समाचार पत्र–पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, धार्मिक ग्रन्थ, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट एवं अन्य मुद्रित माध्यम आज अन्तर सांस्कृतिक संचार के संवाहक बन गये हैं।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी आज जन साधारण को उपलब्ध हो रही है। इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति विषयक पुस्तकों की उपयोगिता अध्ययन अध्यापन तक ही विद्वत समाज में सीमित है और प्रामाणिक पुस्तकों की भाषा जनसाधारण के लिए दुरुह है। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित सांस्कृतिक गतिविधियों एवं क्रियाकलाओं की जानकारी समाचार, लेख, फीचर विशेषांक के रूप में जो जनसाधारण को उपलब्ध हो रही हैं वह सहज, सरल, बोधगम्य एवं ग्राह्य है। आज समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में वैश्विक स्तर पर चल रही सांस्कृतिक गतिविधियों, हलचलों, कार्यक्रमों, आयोजनों की सूचना एवं समाचार प्रमुखता से छप रहे है। दैनिक समाचार पत्रों में किसी पर्व, त्यौहार या धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के अवसर पर पृष्ठों की संख्या बढ़ाकर विशेषांक प्रकाशित करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इस

तरह के विशेषांक किसी धर्म या संस्कृति के प्रचारक पत्र–पत्रिकाओं को छोड़कर अधिकांश पत्रों में सभी धर्मों एवं संस्कृतियों से सम्बन्धित पर्वों, त्योहारों और धार्मिकसांस्कृतिक आयोजनों पर प्रकाशित होते हैं। चाहे होली, दीपावली, विजयादशमी हो या ईद, बकरीद, क्रिसमस डे हो चाहे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सिक्ख धर्मगुरुओं की जयन्ती, झूलेलाल जयन्ती, और बुद्ध जयन्ती हो या ईसा मसीह या पैगम्बर मुहम्मद की जयन्ती हो, चाहे काशी में गंगास्नान, प्रयाग का महाकुम्भ हो या मक्का–मदीना का हज और वेटिकन पैलेस में आयोजित कोई धार्मिक सभागम हो। इन सभी अवसरों पर उस धर्म एवं संस्कृति विशेष के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। पत्र–पत्रिकाओं में प्रायः प्रेरक प्रसंग, अमृतवाणी, अनमोल वचन, किसी, आध्यात्मिक विभूति या धार्मिक सांस्कृतिक स्थल के बारे में परिचयात्मक लघु लेख प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार किसी धर्मगुरू, कलाकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार आदि से साक्षात्कार द्वारा उस विद्याविशेष के विषय में प्रचुर जानकारी पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। प्रायः धर्म एवं संस्कृति के विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों द्वारा किसी धर्म सम्प्रदाय, जाति, जनजाति समुदाय की जनरीतियों, लोकाचारों, रूढियों, आमोद–प्रमोद प्रथाओं, विश्वासों, आदर्शों, विधियों, कलाओं, आचार–विचार व्यवहार, के विषय में लिखे गये लेख आदि प्रकाशित होते रहते हैं। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों एवं जनजातियों की भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकारी प्रयासों की जानकारी, आदिवासियों एवं जनजातियों की संस्कृति से राष्ट्र एवं विश्व को परिचित कराने के उद्देश्य से बड़े–बड़े शहरों में सरकार एवं जन–जातीय कल्याण में लगी हुई संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना, समाचार, विशेष रिपोर्ट आदि पत्र–पत्रिकाओं में प्रायः प्रकाशित होती है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन, खेलकूद, कला, संगीत, साहित्य, धर्म, फैशन आदि पर पत्र–पत्रिकाओं में अवसर विशेष पर विशेषांक भी छपते रहते हैं। सरिता, मुक्ता, कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं में प्रायः पर्यटन विशेषांक प्रकाशित होते रहते हैं। ये विशेषांक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से दर्शनीय स्थलों, की विस्तृत जानकारी देने की दृष्टि से प्रकाशित होते हैं। इन विशेषांकों में उस स्थल का ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व,

दर्शनीय स्थलों स्मारकों एवं विशिष्टताओं की जानकारी, वहाँ के लोगों के आचार–विचार, व्यवहार की जानकारी, वहां की लोक संस्कृति, लोककला, लोकनृत्य, लोकगीत, लोकसंगीत आदि की विस्तृत जानकारी तथा वहाँ पहुँचने और ठहरने के विषय में विस्तृत जानकारी प्रकाशित होती है। कभी–कभी किसी एक ही देश, क्षेत्र या सांस्कृतिक नगर के बारे में उसकी विशेषताओं के प्रत्येक पक्ष में विस्तृत जानकारी प्रकाशित होती है। कभी–कभी किसी एक ही देश, क्षेत्र या सांस्कृतिक नगर के बारे में उसकी विशेषताओं के प्रत्येक पक्ष को उद्घाटित करने वाला विशेषांक भी प्रकाशित होता है। जैसे– 'आजकल' नामक पत्रिका में 'काशी विशेषांक' प्रकाशित हुआ। इसी तरह राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं जब किसी नगर या देश में आयोजित होती है तो उस नगर या देश के बारे में विस्तृत जानकारी पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। जर्मनी में आयोजित विश्वकप फुटबाल प्रतियोगिता के अवसर पर जर्मनी देश के बारे में तथा वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहरों के बारे में विस्तृत जानकारी पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। दूसरी ओर मेजबान देश की मीडिया भी किसी विश्वस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान भाग लेने वाली टीमों के बारे में मेहमान देश की खेल गतिविधियों के बारे में तथा अन्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के बारे में विशेषांक प्रकाशित करते हैं। यही प्रवृत्ति ओलम्पिक, एशियाड आदि विश्वस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में दृष्टिगोचर होती है। विश्वधर्म, विश्वसंगीत, विश्व साहित्य, विश्वकला समागमों में पत्र–पत्रिकाओं द्वारा इसी तरह के विशेषांक प्रकाशित होते हैं। फैशन एवं विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताएं आदि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित गतिविधियाँ भी पत्र पत्रिकाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हो रही हैं। प्रिन्टमीडिया का विज्ञापन पक्ष तो पाश्चात्य संस्कृति का संवाहक बन गया है।

इस प्रकार आधुनिक प्रिन्ट मीडिया आज अन्तर सांस्कृतिक संचार के संवहन में महत्वपूर्ण भमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रिन्ट मीडिया के द्वारा पुरातन प्राच्य संस्कृति और अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृति दोनों का प्रसार हो रहा है। एक ओर जहां प्राच्य धर्म, कला, साहित्य, संगीत, परम्पराओं, रूढ़ियों लोकाचारों, लोक संस्कृतियों को पहचान हेतु वैश्विक धरातल मिल रहा है वहीं पश्चिम की भौतिकवादी, उपभोक्तावादी एवं

पूंजीवादी संस्कृति को वैश्विक विस्तार का अवसर मिल रहा है। दोनों संस्कृतियों में परस्पर अर्न्तकृया तीव्रगति से चल रही है। प्रिन्ट मीडिया द्वारा सम्पादित अन्तर सांस्कृतिक संचार के फलस्वरूप पूरे विश्व में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना के जागरण से विकास की प्रक्रिया को गति मिली। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद की संर्कीणता कम हुई। वैज्ञानिक ष्चेतनाष के आलोक में अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता एवं सामाजिक विकृतियों में कमी आयी तथा ज्ञान का विस्तार हुआ। विश्व में सांस्कृतिक एकीकरण से जनसंस्कृति का प्रसार हो रहा है।

9.4.2 इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

इलेक्ट्रानिक मीडिया आज सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावशाली जनमाध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न इलेक्ट्रानिक मीडिया अन्तर सांस्कृतिक संचार को नया आयान प्रदान किया। इलेक्ट्रानिक माध्यम के अन्तर्गत रेडियो, टी० वी० एवं फिल्म अन्तर सांस्कृतिक संचार को तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। फोटाग्राफी से सांस्कृतिक क्रियाकलापों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक धरोहरों के चित्रों की प्रस्तुति से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। वर्तमान समय में रेडियो की अपेक्षा टी०वी० और फिल्म अन्तरसांस्कृतिक संचार के सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम के रूप में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य परस्पर अन्तर्क्रिया की गति को तीव्रता प्रदान कर रहे हैं। उपग्रहीय संचार व्यवस्था और केबल प्रसारण ने प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति के अन्तर्द्वन्द्व को और बढ़ा दिया है।

रेडियो– रेडियो एक विस्तृत संचार माध्यम है जिसे आज भी लोक संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। यह टी०वी० की तुलना में अपने श्रोताओं से आत्मीय जीवन्त सम्बन्ध बनाए रखता है। डा० अर्जुन तिवारी ने रेडियो को लोकतंत्र का संबल और विश्व में विचारों का एक श्रेष्ठ माध्यम मानते हुए कहा हैं 'रेडियो तो आकाशीय विद्यापीठ (Schools of the Air) है जिसके द्वारा विश्व का ज्ञान हो जाता है।' रेडियो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक चेतना को जगाने और उसे रचनात्मक दिशा प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। कला, साहित्य,

संस्कृति, भाषा को जन–जन तक पहुँचाने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े गुलाम अली खाँ, पं० रविशंकर, बिसमिल्ला खाँ, मिश्र बन्धु, गिरिजा देवी, फिराक गोरखपुरी, सुमित्रानन्दन पन्त, इलाचन्द्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, अश्क, मजाज, पं० नरेन्द्र शर्मा सरीखे दिग्गज संगीतज्ञों और साहित्यकारों ने आकाशवाणी से जुड़कर अन्तर सांस्कृतिक संचार को गति प्रदान की। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित तथा पाश्चात्य संगीत से प्रभावित गीतों ने सांस्कृतिक अन्तर्क्रिया को बढ़ावा दिया। रेडियो देश के कोने–कोने की सभी स्थानीय भाषाओं, बोलियों में अपने कार्यक्रम को प्रसारित करता है, जो टी०वी० हेतु सम्भव नहीं है। आज भी टी0वी0 की अपेक्षा रेडियो दूर–दराज के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सहज सुलभता के कारण ज्यादा लोकप्रिय है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चौनल का स्वरूप समग्र देश की सांस्कृतिक विविधता को सर्पूणता से व्यक्त करता है। भारतीय साहित्य को जन–जन तक प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कहानी कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं की चयनित लघु कहानियों का नाटकीय रूपान्तर प्रस्तुत किया जाता है। 'बस्ती बस्ती नगर–नगर' नामक कार्यक्रम में विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरों की जानकारी देश–विदेश के लोगों को प्राप्त होती है। रेडियो लोगों में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दूर कर स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करने का एक सशक्त माध्यम है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक शैली में गायन, वाद्य, संगीत, लोकसंगीत, सुगम संगीत के 12500 टेप संग्रहित हैं जो भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार–प्रसार हेतु अत्यन्त उपयोगी हैं। संस्कृतिक गतिविधियों एवं क्रियाकलाओं की सूचना एवं जानकारी रेडियोवार्ता, परिचर्चा, साक्षात्कार, रेडियो फीचर, नाटक, गीत संगीत कार्यक्रम, समाचार प्रश्नोत्तरी, रिपोर्ट, कवि सम्मेलन, मुशायरा, वाद्य संगीत, गायन, फिल्म, संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, पारम्परिक संगीत, लोकसंगीत, किसी पर्व त्यौहार, जयन्ती, धार्मिक–सांस्कृतिक समागम आदि के अवसर पर विशेष रिपोर्ट आदि के द्वारा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया जाता है। इसी प्रकार किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद या किसी महान व्यक्ति के निर्धन पर उसकी शवयात्रा या किसी धार्मिक सांस्कृतिक राजनैतिक जुलूस के सजीव

प्रसारण के अवसर पर उस नगर के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा मिलता है।

इसी प्रकार बी०बी०सी० वायस आफ अमेरिका आदि विदेशी प्रसारण माध्यमों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को वैश्विक विस्तार मिल रहा है। बी०बी०सी० विश्व की 38 भाषाओं में निरन्तर किसी न किसी बैंड पर अपने कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। इसकी हिन्दी सेवा में प्रसारित समाचार 'विश्व भारती' 'आजकल', पिछले प्रहर, 'सांस्कृतिक चर्चा एवं बहुरंगी प्रसारण' भारत सहित दक्षिण एशिया के विभिन्न राष्ट्रों में श्रोताओं का कंठहार हो चुका है। इसी प्रकार 'वायस आफ अमेरिका' भी हिन्दी सहित विश्व की कई भाषाओं में अपने विविध कार्यक्रमों का प्रसारण करके पश्चिमी विचार, दृष्टिकोण एवं संस्कृति से विश्व को परिचित करा रहा है। आल इण्डिया रेडियो का विदेश सेवा विभाग भी 9 विदेशी एवं 10 भारतीय भाषाओं में सौ से अधिक देशों को द्विपक्षीय आदान–प्रदान के आधार पर 3,000 रिकार्ड कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। इसमें शास्त्रीय संगीत, खोजी रिपोर्ट, पश्चिमी संगीत, फीचर पत्रिका, खेल, वित्तीय समीक्षा, करेंट अफेयर्स स्पाट लाइट, सामयिक जैसे कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान प्रदान कर रहे हैं। इससे विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारतीय संस्कृति एवं भावनाओं से जोड़ने के साथ ही पश्चिमी जगत को भी भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जा रहा है। एफ0 एम0 रेडियो तरंग भी सांस्कृतिक संचार का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इस प्रकार बी०बी०सी०, वायस आफ अमेरिका, आकाशवाणी आदि विश्व की सभी प्रतिष्ठित प्रसारण माध्यमों द्वारा अन्तरसांस्कृतिक संचार का तीव्र गति से संवाहन हो रहा है।

टेलीविजन– आधुनिक संचार क्रान्तिं में टी०वी० की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टी०वी०, आज अन्तर सांस्कृतिक संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा बहुत तीव्रगति से सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है। हमारी दिनचर्या में टी०वी० की घुसपैठ ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उपग्रहीय संचार व्यवस्था ने टी०वी० को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। केबिल टी०वी० अनेक निजी चौनल्स एवं विदेशी चौनलों ने अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को क्रान्तिकारी गति प्रदान कर दिया है। भारतीय दूरदर्शन

महानिदेशालय ने जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया उसमें सामाजिक परिवर्तन में प्रेरक भूमिका निभाना, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना, जन–सामान्य में वैज्ञानिक चेतना जगाना तथा भारत की कला और सांस्कृतिक गरिमा के प्रति जागरूकता पैदा करना भी था। पहले दूरदर्शन, महानगरीय संस्कृति के आभिजात्य वर्ग के मनोरंजन का साधन मात्र था तथा कला, नाटक, और संगीत का ही प्रदर्शन होता था। आगे चलकर नेटवर्क कार्यक्रमों ने सांस्कृति, साहित्य कला और जीवनोपयोगी प्रसारणों द्वारा आम जनता को दूरदर्शन से जोड़ा। टी० वी० के प्रायः सभी कार्यक्रमों द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ सांस्कृतिक विषयों का भी प्रदर्शन होता है। साक्षात्कार एंव परिचर्या, टी०वी० रिपोर्ट, टी०वी० पत्रिका, प्रश्नोत्तरी, टेलीफिल्म, फीचर वृत्तचित्र, नाटक, विविध कार्यक्रम, रंगारग कार्यक्रम, सोप ऑपेरा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक विषयों की जानकारी भी दी जाती है। टी० वी० चूँकि दृश्यश्रव्य माध्यम है अतः इसका प्रभाव मुद्रित माध्यम (पत्र–पत्रिका आदि) एवं श्रव्य माध्यम (रेडियो) से अधिक पड़ता है।

''दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रमों का उद्देश्य और लक्ष्य भारतीय संस्कृति पर आधारित धारावाहिकों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए रामानन्द सागर का 'रामायण' बी० आर० चोपड़ा का 'महाभारत' धीरज कुमार का 'ओम नमः शिवाय' संजय खान का जय हनुमान, रामानन्द सागर का श्रीकृष्ण के अलावो 'वीर हनुमान' और 'उत्तर रामायण' जैसे धार्मिक कार्यक्रमों ने आम जनता को काफी प्रभावित किया। ईसाई समुदाय की धार्मिक कथानक पर आधारित 'बाइबिल की कहानियाँ' के अतिरिक्त कुछ कार्यक्रम 'गुडफ्राईडे', 'क्रिसमस', 'ईस्टर', भी दूरदर्शन पर प्रसारित किये गये। दूर दर्शन पर वैष्णो देवी, कुम्भ मेला, महाकुम्भ राखी, दशहरा, दीवाली, नवरात्रि, महावीर जयन्ती, ओणम, पोंगल, बुद्ध जयंती आदि पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करके हिन्दू जनमानस को जीतने का प्रयास हुआ, वहीं दूसरी ओर ईद, 'ईद मिलन और नवचन्दी मेले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करके मुस्लिम समुदाय को भी खुश किया गया। इसके अलावा चेट्टीचन्द, बैशाखी, गुरुपर्व, पारसी डे आदि पर प्रसारित विशेष कार्यक्रमों ने भारत ही नहीं संसार भर के सिख पंजाबी, पारसी, सिन्धी समुदाय की

धार्मिक–सांस्कृतिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया। ए० लोखन वाला का 'दास्तान ए हातिमताई', (अरबियन नाइट्स की कहानियों पर आधारित), संजय खान का 'द ग्रेट मुगल', अकबर खान का 'अकबर द ग्रेट' राज बब्बर का 'भगवान परशुराम और ए० एन0 पाण्डेय का सत्य नारायण व्रत कथा', रामानन्द सागर का 'जय दुर्गा' आदि प्रमुख धार्मिक–सांस्कृतिक धारावाहिक हैं। इसके अलावा टी०वी० के अन्य चौनलों पर 'गीता रहस्य' 'नानक निर्मल पंथ' सोनी चौनल पर 'श्री गणेश जी० टी०वी० पर 'जय गणेश' स्टार टीवी पर 'उत्तर रामायण' तथा अन्य विभिन्न चौनलों पर विष्णु पुराण', 'ओम नमोः नारायण', 'शिवशक्ति', 'कर्ण', 'जय महाभारत', मर्यादा पुरुषोत्तम राम', 'सती सावित्री', 'द्रोपदी', 'माँ शक्ति', आदि कई दर्जन धार्मिक सांस्कृतिक धारावाहिक प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा दूरदर्शन भी अपने मुख्य चौनल द्वारा 'सुबह सवेरे' नामक कार्यक्रम में 'अमृत वाणी' नामक कार्यक्रम द्वारा संतों की वाणी का प्रसारण कर आम जनता में धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं को संचारित कर रहा है। इन धारावाहिकों द्वारा जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर तीव्रगति से प्रचार–प्रसार हो रहा है वहीं दूसरी ओर हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, पारसी आदि समुदायों की धार्मिक–सांस्कृतिक मान्यताएँ अभिव्यक्त हो रही हैं। इससे अन्तर सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा मिल रहा है। ८८

सेटेलाइट क्रान्ति के बाद नई–नई तकनीकों का विकास होने से वर्तमान में 100 से अधिक देशी–विदेशी निजी एवं सरकारी चौनलों की भरमार से अन्तरसांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तीव्र हो गयी है। विभिन्न टी० वी० चौनलों के द्वारा आकाशीय मार्ग से एक देश, क्षेत्र और समुदाय की संस्कृति, दूसरे देश, क्षेत्र एवं समुदाय में प्रवेश कर रही है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उदारवाद एवं मुक्त बाजार के वैश्विक दर्शन ने वाणिज्य एवं व्यापार हेतु राष्ट्रीय बाधाओं को शिथिल कर दिया है, परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश देशों में उपग्रह संचार के द्वारा निजी एवं विदेशी चौनलों की भरमार होने लगी। समस्त विश्व के सांस्कृतिक वैविध्य से लोग परिचित होने लगे किन्तु सूचनातंत्र कारपोरेट पूंजीवाद एवं विकसित देशों का नियंत्रण होने से उपभोक्तावादी संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति को समस्त विश्व में प्रभावी विस्तार मिल रहा है।

धार्मिक सांस्कृतिक धारावाहिकों को छोड़कर अन्य धारावाहिकों, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, फैशन शो, सोप आपेरा, टाक शो, चौट शो, कामेडी एवं जासूसी विदेशी संगीत फिल्मों, कार्टून फिल्मों, नृत्य, अश्लीलता एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित धारावाहिकों एवं विज्ञापन पक्ष बाजारवाद से प्रभावित उपभोक्तावादी संस्कृति को तेजी से विस्तार प्रदान कर रहे हैं। इस समय समस्त विश्व में प्रत्येक देश की स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्कृति का तीव्रगति से विस्तारित कारपोरेट पूंजीवाद एवं बाजारवाद से प्रभावित भौतिकवादी एंवं उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति से अन्तर्द्वन्द्व और अन्तर्क्रिया भी तीव्र गति से चल रही है। इस प्रकार टी०वी० अन्तर सांस्कृतिक संचार का सबल संवाहक बन चुका है।

फिल्म—वैश्विक जनजीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जनमाध्यम सिनेमा है। सिनेमा दर्शकों की चेतना को इस सीमा तक प्रभावित करता है कि दर्शक अपने वास्तविक जीवन में भी उन प्रभावों से वंचित नहीं रह पाता। सिनेमा समाज के आचारव्यवहार पर असर डालता हैं। अन्तर सांस्कृतिक संचार की दृष्टि से सिनेमा का सभी जनमाध्यमों में शीर्ष स्थान है। भारतीय सिनेमा का प्रारम्भ धर्म एवं संस्कृति के प्रचारप्रसार के उद्देश्य से ही हुआ। प्रथम मूक फिल्म सन् 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिशचन्द्र' बनायी। मूक फिल्मों के युग में ही कुछ और फिल्में भी बनाई गई जो हिन्दू धर्म एवं संस्कृति पर आधारित थीं। जैसे श्री कृष्ण (1918), कबीर कमल (1919), द्रोपदी वस्त्र हरण (1920), मीराबाई (1921), विष्णु अवतार (1922), जनक वेदैही (1923), सावित्री (1924), देवी अहिल्याबाई (1925), भक्त श्री एकनाथ (1926), दुर्गेश नन्दिनी (1927), जय भवानी (1928) कुरूणा कुमारी (1929) गणेश जन्म (1930) वीर अभिमन्यु (1931) आदि प्रमुख हैं। सवाक् फिल्मों के युग में सैकड़ों धार्मिकसांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में बनी जिसमें 'जय सन्तोषी माँ' ने बड़े बजट की फिल्म शोले तक को चुनौती दे दी। इसी तरह 'मुस्लिम संस्कृति एवं इस्लामिक कथनाकों पर आधारित मूक फिल्मों में गुलेबकावली (1929), गुलशने हरम, (1929) हूर–ए–बगदाद (1931), आदि तक सवाक् फिल्मों में आलम आरा (1931), नूर–एइमान (1933), जजमेण्ट आफ अल्लाह (1935), फकीर–ए–इस्लाम (1937) शानेहिन्द (1960), शाने खुदा (1975),

शाने–इलाही (1995) आदि कई दर्जन फिल्में बनी। आजादी के बाद भारतीय चलचित्र विभाग द्वारा भी भारतीय कला संस्कृति पुरातत्व परम्परा, धर्म, रीति–रिवाज पर आधारित अनेक वृत्तचित्र बने। जैसे– भारत के मुसलमान कुम्भ मेला, उत्तर प्रदेश के लोकनृत्य, महाराष्ट्र के लोक गीत, साई बाबा, कोणार्क, सांस्कृतिक मित्रता, श्री अकाल तख्त साहब, कवि सम्मेलन, भरत नाट्यम, कृष्ण भूमि आदि अगणित सांस्कृतिक वृत्त चित्र। भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी मूक एवं सवाक् फिल्मों के दौर में धार्मिक–सांस्कृतिक फिल्म बनी। इन फिल्मों से भारतीय धर्म एवं संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली।

भारत में हॉलीवुड की फिल्मों का भारतीय भाषाओं मे डबिंग से तेजी से भारत सहित अन्य विकासशील देशों में अमेरिकी संस्कृति का प्रसार हुआ। भारतीय फिल्मकारों ने भी पाश्चात्य एवं अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित फिल्मों का हिन्दी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में निर्माण किया। आज भारतीय फिल्मों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता, हिंसा, मारपीट आदि दृश्यों की प्रधानता से पाश्चात्य संस्कृति का तेजी से प्रभावी विस्तार प्राच्य देशों में हो रहा है। हॉलीवुड (अमेरिका) के बाद भारत विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाला देश है। ये फिल्में भारतीय उप महाद्वीप के अलावा विश्व के अन्य बहुत सारे देशों, विशेषकर खाड़ी देशों और रूस आदि में भी देखी जाती हैं। चीन में हिन्दी फिल्में अत्यन्त लोकप्रिय हैं। ये फिल्में चीनी में भाषांतरित करके दिखाई जाती है। इसी प्रकार हालीवुड की अनेक फिल्में विकाशील देशों में वहां की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग करके दिखाई जाती है। भारतीय एवं विदेशी फिल्मों का प्रचार–प्रसार विभिन्न देशों के सुविधा सम्पन्न वर्ग में ही नहीं अपितु आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों तक है। इन क्षेत्रों के लोगों का मनोरंजन निकटवर्ती बाजारों के सिनेमाघरों में प्रदर्शित फिल्मों द्वारा होता है।

इस प्रकार वर्तमान समय में सिनेमा अन्तरसांस्कृतिक संचार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। सिनेमा अपने उद्भव काल से ही जन–जीवन को सर्वाधिक प्रमाणित करने वाला माध्यम है। इसका सीधा प्रभाव दर्शकों के आचार–र–विचार एवं व्यवहार पर पड़ता है। वैश्वीकरण

के वर्तमान दौर में दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी निरन्तर बाजार का विकास होने से सिनेमा अन्तर सांस्कृतिक संचार का सशक्त संवाहक बन चुका है।

9.4.3 इण्टरैक्टिव मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

संचारक्रान्ति के दौर में कम्प्यूटर और इण्टरनेट ने संचार के सभी माध्यमों का समन्वित रूप ग्रहण कर लिया। इण्टरैक्टिव मीडिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर, इण्टरनेट, मोबाइल, पेजर, फैक्स, मोडम आदि आते हैं। वर्तमान में ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अन्तर– सांस्कृतिक संचार के प्रभावशाली माध्यम बन गये हैं। आज समस्त विश्व में चल रही सांस्कृतिक गतिविधियों, क्रियाकलापों एवं हलचलों की सूचना पलभर में हमें इन माध्यमों से प्राप्त हो जा रही है। पेजर, फैक्स, एंव मोबाइल के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग प्रतिदिन परस्पर अन्तर्क्रिया कर रहे हैं। अभी पिछले कुम्भ मेला के अवसर पर प्रयागराज में गंगा–यमुना– सरस्वती के पवित्र संगम पर डेरा जमाये विभिन्न मठों, अखाड़ों के साधु–सन्तु एवं मठाधीश मोबाइल फोन से लैस थे एवं विश्व भर की मीडिया से सीधे जुड़े थे। हजारों किलोमीटर दूर न्यूयार्क और लन्दन में बैठा व्यक्ति विभिन्न मठों एंव अखाड़ों की गतिविधियाँ, शाहीस्नान आदि की सूचना एवं मठाधीशों एवं अखाड़ा प्रमुखों से साक्षात्कार आदि मोबाइल फोन द्वारा ही प्राप्त कर लेता था।

कम्प्यूटर तो आज सभी माध्यमों का माध्यम बन गया है और इंटरनेट कम्प्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क है। आज सूचना, समाचार एवं जानकारी के ढेर सारे स्रोत तो कम्प्यूटराइज्ड हो गये हैं। आज वेब पर बेहिसाब शैक्षिक सामग्री एवं ज्ञान उपलब्ध है। सभी विषयों के इनसाइक्लोपीडिया, सभी देशों के एटलस, मानचित्र, सभी शहरों के रास्तों के मानचित्र, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं सब इण्टरनेट के जरिये उपलब्ध हैं विभिन्न संस्कृतियों के सम्बन्ध में जानकारी, सूचनाएं एवं ज्ञान का अगाध भण्डार इण्टरनेट में उपलब्ध है। इण्टरनेट के माध्यम से हम किसी भी सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, रूढ़ियों, लोकाचारों, जनरीतियों, विश्वास आदर्शों, विधियों कलाओं की जानकारी घर बैठे इण्टरनेट से प्राप्त कर सकते हैं इण्टरनेट

सूचना का महामार्ग है। इसके द्वारा ज्ञान का द्वार सबके लिए खुल गया है।

आज ई– मनोरंजन ने शिक्षा रंजन बेव के जरिये पर्यटन स्थलों का भ्रमण, थियेटर, सिनेमाघर चित्रकला जैसा रचनात्मक कलाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था कर दी है। ई–शिक्षा, ई–संगीत, वीडियो मनोरंजन आदि से अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो गयी है। इण्टररैक्टिव मीडिया के द्वारा आज वैश्विक स्तर पर तीव्रगति से सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य पारस्परिक अन्तर्क्रिया की गति को इण्टररैक्टिव मीडिया ने बहुत तेज कर दिया।

9.5 अन्तरसांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव

आधुनिक मीडिया अन्तरसांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को बहुत तीव्र कर दिया है। आधुनिक मीडिया के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों का आदान–प्रदान कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में सीधे आचार–विचार का आदान प्रदान होता था। आज सीधे संवाद बहुत कम हो रहा है, वरन् आधुनिक मीडिया ही उपकरण और मध्यस्थ दोनों की भूमिका अदा कर रही है। आधुनिक मीडिया का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

9.5.1 सकारात्मक प्रभाव

आधुनिक मीडिया ने अनन्त ज्ञान का द्वार जनसाधारण के लिए खोल दिया है। वैज्ञानिक चेतना को जाग्रत किया है जिससे तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि हो रही है तथा वैज्ञानिक द्वन्द से मूल्यांकन की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जागरूकता से विकास की प्रक्रिया को गति मिल रही है। ये सभी प्रभाव समवेत रूप से एक नये सांस्कृतिक वातावरण का सृजन कर रहे हैं।

आधुनिक मीडिया के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक

एकीकरण की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से चल रही है। आधुनिक मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक बढ़ रही है। आज विकासशील देशों का समाज ही पश्चिम या विकसित देशों की संस्कृति से प्रभावित नहीं हो रहा है वरन् अमेरिका और यूरोप ने भी पूर्वी दर्शनों और के तरीकों, संगीत, भोजन आदि जैसे दूसरी सभ्यताओं के तत्वों को स्वीकार किया है। यदि हम मैकडोनाल्ड, कोकाकोला, फास्टफूड आदि चुनिंदा मास मीडिया के प्रतीकों को स्वीकार कर रहे हैं तो अमेरिका और यूरोप में भी शाकाहारी भोजन के प्रति रूझान बढ़ रहा है। प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति पश्चिमी समृद्ध देशों से पूर्व के निर्धन देशों की ओर बह रही थी। पिछले कुछ वर्षों में दूरदर्शन के माध्यम से एवं अन्य कारणों से भी पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बहने लगी और इन दोनों का समिश्रण प्रत्यक्ष होने लगा है। जब हैरिसन जैसा उत्कृष्ट नौजवान अंग्रेज, संगीतकार, दूरदर्शन पर राम नाम कीर्तन के शब्दों और ध्वनियों को अपने संगीत में सम्मिलित करता है और रविशंकर तथा यहूदी मेनुहेन जब मिलकर एक संगीत रचना तैयार करके दूरदर्शन पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति की प्रचुर राशि में भारतीय संस्कृति का पुट आ ही जाता है और सच्चे अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभिव्यंजना का उदय होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक प्रभावों की दोहरी स्वीकृति एक नई वैश्विक संकर संस्कृति को उत्पन्न करती है। आधुनिक मीडिया का ही यह प्रभाव है कि जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद की संकीर्णता एवं अन्ध विश्वासों और रूढ़िवादिता में कमी आयी हैं। आज सम्पूर्ण विश्व समतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, मानवतवाद, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार जैसे नये सांस्कृतिक मूल्यों को स्वीकार कर रहा है।

आधुनिक मीडिया का ही प्रभाव है कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्कृति को आज वैश्विक पहचान मिल रही है। आधुनिक मीडिया के द्वारा स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, स्थानीय संस्कृति, लोकगीत, लोककला, लोकसाहित्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, लोक संस्कृति को राष्ट्रीय एवं वैश्विक धरातल पर पहचान मिल रही है। दूर–दर्शन एवं अन्य चौनलों पर दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्र की जातियों, जनजातियों, असमी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी तथा तमिल आदि भाषाई आधार पर बने सांस्कृतिक समूहों तथा आन्ध्रा, कर्नाटक आदि सांस्कृतिक समुदायों की परम्पराओं, लोकाचारों, रूढियों, मान्यताओं, जनरीतियों, प्रथाओं,

विश्वासों, आदर्शों, विधियों और कलाओं का प्रायः प्रसारण होता रहता है। इससे इन संस्कृतियों की पहचान तीव्र गति से राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बन रही है। इण्टरनेट पर जातियों–जनजातियों, भाषाई, धार्मिक एवं क्षेत्रीय संस्कृतियों की ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। रेडियो, टी०वी० एवं फिल्मों द्वारा वैश्विक संस्कृति का विस्तार भी इन क्षेत्रों में हो रहा है। जिससे स्थानीय संस्कृतियाँ प्रगतिशील एवं विकासवादी होती जा रही है। भाषाई एवं सांस्कृतिक एकीकरण में फिल्मों का योगदान अग्रणी रहा है। भारत में हिन्दी फिल्मों ने दक्षिण में भी हिन्दी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही पश्चिमी संस्कृति फिल्मों के माध्यम से विस्तार पा रही है जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित कर रही है। इसी तरह राष्ट्रीय संस्कृति को प्रिन्टमीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं इण्टरैक्टिव मीडिया के द्वारा पहचान के लिए वैश्विक धरातल मिल रहा है। भारतीय फिल्में भारतीय उप महाद्वीप के अलावा विश्व के बहुतेरे देशों, विशेषकर खाड़ी के देश तथा रूस, चीन आदि देशों में देखी जाती है। रूस, चीन, आदि देशों में राजकपूर एवं नरगिस की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आगे चलकर रेखा, मिथुन चक्रवर्ती और मन्दाकिनी का रूस में आकर्षण बढ़ा। शडिस्को डांसर', मिथुन ने लाखों रूसी लड़कियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। ये फिल्में देखते–देखते भारतीय नृत्य संगीत, वेश–भूषा, रस्मों–रिवाज से प्रभावित रूस में हिन्दी भाषा, भारतीय नृत्य, सलवार कमीज, बिन्दी, घुंघरू आदि काफी लोकप्रिय हुआ। चीन में 'दो बीघा जमीन', 'हाथी मेरे साथी', 'उत्तर दक्षिणं', गंगा–जमुना, 'घायल', 'इम्तिहान', 'लाडला' आदि फिल्में काफी लोकप्रिय हुई। 'आवारा' के गाने चीन की गलियों और सड़कों पर सुने जा सकते हैं। रुस और चीन में हिन्दी फिल्मों का डाबिंग होता है किन्तु गाने हिन्दी भाषा में ही रहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जन माध्यमों का पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन के लिए तथा मानव कल्याण की योजनाओं को सार्थक रूप देने के लिए विस्तार किया जाता रहा है। विश्व के अनेक देशों में समाज का चेहरा बदलने के अनेक ऐतिहासिक अभियान इन जनमाध्यमों द्वारा शुरू किय गये, चाहे ब्रिटेन के मध्ययुगीन समाज में चुड़ैल समझकर हजारों स्त्रियों को मौत के घाट उतार देने की परम्परा रही हो या भारत में बाल विवाह और सती प्रथा, इन सबको समाज द्वारा

अस्वीकृत कराने पीछे जनसंचार और उससे पैदा हुई जन जागृति की निर्णायक भूमिका रही है। संचार क्रन्ति से सम्पन्न आधुनिक मीडिया पूरे विश्वको सद्भाव तथा बन्धुत्व के सेतु से जोड़कर विश्व मानवता की अवधारणा का विकास कर रही है। जनमाध्यमों द्वारा ज्ञान का विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना का संचार एक नये सांस्कृतिक वातावरण में नये समाज का निर्माण कर रहा है। जिसमें लोकतंत्र, समता, धर्मनिरपेक्षता मानवाधिकार विश्व मानवता, आदि नये सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होंगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जागरुकता के फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया की गति निरन्तर तीव्र होगी। भविष्य में एक नया समाज होगा, एक नया विश्व होगा।

9.5.2 नकारात्मक प्रभाव

आधुनिक मीडिया का मानव जीवन पर जहाँ एक ओर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर अनेक नकारात्मक प्रभाव भी दृ ष्टिगोचर होते हैं। आधुनिक मीडिया का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाला प्रभाव वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। आधुनिक मीडिया से पश्चिमी संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व अपसंस्कृति का प्रसार, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार, राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या, मानवीय संवेदन शून्यता, कलह, आतंकवाद और संसाधनों की छीना–झपटी, आर्थिक दबाव के चलते टूट रहे पारिवारिक सम्बन्धों से बढ़ता अवसाद, संगठित अपराध में वृद्धि, साइबर क्राइम, परम्परागत संस्कृतियों लोकाचारों और परम्पराओं पर कुठाराघात आदि के रूप में जो नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वह सम्पूर्ण मानवजाति के लिए चिन्ता का विषय है।

आधुनिक मीडिया के द्वारा पश्चिमी संस्कृति और अंग्रेजी का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यम विशेषकर दृ श्यश्रव्य माध्यम किस तरह जनमत को सीधे आकाशी तरंगों से प्रभावित करते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 'प्ले ब्वॉय', पत्रिका की भारत में पाबन्दी है। यह अमेरिका की बहुचर्चित सेक्स पत्रिका है। कैलीफोर्निया के 'प्ले ब्वॉय' स्टूडियों में प्रसारित होने वाला चौनल भारत में देखा जा सकेगा क्योंकि हिन्दूस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड (एच० सी० एल०) और अमेरिकी

कम्पनी जनरल इंस्ट्रूमेन्ट्स (डी0आई0) के बीच 1995 में हुए समझौते के बाद 200 से अधिक विदेशी चौनल अपना सांस्कृतिक हमला बोल रहे हैं। यद्यपि सभी चौनल दर्शकों को गुदगुदाने वाले और शयन कक्षों में आत्मीय एकान्त में रिझाने वाले चौनल नहीं हैं किन्तु दर्शकों की

दृष्टि 'प्ले ब्वॉय' सरीखे सेक्स प्रधान चौनल पर ही होगी। जापान में काबुकी थियेटर चौनल से शुरू होकर नेशनल ज्योग्राफिक नैचल भी इस सांस्कृतिक आक्रमण का हिस्सा बन गया है। सेटेलाइट क्रान्ति ने छोटे पर्दे के सेंसर को लगभग व्यर्थ कर दिया है। एम0 टी0वी0 चौनल के कामोत्तेजक वीडियो जब भारत में धड़ल्ले से केबल पर उपलब्ध हो गये तो बम्बईया सिनेभा ने फूहड़ और अश्लील गानों के लिए मानों लाइसेंस हासिल कर लिया। एक अभिनेत्री का यह कथन सर्वथा सत्य ही है कि एम०टी०वी० के गानों के मुकाबले में हमारे तथाकथित सेक्सी गाने भजन की तरह दीखते हैं। दृश्य शृव्य प्रसारण माध्यमों का कितना प्रभावशाली सम्प्रेषण हमारी संस्कृति को विकृत करने पर तुला हुआ है इसका ज्वलन्त उदाहरण प्रसारण माध्यमों की उपर्युक्त भूमिका है। इसी प्रकार ज्ञान के अनन्त भण्डार इण्टरनेट में प्रवेश करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। आज अंग्रेजी के वर्चस्व को रोकने में फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी अपने को असहाय महसूस कर रही हैं, तो हिन्दी सहित अन्य विकासशील देशों की भाषाओं की औकात ही क्या है। भारतीय फिल्मों में इलू इलू–इलू का मतलब आई लव यू, लांग ड्राइव जायेंगे, फूल स्पीड जायेंगे, रुक रुक अरे बाबा रुक, ओ माई डार्लिंग गिव मी ए लुक जैसे गाने गाये जाते रहे हैं किन्तु दृश्य श्रव्य माध्यमों ने तो सारी हदें तोड़कर ऐंग्लो हिन्दी को अपना तकिया कलाम बना लिया है। विद्वानों का मानना है कि किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो उस देश की भाषा को समाप्त कर दो, संस्कृति स्वयं नष्ट हो जाएगी। इस तरह पश्चिमी मीडिया, जिसका सूचना तंत्र पर एकाधिकार है, पश्चिमी संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्थापित करके समस्त विश्व को सांस्कृतिक एवं भाषाई उपनिवेश बनाकर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सपना साकार करना चाहती है।

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सूचना तंत्र पर कब्जा जमाये कारपोरेट पूंजीवाद ने विश्व में उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया

है। भाषाई संकट एवं अपसंस्कृति का प्रसार इसी उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। यह महज संयोग नहीं है कि पिछले आठ–दस सालों में विश्व सुन्दरियाँ भी तीसरी दुनिया के मुल्कों से तलाशी जा रही है यह एक संगठित उपक्रम है उपभोग लालसा तैयार करने की। आज भारत का उच्च मध्यवर्ग उपभोग के संस्कारों के साथ पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसमें ये संस्कार बाहर से भरे जा रहे हैं। यह कार्य विधिवत जन संचार माध्यम ही कर रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति पूरे विश्व में जनसंस्कृति का तीव्र गति से प्रसार कर रही है। पूरे विश्व में एक तरह का पहनावा, खान–पान आदतें, आचार–विचार–व्यवहार आदि जनसंस्कृति के चुनिंदा प्रतीकों का तेजी से विस्तार हो रहा है। पूरे विश्व में जनमाध्यमों द्वारा उपभोक्तावाद का विश्व व्यापी बाजार तैयार किया जा रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने संसाधनों की छीना–झपटी, कलह एवं आतंकवाद से पूरे विश्व में असहिष्णुता का वातावरण पैदा कर दिया जिसमें मानवीय संवेदना लुप्त होती जा रही है और सूचना के संजाल में व्यक्ति की अस्मिता खो रही है।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, भाषाई वर्चस्व आर्थिक उपनिवेशवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार एवं जनसंस्कृति विस्तार ने हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक नींव को तथा परम्परा को हिला कर रख दिया है। आज पूरे दक्षिणी एशियाई समाज को गठबन्धन और पारिवारिक टूटन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समाज में अवसाद वढ़ रहा है। अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से संगठित अपराध में वृद्धि हुई और साइबर क्राइम जैसी नई अवधारणा का जन्म हुआ। इस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। टी०वी० से शताधिक चौनलों एवं फिल्मों में दिखाई जा रही हिंसा अपराध और अश्लीलता से अपसंस्कृति का वैश्विक समाज में तेजी से प्रसार हो रहा है। सी० एन0 एन0 देखने वाला दर्शक अमेरिका एवं यूरोप भी घटना को लगातार देखता है और उसके अनुसार आचरण करता है। दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में बसे जनजातीय समूह के लोग भी अपने निकटवर्ती बाजारों के सिनेमा घरों में फिल्मों को देखकर तेजी से अपने आचार–विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं। इन सबका सकारात्मक प्रभाव कम तथा नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ रहा है। आधुनिक मीडिया ने परम्परागत संस्कृति, लोकाचारों एवं परम्पराओं पर प्रबल प्रहार करके राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियों

के संरक्षण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। आधुनिक मीडिया का अन्तरसांस्कृतिक संचार पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव किसी एक समाज का नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व के लिए चिन्ता का विषय है। इसका वैश्विक स्तर परि निदान ढूढना आवश्यक है।

9.6 सारांश

अन्तर सांस्कृतिक संचार दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य आचारविचार एवं व्यवहार का परस्पर सम्प्रेषण है। इसकी प्रक्रिया वस्तुतऋ संचार की प्रक्रिया ही है जिसमें सन्देश के रूप में सांस्कृतिक गतिविधियों, क्रियाकलाओं एंव ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आधुनिक मीडिया अन्तर सांस्कृतिक संचार का सशक्त संवाहक है। आधुनिक मीडिया के अन्तरर्गत समाचार पत्र–पत्रिका एवं अन्य मुद्रित सामग्री, रेडिया, टी0वी0 फिल्म, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, पेजर, फैक्स आदि आते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न आधुनिक मीडिया द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तीव्रगति से सम्पादित हो रही है। आधुनिक मीडिया का अन्तरांस्कृतिक संचार पर वैश्विक संस्कृति की विस्तार एवं राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति की वैश्विक पहचान के रूप में सकारात्मक तथा सांस्कृतिक एवं भाषाई वर्चस्व उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार अपसंस्कृतिक का प्रसार, संवेदन शून्यता एवं संगठित अपराध में वृद्धि, परिवारिक सम्बन्धों में बिखराव एंव राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या के रूप में नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है।

9.7 शब्दावली

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार का संवाहक आधुनिक मीडिया
2. कम्प्यूटर कम्प्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रानिक युक्ति है जो सूचनाओं की प्राप्त करके कुछ निर्देशों के अनुसार उसका विश्लेषण करता है और परिणाम दर्शाता है।
3. इण्टरनेट– यह विश्व स्तर पर कम्प्यूटरों के नेटवर्क को निरूपित करता है।

9.8 सन्दर्भ–ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता – डा० अर्जुन तिवारी
2. दृश्य–श्रव्य एवं जनसंचार माध्यम नई सदी की चुनौतियाँ– डा० कृष्ण कुमार रत्तू
3. दूरदर्शन एवं सामाजिक विकास – डा० जय मोहन झा
4. दृश्य–श्रव्य सम्प्रेषण और पत्रकारिता – डा० जेम्स मूर्ति

9.9 सम्बन्धित प्रश्न

9.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ बताइए।
2. आधुनिक मीडिया के प्रकार बताइए।
3. अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सचित्र समझाइए।
4. इण्टरैक्टिव मीडिया और अन्तरसांस्कृतिक संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

9.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर सांस्कृतिक संचार के घटक शब्दों को परिभाषित करते हुए अन्तर सांस्कृतिक के विकास पर प्रकाश डालिए।
2. प्रिण्ट मीजिया और अन्तर सांस्कृतिकसंचार पर एक लेख लिखिए।
3. आधुनिक मीडिया का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर नकारात्मक प्रभावोंकी समीक्षा कीजिए।
4. मीडिया का प्रकार बताते हुए आधुनिक मीडिया का आशय स्पष्ट करें।

9.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वायुयान है

(क) भौतिक संस्कृति

(ख) अभौतिक संस्कृति

(ग) भावात्मक संस्कृति

(घ) इसमें से कोई नहीं

2. समाचार क्या है –

(क) इलेक्ट्रानिक मीडिया

(ख) परम्परागत मीडिया

(ग) प्रिंट मीडिया

(घ) इण्टरैक्टिव मीडिया

3. भारत में प्रदर्शित प्रथम मूल फिल्म 'राजा हरिशचन्द्र' बना था

(क) 1916

(ख) 1913

(ग) 1925

(घ) 1931

4. रेडियो को किसने 'आकाशीय विद्यापीठ' कहा है

(क) डा० जेम्स मूर्ति

(ख) राविन बर्टन

(ग) डा० कृष्ण कुमार रत्तू

(घ) डा० अर्जुन तिवारी

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर –

1– (क)

2– (ग)

3– (ख)

4– (घ)

इकाई 10 अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 समाचार समिति का अर्थ एवं महत्व

10.2.1 समाचार समिति का अर्थ

10.2.2 समाचार समितियों का महत्व

10.3 अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

10.3.1 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

10.3.2 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय टी० वी० एजेन्सियाँ

10.3.3 अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

10.4 अन्तर्राष्ट्रीय संचार एवं समाचार समितियाँ

10.4.1 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह

10.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को संतुलित करने का वैश्विक

प्रयास

10.5 अन्तर्सास्कृतिक संचार एवं संवाद समितियाँ

10.6 अन्तर्सास्कृतिक संचार पर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का प्रभाव

10.6.1 सकारात्मक प्रभाव

10.6.2 नकारात्मक प्रभाव

10.7 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

10.7.1 सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रश्न

10.7.2 सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट

10.8 सारांश

10.9 शब्दावली

10.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

10.11 सम्बन्धित ग्रन्थ

10.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

10.11.2 दीर्ध उत्तरीय प्रश्न

10.11.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

10.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगेसमाचार समितियों का अर्थ विश्व की प्रमुख समाचार समितियाँ एवं उनका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय संचार एवं समाचार समितियों अन्तर सांस्कृतिक संचार पर समाचार समितियाँ अन्तर सांस्कृतिक संचार पर समाचार समितियों का प्रभाव सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रश्न एवं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट

10.1 प्रस्तावना

जनसंचार के सभी माध्यम क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए समाचार समितियों के मुखापेक्षी हैं। जनसंचार का कोई भी माध्यम इतना सक्षम नहीं है कि अपने संसाधनों से सम्पूर्ण विश्व का समाचार प्राप्त कर सके। जनसंचार माध्यमों की इस समस्या का समाधान समाचार समितियाँ करती हैं। समाचार समितियां विश्व भर में घटित होने वाली घटनाओं, समाचारों, गतिविधियों, क्रियाकलापों की सूचना अत्याधुनिक संचार उपकरणों से समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रिानिक माध्यमों, जो उनके ग्राहक है, को तत्काल सम्प्रेषित कर देती हैं। विश्व भर में संचालित सांस्कृतिक गतिविधियों, क्रियाकलापों की सूचनाएं एवं समाचार भी ये समितियाँ विभिन्न माध्यमों को सम्प्रेषित करती रहती हैं जिससे अन्तर सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार अन्तरसांस्कृतिक संचार पर समाचार समितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

10. 2 समाचार समिति का अर्थ एवं महत्व

समाचार संकलन प्रेषण एवं वितरण में समाचार समितियों का प्रमुख योगदान होता है। साधन सम्पन्न प्रेस भी देश–विदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना संवाददाता नहीं रख सकता। समाचार समितियाँ समाचार पत्र–पत्रिकाओं के अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन, इण्टरनेट, सरकार एवं विविध व्यावसायिक घरानों को समाचार उपलब्ध कराती है। समाचार समितियों द्वारा फीचर सेवा, फोटो सेवा, आदि भी सुलभ करायी जाने लगी हैं। टी0वी0 के लिए समितियाँ न्यूज कैपसूल भी उपलब्ध कराने लगी हैं।

10.2.1 समाचार समिति का अर्थ

समाचार समिति को समाचारों का अदतिया कहा जाता है। यूनेस्को ने सन् 1952 में समाचार समिति को इस प्रकार से परिभाषित किया है ष्समाचार समिति –

एक उद्यम है, जिसका प्रमुख उद्देश्य चाहे उसका कानूनी स्वरूप कैसा भी हो– समाचार एवं समाचार विषयक सामग्री एकत्र करना एवं तथ्यों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण है तथा उन्हें समाचार संस्थाओं

को विशेष परिस्थिति में निजी व्यक्तियों को भी इस दृष्टि से वितरित करना है कि उन उपभोक्ताओं को व्यावसायिक विविध एवं नियमानुकूल स्थितियों में, मूल्य के एवज में जहाँ तक सम्भव हो, सम्पूर्ण एवं निष्पक्ष सेवा प्राप्त हो सके।' 'इनसाइक्लोपीडिय ब्रिटानिका' ने समिति को इस प्रकार परिभाषित किया है–

'वह समिति जो कि समाचार पत्र पत्रिकाएँ क्लब, संगठनों व निजी व्यक्तियों को तारों, पाण्डुलिपियों, टेपमशीन, प्रतिलिपियों और कभी–कभी टेलीफोन द्वारा समाचार प्रेषित करती है। समाचार समितियाँ स्वयं समाचार प्रकाशित नहीं करती वरन निजी स्तर पर अपने ग्राहकों को सूचनाएं प्रदान करती हैं।

ए मैनुअल आफ न्यूज एजेन्सी रिपोर्ट के अनुसार ष्समाचारों का प्रसार समाचार समितियों का प्राथमिक कार्य हैं।ष डी० एस० मेहता ने समाचार समिति को इस प्रकार परिभाषित किया है– ष्समाचार समिति का आधार भूत कार्य समाचार एवं सम सामयिक घटनाओं के समाचार विवरण का प्रेषण समाचार पत्रों एवं अपने ग्राहकों को करना उपर्युक्त परिभाषाओं के आलोक में कहा जा सकता है कि समाचार समितियों का मुख्य कार्य समाचार प्राप्त करना तथा समाचार पत्रों–पत्रिकाओं, रेडियो, टी0वी0 और जनसंचार के अन्य साधनों को समाचार वितरित करना है।

10.2.2 समाचार समितियों का महत्व

समाचार समितियों का स्थान समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से बड़ा है क्योंकि ये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंचार माध्यमों को समाचार सम्प्रेषित करती है जिससे पत्र–पत्रिकाओं एवं अन्य जनसवार माध्यमों का कलेवर बनता है। समितियाँ द्रुतगति से सत्य एवं निष्पक्ष समाचारों को संग्रहित एवं प्रेषित करती हैं। पत्रकारिता के स्तरोन्नयन के साथ ही पत्र–पत्रिकाओं एवं अन्य माध्यमों को विश्व भर की जानकारियाँ बड़ी कुशलता एवं शीघ्रता से उपलब्ध करा देती है। समाचार पत्र जिस मूल्य पर अपने निजी संवाददाताओं से समाचार प्राप्त कर सकते हैं उससे भी कम मूल्य पर ये समितियाँ पत्र–पत्रिकाओं को समाच. र उपलब्ध करा देती है। समाचार पत्र अपने संसाधनों एवं सामर्थ्य से जितना समाचार एकत्र कर सकते हैं उससे कई गुना अधिक समाचार ये

समितियाँ उपलब्ध करा देती हैं। राजसत्ता के नियंत्रण से मुक्त समाचार समितियाँ समाचारों का चयन तथ्यों के आधार पर करती हैं जो अद्यतन एवं निष्पक्ष होते हैं। समितियाँ अफवाहों पर आधारित अपुष्ट समाचार नहीं देती हैं और न ही इनका कार्य क्षेत्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और खोजी समाचार प्रसारित करना है। इनकी सम्पादकीय नीति नहीं होती है। इनका मूल काम दैनन्दिन घटनाओं का समाचार देना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है।

10.3 अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

विश्व में व्यावसायिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के उदय के फलस्वरूप समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए विशेष संगठनों की आवश्यकता महसूस की गयी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1820 में एसोसिएशन आफ मार्निंग न्यूज पेपर्स नामक संस्था न्यूयार्क में गठित की गई। सहकारिता के आधार पर यूरोप से आने वाली रिपोर्ट का संकलन यह संस्था करती है। इंग्लैण्ड में भी इसी प्रकार की एक संस्था के माध्यम से समाचार पत्रों को संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट सुलभ होने लगी। आधुनिक समाचार समितियों के श्री गणेश का श्रेय एक युवा फ्रांसीसी चार्ल्स हवास को प्राप्त है। उसने 1825 में पेरिस में एक न्यूज ब्यूरो की स्थापना की। चार्ल्स हवास ने विभिन्न प्रकार के समाचारों के संकलन एवं सम्प्रेषण के लिए संवाददाताओं की नियुक्ति की। इस कार्य के लिए प्रारम्भ में डाक सेवा का सहारा लिया। किन्तु 1837 में तार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप अपनी समाचार समिति के लिए तार का भी इस्तेमाल करने लगा। सन् 1840 में हवास ने पेरिस, लन्दन और ब्रुसेल्स के बीच प्रशिक्षित कबूतरों का उपयोग करके एक नया प्रयोग किया। हवास की सफलता से प्रेरित होकर उसके एक कर्मचारी वर्नाड वोल्फ ने 1849 में वोल्फ एजेन्सी के नाम से समाचार सेवा प्रारम्भ की तथा एक अन्य कर्मचारी जर्मन युवक जूलियस राइटर ने 1850 में व्यापारिक समाचारों के लिए लन्दन में एक आफिस खोला तथा समाचार संकलन के लिए तार व्यवस्था और रेल प्रणाली का भरपूर उपयोग किया। यूरोप की इन तीन प्रमुख समितियों 'हवास' 'वोल्फ' और 'रायटर' ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य का विस्तार करना आरम्भ किया।

यूरोप के समाचार समितियों के जन्म और विकास से विभिन्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर समाचार समितियाँ गठित होती गयीं। अमेरिका में 1848 में न्यूयार्क के कुछ समाचार पत्रों ने 'हार्वट न्यूज एसोसिएशन के नाम से एक संस्था कायम की जो अपनी निजी नौकाओं से विभिन्न देशों से आने वाले जहाजों तक पहुँचकर समाचारों को प्राप्त करती थी। न्यूयार्क में ही 1850 में 'जनरल न्यूज एसोसिएशन के नाम से एक तार समाचार एजेन्सी की भी स्थापना हुई। 1857 में अमेरिका की दोनों समाचार समितियों को मिलाकर 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस' का जन्म हुआ। इसी प्रकार 'टेलिग्राफिका स्टेफनी इटली' (1853 से 1945), 'वेस्टर्न एसोसिएट प्रेस अमेरिका (1959 से 1859) तथा 'प्रेस एसोसिएशन इंग्लैण्ड' (1868 से अभी तक) की स्थापना हुई।

समाचारों के लिए समाचार माध्यमों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरोप की तीनों एजेन्सियों 'हवास' 'रायटर' एवं वोल्फ, ने 1865 में समाचारों के आपसी आदान–प्रदान के समझौते किए। 1872 में अमेरिका का 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस' भी इस समझौते में शामिल हो गया। इन समितियों ने पूरे विश्व को चार भागों में बाँट लिया तथा अपने–अपने क्षेत्र में समाचारों के संकलन एवं वितरण का

एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 'हवास' का क्षेत्र फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीट्डरलैण्ड तथा मध्य–दक्षिणी अमेरिका, 'रायटर' का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य, टर्की व सुदूरपूर्व, 'वोल्फ' का क्षेत्र जर्मनी, आस्ट्रिया नीदरलैण्ड, स्कंडिनेविया, रूस व वालकान तथा 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस, वा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका था। यह समझौता 1934 तक चला। इसके बाद प्रत्येक समाचार समिति ने स्वतंत्र रूप से स्वयं को गठित किया।

10.3.1 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

विश्व की अनेक समाचार समितियों ने अपना कार्य क्षेत्र एक से अधिक देशों में फैला लिया है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय या विश्व समाचार एजेन्सी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता। यूनेस्को ने 1952 में वित्तीय संसाधन, कुशल संवाददाता और सुसंगठित सम्प्रेषण सुविधाएँ आदि की दृष्टि से सर्वेक्षण करके 6

समितियों को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के रूप में पाया वे हैं– ए० पी० आई० (अमेरिका), आई० एन० एस० (अमेरिका), यू० पी० आई० (अमेरिका, रायटर (ब्रिटेन), ए0 एफ0 पी0 (फ्रांस) और तास (रूस)। वर्तमान में चार एजेन्सियों का अन्तराष्ट्रीय स्तर समाचार सम्प्रेषण में प्रभुत्व है, जो इस प्रकार है–

ए0पी0– विश्व की प्रमुख चार बड़ी एजेन्सियों में से एक ए० पी० की स्थापना सन् 1848 में न्यूयार्क के 6 समाचार पत्रों में सहकारिता के आधार पर की थी। प्रारम्भ में जलयानों से व्यावसायिक समाचार प्राप्त करने तक सीमित था। समाचार सम्प्रेषण के खर्चों को घटाने के लिए इसने अमेरिका में वेस्टर्न ए० पी०, सदर्न ए० पी० और न्यू इंग्लैण्ड ए0 पी0 की स्थापना हुई किन्तु 1892 में इनका आपस में विलय हो गया और नया नाम एसोसिएटेड प्रेस रखा गया। प्रारम्भ में ए0पी0 ने अपने ग्राहकों पर अन्य समाचार समितियों से सेवा न लेने का प्रतिबन्ध लगा रखा था किन्तु बाद में यह प्रतिबन्ध खत्म हो गया। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक माध्यमों की सदस्यता से नियंत्रित यह एक सहकारी समाचार समिति ही है। ए0पी0 की उन्नत तकनीकों से परिपूर्ण लगभग 100 देशों में समाचार समितियाँ फैली हुई है तथा डेढ़ हजार से भी अधिक समाचार पत्र और पांच हजार से अधिक रेडियो और टी०वी० संस्थान इसके सदस्य हैं। इसके ग्राहकों को सदस्य कहा जाता है। सरकार सहित किसी भी संस्था से ए0पी0 अनुदान नहीं लेता।

वित्तीय बजट की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एजेन्सी ए० पी० के पास हजारों कर्मचारी एवं लाखों संवाददाता है तथा विश्व के अनेक समाचार समितियों से समाचारों के लेन–देन का समझौता है। मोर्स तकनीक को टेलीप्रिंटर में बदलने, टाइप सेटर टेप के माध्यम से समाचार देने चित्र प्राप्ति प्रेषण के लिए लेजर किरणों का प्रयोग करना तथा उपग्रहों का उपयोग करने में ए० पी० को प्रथमता प्राप्त है। वर्तमान में सभी कार्य स्वचालित मशीनों एवं उपकरणों द्वारा सम्पादित हो रहा है। इस समिति को 31 बार पुलिट्जर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ए० पी० ने व्याख्यात्मक एवं खोज परक रिपोटिंग के साथ ही विज्ञान, धर्म संस्कृति आदि की रिपोर्टिंग के लिए विद्या विशेषज्ञों को रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया है। रूसी संवाद समिति इतर तास फ्रांसिसी संवाद

समिति ए०एफ० पी० तथा भारतीय संवाद समिति यू० एन०आई० के साथ समझौता है। पहले इसका मुख्यालय इलिनाय में था किन्तु वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। इस समिति में डा० अलेक्जेंडर जोन्स, डेनियल एच0 क्रेग और जेम्स डब्ल्यू० साइमन्टोन का योगदान अविस्मरणीय है।

यू०पी0आई0–अमेरिकी समाचार समिति यू०पी०आई० विश्व की सबसे बड़ी स्वतंत्र समाचार समिति है, जिसकी स्थापना एडवर्ड विलियम स्क्रिप्स ने एसोसिएटेड प्रेस से प्रेरणा लेकर 1907 में की थी। तब इसका नाम यूनाइटेड प्रेस एसोसियेशन था। सन् 1958 में विलियम रेण्डोल्फ हार्ट की समाचार समिति इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस' का इसमें विलय होने से इसका नाम 'यूनाइटेड' प्रेस इन्टरनेशनल' कर दिया गया। ए0 पी0 के वर्चस्व को तोड़ने के लिए इस समाचार समिति की स्थापना की गई थी।

विभिन्न प्रकार के समाचारों के लिए इस समिति की कई सहायक समितियाँ हैं। इसकी सहायक समितियों में यू०पी० आई० समाचार चित्र सेवा, टी०वी० न्यूज फिल्म सर्विस, आडियो सर्विस, यू०पी० आई यूनी स्टाक्स सर्विस स्पेशल वाशिंगटन वायर, यू०पी० आई० इण्टरनेशनल फीचर्स तथा यू०पी०आई० यूनीकाम न्यूज आदि प्रमुख है। यू०पी०आई की उपरोक्त सहायक समितियाँ इलेक्ट्रानिक माध्यमों, श्रव्य क्षेत्रों, स्टाक मार्केट, जलयानों, फीचर सेवा तथा अनाजों और आर्थिक समाचारों के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं।

यू0पी0आई0 ने कम्प्यूटर आदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न विश्वभर में लगभग 90 से अधिक कार्यालय खोल रखे है। साथ ही अमेरिका के सभी प्रमुख नगरों में इसका ब्यूरो कार्यालय है। देश–विदेश में इसके कर्मचारियों की संख्या हजारों मे है। इसकी व्यापकता यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और आस्ट्रेलिया तक है। इसके समाचारों में समग्रता एवं विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है।

रायटर–रायटर की स्थापना एक्स ला चौपल में सन् 1850 जूलियस रायटर नामक उद्यमी ने किया था। हवास में प्रशिक्षित जर्मन युवक रायटर ने 1849 में कबूतरों द्वारा ब्रुसेल्स से स्टाक एक्सचेंज का

भाव प्रसारित करना आरम्भ किया। कबूतरों के अलावा वह कार सेवा, रेलसेवा एवं विशेष दूतों की सहायता से भी समाचार प्राप्ति प्रेषण का कार्य करता था। 1851 में लन्दन– पेरिस के बीच 'केबल' सेवा प्रारम्भ हो जाने पर उसने लन्दन से व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ किया। 1899 में रायटर की मृत्यु हो गयी तथा 1925 तक रायटर प्राइवेट कम्पनी के रूप में चली। इसके बाद समाचार पत्रों द्वारा इसका पेपर शेयर होल्डर बनने, 1941 में ब्रिटिश प्रेस एसोसिएशन द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने तथा आधा शेयर 'न्यूज पेपर्स प्रोपराइटर्स एसोसिएशन' को बेच देने से यह ब्रिटिश प्रेस की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में एक ट्रस्ट बन गया।

1947 में 'आस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस' और 'न्यूजीलैंड प्रेस एसोसिएशन' भी रायटर ट्रस्ट' के सदस्य बन गये। 1949 में प्रेस ट्रस्ट आफ इंण्डिया' भी इस समूह में शामिल हो गया।

समाचार सकलन हेतु रायटर ने सबसे पहले पेरिस में अपने–अपने क्षेत्र के विशिष्ट अनुभवी 6 व्यक्तियों को संवाददाता के रूप में नियुक्त करके उनको विषय क्षेत्र (Beat) सौंपा। रायटर के विस्तृत नेटवर्क से उसकी कीमत बढ़ गयी। जो समाचार पत्र पहले रायटर की सेवा लेने से इनकार कर दिए थे उनकी आगे चलकर रायटर से सेवा लेना मजबूरी हो गयी। अमेरिकी गृहयुद्ध के नवीनतम समाचार एवं अब्राहम लिंकन की हत्या की सबसे पहले खबर देने से इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गयी। एक समय रायटर समाचार प्राप्ति प्रेषण का पर्याय बन गया और उसका विश्व व्यापी नेटवर्क हो गया। केंट कपूर का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है

'रायटर सचमुच समाचार जगत के चौराहे पर बैठा है और सारे यातायात पर नियंत्रण रखता है।'

'रायटर ट्रस्ट' का उद्देश्य समाचार एजेन्सी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने और सेवा की निष्पक्षता बनाए रखना है। यह लाभ रहित संगठन है और इसकी आय समाचारों पत्रों, संवाद एजेन्सियों, इलेक्ट्रानिक माध्यमों एवं अन्य ग्राहकों से होती है। रायटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त समाचार एजेन्सी है। इसने यूरोप सहित दुनियाँ के प्रमुख स्थानों में अपने हजारों संवाददाता, छायाकार, कैमरा मैन नियुक्त

कर रखे हैं। लगभग 100 ब्यूरो केन्द्र विश्व भर में है। यह लगभग 160 स्टाक मार्केट से सूचना ग्रहण करती है और 80 लाख शब्द से भी अधिक विभिन्न भाषाओं के पत्रों में छपते हैं। रायटर ने सर्वप्रथम एजेन्सी समाचारों के वाद एजेन्सी का नाम देना प्रारम्भ किया। इसका मुख्यालय 85, फ्लीट स्ट्रीट, लन्दन में है।

ए०एफ०पी०– सन् 1835 में विश्व विख्यात हवास समिति को 1940 में फ्रांस पर जर्मनी का अधिकार हो जाने के बाद समाप्त कर दिया गया और हवास के ही कुछ कर्मचारियों ने लन्दन और अल्जीरिया में स्वतंत्र रूप से दो अलग–अलग समाचार समितियों का गठन किया। 1944 में युद्ध समाप्ति और पेरिस मुक्ति के बाद वहाँ के समाचार पत्र और दोनों समाचार समितियों ने मिलकर ए०एफ०पी० की स्थापना की। इसका पूरा नाम एजेन्सी फ्रांस प्रेस है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा हवास की परिसम्पत्तियाँ इसे सौंप दी गई ।

ए०एफ०पी० एक स्वायत्तशासी समाचार समिति है जिसका संचालन 8 सदस्यीय द्वारा किया जाता है। 1957 में पारित नियमों के अनुसार दैनिक पत्रों, इलेक्ट्रानिक माध्यमों सार्वजनिक सेवा और व्यावसायिक पत्रकारों के दो–दो प्रतिनिधि परिषद के सदस्य होते हैं। फ्रांस सरकार से इसे अनुदान प्राप्त होता है। वर्तमान में डेढ़ सौ से अधिक देशों में 70 से अधिक समाचार समितियाँ और हजारों ग्राहक इस समिति है। आधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न ए०एफ०पी० का अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क चौबीस घंटे समाचारों के अतिरिक्त फीचर, चित्र, व्यापारिक एवं वित्तीय समाचार एवं सिण्डिकेट लेख सेवा भी अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है।

10.3.2 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय टी०वी० एजेन्सियाँ

प्रमुख प्रेस एजेन्सियों की भांति कुछ विश्वस्तरीय टी०वी० न्यूज एजेन्सियाँ भी है, जो निम्नलिखित हैं

विसन्यूज – इसका पूरा नाम विजन न्यूज हैं। यह टी०वी० समाचार संवाद समिति है जो लन्दन में स्थित है। यह टी० वी० एजेन्सी रायटर्स, आस्ट्रेलिया प्रसारण संगठन, कनाडा प्रसारण संगठन, वी०पी०सी० तथा न्यूजीलैण्ड टी०वी० के सहयोग से संचालित होती है।

बी०वी०सी० द्वारा 1957 में स्थापित इस एजेन्सी के पास समाचारों हेतु चार नियमित दैनिक सेटेलाइट फीड्स है। तीन लन्दन और एक न्यूयार्क से संचालित होता है। वीडियो कैसेटों द्वारा नजदीक के अन्य ऐसे टेलीविजन स्टेशनों तक इसकी सेवाओं का विस्तार किया जाता है जो सीधे सीधे सेटेलाइट से समाचारों को प्राप्त नहीं कर सकते।

यू0पी0आई0टी0एन0–यू०पी०आई०टी०एन० एक बहुराष्ट्रीय टी० वी० एजेन्सी है जो विसन्यूज की मुख्य प्रतिद्वन्दी है। अमेरिकन प्रेस एजेन्सी यू0पी0आई0 और ब्रिटिश इण्डिपेण्डेन्ट टेलीविजन (आई०टी०एन०) का नाम मिलाकर इसका नाम पड़ा है। यू०पी०आई०टी०एन०। वर्तमान में लगभग 80 देशों के 200 टेलीविजन केन्द्र इसके ग्राहक हैं। विश्व की 90 प्रतिशत घटनाओं का इसके द्वारा प्रसारण किया जा रहा है। न्यूयार्क वाशिंगटन लन्दन, पेरिस, रोम, हांगकांग, फ्रैंकफर्ट आदि शहरों में इसका कार्यालय है। यह भी सूचना सम्प्रेषण में सेटेलाइटों का उपयोग करती है।

10.3.3 अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

विश्व की प्रमुख अन्तराष्ट्रीय समाचार समितियों के अतिरिक्त विश्व भर में अन्य हजारों राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और सरकार नियंत्रित संवाद समितियाँ भी हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों से समाचारों का आदान–प्रदान करके समाचारों का प्राप्ति–प्रेषण करती है। इस प्रकार की समितियाँ निम्नलिखित हैं।

भारतीय समाचार समितियाँ भारत में समाचार समिति के जन्मदाता के० सी० राय है। इन्होंने तीन प्रमुख अंग्रेज पत्रकारों काट्स, वग, डलास, के सहयोग से 1905 में एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया की स्थापना की। इसने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में अपनी शाखा खोली। 1915 में रायटर द्वारा ए0पी0आई का अधिग्रहण करके के0 सी0 राय को उपेक्षित कर दिया गया। राय ने इण्डियन न्यूज एजेंसी की स्थापना की। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में सदानन्द ने 'फ्री प्रेस एजेन्सी' का गठन किया ।

सन् 1933 में वी० सेन गुप्ता ने 'युनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया'

नामक प्रेस एजेन्सी का गठन किया।

सन् 1947 के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव में कार्य करने वाली प्रेस एजेन्सियों से मुक्ति दिलाने हेतु राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप समाचार देने वाली एजेन्सी की आवश्यकता महसूस होने पर कुछ लोगों ने मिलकर प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया' के नाम से एक नये समाचार समिति का गठन किया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। इसका संक्षिप्त नाम पी०टी० आई० है। पी0टी0आई0 ने एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया को खरीद लिया। वर्तमान में यह एशिया की सबसे बड़ी प्रेस एजेन्सी है। इसका रायटर से अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों की खरीद एवं भारतीय समाचारों के बिक्री का समझौता है। इसके अलावा ए0पी0 (अमेरिका) ए०एफ०पी० (फ्रान्स) इतरतास (रुस), पी0ए0पी0 (पौलैण्ड), यम०टी०आई०, (हंगरी) से भी समाचारों के आदान–प्रदान का समझौता है। यह समाचार सेवाओं के अतिरिक्त आन लाइन फोटो सेवा, मैग, ग्राफिक्स, विज्ञान सेवा, आर्थिक सेवा, डाटा, इण्डिया, स्क्रीन आधारित न्यून स्कैन तथा स्टाक स्कैन सेवाएं भी प्रदान करती हैं। इसका टेलीविजन विंगपी0टी0आई0टी0वी0 है। यह अंग्रेजी में समाचार देती है। इसका मुख्यालय बम्बई में है। पी0टी0आई0 की हिन्दी समाचार सेवा भाषा (1986) है। भारत में 100 कार्यालय के साथ ही विश्व के अधिकांश बड़े शहरों में इसके संवाददाता है।

समाचार के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 21 मार्च 1961 को यू0एन0आई0 की स्थापना पी०टी०आई० के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया। इसका रायटर के अतिरिक्त विश्व की कई एजेन्सियों से समझौता है। सेटेलाइट, इण्टरनेट आदि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से सम्पन्न यह एजेन्सी समाचार पत्रों के अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन, सरकारी विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दूतावासों, होटलों एवं शैक्षिक संस्थानों को यह समाचार उपलब्ध कराती है। इसने 1992 में पहली बार टेलीप्रिंटर से उर्दू समाचार भेजकर उर्दू सेवा प्रारम्भ की। यह वित्तीय वाणिज्यिक संगठनों हेतु यूनीफिन स्टाक ब्रोकरों के लिए 'यूनीस्टाक' और टेलीविजन सेवा भी प्रदान करती है। यह समाचार फिल्में, न्यूज क्लिस, वृत्तचित्र, राष्ट्रीय फोटो सेवा, समसामयिक लेख सेवा, फोकस सेवा, यूनीस्कैन के नाम से स्कैन सेवा भी उपलब्ध कराती

है। विश्व के अन्य क्षेत्रों के अलावा खाड़ी देश इसके पुराने ग्राहक हैं। इसका पूरा नाम यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया है। यह अंग्रेजी भाषा में समाचार प्रेषित करती है। इसकी हिन्दी समाचार समिति 'यूनीवार्ता' (1982) है। यह एशिया की तीसरी बड़ी समाचार एजेन्सी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

इसके 'हिन्दुस्तान' नामक भारतीय भाषा की संवाद समिति की स्थापना 1948 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार धारा से प्रभावित लोगों ने किया। किन्तु प्रतिद्वन्दी समाचार समितियों की प्रतिस्पर्धा में यह टिक न सका और बन्द हो गया। 1966 में भारतीय भाषाओं की एक और समिति समाचार भारती' का गठन हुआ किन्तु वह भी बन्द हो गयी। 1975 के आपात काल में सभी समितियों का विलय करके 'समाचार' का गठन हुआ किन्तु आपात काल के वाद पुनः विघटन हो गया। वर्तमान में पी0टी0आई0, यू0एन0आई0, भाषावार्ता के अतिरिक्त अनेक प्रान्तीय क्षेत्रीय समाचार समितियाँ कार्यरत हैं। किन्तु उपरोक्त चार का ही वैश्विक विस्तार है।

अन्य देशों की समाचार समितियाँ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अधिकांश देशों ने अपनी–अपनी राष्ट्रीय समाचार समितियों का गठन किया। उनकी संख्या इस समय एक हजार से भी अधिक है। ये समाचार समितियाँ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों पर निर्भर करती है और उनसे अनुबन्ध भी रहता है कि प्रमुख अन्तराष्ट्रीय समाचार समितियाँ उनसे राष्ट्रीय समाचार लेती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार देती हैं। इनमें से अनेक राष्ट्रीय समतियाँ आंशिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करती हैं किन्तु अधिकांश समितियाँ अपने देश की सीमा के भीतर ही कार्य करती हैं। एक ओर ये समितियाँ विश्व के समाचारों को जन समुदाय तक पहुँचाने का कार्य करती हैं वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाओं के मुख्य प्रवाह स्थानीय समाचारों को भी सम्मिलित करने का कार्य करती है। ऐसी समाचार समितियों में जापान की क्योदों और 'जी०जी०प्रेस', चीन की 'सिन्दुआ' ताइवान की 'सी0 एन0ए0' (सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी), पश्चिम जर्मनी डी 'डी0पी0ए0' दक्षिण अफ्रिका का 'साया' (साउथ अफ्रेकन प्रेस एसोसिएशन), मिस्र की 'मेना' (मिडिल ईस्ट–न्यूज एजेन्सी),

कुवैत की 'कूना' (कुवैत न्यूज एजेन्सी), इरान की 'इरना' (ईस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेन्सी), अरब की 'अरब न्यूज एजेंसी, डेनमार्क की 'रिट्ज ब्यूरो', इटली की 'अंसा', (एजेन्सी नेशनल स्टांप एसोसिएशन), कनाडा का कनाडियन प्रेस, पाकिस्तान की 'ए0पी0पी0' (एसोसिएटेड प्रेस आफ पाकिस्तान), यूगोस्लाविया की 'तानजुग', एल्जीरिया की 'अल्जीरियाई प्रेस सर्विस, मलेशिया की 'विरनामा', इराक की 'इराकी न्यूज एजेन्सी', क्यूबा की प्रीन्सा लैटिना', नेपाल की 'राष्ट्रीय संवाद समिति', तन्जानिया की शिहाता', घाना की घाना न्यूज एजेन्सी, पोलैण्ड की पी0ए0पी0 की 'सूडानन्यूज एजेंसी', जाम्बिया की जाम्बिया न्यूज एजेन्सी', इण्डोनेशिया की 'एन्टारा, बाँग्लादेश की 'बँगला देश संवाद सेवा' चेकास्लाविया की 'सी0ई0टी0ई0के0ए0', मोरक्को की 'मोस्क्को प्रेस एजेन्सी', केन्या की केन्या न्यूज एजेन्सो आदि प्रमुख हैं।'

सरकारी समाचार समितियाँ

विश्व में सर्वप्रथम 'ट्रांस ओसियन' की स्थापना 1915 में जर्मनी में हुई जिसका उद्देश्य युद्ध का प्रचार करना था। सोवियत संघ में 1918 में एक संवाद समिति गठित हुई जो 1925 में 'तास' के नाम से परिवर्तित हो गई।

'तास' अन्तर्राष्ट्रीय संवाद समितियों में एक है। अपने प्रारम्भिक दौर में यह एजेन्सी साम्यवादी क्रान्ति से प्रभावित थी। सोवियत संघ के गृह विभाग के अधीन कार्यरत यह एजेन्सी देश के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रचार–प्रसार में लगी रही। यह विश्व के सभी साम्यवादी गणराज्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संवाद समिति बन गई। रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक आदि भाषाओं में समाचार प्रेषण करने वाली

स्पेनिश, अरेबिक आदि भाषाओं के समाचार प्रेषण करने वाली यह बहुभाषी समाचार संस्था है। इसने साम्यवादी देशों के साथ ही अन्य गैर–साम्यवादी देशों में अपने संवाददाता रखे थे। 'तास' के सहयोग के अन्य समाचार समितियाँ भी थी, जिसमें प्रमुख नोवोस्ती प्रेस एजेन्सी', (ए0पी0एन0) इंजवेस्तिया' 'सोवियत प्रेस न्यूज', आदि थे। सोवियत संघ के विघटन के वाद 'तास' एवं ए०पी०एन० के संगठनात्मक ढांचे में भी परिवर्तन हुआ। दोनों को मिलाकर एक नई समाचार समिति 'इतर' (द

इन्फारमेशन टेलेग्राफ एजेन्सी आफ रशिया), का गठन हुआ। बाद में 'तास' के महत्व को समझते हुए इसका नाम 'इतरतास' कर दिया गया।

पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद एवं सोवियत संघ के प्रभाव के कारण वहाँ की सरकारों ने पश्चिमी समितियों के प्रभावों से मुक्त अपनी सरकारी राष्ट्रीय समाचार समितियाँ गठित की जो अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए 'तास' से सम्बद्ध थी। पोलेण्ड की 'पी0 ए0 पी0, हंगरी की एम० टी० आय० रुपमानिया की एगर प्रेस एजेन्सी' चीन की 'नवचीन समाचार एजेन्सी' आदि प्रमुख साम्यवादी देशों की समाचार समितियाँ सीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इनकी नियुक्ति एवं प्रबन्ध भी प्रायः सरकार के प्रतिनिधि सूचना मंत्री के हाथ में रहता है। सोवियत संघ के विघटन एवं पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों में व्यवस्था परिवर्तन का प्रभाव इन समितियों पर भी पड़ा।

10.4 अन्तर्राष्ट्रीय संचार एवं समाचार समितियाँ

विश्व के जिन देशों का नियंत्रण सूचना संचार माध्यमों एवं संचार प्रौद्योगिकी पर है उन्हीं देशों के पास शक्ति भी है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय सूचना उद्योग पर कुछ राष्ट्रों का नियंत्रण है और ये राष्ट्र लगातार सम्पत्ति सम्पन्न एवं शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जैसे देश सूचना एवं संचार माध्यमों पर नियंत्रण से विश्व में अपना वर्चस्व कायम किए हैं वहीं विकासशील देश अशिक्षा, विपन्नता, बेरोजगारी एवं राजनैतिक अस्थिरता से त्रस्त है। सूचना विपन्नता विकासशील देशों के आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं। विकसित दशों की साधन सम्पन्न समाचार समितियों ने अन्तर्राष्ट्रीय सूचना के प्रवाह को असन्तुलित कर दिया है। पश्चिम के विकसित देश चाहते हैं कि सूचना का स्वतंत्र प्रवाह बरकरार रहे जबकि विकासशील देश चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सूचना के स्वतंत्र प्रवाह में सन्तुलन हो ।

10.4.1 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह

पश्चिमी यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में व्यापार के उद्देश्य से पहुँच कर वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाकर

उपनिवेश कायम कर लिया और उन पर आर्थिक एवं राजनैतिक नियंत्रण स्थापित करके अपने राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने में जुट गये। विकास में सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका होने से ये राष्ट्र सूचना तकनीकी के विकास पर अधिक ध्यान देने लगे। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी राष्ट्रों का नियंत्रण होने से सूचना का स्वतंत्र प्रवाह एक तरफा हो गया। बीसवीं सदी के दूसरे दशक में रूस में वोल्शेविक क्रान्ति से साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई और इसमें व्यक्तिगत सम्पदा की अवधारणा समाप्त हो गयी। सम्पूर्ण संसाधनों का प्रयोग सम्पूर्ण समाज के विकास के लिए की जाने की घोषणा की गई। साम्यवादी व्यवस्था में सूचना को गोपनीयता एवं सेंशरशिप पर बल दिया गया जिसका अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों ने विरोध किया। तीसरी दुनियाँ अर्थात् विकासशील राष्ट्रों को अपने खेमें में लेने की प्रतिस्पर्धा पूँजीवादी एवं साम्यवादी देशों में प्रारम्भ हो गयी। इस शीत युद्ध में सूचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण दोनों खेमों ने सूचना एंव संचार तकनीक के विकास पर आपार धन खर्च किया। इस तरह शीतयुद्ध सूचन, बुद्ध का पर्याय हो गया। सन् 1991 में सोवियत संघ के विघटन से शीतयुद्ध समाप्त हो गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अनेक औपनिवेशिक राष्ट्र स्वतंत्र हो गये, किन्तु ये आर्थिक वृष्टि से इतने पिछड़े थे कि अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में इनका कहीं भी स्थान नहीं था। सूचना पर कुछ विकसित राष्ट्रों का एकाधिकार होने से सूचना का प्रवाह विकसित से विकासशील देशों की ओर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री विलियम वेन्सि ने पूरे विश्व के देशों में स्वतंत्र सूचना के निर्बाध प्रवाह का समर्थन किया। विकसित देशों ने इस धारणा को नैतिक बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उपयोग किया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया है– 'प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हो, साथ ही विचार को प्राप्त करने और उसे खोजने का भी अधिकार हो। इसके अलावा व्यक्ति को सीमान्त प्रदेश के साथ किसी भी माध्यम द्वारा सूचना एवं विचार को प्रेषित करने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए।'

इस प्रकार अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों से

सूचना समाचारों, का प्रवाह एवं विश्लेषण के प्रचार–प्रसार के साथ ही मनोरंजनात्मक सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह सम्पूर्ण विश्व में फैलने लगा। ये सूचनाएं पत्र–पत्रिकाओं, रेडियो, टी० वीव फिल्म, उपग्रह। कम्प्यूटर, इन्टरनेट के माध्यम से समस्त विश्व में संचारित हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाओं का प्रवाह अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के विकसित राष्ट्रों से होकर ही शेष विश्व में फैलता है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों की संवाद समितियों एवं अन्य समाचार स्रोतों से दी जाने वाली सूचनाएं विकासशील देशों के अनुरूप नहीं होती है। इन सूचनाओं में विकासशील देशों के नकारात्मक पक्ष को प्रचारित किया जाता है और सकारात्मक पक्ष को या तो दबा दिया जाता है या विकृत कर दिया जाता है। इससे विकासशील देशों ने नई विश्व सूचना व्यवस्था की मांग प्रारम्भ की।

अन्तरराष्ट्रीय सूचना प्रवाह में विभिन्न संचार माध्यमों के अपने निजी स्रोत एवं विश्व के कोने–कोने में नियुक्त संवाददाताओं की भूमिका के साथ ही वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संवाद समितियों की है। अमेरिका की यू0पी0ए0 और ए0पी0 ब्रिटेन की रायटर, फ्रांस की ए0एफ०पी०, रूस की इतरतास एवं विसन्यूज तथा यू०पी०आई०टी० एन0 अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था के क्षेत्र में प्रभुत्व है। यद्यपि विश्व के अधिकांश देशों के पास अपनी समाचार समितियाँ हैं किन्तु उनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। विकासशील देशों की समाचार समितियों का किसी न किसी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समिति से समझौता है। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार की समितियों स विकासशील देशों की समाचार समितियाँ वैश्विक सूचना एवं समाचार प्राप्त करती है और अपने देश की सूचना एवं समाचार को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों को प्रदान करती है।

इस प्रकार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों की सूचना संग्रह और प्रवाह में विकासशील देशों की समितियाँ सर्वाधिक हिस्सेदार है फिर भी सूचनाएँ पश्चिमी देशों के अनुकूल प्रसारित होती है। सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह से वैश्विक सूचना के क्षेत्र में जो असन्तुलन उत्पन्न हो गया उसे दूर करने के लिए यूनेस्को एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वैश्विक प्रयास प्रारम्भ हुआ। गुट निरपेक्ष समाचार समिति ष्पूलष, मेकब्राइड

कमीशन और न्यूको (नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था) आदि इसी प्रयास का परिणाम है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को संतुलित करने का प्रयास हुआ।

10.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को संतुलित करने का वैश्विक प्रयास

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह के असन्तुलन से क्षुब्ध विकासशील देशों, विशेषकर गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयास नई व्यवस्था की स्थापना के प्रति एक वैश्विक सहमति बन पाई। यद्यपि विकसित देश इस प्रयास को लगातार कमजोर करने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। जो यूनेस्को विकसित देशों के प्रभाव के कारण सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त को समर्थन देकर प्रचारित किया उसी यूनेस्को ने सत्तर के दशक गुट निरपेक्ष देशों के दबाव में अपनी संचार नीति में परिवर्तन किया। 1968 में पहली बार दोतरफा और संतुलित समाचार प्रवाह की बात यूनेस्को के मंच से कही गयी, तब से अब तक सूचना प्रवाह को सन्तुलित करने तथा विकासशील देशों की सकारात्मक भागीदारी बढ़ाने का संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच से लगातार प्रयास जारी है।

नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था

यूनेस्को के मंच से 1968 में पहली बार दोतरफा और संतुलित सूचना प्रवाह की बात कही गयी। नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की बात 70 के दशक के बाद तेजी से की जाने लगी। सन् 1972 में 'जंनसंचार माध्यमों की घोषणा' के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा 1973 में अल्जायर्स में गुट निरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्षों ने सूचना के क्षेत्र में व्याप्त असन्तुलन को समाप्त करने के लिए संचार प्रणालियों के पुनर्गठन की मांग की। उसके कई कारण थे। जैसे– द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नये स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय, सम्पत्ति सम्पन्न एवं शक्तिशाली पश्चिमी राष्ट्रों पर नव स्वतंत्र राष्ट्रों की बढ़ती निर्भरता, नये राष्ट्रों द्वारा गुटनिरपेक्ष संगठन का निर्माण, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ती ताकत आदि। इन्हीं कारणों से नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था को विकसित करने पर बल दिया गया। बाद में इसका नाम बदलकर नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था हो गया। गुटनिरेपक्ष देशों के बढ़ते दबाव को देखते हुए यूनेस्कों ने अपनी सक्रिय

भूमिका निभाई और एक वृहद रिपोर्ट तैयार की, जो इस प्रकार है

1. विश्व की चार बड़ी समितियों का सूचना पर एकाधिकार है।
2. चार बड़ी संवाद समितियों द्वारा सर्वाधिक सूचनाओं का सम्प्रेषण और प्रसार ।
3. गलत सूचनाओं के मुकाबले के लिए समाचारों और विचारों के दो तरफा आदान प्रदान की आवश्यकता ।
4. सूचनाओं को विकृत करने से रोकने के लिए छोटे और निर्गुट देशों की सहमति पर बल दिया गया।

इस रिपोर्ट के बाद 1973 में नई दिल्ली में हुई निर्गुट देशों की बैठक में निर्गुट संवाद संगठन की स्थापना को संशोधनों के बाद स्वीकार किया गया तथा 1976 में नई दिल्ली में निर्गुट देशों के सूचना मंत्रियों की बैठक में इसकी औपचारिक शुरूआत की घोषणा की गई। यूनेस्को ने 1977 में विश्व संचार व्यवस्था के अध्ययन के लिए आयरलैण्ड के पूर्व विदेशमंत्री नोबुल शान्ति पुरस्कार प्राप्त सीन मैक ब्राइट की अध्यक्षता में एक 16 सदस्यीय आयोग का गठन किया।

मैकब्राइड आयोग और उसकी रिपोर्ट

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह के असन्तुलन को दूर करने के लिए निर्गुट देशों के दबाव के परिणाम स्वरूप 1977 में यूनेस्को ने आयरलैण्ड के पूर्व विदेश मंत्री सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसका उद्देश् विश्व स्तर पर संचार के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र एवं संतुलित सूचना प्रवाह के लिए आवश्यक बिन्दुओं पर विचार करना था। आयोग ने 1979 में अपना प्रतिवेदन यूनेस्कों को सौंपा दिया। आयोग की संस्तुतियाँ दो भागों में थी। प्रथम खण्ड में सूचना की समस्या एवं विधि पक्ष का आकलन था तथा दूसरे खण्ड में संचार की भावी संभावनाओं एवं परिदृश्य पर विचार किया गया था। आयोग ने जन माध्यमों का विस्तार उनकी आर्थिक स्थिति, संचार नीति, पत्रकार एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, पत्रकारिता के मान्य नैतिक नियम आचार संहिता, समाचार पत्रों की गुणवत्ता में सुधार, फिल्मों के सम्प्रेषण की शैली में सन्तुलन का

विकास, विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार संचार नीति का निर्माण, प्रेस परिषदों की व्यवस्था विज्ञापन एवं प्रसार से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण आदि विषयों को अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित किया। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि विश्व के प्रत्येक देश में इस प्रकार की संचार व्यवस्था निर्मित हो जिसमें समान रूप से भागीदार हो। 1980 में बेलग्रेड सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया गया।

आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पूरा विश्व दो खेमों में बँट गया। एक खेमे में अमेरिका सहित अन्य विकसित राष्ट्र तथा दूसरे खेमें में सोवियत संघ सहित 100 से अधिक तीसरी दुनिया के राष्ट्र सम्मिलित थे। इस रिपोर्ट के बाद यूनेस्को द्वारा संचार विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई०पी०डी०सी०) की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य गरीब देशों में संचार विकास के लिए धन एवं अन्य सहयोग प्रदान करना था। यूनेस्कों ने आयोग की 82 संस्तुतियों में 51 संस्तुलियों को स्वीकार कर लिया। किन्तु विकसित देशों ने यूनेस्कों पर यह आरोप लगाया कि वह मात्र तीसरी दुनिया के एजेण्डे पर कार्य कर रहा है और विकसित राष्ट्रों के हितों को आघात पहुँचा रहा है। 1985 में अमेरिका और ब्रिटेन ने यूनेस्को से अपने को अलग कर लिया। अतः यूनेस्को आर्थिक संकट का शिकार हो गया और उसका प्रयास शिथिल हो गया। इसी क्रम में सोवियत संघ का भी पतन हो गया। जिसमें नई संचार व्यवस्था का आन्दोलन मृत हो गया। इस तरह संचार की विषमता के उन्मूलन के स्थान पर स्वतंत्र सूचना प्रवाह की मान्यता के अनुसार पूरी विश्व व्यवस्था कार्य करने लगी।

समाचार समिति 'पूल'

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंच से समाचार समिति 'पूल' के गठन का निर्णय लिया गया तथा 20 जनवरी 1975 को यूगोस्लाविया की समाचार समिति तानजुंग द्वारा 11 अन्य समाचार समितियों के सहयोग से समाचार समिति 'पूल' की नींव रखी गयी। 1977 तक 40 गुट निरपेक्ष देश शामिल हो चुके थे। इसका एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह वास्तव में समाचार समिति न होकर समाचार समितियों के मध्य सूचना के आदान–प्रदान की व्यवस्था है। इसका न तो कोई कार्यालय है न ही कोई कर्मी। सूचना आदान–प्रदान का व्यय,

प्रेषित करने वाला देश वहन करता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश एवं अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। 'पूल' के सामने अनेक समस्याएँ हैं। यथा– भाषा बहुलता संचार नेटवर्क की कमी, योग्य एवं प्रशिक्षित पत्रकारों की कमी संसाधनों की कमी, कुछ देशों के पास समाचार समिति का न होना आदि।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन –

सार्क संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन और आसियान आदि भी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

10.5 अन्तर्सांस्कृतिक संचार एवं संवाद समितियाँ

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों एवं अन्य समाचार समितियों के माध्यम से तीव्र गति से चल रही है। आज पूरे विश्व में द्रुत गति से सांस्कृतिक समाचारों का आदान–प्रदान हो रहा है। वर्तमान युग में समाचार समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार के समाचारों का प्राप्ति–प्रेषण अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से द्रुत गति से विश्व के कोने–कोने में प्रसारित हो जा रहा है। बड़े–बड़े धार्मिक गुरूओं और उनके संस्थानों का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि आज धार्मिक पत्रकारिता का क्षेत्र ही पृथक हो गया। धर्म से सम्बन्धित संस्थाएं एवं संगठनों द्वारा पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा है। समाचार समितियों द्वारा धार्मिक पर्वों त्योहारों, अवसरों एवं सम्मेलनों जैसे कुम्भ मेला, काशी में गंगास्नान, मक्का–मदीना की हज यात्रा, रोम के वेटिकन पैलेस में आयोजित होने वाला वपतिस्मा आदि के अवसर पर समाचारों का सग्रह तीव्र गति से जनसंचार माध्यमों को सम्प्रेषित किया जाता है। इमामों, पदारियों, शंकराचार्यों एवं अन्य धर्मों के गुरुओं का साक्षात्कार भेटवार्ता आदि समितियों द्वारा प्राप्त करके मीडिया को प्रेषित किया जाता है।

प्रत्येक देश की सरकार सांस्कृतिक मंत्रालयां के माध्यम से अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। इसके लिए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाये जाते हैं। देश–विदेश में अगणित सांस्कृतिक

संस्थाएं एवं उनके कार्यक्रम हैं, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हलचल, गतिविधियाँ एवं क्रिलाकलाप निरन्तर चलते रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। कहीं कला प्रदर्शनी, कहीं कवि सम्मेलन, कहीं विचार गोष्ठी, कहीं संगीत समारोह, कहीं लोकनृत्य, कहीं नाटक, कहीं कला शिविर तो कहीं चित्रकला प्रदर्शनी, कहीं सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव तो कहीं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम निरन्तर चलता ही रहता है। इन समस्त गतिविधियों, हलचलों, क्रियाकलापों एवं आयोजनों की रिपोर्टिंग विश्व भर की संवाद समितियाँ करती हैं और उसे जनसंचार माध्यमों को सम्प्रेषित कर देती है। धर्माचार्यों, साहित्य कारों, संगीतकारों, कलाकारों, नाट्यकर्मियों और लोक नर्तकों एवं नर्तकियों के साक्षात्कार आदि से इस विधा की विशेष जानकारी को जन–जन सम्प्रेषित करने के लिए समाचार समितियाँ शीघ्रता से वैश्विक स्तर पर प्रसारित करती हैं।

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धता को समाचार समितियाँ और तीव्रता प्रदान करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक समाचारों का सम्प्रेषण करती है। समाचार समितियाँ सांस्कृतिक वैश्वीकरण की सशक्त संवाहक हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान समय में विश्व पर्यटन, विश्व संगीत, विश्वकला विश्व साहित्य, विश्व फैशन, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता तथा विश्व खेलकूद प्रतियोगिता आदि से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों का समाचार समितियों द्वारा वैश्विक स्तर पर प्राप्ति–प्रेषण होता है। इस अन्तर्सास्कृतिक संचार को बढ़ावा मिलता है। लोग विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं, आचार–विचार, व्यवहार, प्रथाओं, परम्पराओं, रूढ़ियों, लोकाचारों, आदर्शों, विधियों, मर्यादाओं, मान्यताओं, जनरीतियो आदि व्यवहार सम्बन्धी, ज्ञान सम्बन्धी एंव मूल्य सम्बन्धी पक्ष से परिचित होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के सम्बन्ध में ढेरों सूचनाएँ एवं जानकारियाँ समाचार समितियों द्वारा दी जाती है। सांस्कृतिक समाचारों में चित्रों का विशेष महत्व होता है। इससे समाचार में सजीवता आ जाती है। वर्तमान समय में समाचार समितियाँ समाचारों के अतिरिक्त लेख सेवा, फीचर सेवा फोटो सेवा, टी०वी० न्यूज सेवा, आडियो सर्विस आदि द्वारा सांस्कृतिक समाचारों के प्राप्ति–प्रेषण के अतिरिक्त, लेख, फोटो आदि भी प्रेषित कर रही है। जिससे अन्तसस्कृतिक संचार को नया आयाम मिल

रहा है।

कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित समाचार समितियाँ पूरे विश्व में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार करने, बाजारवाद, आर्थिक उपनिवेशवाद को बढ़ा देने वाली खबरों का भी वैश्विक स्तर पर प्रसार कर रही है। फैशन शो, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता आदि का बढ़ा–चढ़ा कर विश्व स्तर पर प्रचार–प्रसार करने में ये समितियाँ आज सबसे आगे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित खबरें, लेख, फीचर, फोटो आदि वैश्विक स्तर पर प्रसारित करके अन्तर्सास्कृतिक संचार को बढ़ावा देने एवं विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अन्तर्क्रिया की गति को तीव्रता प्रदान करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

10.6 अन्तर्सास्कृतिक संचार पर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का प्रभाव

विश्व की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों, ए0पी0, यू०पी०आई०, रायटर्स, ए0 एम0आई0, इतरतास तथा टी०वी० न्यूज एजेन्सी विसन्यूज एवं यू०पी० आई०टी०एन० और अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जैसे संगठनों का वैश्विक संचार व्यवस्था पर वर्चस्व होने का कारण अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं संचार का प्रवाह एक तरफा एवं असन्तुलित हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था पर अमेरिका एवं अन्य विकसित राष्ट्रों का एकाधिकार होने से सम्पूर्ण विश्व उसी ज्ञान एवं जानकारी तथा उन्हीं समाचारों एवं सूचनाओं को प्राप्त कर रहा है जिसे विकसित देश देना चाहते हैं या दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि अमेरिका एवं पश्चिमी विकसित देश उसी सूचना, समाचार ज्ञान एवं जानकारी को पूरे विश्व में प्रसारित करेंगे जो उनके हित में है। सांस्कृतिक ज्ञान, जानकारी, समाचारों एवं सूचनाओं का प्रचार–प्रसार भी इससे अछूता नहीं है। अन्तरसांस्कृतिक संचार पर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है।

10.6.1 सकारात्मक प्रभाव –

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर संज्ञान और साक्षरता का विकास, मनोवैज्ञानिक आधार पर समता का

निर्माण, मानवतावाद का विस्तार एवं धर्म निरेपक्षता में विश्वास, लोकतांत्रिक व्यवस्था का वैश्विक विस्तार, तकनीकी ज्ञान का प्रसार एवं स्वतंत्र सूचना प्रवाह, नये सामाजिक मानकों का विकास, संचार की रिक्तता का उन्मूलन एवं नये संचार समूह का विकास और सामाजिक व्यवहारों में सुधार एवं परिवर्तन आदि के रूप में सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इन प्रभावों के फलस्वरूप नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना एवं नूतन सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हो रहा है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों द्वारा तीव्रगति से समाचारों सूचनाओं एवं जानकारियों का प्रसार वैश्विक स्तर हो रहा है। ये सूचनाएं वर्तमान समय में इलेक्ट्रानिक मीडिया के विकास के परिणाम स्वरूप नगरीय परिवेश ही नहीं वरन् विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों तक तत्काल प्रसारित हो जा रह हैं। जिससे संचार की रिक्तता का उन्मूलन हो गया है। सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को आज अधिनायक वादी शासन व्यवस्था या बन्द सूचना प्रवाह वाले देशों के द्वारा रोक पाना सम्भव नहीं है। सूचनाओं, समाचारों एवं जानकारियों के उन्मुक्त प्रवाह से विश्व में ज्ञान एवं साक्षरता की वृद्धि हुई है। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अन्य सामाजिक परिवेशों से तथा उनके मध्य हो रही घटनाओं से दिन प्रतिदिन सूचित होने लगा। इससे साम्राज्यवाद, गुलामी आदि कुरितियों के खिलाफ लोगों के मन में नई चेतना का विकास हुआ। वैश्विक स्तर पर मनोवैज्ञानिक समता मूलक परिवेश का जन्म हुआ। धर्मनिरपेक्षता, विश्वमानवता और मानव अधिकारों के प्रति संचेतना जागृत हुई। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक जागरण के साथ ही तार्किक वैज्ञानिक मानव समाज का जन्म हुआ। इसका समवेत प्रभाव नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के रूप में हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों ने एक सांस्कृतिक समूह को दूसरे सांस्कृतिक समूह से जोड़ दिया है, इसके परिणाम स्वरूप अब सामाजिक व्यवहार के नियंत्रण के नये मानकों का विकास होने लगा है। इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गयी है। अब किसी समाज के अपने मानक एवं नियम मात्र ही उसके संचालन के प्रमुख साधन नहीं रहे वरन् विश्व की संस्थाओं द्वारा लिए गये निर्णयों के

अनुसार वर्तमान विश्व के विभिन्न क्षेत्रों एवं समाजों का संचालन होने लगा। समाचार समितियों द्वारा प्रेषित सूचनाओं, जानकारियों एवं संचारों से विभिन्न समाजों के व्यवहारों में परस्पर परिवर्तन आये हैं। इस परिवर्तन ने पहनावा, रहन सहन के स्तर, भवनों के मॉडल तथा साज सज्जा एवं दैनिक जीवन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। वर्तमान में एक सांस्कृतिक समूह अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन दूसरे सांस्कृतिक समूह के आधार पर कर रहा है। इस प्रकार रूढ़िवादी, अन्ध विश्वासी एवं अन्य प्रवृत्तियाँ धीरे–धीरे महत्वहीन हो रही हैं। पिछड़े एवं शोषित समूहों में नई चेतना का विकास हो रहा है तथा महिला अधिकार सम्बन्धित आन्दोलन इस समय चरम पर है, जिससे इस्लामिक देश भी प्रभावित हो रहें हैं। इस प्रकार समाचार समितियों द्वारा प्रेषित सूचनाओं, समाचारों एवं जानकारियों को तीव्रता से प्रसारित कर रहे आधुनिक जन माध्यमों द्वारा विश्व स्तर पर एक मानवतावादी समासिक संस्कृति जन्म ले रही है।

10.6.2 नकारात्मक प्रभाव

सूचना क्रान्ति के दौर में आधुनिक प्रौद्योगिकी सम्पन्न समाचार समितियों ने जहाँ एक ओर वैश्विक मानव समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है वहीं दूसरी ओर अनेक नकारात्मक प्रभावों से भी मानव जाति को प्रभावित किया है। वर्तमान में पूंजीवाद का कारपोरेट स्वरूप विद्यमान है और अधिकतम लाभ के दर्शन पर बाजार टिका है। अमेरिका एवं विकसित देशों की अन्तर्राष्ट्रीय समितियाँ कारपोरेट क्षेत्र द्वारा ही नियंत्रित हैं। अतः स्वाभाविक रूप से अधिकतम लाभ सम्बन्धी बाजार का दर्शन इन पर भी लागू होता है। इसमें पर्दे के पीछे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह काम करते हैं। आज संस्कृति का पुण्यीकरण हो रहा है। संवाद एजेन्सियाँ भी संस्कृति को लाभ–हानि की दृष्टि से देखती हैं। संवाद एजेन्सियाँ बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक रूप से जनमानस तैयार करती हैं। जैसे– अभी कुछ वर्ष पूर्व भारतीय सुन्दरियाँ विश्व सुन्दरी का खिताब जीतती थीं आजकल लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी सुन्दरियों का विश्व सुन्दरी खिताब पर कब्जा है। समाचार एजेन्सियाँ विश्वसुन्दरी प्रतियोगिता के पूर्व सम्भावित सुन्दरियों के पक्ष में वैश्विक स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रारम्भ करके सांस्कृतिक रूप से जनमानस तैयार करती हैं।

अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन्हीं सुन्दरियों को ब्राण्ड अम्बेस्डर बनाकर विकासशील देशों के बाजार पर कब्जा कर रही हैं। इससे बाजारवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हो रहा है। इस उपभोक्तावादी नव संस्कृति से परम्परावादी समाज प्रभावित हो रहा है।

उपभोक्तावादी संस्कृति से विश्व समाज में संसाधनों की छीना–झपटी, कलह, आतंकवाद, अश्लीलता, हिंसा, मानवीय संवेदना शून्यता एवं असहिष्णुता आदि का प्रसार तीव्रता से हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से पारिवारिक सम्बन्ध टूट रहे हैं। परम्परागत संस्कृतियों एवं लोकाचारों पर निरन्तर कुठाराघात हो रहे हैं। सूचना का विकसित से विकासशील देशों की ओर एक तरफा प्रवाह से पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित समाचार समितियाँ विकासशील देशों के सांस्कृतिक गौरव की उपेक्षा करकें उन देशों के अनुभव, इतिहास एवं संस्कृति को पक्षपातपूर्ण और कभी–कभी जानबूझकर विकृत ढंग से प्रस्तुत करती है। उन राष्ट्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उपलब्धियों की घोर उपेक्षा की जाती है।

इस प्रकार पश्चिमी कारपोरेट पूँजीवादी शक्तियों द्वारा नियंत्रित समाचार समितियाँ पूरे विश्व में उपभोक्तावादी उपसंस्कृति का विस्तार करके विषमता मूलक विश्व समाज के निर्माण का प्रयास कर रही हैं जो विश्वमानवता के लिए श्रेयस्तर नहीं है ।

10.7 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद–

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिससे हमारी मौलिक चिन्तन, विचार, सोच, रहन–सहन एवं क्रियाकलाप अपनी नहीं रहती। इन सभी चीजों पर किसी अन्य शक्तिशाली संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। वे अपने तौर तरीके से हमें एक नया सोच, चिन्तन, विचारधारा एव जीवन शैली सौंपते हैं और हम स्वेच्छया ग्रहण भी करते हैं। वर्तमान समय में अमेरिका एवं पश्चिमी विकसित देश कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के माध्यम से आर्थिक लाभ–हानि के दर्शन पर आधारित बाजारवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति शेष वेश्व पर

थोप रहे हैं और विकल्पहीनता के कारण सम्पूर्ण विश्व पश्चिम की सांस्कृतिक विचारधारा एवं चिन्तन को स्वेच्छया ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व पर आर्थिक वैश्वीकरण के गर्भ से उत्पन्न एवं विकसित देशों द्वारा प्रायोजिक एक नई संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हो रहा है।

10.7.1 सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रश्न –

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना, शिक्षा एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों पर गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है–दुनिया एक नये किस्म की सांस्कृतिक कूटनीति की दहलीज पर खड़ी है। ष्आधुनिक विश्व व्यवस्था पर अपने विस्तृत एवं स्पष्ट अध्ययन में इमैनुअल वालटीन तीन बुनियादी तत्व पाते हैं।

- एक बाजार जहाँ अधिकतम मुनाफे का हिसाब होता हो, और इसलिए जो थोड़े लम्बे समय के बाद उत्पादक गतिविधि की मात्रा, विशेषज्ञता का स्तर श्रम, सेवा और माल के भुगतान की विधि और प्रौद्योगिक अनुसंधान के उपयोग का निर्धारण करती हो।
- घटती बढ़ती शक्ति के साथ राज्यों के ढांचे की एक श्रृंखला।
- अतिरिक्त श्रम की लूट जिसमें शोषण की प्रक्रिया दो नहीं, बल्कि तीन स्तरों में सम्पन्न हो ।

आज इन्हीं मूल तत्वों के सन्दर्भ में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की समझ की शुरूआत हो सकती है। सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने की प्रेरणा व्यापारिक विधानों के साथ ही जन्म लेती हैं, लेकिन इससे घुसपैठ से आहत समाज के परिदृश्य पर पड़ी छाप किसी भी तरह धुंधली नहीं होती। वस्तुतः अगर आहत शक्तियाँ अपने लिए अलग

सांस्कृतिक मूल्य पैदा करना शुरू कर दें तो भी सामूहिक पूंजीवाद की मुनाफाखोरी की भूख जगाने वाली ताकत से नहीं बचा जा सकता है। हरवर्ट आई० शिलर ने अपने इस कथन से पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लैटिन अमेरिका पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में परिधि के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में प्रसारण पूर्णतः वाणिज्यिक हो गया है और

बहुराष्ट्रीय निगमों तथा उनके घरेलू सहयोगियों और समर्थकों की जरूरतों की भरपूर सेवा करता है। उदाहरणार्थ वेनेजुएला के वाणिज्यिक दूरदर्शन के 'मुख्य भाग में विज्ञापन और हिंसा के साथ आयातित फिल्में भरी रहती हैं। एक बार व्यापारिक हो जाने के बाद आर्थिक दबाबों की श्रृंखला यह सुनिश्चित कराती हैं कि दुनिया के सभी प्रसारण माध्यम विश्व पूँजीवाद के गढ़, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन गणराज्य एवं कुछ अन्य, में तैयार सांस्कृतिक सामग्री का प्रसारण करें। यह सांस्कृतिक सामग्री केन्द्र अर्थात् अमेरिका एवं अन्य विकसित देश से परिधि अर्थात शेष विश्व की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के माध्यम से प्रेषित होती है।

सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की अवधारणा का जन्म उस समय हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त निकट आ रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम हो रहा था। सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की नीति और संयुक्त राज्य अमेरिका का साम्राज्यवादी राज्यारोहण, इन दोनों घटनाओं का ऐतिहासिक मेलमहज संयोग नहीं था। यही वह समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की नीति को आगे बढ़ाया। एसोसिएटेड प्रेस के कार्यपालक प्रबन्धक केंट कयूर वर्षों से यूरोपीय समाचार संघों की सबसे पहले रायटर्स और हवास एण्ड वोल्फ की अन्तर्राष्ट्रीय पकड़ तोड़ने में लगे रहे। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार एजेन्सियाँ विश्वव्यापी सूचना के प्रवाह पर व्यापक स्तर पर हावी हैं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विश्व केबल पर अपना प्रभुत्व एंव वर्चस्व कामय कर लेने से मिली शक्ति के महत्व को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों ने भारी सरकारी अनुदान के बल पर उपग्रह संचार व्यवस्था पर सबसे पहले विकास कर उस पर एकाधिकार कायम कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के मुद्दे को अपनी राजनीतिक विचारधारा में शामिल कर लिया। इस सन्दर्भ में कांग्रेस के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हुआ। अमेरिकी देशों के मैक्सिको सम्मेलन में 1945 में सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के पक्ष में पहला अन्तर्राष्ट्रीय मंच मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे जुड़े संगठनों का उपयोग अमेरिकी नीति को लागू करने के औजार के रूप में और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के प्रचार–प्रसार के लिए प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय मंच के रूप में हुआ।

यूनेस्को के गठन के सबसे पहले दौर के प्रस्ताव को अमेरिकी विशेषज्ञों के पैनल ने तैयार किया था। ये प्रस्ताव सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रचारित करते थे। अमेरिकी सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के सामानों की बाढ़ और उसके द्वारा विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को हड़प लेने की प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ एवं गुटनिरपेक्ष देशों की ओर से सांस्कृतिक सम्प्रभुता, सांस्कृतिक गोपनीयता, सांस्कृतिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की सम्भावना की चर्चा सुनाई पड़ने लगी। वस्तुतः सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के परिणाम स्वरूप फिल्म, दूरदर्शन कार्यक्रम, पॉप रिकार्ड और पत्रिकाओं जैसे जनसंचार माध्यमों में मुखरित अमेरिकी संस्कृति के तौर तरीकों से बच पाना मुश्किल है। सोवियत संघ के विघटन ने विरोध के स्वर को मन्द कर दिया।

2.7.2 सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट

वर्तमान समय में अमेरिकी एवं पश्चिमी संस्कृति विकसित देशों की अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्पन्न कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के माध्यम से बाजारवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का वर्चस्व विश्व में बढ़ता जा रहा है। विश्व की सूचना एवं समाचारों के एक तरफा प्रवाह को खत्मकर संतुलित एवं मुक्त प्रवाह की स्थापना के लिए नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं संचार व्यवस्था की स्थापना की माँग जो जोर–शोर से उठायी गई, उसे सूचना क्रान्ति की ताकत ने ध्वस्त कर दिया। सूचना क्रान्ति की बदौलत विकसित देश विश्व में एक ऐसी सूचना एवं संचार व्यवस्था कायम करने में सफल हुए जो विकासशील देशों की अवधारणा के प्रतिरूप ही नहीं है, बल्कि एक तरफा मुक्त प्रवाह को और भी तेज कर दिया है और आर्थिक उपनिवेशवाद के साथ ही सूचना और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को भी जन्म दिया है। आज विश्व में सूचना और समाचारों का वितरण अमेरिका एवं विकसित देशों की चन्द बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में ही है। चार पश्चिमी समाचार समितियाँ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 90 प्रतिशत समाचारों के प्रवाह पर नियंत्रण रखती हैं। सूचना और समाचारों पर नियंत्रण का अर्थ है विचारों और सोच की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करना।

इतिहास साक्षी है कि विभिन्न संस्कृतियों के मेल–मिलाप से सकारात्मक परिवर्तन आये हैं किन्तु आज संस्कृतियों के बीच सामान्य मेल–मिलाप का मामला नहीं रह गया है बल्कि सूचना के हथियारों से लैस शक्तिशाली संस्कृतियाँ कमजोर संस्कृतियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। लोगों की प्राथमिकताओं को तोड़ मरोड़ रही हैं। ताकि वे मुक्त बाजार की आवश्यकता के अनुसार अपने को ढाल सकें। इस पूरी प्रक्रिया में मजबूत संस्कृतियाँ अपने मूल्यों एवं जीवन शैली को कमजोर संस्कृतियों पर थोप रही हैं। भाषा को सांस्कृति का संवाहक कहा जाता है। पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कानपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कहा था विजित देशों पर विजेता क्यों अपनी भाषा का भार लादते हैं। इसका उत्तर स्वयं द्विवेदी जी ने दिया– इसका एकमात्र कारण स्वराज्य और स्वभाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि भाषा गई तो अपनी जातीयता और अपनी सत्ता भी गई समझिये। आज इण्टरनेट अंग्रेजी का सबसे बड़ा संवाहक बन गया है, क्योंकि समस्त आधुनिक ज्ञान किसी एक भाषा में मिल सकता है तो वह भाषा अंग्रेजी है। इससे विश्व की विभिन्न भाषाओं के विलोपीकरण का मुद्दा आ खड़ा हो गया है। स्वाभाविक है कि भाषा के विलुप्त होते ही सांस्कृतिक अस्मिता समाप्त हो जाएगी।

इस प्रकार सूचना क्रान्ति के वर्तमान दौर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न विकसित देशों की समाचार समितियों का सूचना तंत्र पर नियंत्रण एवं स्वतंत्र सूचना प्रवाह से सम्पूर्ण विश्व अमेरिका एवं पश्चिमी विकसित देशों का सांस्कृतिक उपनिवेश बनने के कगार पर खड़ा है। यदि समय रहते इसका विकल्प नहीं ढूढ़ा गया तो विश्व की सांस्कृतिक विविधता इतिहास की वस्तु बन जाएगी।

10.8 सारांश

समाचार समितियों को समाचारों का अढ़तिया कहा जाता है। आज विश्व की चार प्रमुख समाचार समितियों– ए0पी0 ए0एफ0पी, यू0पी0आई0 और रायटर्स का अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था के क्षेत्र में वर्चस्व होने के कारण सूचना का प्रवाह एकतरफा एवं असंतुलित हो गया है अर्थात् विकसित देशों से विकाशील देशों की ओर। यह दुष्प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पश्चिमी संस्कृति के साम्राज्यवादी विस्तार के रूप में

पड़ रहा है। आज सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट उत्पन्न हो गया है।

10.9 शब्दावली

बपतिस्मा–इसाई धर्म में दीक्षित होने के अनुष्ठान को कहा जाता है।

10.10 सन्दर्भ ग्रन्थ –

हिन्दी पत्रकारिता– विविध आयाम सं० डा० वेद प्रकाश वैदिक– संचार माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व हरवर्ट आई० शिलर अनु० राम कवीन्द्र सिंह खण्ड 19 अंक 1 जनवरी–मार्च 2002 सं० के० एम० श्रीवास्तव संचार माध्यम मीडिया जगत – अंक 2,3 जुलाई– दिसम्बर 2004 एवं जनवरी – जून 2005 – सं० डा० अनिल कुमार उपाध्याय,

10.11 सम्बन्धित प्रश्न –

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. समाचार समिति का अर्थ बताइए।
2. मेकब्राइड कमीशन क्या है ? स्पष्ट करे
3. अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर नकारात्मक प्रभाव बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों पर प्रकाश डालिए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह की व्याख्या करें ।
3. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को संतुलित करने हेतु वैश्विक प्रयास पर प्रकाश डालिए।
4. सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पर लेख लिखिए ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. पेरिस और ब्रूसेल्स के बीच हवास ने कब प्रयोग किया था –

(क) 1840,

(ख) 1850

(ग) 1905,

(घ) 1920

2. रायटर की स्थापना हुई थी

(क) 1849

(ख) 1875

(ग) 1850

(घ) 1900

3. यू० पी० आई० समाचार समिति है

(क) फ्रांस

(ख) अमेरिका,

(ग) ब्रिटेन

(घ) जर्मनी

4– मैकब्राइड कमीशन का गठन हुए था ।

(क) 1949

(ख) 1970

(ग) 1975

(घ) 1977

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (क)

2. (ग)

3. (ख)

4. (घ)

इकाई 11 अन्तसांस्कृतिक संघर्ष और संचार

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.2.1 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का अर्थ

11.2.2 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11.3 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार का वैश्विक आयाम

11.3.1 प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष और संचार

11.3.2 विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य अन्तसांस्कृतिक संघर्ष और संचार

11.3.3 सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति एवं अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष

11.3.4 विश्व में अन्तःसांस्कृतिक संघर्ष और संचार

11.4 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार का भारतीय आयाम

11.4.1 पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में परस्पर अन्तर्संघर्ष

4.2 धार्मिक साम्प्रदायिक संघर्ष

11.4.3 भाषाई संघर्ष

11.4.4 जातीय संघर्ष

11.4.5 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति का परस्पर अन्तर्संघर्ष

11.4.6 आय वर्ग पर आधारित अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष

11.4.7 आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष

11.5 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का परिणाम

11.5.1 सकारात्मक परिणाम

11.5.2 नकारात्मक परिणाम

11.6 सारांश

11.7 शब्दावली

11.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

11.9 सम्बन्धित प्रश्न

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित होंगे

- अन्तार्संस्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार का वैश्विक आयाम
- अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार का भारतीय आयाम
- अन्तर्चांस्कृतिक संघर्ष का परिणाम

11.1 प्रस्तावना

विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संघर्ष को अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यह संघर्ष मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही चल रहा है। वैश्विक स्तर पर यह संघर्ष पूर्व और पश्चिम, विकसित और विकासशील देशों के मध्य तथा विभिन्न संस्कृतियों के भीतरी संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। भारत में पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति, धार्मिक साम्प्रदायिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, भाषाई संघर्ष, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय संघर्ष, आय एवं आयु वर्ग पर आधारित संघर्ष के रूप में दृ

ष्टिगोचर होता है। अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में पड़ रहा है।

13.2 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संघर्ष, टकराव एवं विरोध की निरन्तरता मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही चल रही है। इसमें अनेक संस्कृतियां विलुप्त हो गयी, नई संस्कृतियों का जन्म हुआ और अनेक संस्कृतियों का रूपान्तरण हो गया। अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष से विभिन्न संस्कृतियों में परस्पर मेल मिलाप भी हुआ जिससे संघर्षरत संस्कृतियां प्रभावित भी हुई। अतएव अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करना समीचीन होगा।

11.2.1 अन्र्तसांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ

अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है– अन्तर. सांस्कृतिक. संघर्ष : इसी खण्ड की अन्य इकाई में अंतर एवं सांस्कृतिक शब्द को परिभाषित कर दिया गया है। अन्तर शब्द अर्थ मध्य, बीच परस्पर भेद, विभिन्नता आदि हैं तथा सांस्कृतिक शब्द का अर्थ है संस्कृति से सम्बन्धित। संस्कृति शब्द से अभिप्राय उन सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं से है जो कि मानव समाज के पास है। यथा, कला विचार प्रथा रूढ़ियां, लोकाचार, विश्वास, आदर्श विज्ञान एवं विविध प्रकार के उपकरण आदि। दूसरे शब्दों में जीवन यापन के जितने भी विशिष्ट स्वरूप समाज में विकसित होते हैं उन्हें ही संस्कृति कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत बौद्धिक एवं अबौद्धिक दोनों प्रकार के तथ्यों का समावेश होता है। संघर्ष शब्द का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

संघर्ष का अर्थ

सहयोग के बाद संघर्ष मनुष्य के सामाजिक संगठन का दूसरा सिद्धान्त है। संघर्ष का अस्तित्व समाज में आदिकाल से पाया जाता है। प्रतियोगिता जब वैयक्तिक हो जाती है और एक प्रतियोगी दूसरे को नुकसान पहुँचाकर लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करता है तो वह प्रयत्न

संघर्ष का रूप धारण कर लेता है।

संघर्ष की परिभाषा

संघर्ष को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार

ए.डब्ल्यू. ग्रीन–''संघर्ष दूसरे की इच्छा से जान बूझकर किया गया विरोध है।"

आर. ई. पार्क और **ई. डब्ल्यू. वर्गेस** ''प्रतियोगिता और संघर्ष विरोध के दो रूप होते हैं, जिसमें प्रतियोगिता अवैयक्तिक होती है, जबकि संघर्ष का रूप वैयक्तिक होता।''

गिलिन और गिलिन– ''संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्य को पाने के लिए विरोधी को हिंसा का भय दिखाकर आवाहन करते हैं।''

जोसेफ एच. फिचर– ''संघर्ष पारस्परिक अन्तर्क्रिया का एक रूप है, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करते हैं।''

इस प्रकार संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रमुख रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे विरोध करते हैं। संघर्ष वैयक्तिक होने के हिंसात्मक टकराव में बदल जाता है। प्रतियोगिता एक निश्चित नियम के अन्तर्गत सामाजिक विकास में सहायक होती है। प्रतियोगिता का विकृत स्वरूप संघर्ष है।

संघर्ष के अनेक रूप हैं। संघर्ष के मुख्य रूप इस प्रकार हैं– प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, सामुदायिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, बहुसंख्यक संघर्ष और अल्पसंख्यक संघर्ष आदि।

इस प्रकार अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक संस्कृतियों या सांस्कृतिक समूहों के मध्य परस्पर संघर्ष या विरोध या टकराव। दो या दो से अधिक संस्कृतियों के व्यवहार पक्ष, यथा खान –पान, वेष भूषा आदि, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष, यथा साहित्य, संगीत, कला,

विज्ञान आदि तथा मूल्य सम्बन्धी पक्ष, यथा समतावाद, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, सत्य, अहिंसा, करुणा आदि में अन्तर्विरोध या टकराव उत्पन्न होता है तो हम उसे अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष की संज्ञा प्रदान करते हैं।

11.2.2 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो मानव समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पायी जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि का विभेद एवं अन्तर समाज में संघर्ष की परिस्थितियों को पैदा करते हैं। समाज के साथ सहयोग और संघर्ष का सम्बन्ध आदि काल से ही रहा है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ होने के साथ ही परस्पर सांस्कृतिक संघर्ष एवं अन्तर्किया की शुरुआत हो गयी जो अद्यतन चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेंगी क्योंकि यह सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक प्रक्रिया है।

वैश्विक सन्दर्भ–

मानव जाति की उत्पत्ति के साथ ही अस्तित्व एवं पहचान के लिए संघर्ष शुरु हो गया। ऐसा माना जाता है कि नर वानर परिवार के किसी सदस्य के परिष्कार से मनुष्य का आविर्भाव हुआ। इन्हें प्रारम्भिक पूर्व पाषाण काल में मानव सम प्राणी कहा गया है। मानव संस्कृति के इतिहास का प्रथम अध्याय लिखने वाले पूर्ण मानव न होकर जावा, चीन, यूरोप, अफ्रीका के यही प्राचीन मानवसम प्राणी थे। विद्वानों की मान्यता है कि मध्य पूर्व पाषाणकाल में इन्हीं मानव सम प्राणियों को पराजित करके पूर्ण मानवों ने परिवर्ती पूर्व पाषाण काल में यूरोप सहित विश्व के अन्य भागों में कब्जा कर लिया। पूर्व पाषाण काल की संस्कृतियां, जिसका पुरातत्ववेत्ताओं ने शैलियन, एब्बोविलियन, अशूलियन, क्लेक्टोनियन, लेवालुआजियन, आरिन्येशियन, सौल्युट्रियन, मैग्डेलेनियन आदि नाम दिया है, शिकार एवं पशुपालन पर अवलम्बित थी, किन्तु नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन से परिचित हो गयी। अब स्थायी रूप से एक स्थान पर घर बनाकर रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। ताम्र प्रस्तरकाल में मनुष्य ने कबीलाई संस्कृति में एक मुखिया के अधीन अपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया तथा कांस्यकाल में नदी

घाटियों में नगर क्रान्ति से विभिन्न सभ्यताओं का जन्म हुआ। पाषाण कालीन संस्कृतियों में अस्तित्व की रक्षा के लिए परस्पर संघर्ष के प्रमाण मिलते हैं। कबीलाई संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष के साथ ही सहज सांस्कृतिक मेल मिलाप के भी प्रचुर प्रमाण हैं।

मानव जाति की ऐतिहासिक विकास यात्रा का प्रथम चरण पूर्ण होने पर विभिन्न नदी घाटियों में नगरीय सभ्यताओं का जन्म हुआ। सभ्यता का आविर्भाव सर्वप्रथम पश्चिमी एशिया में दजला और फरात, अफ्रीका में नील तथा भारत में सिन्धु की घाटियों में हुआ। सैन्धव सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता मे प्राचीनतर सभ्यता को लेकर विद्वानों में विवाद है। पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता, बेविलोनियन सभ्यता, कसाइट सभ्यता, मितन्नी सभ्यात, हित्ती सभ्यता, असीरियन सभ्यता, फिनीशियन सभ्यता, ऐरेमियन सभ्यता, फ्रीगियन और लीडियन सभ्यता उरर्तु राज्य उत्तर की बर्बर जातियाँ और पूर्व के मीड, कैल्डियन सभ्यता, यहूदी सभ्यता आदि प्रमुख हैं। इसी तरह मिस्र की सभ्यता, पिरेमिड यूग, मध्य राज्य युग, साम्राज्य युग आदि, ईजियन प्रदेश, यूनान और रोम की सभ्यता, ईजियन सभ्यता, होमर कालीन क्लासिकल यूनान, पेरिक्लज का युग, क्लासिकल युग का अवसान और रोम का उदय आदि, ईरान की सभ्यता प्राक हखामशी युग तथा हखामशी युग आदि, चीनी सभ्यता के विविध चरण तथा भारत की सभ्यता सैन्धव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध का उत्कर्ष तथा धर्म क्रान्ति आदि चरणों में क्रमिक विकास किया। इन सभ्यताओं की लम्बी ऐतिहासिक यात्राएं पूर्ववर्ती एवं परवर्ती सभ्यताओं के संघर्षों से भरी है। प्रत्येक परवर्ती सभ्यता ने अपनी पूर्ववर्ती सभ्यताओं को पराभूत एवं विनष्ट करके अपनी स्थापना की। यह संघर्ष क्षेत्र विशेष की पूर्ववर्ती सभ्यताओं में हुआ। दजला फरात की घाटी में पश्चिमी एशियाई सभ्यताओं का उदय एवं अस्त तो ऐतिहासिक संघर्षों के कारण ही हुआ। मिस्र की सभ्यता ने अपना एशियाई विस्तार करके अन्तर्राष्ट्रीय युग की विश्व में पहली बार शुरुआत की।

पश्चिमी एशिया विश्व की अनेक महत्वपूर्ण संस्कृतियों की जन्म स्थली रही है। इसी क्षेत्र में ईसाई एवं इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इन दोनों धार्मिक संस्कृतियों को अपनी समकालीन संस्कृतियों से प्रबल संघर्ष

का सामना करना पड़ा। ईसा मसीह को शूली पर चढ़ाया गया और मुहम्मद साहब को इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अनेक युद्ध लड़ने पड़े। आगे चलकर ईसाई एवं इस्लाम धर्म भी दो भागों में विभक्त हो गया। ईसाई धर्म में दो सम्प्रदाय हो गये कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट। कैथोलिक परम्परावादी इसाई धर्म को मानते हैं और पोप पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। प्रोटेस्टेंण्ट आत्मशुद्धि पर विशेष बल देते हैं तथा प्रगतिशील विचारों में विश्वास रखते हैं। आरम्भ में इनके मध्य कई बार संघर्ष और सशस्त्र युद्ध हुए परन्तु अब राजनीतिक चेतना के विकास के साथ इनमें धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म भी आगे चलकर शिया और सुन्नी सम्प्रदाय में विभक्त हो गया तथा इन दोनों सम्प्रदायों में अब भी दंगा फसाद विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आये दिन होते रहते हैं। ईसाई एवं इस्लाम धर्मों का विस्तार लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में हो चुका है और उन क्षेत्रों की राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियों से प्रायः टकराव एवं संघर्ष होता रहता है। ईसाई और इस्लाम धर्म के पूर्व बौद्ध धर्म के रूप में एक महान धर्म का उदय हो चुका था जिसके अनुयायी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में करोड़ों की संख्या में हैं इसकी चर्चा हम भारतीय सन्दर्भ में करेंगे ।

यूरोपीय पुनजागरण और औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप कला साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की उन्नति एवं धर्म सुधार आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। ज्ञान का विस्तार हुआ तथा नये–नये वैज्ञानिक आविष्कारों से सर्वांगीण विकास को गति मिली। इस पुनर्जागरण का सम्पूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ा। यूरोप के औद्योगिक देशों का सम्पूर्ण विश्व में राजनैतिक एवं आर्थिक उपनिवेश कायम हुआ। वैज्ञानिक चेतना के उदय के साथ ही सुधारवादियों द्वारा परम्परागत समाज की रुढ़ियों एवं अन्धविश्वासों के उन्मूलन का अभियान तीव्र हुआ, जिससे अन्तरसांस्कृतिक संघर्ष को नया आयाम मिला।

भारतीय सन्दर्भ

प्राचीन भारत का इतिहास सैन्धव सभ्यता से प्रारम्भ होता है। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, गुंजरात एवं राजस्थान तक था। सैन्धव संस्कृति के वास्तविक निर्माता कौन थे? इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं

है। कुछ विद्वान उन्हें भूमध्य सागरीय नृवंश से सम्बन्धित मानते हैं तो कुछ लोग द्रविड़ों को इसका निर्माता मानते हैं, क्योंकि हड़प्पन संस्कृति के लोग लिंगपूजक थे जिसका व्यापक प्रभाव आज भी द्रविड़ संस्कृति पर दृष्टिगोचर होता है। द्रविड़ लोगों को कुछ विद्वान हेलेनिक जाति का मानते है। सैन्धव संस्कृति के लोग कृषि कार्य के प्रारम्भिक विकास कर्ता और कॉस्य धातु तथा कुम्हार के चाक के आविष्कारक थे। सैन्धव सभ्यता उच्च विकसित नगरीय सभ्यता थी। आर्यों के आगमन के पूर्व द्रविड़ों ने अधिकांश इस सभ्यता का विस्तार कर लिया था।

आर्य मूलतः आल्पस पर्वत के पूर्व यूरेशिया के रहने वाले कृषक एवं यायावर चरवाहा जाति के समूह के लोग थे जो भारोपीय भाषा जानते थे। यह भाषा आज भी कुछ भिन्नता के साथ यूरोप, ईरान एवं भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। आर्यों के आक्रमण के बाद द्रविड़ लोग सतपुड़ा पर्वतमाला पार करके भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में चले गये। कुछ द्रविड़ आर्यों के साथ घुल मिल गये। आर्य लोग कई खमों में आये और स्थानीय निवासियों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। आर्य प्रशिक्षित घोड़ों, घोड़े युक्त रथों एवं उत्कृष्ट हथियारों का प्रयोग करते थे तथा कृषिकार्य की विशिष्ट जानकारी रखते थे। आर्य संस्कृति की विशिष्ट उपलब्धि चार वेद हैं। वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ आर्यों की सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार है। रामायण एवं महाभारत में उस समय की घटित घटनाओं का वर्णन मिलता है। षट् वेदांगों में जहां गुह्य सूत्र धार्मिक कर्मकाण्ड से सम्बन्धित है वहीं धर्म सूत्र में सामाजिक रीति रिवाजों एवं व्यवहारों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल की उत्तरवेद, ब्राहमण ग्रन्थ, आरण्यक ग्रन्थ, उपनिषद आदि भारतीय हिन्द दर्शन की शिखर उपलब्धि है।

उत्तर वैदिक कालीन वर्णव्यवस्था ने तत्युगीन समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक विसंगतियों एवं तनावों को जन्म दिया। शासक एवं व्यापारिक समुदायों ने ब्राहमण पुरोहित वर्ग की श्रेष्ठता को नकारना प्रारम्भ कर दिया। विलासिता एवं भौतिक सुख साधनों से सम्पन्न उच्च वर्ग एवं शोषित तथा दलित निम्न वर्ग में समाजिक असमानता के कारण परस्पर दुराव पैदा होने लगा। ऐसे विषम सामाजिक वातावरण में जैन

धर्म का उदय हुआ, जिसे ई. पू. पाचवीं शताब्दी में महावीर स्वामी ने उच्च शिखर पर पहुंचाया। महावीर स्वामी के समकालीन भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। सत्य अहिंसा, करुणा, समता एवं मानवता के महाप्रचारक गौतम बुद्ध ने आर्य संस्कृति के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के लोगों को बौद्धधर्म की ओर आकर्षित किया। तत्युगीन अनेक राजतंत्रों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके एवं राज्य संरक्षण प्रदान करके उसका प्रचार प्रसार पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं दक्षिण एशिया में किया। बौद्ध धर्म ने सामान्य जन की भाषा पाली भाषा को अपने प्रचार– प्रसार की भाषा बनाया। आगे चलकर बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान में विभक्त होकर भारत में महत्वहीन हो गया।

बाह्य आक्रमणों से अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष को बढ़ावा मिला है। ई. पू. भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजनैतिक उथल पुथल एवं अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए विदेशी शासकों ने अनेक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व एवं प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ई.पू. चौथी शताब्दी में सिकन्दर ने खैबर दर्रे से प्रवेश करके पंजाब पर आक्रमण किया और यूनानी सभ्यता का प्रसार उत्तर पश्चिमी भारत में किया। इसके बाद यूनानी, पार्थियन, कुषाण, शक, हूण, आदि जातियों का आक्रमण हुआ और स्थानीय संस्कृति के साथ इनकी संस्कृति का अन्तसंघर्ष तेज हुआ।

पाश्चात्य जगत से सेंट थामस सन् 52 ई. में मालाबार आये और इसी के साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। इसके बाद सातवीं शताब्दी में अरबी आक्रमण भारत पर प्रारम्भ हुआ। आगे चलकर मुहम्मद गजनवी एवं मुहम्मद गोरी ने आक्रमण द्वारा पश्चिमी भू–भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मुहम्मद गोरी ने भारत के अनेक हिन्दू शासकों को हराकर मुस्लिम शासन की नींव डाली। इसी प्रकार इंग्लैण्ड के ईसाई धर्मावलम्बी व्यापारियों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित करके भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इस्लाम एवं ईसाई धर्मावलम्बियों द्वारा केन्द्रीयशासन के बल परं इस्लाम एवं ईसाई संस्कृति का भारत में प्रथम प्रसार हुआ। इस्लाम एवं ईसाई धर्मों के पूर्व की सैन्धव संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध संस्कृति एवं बाहय आक्रान्ताओं की संस्कृति परस्पर मेल मिलाप द्वारा एक दूसरे

में घुल मिल गयी किन्तु इस्लाम एवं ईसाई संस्कृति की पृथक पहचान बनी रही।

11.3 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार का वैश्विक आयाम

अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्तर्संस्कृतिक संघर्ष को बढ़ावा देने में संचार माध्यमों का योगदान रेखांकित करने योग्य है। प्राचीन काल में जहां परम्परागत माध्यमों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग अपनी संस्कृति को विस्तार प्रदान करने के लिए अन्य संस्कृतियों से वैचारिक संघर्ष करते थे, वहीं आधुनिककाल में उन्नत प्रौद्योगिकी से सम्पन्न जनसंचार माध्यमों के द्वारा अन्य संस्कृतियों की तुलना में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठता प्रदान करते का संघर्ष तीव्र हो गया है। वैश्विक स्तर पर अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष को कई रूपों में देखा जा सकता है।

11.3.1 प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष एवं संचार

मानव सभ्यता का जन्म पश्चिम एशिया, मिस्र, भारत एवं चीन आदि प्राच्य देशों में हुआ। जिस समय मानव सभ्यता और संस्कृति को जन्म देने वाले इन प्राच्य देशों में धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला, ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश जगमगा रहा था उस समय पश्चिम सघनतम अन्धकार में डूबा हुआ था। कई सहस्राब्दियों तक भूमण्डल के पूर्वांचल की सांस्कृतिक श्रेष्ठता बरकरार रही किन्तु समय ने करवट बदला। यूरोपीय पुनर्जागरण और पश्चिम की औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों का औपनिवेशिक विस्तार एशियाई देशों में हुआ। इस औपनिवेशिक विस्तार के साथ साथ अपनी भाषा साहित्य संगीत कला, ज्ञान, विज्ञान एवं जीवन शैली का भी प्रचार प्रसार तीव्र गति से किया। औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप नित्य नये नये आविष्कारों का दौर प्रारम्भ हुआ। इन आविष्कारों के फलस्वरूप जनसंचार के नये नये माध्यमों का विकास हुआ। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, मोबाइल आदि से अन्तर्सास्कृतिक संचार की गति तीव्र हुई। आधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न जनमाध्यमों द्वारा अन्तसांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया से विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में

अन्तर्क्रिया एवं अन्तर्सघर्ष को नई गति मिली। पाश्चात्य संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से प्राच्य संस्कृति एवं भाषा को बचाने का प्रयास तीव्र हुआ।प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष में पूर्वी देशों के लोगों में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण की चेतना तीव्र हुई। ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में कराये जा रहे धर्मान्तरण का तीव्र विरोध हुआ। अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध ऐतिहासिक आन्दोलन हुए। विदेशी जीवन शैली वेशभूषा एवं खान पान एवं उत्सवों का प्रायः विभिन्न स्वदेशी संगठनों द्वारा विरोध हो रहा है। धार्मिक, सामाजिक सुधारवादी आन्दोलनों द्वारा सांस्कृतिक परिष्कार का क्रम वर्तमान में भी जारी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जनजातीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित ईसाईयत के प्रचार प्रसार और धर्मान्तरण को रोका जा सके। प्राच्य–पाश्चात्य अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष में पक्ष समर्थन एवं पक्ष प्रचार के लिए समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट एवं मोबाइल फोन का सहारा लिया जा रहा है।

11.3.2 विकसित एवं विकाशील देशों के मध्य अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार

सूचना क्रान्ति के युग में अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्पन्न जनमाध्यमों पर अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों का वर्चस्व एवं एकाधिकार है। आज विश्व जनमत को प्रभावित करने वाला इससे बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। अति उन्नत विकसित देश जनमाध्यमों पर नियन्त्रण करके विश्व के गरीब देशों के सामाजिक ढाँचे को छिन्न–भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीबी से जूझते एवं लाचारी से तड़पते हुए अफ्रीकी, लातीनी देशों के अलावा दक्षिण एशियाई देश भी प्रभावित हो रहे हैं। विश्व जनमत को संचार क्रान्ति के सेतु से बाधने की जो नई शैली हमारे सामने आयी है उसमें समुचित विश्व का बाजार गणित भी शामिल है। कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित एवं अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों के आधिपत्य में संचालित संचार माध्यमों ने पिछले डेढ़ दशक में उपभोक्ता संस्कृति की एक पीढ़ी अथवा एक विशेष वर्ग को विकासशील देशों में तैयार किया है। उपभोक्ता वादी संस्कृति ने पूरे विश्व में जनसंस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया है। जन संस्कृति

के प्रतीकों में अधिकांश उत्पाद एवं जीवन शैली विकसित देशों के हैं। जनसंस्कृति यांत्रिक समाज की उपज है जो पूंजीवाद को पुष्पित और पल्लवित करता है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो,टी.वी., फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, और मोबाइल फोन आदि जन माध्यम के साधन इसके संवाहक हैं। जनसंस्कृति आराम, उपभोग, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिवाद की पोषक जीवनशैली और मूल्यों को प्रोत्साहित करती है।

संचार क्रान्ति के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर विश्व की भौतिक दूरी घटी है वहीं दूसरी ओर भोगवादी संस्कृति का उदय हुआ है इसने असीमित भोग लिप्सा तथा विसंगत जन जीवन को बढ़ावा दिया है। विशेषतः विकासशील समाजों की परम्परागत संस्थाओं का ढांचा चरमराने लगा है तथा नैतिक मर्यादाएं टूटने लगी हैं प्लेब्याय एवं पेन्ट हाउस की संस्कृतियों का उदय विशेषतः नारी देह का अनिवार्य प्रदर्शन नग्नता को सौन्दर्य मानना, यौन अनुशासन का क्षीण होना, अप्राकृतिक एवं असामान्य यौनाचार साहित्य का अवमूल्यन, हिंसा एवं अपराध में वृद्धि, लक्ष्य भ्रम तथा अन्ततः समाज का दिशाहीन तथा धूरीहीन होना आदि सम्भावित खतरों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता विकासशील देशों में महसूस की गई। विकासशील देशों में अपनी राष्ट्रीय एवं स्थानीय परम्परागत संस्कृति के संरक्षण की चेतना जाग्रत हुई। अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों ने जहाँ एक ओर विकसित देशों की आयातित संस्कृति का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर अपनी परम्परागत संस्कृति के प्रति प्रेम एवं गौरव की भावना को जाग्रत किया। इससे समस्त विकासशील देशों में अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष की गति तेज हुई। जनसंस्कृति के प्रतीकों आयातित साहित्य, संगीत कला एवं जीवन शैली तथा अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार का आन्दोलन तीव्र हुआ। सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों ने अपने आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए पर्चे, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन ही नहीं किया वरन् इलेक्ट्रानिक माध्यमों का भी भरपूर उपयोग किया। भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, शिवसेना तथा अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पश्चिम की आयातित संस्कृति वेलेण्टाइन डे का प्रबल विरोध और परम्परागत सांस्कृतिक गौरव को जगाने के उद्देश्य से संस्कार भारती आदि के द्वारा वासन्तिक नवरात्र के प्रथम दिन को नववर्षारम्भ के रूप में मनाना इसका स्पष्ट उदाहरण है।

इस प्रकार विकसित देशों के जीवन मूल्यों का जो विकासशील एवं अविकसित देशों में तेजी से प्रसारित हो रहा है, का प्रबल विरोध वैश्विक स्तर पर चल रहा है। अमेरिक, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों का शेष विश्व पर सांस्कृतिक आक्रमण जनसंचार माध्यमों एवं संवाद समितियों के द्वारा हो रहा है। इसका प्रतिरोध विकासशील एवं अविकसित देशों में तो हो ही रहा है अपसंस्कृति के प्रचारक विकसित देशों में भी विरोध का स्वर धीरे– धीरे मुखर हो रहा है क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों के सामाजिक जीवन को भी भ्रष्ट कर रही है, जो उन देशों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बनता जा रहा है ।

11.3.3 सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति एवं अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष

सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की अवधारणा का जन्म उस समय हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम हो रहा था। सन.1945 में सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के पक्ष में अमेरिका को पहला अन्तर्राष्ट्रीय मंच मिला। युद्ध और शान्ति के प्रश्न पर अमेरिकी देशों का मैक्सिको सम्मेलन में सूचना तक स्वतंत्र पहुँच के बारे में कड़ा प्रस्ताव पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इससे जुड़े संगठनों का उपयोग अमेरिकी नीति को लागू करने के औजार के रूप में तथा इससे भी आगे बढ़कर, स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय मंच के रूप में हुआ। यूनेस्को के गठन के सबसे पहले दौर के प्रस्तावों को अमेरिकी विशेषज्ञों के पैनल ने तैयार किया था, जो सूचना के स्वतंत्र प्रवाह का प्रचारक था। सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त को प्रचारित करने के उद्देश्य से 1946 में यू.एन.ओ. की सामाजिक और आर्थिक परिषद् ने मानवाधिकार पर एक आयोग का गठन किया और सूचना और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक उप आयोग के गठन का अधिकार उसे दे दिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया।

सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त के विरुद्ध 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1970 के दशक के पूर्वाद्ध में विश्व भर में एक नया तेवर दिखाई पड़ने लगा। यह सब अमेरिकी सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के

सामानों की बाढ़ और उसके द्वारा राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को हड़प लेने की प्रतिक्रिया में हुआ। 1961 में गुटनिरपेक्ष संगठन का जन्म हुआ और 1968 में युनेस्को के मंच पर पहली बार दो तरफा एवं संतुलित समाचार प्रवाह की बात कहीं गयी। 1970 में यूनेस्को के सोलहवें सम्मेलन में राष्ट्रीय जन संचार नीति निर्माण की बात कही गयी तथा 1972 में जन संचार माध्यमों की घोषणा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 1973 में अल्जीयर्स में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक में जनसंचार के क्षेत्र में सहयोग करने तथा जनमाध्यमों के पुर्नव्यवस्थापन की बात कही गयी तथा 1975 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने समाचार समिति 'न्यूजपूल' की स्थापना की। 1977 में मैकब्राइड आयोग की स्थापना हुई जिसने अपनी रिपोर्ट में नईविश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की बात कही गयी थी। यूनेस्को ने 1980 में नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था के संचार विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई. पी. डी. सी.) की स्थापना की। 1982 में यूनेस्को की चौथे विशेष बैठक में अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर निकल जाने की धमकी दी। 1983 में यूनेस्को ने सदस्य राष्ट्रों से आई.पी.डी.सी. की सहायता के लिए सहयोग बढ़ाने की अपील की। 31 दिसम्बर 1984 में अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी तथा 1985 में ब्रिटेन और सिंगापुर ने भी सदस्यता का त्याग किया। आई. पी. डी. सी. का निर्माण तीसरी दुनिया के देशों में संचार नेटवर्क को बढ़ाने और बेहतर बनाने के उद्देश्य से हुआ था। इस कार्य के लिए एक सौ मिलियन डालर की आवश्यकता थी जबकि उसे पाँच मिलियन डालर ही उपलब्ध हो पाया। अमेरिका ने सहायता देने से इन्कार कर दिया।

विकासशील देशों द्वारा संतुलित और मुक्त सूचना व्यवस्था के जवाब में विकसित देशों का तर्क था कि सूचना का मुक्त प्रवाह होना चाहिए द्य संतुलित एवं मुक्त प्रवाह की बात करना सूचना समाचारों के मुक्त प्रवाह पर अंकुश लगाना है। वस्तुतः मुक्त एकतरफा बनाम संतुलित प्रवाह की बहस के पीछे जो अवधारणाएं हैं वही सूचना युग की सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी हालत पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतों का द्वन्द्व अगर मुक्त रूप से होता है तो स्वाभाविक है जो शक्तिशाली है विजय उसी की होगी। इस अवधारणा में कमजोर को मजबूत बना कर प्रतियोगिता का तत्व नहीं हैं वरन कमजोर को कमजोर ही बनाए रखते हुए प्रतियोगिता की चुनौती का तत्व प्रधान है। विश्व में

सूचना और समाचारों का वितरण सम्पन्न देशों की कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में है। इसका मतलब है विचारों और सोच की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करना। स्वतंत्र सूचना प्रवाह का अर्थ है केन्द्र (संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस, जर्मन गणराज्य एवं अन्य) में तैयार सांस्कृतिक सामग्री और अंग्रेजी भाषा का परिधि (शेष विश्व) की ओर समाचार माध्यम प्रसारण करें क्योंकि सूचना तंत्र पर अमेरिका एवं अन्य विकसित राष्ट्रों का नियंत्रण है द्य इस संकट से बचाने के लिए विकासशील देशों ने सोवियत संघ के सहयोग से स्वतंत्र एवं संतुलित सूचना प्रवाह की बात कही। वर्तमान समय में भी विकासशील एवं अविकसित देश सूचना के स्वतंत्र प्रवाह से प्रवहमान पश्चिमी संस्कृति से अपनी परम्परागत संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की कूटनीति और अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है। सूचना के हथियारों से लैस शक्तिशाली संस्कृतियों कमजोर संस्कृतियों के लिए संकट उत्पन्न कर रही हैं और कमजोर संस्कृतियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आज संघर्षरत हैं।

11.3.4 विश्व में अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष और संचार

सम्पूर्ण विश्व में औपनिवेशिक काल से अब तक विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के क्रम में परस्पर संघर्ष होता रहा है। इसका स्वरूप श्वेत अश्वेत संघर्ष, भाषाई संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष, धार्मिक साम्प्रदायिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, वर्गीय संघर्ष आदि अनेक रूपों में देखा जा सकता है। इसके साथ ही अनेक राष्ट्रों की राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के भीतर भी आन्तरिक संघर्ष दृ ष्टिगोचर होता है। किसी एक ही संस्कृति के भीतर चलने वाले संघर्ष को अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष कहा जाता है।

विश्व की विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों में अन्तः संघर्ष देखा जा सकता है। ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान तथा हिन्दू धर्म वैष्णव, शैव, अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत आदि रूपों में विभक्त होकर परस्पर वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में तो विश्व के विभिन्न भागों में शिया सुन्नी के बीच प्रायः हिंसक संघर्ष होते ही रहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान,

ईरान, इराक, आदि इस्लामिक देशों में भाषिक समुदायों, क्षेत्रीय समुदायों एवं विभिन्न कबीलाई समूहों में हिसकं संघर्ष उन देशों की राष्ट्रीय समस्या बनी हुई जबकि सभी एक ही धार्मिक संस्कृति के सदस्य हैं। इसी तरह भारत में हिन्दू धर्मानुयायियों में भी जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन और संघर्ष देखा जा सकता है। मानवाधिकारों का तथाकथित संरक्षक अमेरिका भी श्वेत अश्वेत संघर्ष से वंचित नहीं है। इसी तरह का संघर्ष सभी विकसित देशों में देखा जा सकता है।एक ही धार्मिक संस्कृति को मानने वाले विभिन्न देशों में भी युद्ध आदि होते रहते हैं। इन संघर्षों में मीडिया की भूमिका कभी निष्पक्षकभी पक्षपात पूर्ण होती है।

विश्व में अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष कई रूपों में देखा जा सकता है। जहाँ एक ही धार्मिक संस्कृति के लोग धार्मिक अन्तर्विभाजन, भाषा, राष्ट्र, क्षेत्र, जाति या वर्ग के आधार पर संघर्ष करते हैं वहीं एक ही भाषिक संस्कृति के लोग धर्म, राष्ट्र, जाति, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर संघर्ष करते हैं। जहाँ एक ही राष्ट्रीय संस्कृति के लोग धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति वर्ग के आधार के आधार पर संघर्ष करते हैं वहीं एक ही क्षेत्रीय संस्कृति के लोग धर्म, भाषा जाति के आधार पर संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार एक ही जाति के लोग राष्ट्र, भाषा या क्षेत्र के आधार पर संघर्ष करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त विश्व में अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष के कई आयाम हैं। सभी आयामों में संचार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जन संचार माध्यमों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक मीडिया ने ज्ञान का विस्तार किया। सदियों से परतंत्र, दलित, शोषित समुदाय में स्वाभिमान एवं सम्मान के भाव को जागृत किया। लोगों में देशप्रेम एवं सांस्कृतिक गौरव को जाग्रत करने में पत्र–पत्रिकाओं, रेडियो, टी0वी0 फिल्म आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास की गौरवशाली परम्परा से परिचित होने पर लोगों में अपने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान एवं प्रेम की भावना जगी। किसी भी आयातित संस्कृति से अपनी परम्परागत संस्कृति को बचाने की चेतना जाग्रत हुई। इसी क्रम में

अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष की गति तीव्र हुई। इस संघर्ष में अपने पक्ष–समर्थन एवं पक्ष–प्रचार के लिए भी जन माध्यमों का ही सहारा लिया जा रहा है। जनसंचार माध्यम अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष के प्रबल संवाहक हैं।

11.4 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार का भारतीय आयाम

भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों के योग के दर्शन होते हैं। आर्य, अनार्य, शक, ग्रीक, यूनानी, कुषाण, हूण, पारसी तथा गौड़ आदि विभिन्न संस्कृतियों की विचारधारा के योग से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। भारतीय संस्कृति में सभी संस्कृतियाँ मिलकर भी भारतीय संस्कृति के रूप को बदल न सकी। समन्वय की वृत्ति भारतीय संस्कृति का प्राण एवं जीवन है। एक विद्वान के अनुसार ष्अनेक बाह्य आक्रमण हुए, अनेक जातियाँ आयीं और अनेक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ फिर भी अपने देश में संस्कृति की आधारशिला को सुरक्षित रखते हुए हमने समय–समय पर इन सब जातियों को अपने में मिला लिया तथा इनकी सभ्यता को स्थान दिया।

भारत एक विशाल देश है। अपनी विशालता के कारण ही यह उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 3000 जातियाँ निवास करती हैं, 179 भाषाएं बोली जाती हैं और स्थानीय भाषाओं की संख्या 544 है। वैदिक धर्म, बौद्धधर्म, जैनधर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिक्ख धर्म आदि अनेक धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं। विभिन्न धर्मानुयायियों एवं सम्प्रदाय वालों के आचार–विचार रहन–सहन एवं भाषा में अन्तर है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के लोगों के रहन–सहन क्रिया कलाप आदि में विशाल अन्तर के दर्शन होते हैं। ऐसे तो विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, किन्तु विविधता एवं विभिन्नता का एक प्रतिफल अन्तर्संस्कृतिक संघर्ष भी है। भारत धार्मिक, साम्प्रदायिक, भाषायी, क्षेत्रीय एवं जातीय संघर्ष भी समय–समय पर होते रहते हैं।

11.4.1 पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में परस्पर अन्तर्संघर्ष

भारत विभिन्न विचार धाराओं, जातियों, सम्प्रदायों, धर्मों और

भाषा–भाषियों का देश है, जहाँ इनमें स्पष्ट रूप से समन्वय परिलक्षित होता है। यह समन्वय टकराहट और समाहार के स्तर से गुजरता हुआ स्थापित होता है किन्तु अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, सांस्कृतिक बुनियाद कमजोर हुई, इन दौरान, भारतीय संस्कृति पर गहरा आधार हुआ। जिस महान भारतीय संस्कृति ने विभिन्न संस्कृतियों के सांस्कृतिक आक्रमण के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक टकराहट से समन्वय किया। जीवन की शुचिता, सच्चरित्रता, त्याग–संयम, प्राणिमात्र के प्रति स्नेह–मैत्री, सहयोग, सहिष्णुता और उदारता की भावना से आप्लावित भारतीय संस्कृति ने विभिन्न धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों और भाषा भाषियों में सामाजिक समरसता को बनाए रखा। उसी भारतीय संस्कृति में अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति से शत्रुता और कटुता का जहर घोल दिया। समरसता के स्थान पर विभिन्न वाद उत्पन्न हो गये। यथा सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय नवनिर्माण की ओर अग्रसर भारत में अमेरिका के नेतृत्व में पाश्चात्य विकसित देशों में मानवाधिकार के हनन आदि का प्रश्न उठाकर उसी नीति को बरकरार रखा।

वर्तमान समय में कारपोरेट पूँजीवाद द्वारा नियंत्रित जनसंचार माध्यमों के द्वारा पाश्चात्य विकसित देश अपनी संस्कृति को भारत पर थोपकर इसे अपना सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की मीडिया सामग्री पर शक्तिशाली पश्चिमी देशों का ही वर्चस्व है। आज पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के बीच सामान्य मेलमिलाप का मामला नहीं रह गया है बल्कि सूचनाओं के हथियारों से लैस पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति के लिए संकट उत्पन्न कर रही है। समाज संस्कृति के समक्ष उठी चुनौतियाँ और जनसंचार माध्यमों द्वारा हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को बौद्धिक वर्ग ने 'सांस्कृतिक आक्रमण' कहा है। भारत गाँवों का देश है। भारतीय संस्कृति का प्राणतत्व ग्राम्य सभ्यता एवं संस्कृति में है। आज जिस प्रकार से संचार माध्यमों पर महानगरीय मानसिकता मुख्य रूप से हावी है, उससे हमारी संस्कृति की अस्मिता संकट में है। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति को केबिल और सेटेलाइट चौनलों ने देश के कोनेकोने में वितरित कर दिया है। देश के दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में जनजातियों एवं आदिवासियों की

जीवनशैली में भी फिल्मों के प्रभाव से व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है। पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति से भारतीय समाज में अश्लीलता, हिंसा, अपराध, असहिष्णुता एवं संवेदनशून्यता को तेजी से प्रसार हो रहा है। सामाजिव सांस्कृतिक परिवर्तन की तीव्रता से प्राचीन परम्पराओं और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का प्रश्न चुनौती. बनकर सामने खड़ा है।

भारत के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में प्रदूषण से अपसंस्कृति के विकास, प्राचीन कला–साहित्य, भाषा और संस्कृति की समृद्ध विरासत पर प्रश्नचिन्ह और चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन उठ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की चिन्ता चतुर्दिक दिखाई दे रही है, भले ही वह सीमित स्तर पर ही क्यों न हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं उसके आनुषंगिक संगठनों, गाँधीवादी संस्थाओं एवं संगठनों, शिवसेना साहित अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा भोगवादी संस्कृति के प्रतीकों का बहिष्कार एवं भारतीय साहित्य कला, संगीत, भाषा, धर्म, जीवन शैली, दर्शन एवं मनीषा के संरक्षण के लिए व्यापक जनमत तैयार करने का प्रयास तीव्र गति से किया जा रहा है। सामाजिक विकृतियों को दूर करने तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मान्तरण को रोकने के लिए आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में चलाये जा रहे सुधारवादी कार्यक्रमों को इसी रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा भारतीय संस्कृति के संरक्षण के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए सभाओं, पदयात्राओं, शिविरों, सुधारवादी कार्यक्रमों आदि के साथ ही पर्चे, पम्पलेट, पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा इलेक्ट्रानिक माध्यमों का सहयोग लिया जा रहा है। एक ओर पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के संरक्षण की चिन्ता तथा रचनात्मक प्रयास ने अन्तसांस्कृतिक संघर्ष की गति को अत्यधिक तीव्र कर दिया है। इसे संचार माध्यमों की भूमिका रेखांकित करने योग्य है।

11.4.2 धार्मिक साम्प्रदायिक संघर्ष

भारत विभिन्न धर्मावलम्बियों एवं सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों का देश है। भारत में हिन्दू इस्लाम, ईसाई, पारसी, सिक्ख, बौद्ध, जैन आदि धर्मानुयायी प्रमुख रूप से निवास करते हैं। इन धर्मों को मानने वालों के

आचार–विचार, व्यवहार, खान–पान, वेश–भूषा, साहित्य, कला, रीति–रिवाज, लोकाचार, रूढ़ियों, परम्पराओं, आदर्शो, विधियों एवं मर्यादाओं में पर्याप्त अन्तर है। भारत का धार्मिक वैविध्य ही प्रायः अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का कारण बन जाता है। इस अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष को हिन्दू मुस्लिम संघर्ष, हिन्दू–ईसाई संघर्ष, हिन्दू–सिक्ख संघर्ष, हिन्दू–बौद्ध सघर्ष, ईसाई– मुस्लिम संघर्ष, मुस्लिमबौद्ध संघर्ष आदि रूपों में देखा जा सकता है। इन धार्मिक संस्कृतियों का संघर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग रूपों में है, जो क्षेत्र विशेष में रहने वाली धार्मिक संस्कृतियों पर निर्भर करता है।

इसी प्रकार विभिन्न धर्मों के अन्तर्गत विविध सम्प्रदायों में भी परस्पर संघर्ष चलता रहता है। जैसे हिन्दू धर्म के अन्तरर्गत, वैष्णद, शैव, अद्वैत द्वैत, एवं विभिन्न पंथ, ईसाई धर्म के अन्तरर्गत प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक, बौद्ध धर्म के अन्तगत महायान एवं हीनयान, जैन धर्म के अन्तर दिगम्बर एवं श्वेताम्बर, इस्लाम में शिया–सुन्नी तथा सिक्खों में नामधारी निरंकारी आदि सम्प्रदायों में प्रायः अन्तसांस्कृतिक संघर्ष दृ ष्टिगोचर होता है।

धार्मिक साम्प्रदायिक संस्कृतियों के संघर्ष में संचार की भूमिका भी वैविध्यपूर्ण होती है। विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के लोग अपने पक्ष–प्रचार के लिए जन माध्यमों का उपयोग करते हैं। कभी–कभी जन संचार माध्यम पक्षपातपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं तो कभी अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वहन करते हैं। यह संचार माध्यमों के नियामक तंत्र पर निर्भर करता है।

11.4.3 भाषाई संघर्ष

भारत में लगभग 700 से अधिक भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों वाला देश है। इस देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है । किन्तु केन्द्रीय सरकार का कामकाज प्रायः अंग्रेजी में ही होता है। अलग–अलग राज्यों की प्रान्तीय भाषा भिन्न–भिन्न हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी का सघर्ष स्वतंत्रता के बाद से ही चल रहा है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग राष्ट्रभाषा हिन्दी में सरकारी काम काज किए जाने हेतु जहाँ कई दशकों

से संघर्ष कर रहे हैं, वहीं तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम भाषी लोग हिन्दी के घोर विरोधी हैं। वे अपनी प्रान्तीय भाषा के साथ अंग्रेजी का समर्थन तो करते हैं लेकिन हिन्दी उन्हें कत्तई स्वीकार्य नहीं है । बंगला, मराठी, गुजराती, गुरुमुखी, उड़िया, असमी, डोंगरी आदि भाषा भाषियों का हिन्दी से दुराव नहीं है। तमिलनाडु में तो राजनैतिक कारणों से भी हिन्दी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की प्रन्तीय राजनीति का मुख्य मुद्दा ही हिन्दी विरोध है।

भाषिक संस्कृति में अन्तर्संघर्ष को बढ़ावा देने में संचार की भूमिका कई रूपों में दृष्टिगोचर होती है। जहाँ अंग्रेजी अखबार अंग्रेजी भाषा के समर्थन में अपने को खड़ा करते हैं, वहीं हिन्दी अखबार हिन्दी के प्रबल समर्थक की भूमिका में नजर आते हैं। तमिल, तेलगू, कन्नड़ एंव मलयालम भाषा की पत्र–पत्रिकाएँ प्रान्तीय स्तर पर अपनी भाषा का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का विरोध करते हैं। टी०वी० के विभिन्न चौनलों पर हिन्दी–अंग्रेजी मिश्रित हिंग्रेजी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विदेशी टी०वी० चौनलों से अंग्रेजी का प्रसार हो रहा है। कम्प्यूटर और इण्टरनेट की तो भाषा ही आज अंग्रेजी बन चुकी है। फिल्मों ने तो हिन्दी का प्रसार भारत के बाहर भी अन्य देशों में किया। रेडियो और दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम हिन्दी या अंग्रेजी में तथा क्षेत्रीय कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होता है। जनसंचार माध्यमों का भाषाई वैविध्य से अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष को नया आयाम मिल रहा है।

11.4.4 जातीय संघर्ष

भारत में लगभग तीन हजार जातियाँ निवास करती हैं जिनका आचार–विचार रहन–सहन बोल–चाल, भाषा, रीति रिवाज, लोकाचार आदि अलग–अलग हैं। इन जातियों में विभिन्न कारणों से एवं विभिन्न आधारों पर प्रायः संघर्ष होते रहते हैं। कभी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए, तो कभी जातीय हितों की रक्षा के लिए, तो कभी व्यक्तिगत कारणों से परस्पर संघर्ष होते हैं। कभी–कभी सरकार की नीतियों के कारण व्यापक स्तर पर संघर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। अभी हाल ही में आरक्षण विरोधी आन्दोलन और उसकी प्रतिक्रिया में आरक्षण

के समर्थन में आन्दोलन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जनसंचार माध्यमों द्वारा दोनों पक्षों को खूब प्रचार मिला। आरक्षण विरोधी समुदाय के लोगों का लेख या विचार आरक्षण के विरोध में तथा आरक्षण समर्थक समुदाय के लोगों द्वारा आरक्षण के समर्थन में लेख या विचार ने पत्र–पत्रिकाओं और इलेक्ट्रानिक माध्यमों में पर्याप्त स्थान ग्रहण किया।

किसी क्षेत्र विशेष में अन्य क्षेत्रों के लोगों का घुसपैठ बढ़ने पर जातीय असन्तुलन की स्थिति में भी अनेक बार जातीय संघर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। जैसे–असम में बाँग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का असमगण परिषद का आन्दोलन या बम्बई से गैर–मराठियों को निकालने का शिवसेना का आन्दोलन आदि इसका उदाहरण है। अनेक आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में किसी बाहरी समुदाय के व्यक्ति के प्रवेश करने पर आज भी उस आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र के लोग हिंसक प्रतिरोध पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में जनसंचार माध्यमों का दृष्टिकोण क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभाजित हो जाता है। महाराष्ट्र या असम के जनमाध्यम शिवसेना या असमगण परिषद के आन्दोलन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो राष्ट्रीय इस के संचार माध्यम विविधता में एकता के दर्शन का प्रचारक बन जाते हैं।

11.4.5 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति का परस्पर अन्तर्संघर्ष

भारत विभिन्न विचारधाराओं, जातियों, सम्प्रदायों, धर्मों और भाषा भाषियों का देश होते हुए भी 'विविधता में एकता' के सांस्कृतिक अनुशासन से आबद्ध है। यही अनुशासन भारतीय समाज और राष्ट्रीय संस्कृति की विशिष्टता एवं रचनात्मक ऊर्जा है। औपनिवेशिक काल में हमारे 'विविधता में एकता' के सांस्कृतिक अनुशासन को भंग करने का ब्रिटिश नीतियों द्वारा प्रयास किया गया। आजादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति के प्रति आकर्षण या लगाव से क्षेत्रवाद का जन्म हुआ। आगे चलकर क्षेत्रीय संस्कृति का राष्ट्रीय संस्कृति से टकराव एवं संघर्ष प्रारम्भ हुआ। क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर राजनैतिक पहचान बनाने का संघर्ष विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भ हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर हुआ। पंजाब, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण के सभी राज्यों का पुर्नगठन इसी आधार पर हुआ। अभी हाल में उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड का गठन भी क्षेत्रीय आन्दोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। बोडो आन्दोलन, गोरखा लैण्ड और लद्दाख आदि क्षेत्रों में इसी तरह के आन्दोलन प्रायः चलते रहते हैं। विदर्भ एवं तेलंगाना का आन्दोलन भी क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर राज्य के गठन का है। कुछ आन्दोलन तो हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता को ही चुनौती दे रहे हैं जैसे काश्मीर का आतंकवाद द्य जनमाध्यमों की भूमिका भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आधार पर विभक्त हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ऐसी खबरों को तोड़–मरोड़ कर विश्व के समक्ष प्रस्तुत करती हैं तथा साथ ही मानवाधिकारों के हनन का प्रश्न भी उठाती है।

11.4.6 आय वर्ग पर आधारित अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष

भारत में आय वर्ग के आधार पर भी अर्न्तसांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है। आय वर्ग के आधार पर भारतीय समाज उच्च, मध्यम, एवं निम्न वर्ग के रूप में विभक्त है। उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार रखने वाला वर्ग उच्च वर्ग है, जो पश्चिम की आयातित भोगवादी संस्कृति को लगभग अपना चुका है। दूसरा वर्ग वह है जो उच्चवर्ग की इच्छा पर निर्भर करता है और दिन भर काम करने के बाद भी कठिनता से रोटी को प्राप्त करता है, वह निम्न वर्ग है और जो अपनी परम्परागत संस्कृति को ढो रहा है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग और सामने आया जो मध्यम वर्ग कहा जा सकता है। मध्यम वर्ग पश्चिम की उपभोक्ता वादी संस्कृति को अपनाने और अपनी परम्परागत संस्कृति को बचाने के अन्तर्द्वन्द से ग्रस्त है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भी अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष चल रहा है।

11.4.7 आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष

आयुवर्ग पर आधारित अन्तरसांस्कृतिक संघर्ष को पीढ़ियों के अन्तर्संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। युवाओं और बुजुर्गों के सांस्कृतिक सोच में परस्पर प्रबल विरोध है। जहाँ एक ओर युवा वर्ग के खान–पान, वेश–भूषा, रहन–सहन, आचार–विचार पर पश्चिम की

आयातित उपभोक्तावादी संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है और वह जनसंस्कृति के प्रतीकों को अपनाने के लिए आतुर हैं, वहीं बुजुर्ग पीढ़ी अपनी परम्परागत ज्ञान, विज्ञान, रीति–रिवाज, युक्तियाँ, परम्पराएँ, लोकाचार, रूढ़ियों आदतों, विधियों, आदर्शों, मान्यताओ, रहन–सहन, आचार–विचार और जनरीतियों को बचाने के लिए व्याकुल है और अपनी राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्कृति संरक्षण की चिन्ता से ग्रस्त है। यह पीढ़ियों का द्वन्द्व प्रत्येक घर में रोज चल रहा है। आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष के दबाव में पारिवारिक सम्बन्ध टूट रहे हैं, जिससे समाज में अवसाद बढ़ रहा है।

11.5 अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का परिणाम

अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में दिखाई पड़ रहा है।

11.5.1 सकारात्मक परिणाम

सांस्कृतिक संघर्ष, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आने और उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होने से होता है। प्रत्येक समूह दूसरे पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयत्न करता है, लेकिन संघर्ष में जो समूह दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, उसकी संस्कृति हारे हुए समूह द्वारा ग्रहण की जाने लगती है। पर संस्कृति ग्रहण वास्तव में सांस्कृतिक संघर्ष के बाद की स्थिति है। जब एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं का ग्रहण करने लगता है तो इसी दशा को हम पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। यह स्थिति एक दूसरे से भिन्न, दो समूहों को एक दूसरे के निकट लाती है। इसका सकारात्मक परिणाम परस्पर एक–दूसरे की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया में कुछ नवीन जीवन मूल्यों को अपनी संस्कृति में समाविष्ट करने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जैसे–समतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद और विश्व मानवतावाद, मानवाधिकार आदि नवीन जीवन मूल्यों को विश्व की अधिकांश संस्कृतियों ने अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्वीकार किया है। अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष के फलस्वरूप नये ज्ञानविज्ञान की जानकारी वैज्ञानिक चेतना का उदय अन्ध विश्वासों की समाप्ति, तार्किक ढंग से विचार करने की प्रेरणा आदि पाश्चात्य संस्कृति से पूरे

विश्व ने ग्रहण किया। पश्चिमी समाज ने भी पूर्वी दर्शनों और प्रबन्धनों के तरीकों, संगीत, भोजन आदि दूसरी सभ्यताओं के तत्वों को स्वीकार किया।

11.5.2 नकारात्मक परिणाम

अन्तरसांस्कृतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों के मध्य कभीकभी हिंसक झड़पें भी हो जाती है। यह संघर्ष धार्मिक–साम्प्रदायिक संघर्ष जातीय संघर्ष, भाषाई संघर्ष आदि अनेक रूपों में देखा जा सकता है। संघर्ष के हिंसक हो जाने पर धार्मिक–साम्प्रदायिक, जातीय, भाषाई एवं क्षेत्रीय संस्कृतियों में स्थायी शत्रुता एवं दुराव उत्पन्न हो जाती है। जब यह शत्रुता एवं दुराव आतंकवाद का रूप ग्रहण कर लेती है तब सम्पूर्ण मानवता के लिए घातक बन जाती है। आतंकवाद राष्ट्रीय सम्प्रभुता को चुनौती देने लगता है और वैश्विक चिन्ता का विषय बन जाता है। आज इसी तरह के आतंकवाद से सम्पूर्ण विश्व पीड़ित है। चाहे शक्ति एवं सम्पत्ति से सम्पन्न अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी आदि देश हों या भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान सऊदी अरब एवं अन्य इस्लामिक देश या शक्ति और सम्पत्ति से विपन्न अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी देश हों। अन्तरसांस्कृतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप विश्व के छोटे एवं मझोले देशों की भाषा का विलोकीकरण भी वैश्विक चिन्ता का विषय है। यह सब अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष के नकारात्मक परिणाम का आयाम है।

11.5 सारांश

अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य परस्पर संघर्ष को कहा जाता है। यहां संघर्ष मानव जाति की उत्पत्ति के साथ ही प्रारम्भ होकर अब तक चल रहा है। अन्तर्चास्कृतिक संघर्ष का वैश्विक आयाम प्राच्य पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष, विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति, विश्व में अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष आदि रूपों में देखा जा सकता है। इस संघर्ष का भारतीय आयाम पाश्चात्य– भारतीय सांस्कृतिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, धार्मिकसाम्प्रदायिक संघर्ष, भाषाई संघर्ष,

क्षेत्रीय संघर्ष, आय या आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्चांस्कृतिक संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। जहाँ एक ओर इसका सकारात्मक परिणाम ज्ञान, विज्ञान, तर्क एवं चेतना के उदय के रूप में देखा जा सकता है वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों में जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक टकराव के रूप में देखा जा सकता है।

11.7 शब्दालवी

प्राच्य संस्कृति – इसका अर्थ पूर्व से सम्बन्धित है अर्थात् पूर्व के भारत, चीन मध्य एशिया दक्षिणपूर्व एशिया, एवं पूर्वी एशिया जिनकी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति हैं।

पाश्चात्य संस्कृति – अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों की भोगवादी नवीन संस्कृति

11.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

दृश्य–श्रव्य एवं जनसंचार माध्यम :

नई सदी की चुनौतियाँ –डा० कृष्णकुमार रत्तू

दूरदर्शन एवं सामाजिक विकास –डा० जयमोहन झा

विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ– श्री राम गोयल

प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास– रति भानु सिंह नाहर

प्राचीन यूनान का इतिहास– डॉ. शैलेन्द्र प्रसाद पान्चरी

संचार माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व –हरबर्ट आई0 शिलर, अनु०–राम कवीन्द्र सिंह

11.9 सम्बन्धित प्रश्न

11.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तरसांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ बताइए।

2. प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
3. भारत में भाषाई संघर्ष को स्पष्ट करें।
4. अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष का नकारात्मक परिणाम बताइए।

11.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर्सास्कृतिक संर्घष की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालिए।
2. अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार के वैश्विक आयाम की व्याख्या करें।
3. अन्तर सांस्कृतिक संघर्ष और संचार के भारतीय आयाम पर प्रकाश डालिए।
4. अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष और संचार के परिणाम पर प्रकाश डालिए।

11.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. संघर्ष का अर्थ होता है

   (क) परस्पर विरोध

   (ख) परस्पर समन्वय

   (ग) परस्पर सहयोग

   (घ) परस्पर सह–अस्तित्व

2. सैन्धव सभ्यता है

   (क) चीनी

   (ख) भारतीय

   (ग) अमेरिकी

   (घ) रूसी

3. वेदों की संख्या है –

(क) तीन

(ख) पांच

(ग) सात

(घ) चार

4. महायान शाखा है

(क) जैनधर्म

(ख) हिन्दू धर्म

(ग) बौद्ध धर्म

(घ) ईसाई धर्म

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1– (क)

2– (ख)

3– (घ)

4– (ग)

इकाई : 12 आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक

संचार पर प्रभाव

इकाई की रुपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 आधुनिक प्रौद्योगिकी

12.2.1 आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप

12.2.2 संचार क्रान्ति

12.3 आधुनिक प्रौद्योगिकी और अन्तरसांस्कृतिक संचार

12.3.1 अन्तरसांस्कृतिक संचार में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका

12.3.2 आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

12.4 वैश्वीकरण

12.4.1 वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा

12.4.2 वैश्वीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां

12.4.3 वैश्वीकरण की व्यापकता

12.5 वैश्वीकरण और अन्तर सांस्कृतिक संचार

12.5.1 वैश्वीकरण के समय में अन्तर सांस्कृतिक संचार

12.5.2 वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

12.6 सारांश

12.7 शब्दावली

12.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

12.9 सम्बन्धित प्रश्न

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे

1. आधुनिक प्रौद्योगिकी का रुप स्वरूप
2. आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
3. वैश्वीकरण का अर्थ, प्रवृत्ति एवं व्यापकता
4. आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

12.1 प्रस्तावना

यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति से विश्व में आधुनिक युग क हुआ। अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव इतिहास को नया आयाम प्रदान किया। टेलीफोन, रेडियो, टी.वी., फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट आदि के आविष्कार ने विश्व में संचार क्रान्ति को जन्म दिया। जनसंचार के अत्याधुनिक साधनों से विश्व एक ग्राम के रूप में परिवर्तित होने लगा और वृहद स्तर पर वैश्वीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः वैश्वीकरण उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का नया संस्करण है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप अन्तरसांस्कृतिक संचार को एक नया आयाम मिला। जहां एक ओर वैश्विक संस्कृति का विस्तार हुआ वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली।

12.2 आधुनिक प्रौद्योगिकी

मानव जाति के इतिहास में यूरोपीय पुर्नजागरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के गर्भ से आधुनिकता का जन्म हुआ। यूरोपीय पुनर्जागरण का निहितार्थ ज्ञानोदय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विवेकीकरण और तर्कणा द्वारा समाज के सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन करना। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो वास्तव में आधुनिक ज्ञान –विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नया आयाम प्रस्तुत किया है। यातायात, चिकित्सा और संचार आदि क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी ने नई क्रान्ति को जन्म दिया।

12.2.1 आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप

किसी में क्षेत्र के चहुंमुखी विकास में संचार माध्यमों की महती

भूमिका होती है। प्राचीन काल में संदेश और समाचार सम्प्रेषण के लिए भाव संकेतों का प्रयोग किया जाता था। आगे चलकर मनुष्य ने सम्प्रेषण के लिए भाषा एवं लिपि का विकास कर लिया। भाषा का विकास मानव जाति के विकास में एक युगान्तकारी कदम था। लिपि के आविष्कार के बाद चीन में कागज का आविष्कार हुआ और चीन तथा कोरिया में लकड़ी के ठप्पों की सहायता से छपाई का प्रयास भी हुआ। इसी के साथ संचार माध्यमों का आधुनिक युग प्रारम्भ हुआ।

मुद्रण

पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में जान गुटेनवर्ग प्रिन्टिंग प्रेस बनाने और उससे पुस्तक छापने में सफल हुआ। मुद्रण की तकनीक में निरन्तर सुधार होने से रोटरी मशीन लिथोप्रिन्टिंग प्रेस, आफसेट मशीन के रुप में मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास होता रहा। मुद्रण के विभिन्न अंगों में भी तकनीक विकास के साथ निरन्तर सुधार होता रहा है। कम्पोजिंग भी पहले हाथ से होती थी किन्तु अब मशीन से होने लगी। मशीन कम्पोजिंग में भी कई प्रकार की मशीनें आती हैं। यथा – 1. एक एक अक्षर को कम्पोज करने वाली मशीन 2. एकपंक्ति को कम्पोज करने वाली मशीन 3. फोटो टाइप सेटिंग ४. कम्प्यूटर कम्पोजिंग।

टेलीप्रिन्टर –

सन 1832 सैमुअल मोर्स द्वारा संदेश भेजने की नई तकनीक ने संचार सेवा के नये आयाम खोल दिये। इसमें सन्देश सम्प्रेषण मोर्स कोड से होता था। आगे चलकर मोर्सकोड का स्थान ऐसी मशीनों ने ले लिया जो सन्देश सम्प्रेषण लिखित रूप में करने लगीं। इन्हें टेलीप्रिन्टर नाम,दिया गया। प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप स्वचालित एवं कम्प्यूटराइज्ड बहुभाषी मशीनों का प्रयोग होने लगा।

टेलीफोन

अलेक्जेण्डर ग्राहम बेल ने सन 1867 में टेलीफोन का आविष्कार करके संचार सेवाओं में नये युग का सूत्रपात किया नित्य नई तकनीक से आधुनिकीकरण अब भी जारी है। वीडियो टेलीफोन के माध्यम से अब आवाज के साथ तस्वीर भी देखी जा सकती है।

सेल्यूलर फोन

यह मोबाइल फोन है इसमें संदेश संप्रेषण रेडियों तंरेगों द्वारा होता है। टेलीकान्फ्रेन्स सेवा इसमें विभिन्न स्थानों पर बैठे व्यक्ति उसी तरह बातचीत करते हैं जैसे एक स्थान पर बैठकर लोग आपस में बात करते हैं।

रेडियो

यह जन संचार का एक बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावी साधन है। उपग्रह सेवाओं और डिजिटल तकनीक से रेडियो प्रसारण का प्रभाव और बढ़ा है।

टेलीविजन

रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं वहीं टेलीविजन मे आवाज के साथ – साथ चित्र भी देख सकते हैं यह जन संचार का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है।

सिनेमेटोग्राफ

विश्व में सिनेमा लाने वालों में मिलोबी (फ्रांस) एडीसन (अमेरिका) और प्रमुख रूप से लुमिएरबन्धु (फ्रांस) ही रहे हैं। यह जनसंचार का शक्तिशाली माध्यम है। फोटोग्राफी के आविष्कार ने सिनेमेटोग्राफ के आविष्कार को संभव किया।

फैक्स

आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर प्रभाव सांस्कृतिक संचार पर फैक्स के माध्यम से ग्राफ, चार्ट, फोटो, लिखित या छपित सामग्री को टेलीफोन कनेक्शन के साथ लगी एक विशेष मशीन से एक से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।

पेजर

रेडियो तकनीक पर आधारित होने से इसे रेडियो पेजर भी कहा जाता है। इसके माध्यम से अति संक्षिप्त संदेश एक पेजर धारी द्वारा दूसरे पेजर धारी को भेजा जाता है।

कम्प्यूटर

कम्प्यूटर के आविष्कार ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति को जन्म दिया। इसमें एक उन्नत केलकुलेटर टाइप राइटर और टेलीविजन का मिला जुला रुप देखा जा सकता है। जिसमें संख्याओं को जोड़ने घटाने, लिखित सामग्री और आकड़ों को विश्लेषित एवं क्रमबद्ध करने तथा भविष्य के लिए संचित रखने और दर्शाने की क्षमता होती है।

ई–मेल

सूचनाओं, संदेशों और दस्तावेजों आदि का प्रेषण ई–मेल के द्वारा एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में कर सकते हैं। इसके लिए एक कम्प्यूटर एक मोडम, और एक टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है।

टेली टेक्स्ट

इसमें टेलीविजन प्रसारण केन्द्र पर संदेशों को एक कम्प्यूटर में संचित कर लिया जाता है इसे डाटा बेस कहते हैं। इस सूचना का प्रसारण टेलीविजन नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

वीडियो टेक्स्ट

विडियो टेक्स्ट प्रणाली में कम्प्यूटर डाटा बेस में संचित लिखित एवं चित्रित सूचनाओं को टेलीफोन लाइन के माध्यम से टी. वी. स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है।

समुद्री संचार प्रणाली

इस प्रणाली के माध्यम से हम दूरस्थ देशों तक समाचार, चित्र, संदेश, सूचनाएं आदि सम्प्रेषित कर सकते हैं। इससे उपग्रहों पर निर्भरता घटी है।

निकनेट

नेशनल इमफॉरमेशन सेन्टर नेटवर्क का संक्षिप्त नाम निकनेट है। यह उपग्रह पर आधारित कम्प्यूटर द्वारा समाचार सम्प्रेषण का नेटवर्क है।

इनमार सेट

इन्टरनेशनल मेरीटाइम सेटेलाइट सामुद्रिक उपग्रहों पर आधारित सूचना सम्प्रेषण का नेटवर्क है।

आई. एस. डी. एन.

इस मल्टीमीडिया टेलीकाम सेवा में कोई भी व्यक्ति ध्वनि, दृश्य, आँकड़े डिजिटल रुप में भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। इसमें सम्प्रेषण की गति वर्तमान गति से कई गुना अधिक है।

लेजर काम

यह दूर संचार का एक ऐसा अत्याधुनिक साधन है जिसमें एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह के बीच लेजर सिगनल द्वारा ट्रान्सीवर के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है।

हस्तधारित उपग्रह चालित सेवा

हस्तधारित यंत्र की सहायता से हम सीधे उपग्रहों से जुड़कर उसके माध्यम से अपना संदेश गंतव्य तक सम्प्रेषित करते हैं।

इन्टरनेट

यह सूचना आदान प्रदान करने का इन्टरनेशनल नेटवर्क है। इसमें सम्पूर्ण विश्व के कम्प्यूटर एक दूसरे से जुडकर नेटवर्क बनाए हैं। इस सुविधा के लिए एक कम्प्यूटर, एक मोडम, एक आई.एस.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन, आवश्यक सॉफ्टवेयर और किसी बुलेटिन बोर्ड सर्विस से संयोजन आवश्यक है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि सूचना एवं संचार की आधुनिक प्रौद्योगिकी नित्य नूतन स्वरूप को ग्रहण कर रही है। दिन प्रतिदिन नये नये आविष्कार एवं नये प्रयोग हो रहे हैं। मानव जाति तीव्र गति से ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा की ओर अग्रसर है। विश्व को ग्राम बनाने की संकल्पना चरितार्थ हो रही है।

12.2.2 संचार क्रान्ति

संचार क्रान्ति ने दुनियां में नई जान फूंक दी है। १९६० के दशक के बाद सेटेलाइट क्रान्ति ने जन संचार माध्यमों की नई नई तकनीकों

का मार्ग प्रशस्त किया। टेलीविजन, कम्प्यूटर इन्टरनेट, माइक्रोचिप्स, मोबाइल फोन, टेलीटेम्स, माइक्रोतन्त्रों आदि एक के बाद एक तकनीकों का आविष्कार हुआ। इसीलिए वर्तमान युग को आई. टी. युग के नाम से जाना जा रहा है। आधुनिक संचार तकनीक का मूल आधार है कम्प्यूटर तकनीकी दक्षता, गुणवत्ता तकनीक आदि के आधार पर पांच पीढियों तक कम्प्यूटर की विकास यात्रा देखी जा सकती है। वर्तमान में कम्प्यूटर की पांचवीं पीढी नैनो सेकेण्ड (सेकण्ड का 1/1000000000वां) में कार्य करती है तथा एक सेकेण्ड में 30,00,000 आपरेशन पूरे कर लेती है।

इण्टरनेट विश्व का सबसे बड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैला है। इण्टरनेट के उपकरण और सेवाओं में ई–मेल,एफ टी पी, टेलनेट, आर्ची, गोफर, वेरोनिका बेस, आई. आर. सी. आदि प्रमुख है। इण्टरनेट ने समय और दूरी को अत्यधिक संकुचित करके विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलेक्स आदि सूचना और संचार तकनीक पुराने पड़ते जा रहे हैं। ई–मेल, ई–फैक्स, सेल्यूलर फोन, टेलीटेक्स, कम्प्यूटर डेटा बैंक आगे बढ़ रहे हैं। इण्टरनेट ने ई–जर्नलिज्म, ई–बैंक्रिग, ई–कामर्स, ई–लर्निंग आदि को बढ़ाया है। संचार क्रान्ति ने युगान्तकारी परिवर्तन उपस्थित किया है।

12.3 आधुनिक प्रौद्योगिकी और अन्तरसांस्कृतिक संचार

आधुनिक युग में नवीन प्रौद्योगिकी अन्तसस्कृतिक संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है एक छोटा सा आविष्कार हमारे जीवन में सैकड़ों नई परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। प्रौद्योगिकीय कारक हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को कितना अधिक प्रभावित करता है इसका अनुमान पिछले १५० वर्षों के इतिहास से सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि जब किसी भी नई मशीन का आविष्कार होता है तो वह अपने साथ सामाजिक जीवन में एक नया परिवर्तन लाती है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन का प्रभाव संस्कृति पर पड़ना स्वाभाविक है। प्रौद्योगिकी विकास के पूर्व पारम्परिक मूल्यों द्वारा व्यवहारों पर नियंत्रण रखने वाले आत्म निर्भर ग्रामीण समुदाय में जो न्यूनाधिक स्थिर था और जिसके सामाजिक सम्बन्ध एवं आवश्यकताएं

संकुचित थे, नयी प्रौद्योगिकी का विकास होने से क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न हुए। प्रौद्योगिकी के कारण नये कारखानों का घुलना, नगरीकरण, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्त्रियों को नौकरी में आने की प्रेरणा, बाजार का विकास, जाति बन्धन की शिथिलता और नई संस्थाओं का जन्म आदि से सामाजिक जीवन में नया परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के फलस्वरूप अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया भी तीव्र हुई।

12.3.1 अन्तर सांस्कृतिक संचार में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया विश्व में कबीलाई संस्कृति से आज तक निरन्तर चल रही है। पहले प्राचीन एवं परम्परागत माध्यमों से विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अन्तरक्रिया सम्पन्न होती थी और उसकी गति अत्यन्त धीमी थी। पश्चिम की औद्योगिक क्रान्ति के बाद ये नये वैज्ञानिक आविष्कार हुए और अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तीव्र हुई। प्रौद्योगिकी प्रगति ने सामाजिक सम्बन्धों में बहुत वृद्धि कर दी। प्रौद्योगिकी प्रगति होने से सामान्य श्रमिक को प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों के साथ कार्य करना पड़ता है, यात्रा में सैकड़ों व्यक्तियों के साथ ट्रेन में बैठना पड़ता है, पार्कों में सैकड़ों व्यक्तियों से अनुकूलन करना होता है। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ निरन्तर तीव्र हो रही है। प्रौद्योगिकी प्रगति के परिणामस्वरूप श्रम का नवीन संगठन, श्रम विभाजन, सामाजिक सम्बन्धों का विस्तार गांव का नगरीकरण, गतिशीलता में वृद्धि विभिन्न आर्थिक वर्गों का निर्माण, प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा से समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन से विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अन्तर्क्रिया भी तीव्र हुई।

नई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने अन्तरसांस्कृतिक संचार को नया आयाम प्रदान किया। रेडियो,टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर, सिनेमा, वायरलेस, टी.वी., कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, माइक्रोचिप्स, टेलीटेक्स, माइक्रो तरंगे औदि तकनीक के आविष्कार से मानव जाति ने आई. टी. युग में प्रवेश किया। सूचना युग की प्रौद्योगिकीयों ने सूचना हाइवेज' और सूचना सुपर हाइवेज को जन्म दिया है। परिणामस्वरूप सूचना हाइवेज और सूचना सुपर हाइवेज से विश्व की समस्त सूचनाएं

समाचार एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी लोगों को घर बैठे तत्काल प्राप्त हो जा रही है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी हमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न जनसंचार माध्यम लगातार दे रहे हैं। जहां एक ओर हम इलेक्ट्रानिक माध्यमों से विश्व की अन्य संस्कृतियों के व्यवहार सम्बन्धी पक्ष, जैसे– खान पान, वेश भूषा आदि, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष, जैसे– साहित्य, विज्ञान, संगीत आदि तथा मूल्य सम्बन्धी पक्ष, जैसे– समतावाद मानवतावाद, धर्म निरपेक्षतावाद आदि से लगातार परिचित हो रहे हैं, वही दूसरी ओर इण्टरैक्टिव मीडिया, जैसे– मोबाइल फोन, फैक्स पेजर, मोडम, कम्प्यूटर और इण्टरनेट से स्वयं अन्य संस्कृतियों के सम्बन्ध में प्रचुर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इण्टरनेट नेटवर्कों का भी नेटवर्क है जो कि हमें बिना किसी भेद भाव के एक साथ सम्पूर्ण विश्व से एक समान रूप से जोड़ता है। इण्टरनेट पर समस्त विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की वृहद जानकारी, सांस्कृतिक गतिविधियों और विभिन्न संस्कृतियों के व्यवहार सम्बन्धी पक्ष, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष एवं मूल्य सम्बन्धी पक्ष का प्रचुर ज्ञान उपलब्ध है। किसी भी देश की संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म, आचार विचार रहन सहन, खान पान, वेश भूषा, ज्ञान विज्ञान से सम्बन्धित प्रचुर जानकारी उस देश की वेब साइटपर उपलब्ध है विश्व को कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट के माध्यम से उसे घर बैठे प्राप्त कर सकता है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अन्तसांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान किया। आज आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के मध्य ज्ञान सूचना एवं जानकारी के आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया की गति बहुत तीव्र हो गयी। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में तीव्र गति से अन्तर्सास्कृतिक सम्प्रेषण के फलस्वरूप सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से जारी है तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्कृतियों को भी वैश्विक पहचान मिल रही है।

12.3.2 आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अन्तर्सास्कृतिक संचार पर प्रभाव

आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर

प्रभाव आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं। अतः दोनों दृष्टियों से अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना समीचीन होगा।

क. सकारात्मक प्रभाव

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी ने अन्तर्सास्कृतिक संचार की गति को अत्यन्त तीव्र कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप ज्ञान का विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरुकता से सांस्कृतिक परिदृश्य बदल रहा है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी ने विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की है, वैज्ञानिक द्वन्द्व से मूल्यांकन की प्रकृति को विकसित किया है तथा तर्क पूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि की है। इसके फलस्वरूप जहां समाज में अन्धविश्वास रुढ़ियों और पूर्वाग्रहों के प्रति कमी आयी वहीं दूसरी ओर विभिन्न समाजों में जातीय विभेद धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कटुतापन भी कम हुआ तथा विश्व के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा आपस में आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तर्क्रिया करने से विश्व मानवता की अवधारणा का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी का अन्तर्सास्कृतिक संचार पर सकारात्मक प्रभाव को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत देख सकते हैं

1. **ज्ञान का विस्तार**
2. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जागरुकता से बदलता सांस्कृतिक परिदृष्य
3. विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान की।
4. वैज्ञानिक द्वन्द्व से मूल्यांकन की प्रवृत्ति को विकसित किया
5. तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि की है।
6. अन्धविश्वासों, रुढ़ियों, पूर्वाग्रहों, जातीयविभेद, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कटुता में कमी आयी।
7. विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा परस्पर अन्तर्क्रिया करने से विश्व

मानवता की अवधारणा का विकास हुआ।

ख. नकारात्मक प्रभाव

आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जहां एक ओर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर अनेक नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने साइबर क्राइम जैसी नई अवधारणा को जन्म दिया। इसने संगठित अपराध में वृद्धि की है। माफिया एवं आतंकवादी मोबाइल फोन, कम्प्यूटर आदि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं जिससे समाज में तनाव, अन्तर्कलह एवं भय का वातावरण व्याप्त हो जा रहा है। आज सूचना समाज में व्यक्ति की अस्मिता खो रही है। मानवीय संवेदन शून्यता बढ रही है। कलह, आतंकवाद और संसाधनों की छीना झपटी से असहिष्णुता, असहनशीलता, अन्तर्सघर्ष और शोषण की वृद्धि हो रही है। आर्थिक तनाव के चलते पारिवारिक सम्बन्ध टूट रहे हैं जिससे अवसाद बढ़ रहा है। परम्परागत संस्कृतियों, परम्पराओं और लोकाचारों पर कुठाराघात हो रहा है। विकसित देश सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को बढावा देकर अपसंस्कृति का प्रसार कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर नकारात्मक प्रभाव बिन्दुवार निम्नलिखित हैं–

1. संगठित अपराध में वृद्धि
2. साइबर क्राइम जैसी नई अवधारणा को जन्म।
3. सूचना समाज में व्यक्ति की खो रही अस्मिता।
4. मानवीय संवेदनशून्यता में वृद्धि।
5. कलह,आतंकवाद, संसाधनों की छीना झपटी से बढ़ती असहिष्णुता और असमानता।
6. आर्थिक दबाव के चलते टूट रहे पारिवारिक सम्बन्धों से बढ़ता अवसाद।
7. परम्परागत संस्कृतियों, परम्पराओं और लोकाचारों पर कुठाराघात।
8. पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक आक्रमण से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का विस्तार।

9. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सूचना तंत्र पर नियंत्रण होने से उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार एवं अपसंस्कृति का फैलाव।

12.4 वैश्वीकरण

वैश्वीकरण एक जटिल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समय और दूरी का राष्ट्र राज्य से आगे संकुचन उत्पन्न करती है। उदारीकरण एवं निजीकरण से अभिन्न सम्बन्ध है। इसके अन्तर्गत बाजारों वित्त एवं प्रौद्योगिकीयों का एकीकरण हो रहा है।

12.4.1 वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा

वैश्वीकरण शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार है अविश्वम्, विश्वम्, यथा स्यात तथा इति वैश्वीकरणम्। इसका अर्थ है जो विश्व नहीं है, वह जैसे विश्व बन जाय, वैसा करना वैश्वीकरण है। विश्व शब्द की व्युत्पत्ति विश धातु में 'व' प्रत्यय लगाने पर होता है। तथा इसमें 'च्वि' प्रत्यय लगाने पर वैश्वीकरण बनता है। वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ है पूरे विश्व को समाहित करने वाली प्रक्रिया ।

वैश्वीकरण एक नयी अवधारणा है जिससे कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक प्रस्तुत नहीं हो पाया है। कुछ लोग भ्रमवश हमारे ऋषियों–मुनियों की प्राचीन संकल्पना 'वसुधैव कुटुम्बकम' तथा अथर्ववेद में हमारे ऋषि की 'विश्वम् भवत्येक नीड्म' का स्वप्न वैश्वीकरण में चरितार्थ देखते हैं परन्तु दोनों संकल्पनाओं में अन्तर है। कुटुम्बीकरण योग पर आधारित है और वैश्वीकरण भेग पर आधारित है। वैश्वीकरण के बारे में विद्वानों में मत– भिन्नता है। कुछ विद्वान उपनिवेशवाद के आरम्भ होने के साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ मानते हैं तो कुछ विद्वान वैश्वीकरण की जड़ आधुनिकता में मामते हैं। कुछ विद्वान वैश्वीकरण को एक नई अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं।

वैश्वीकरण की कतिपय परिभाषाएं निम्नलिखित हैं थामस फ्राइड मैन 'वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकीयों का एकीकरण है।' इण्डा और रोसाल्डो– 'वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है,

इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के माध्यम से विश्व अत्यधिक अन्तर्सम्बन्धित हो रहा है।' स्टुअर्ट हाल 'नये स्थान और समय में संस्कृतियों और समुदायों के एकीकरण और उसे जोड़ने वाले तथा दुनिया को एक वास्तविकता और अधिकाधिक अन्तर्सम्बन्धित बनाने वाले अर्थ में वैश्वीकरण को देखा जा सकता है।

एन्थोनी गिडेन्स– 'विभिन्न व्यक्तियों ओर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता एवं अन्योन्याश्रितता ही वैश्वीकरण है।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैश्वीकरण द्वारा जहाँ एक ओर विश्व बाजार, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं, मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी और संस्कृति के एकीकरण का अन्तर्वेशन हो रहा है वहीं दूसरी ओर राज्य, राष्ट्र की प्रभुसत्ता और स्वदेशीयता का बहिष्करण भी हो रहा है। समय और दूरी का बहुत तीव्र गति से संकुचन हो रहा है। 1

12.4.2 वैश्वीकरण को कुछ विद्वान उपनिवेशवाद से जोड़ते हैं तो कुछ विद्वान वैश्वीकरण को आधुनिकता के वर्चस्व का परिणाम मानते हैं। अतः उपनिवेशवाद एवं आधुनिकतावाद की सभी प्रवृत्तियों का वैश्वीकरण में विद्यमान होना स्वाभाविक है। वैश्वीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं–

आर्थिक उपनिवेशवाद

विश्व में सत्रहवीं शताब्दी में साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप उपनिवेशवाद प्रारम्भ हो गया था। विश्व के प्रमुख औद्योगिक देश इंग्लैण्ड, फ्रांस, आदि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश देशों को कालोनी बनाकर वहां से कच्चा माल लाते थे और औद्योगिक उत्पादन के बाद उत्पादित माल उन्हीं कालोनियों में बिक्री हेतु भेजते थे। इस प्रकार विश्व के बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उपनिवेशवाद के साथ वैश्वीकरण भी प्रारम्भ हो गया। वर्तमान में विश्व के विकसित देश वैश्वीकरण के माध्यम से विकासशील एवं पिछडे देशों को आर्थिक उपनिवेश बनाने की होड़ में लगे हैं। यद्यपि इस उपनिवेश की प्रकृति पूर्व के उपनिवेशवाद से भिन्न हैं। आज यह काम बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर रही हैं और ध्यातव्य है कि

इन कम्पनियों में विकसित देशों का शेयर अधिकांश है।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

वैश्वीकरण के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का विश्व पर वर्चस्व स्थापित हो रहा है। आज टी. वी. चौनलों के माध्यम विदेशी संस्कृति सीधे हमारे शयनकक्ष में प्रवेश कर रही हैं, जो हमारे परम्परागत संस्कृति पर वर्चस्व स्थापित कर रही है। यद्यपि वैश्वीकरण के प्रभाव से विभिन्न देशों की स्थानीय संस्कृति को भी वैश्विक पहचान मिल रही है किन्तु बाजार वाद और उपभोक्तावाद के कारण विकसित देशों की उपभोक्तावादी संस्कृति का वर्चस्व विश्व में बढ़ता जा रहा है।

बाजारवाद

विश्व में राजनीतिक उपनिवेशवाद का सन 1980 के दशक में आर्थिक उपनिवेशवाद के रूप में पुनर्जन्म हुआ जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। इस व्यवस्था में विश्व बाजार का एकीकरण प्रारम्भ हुआ। आज अधिकांश देशों के माल की खपत हेतु अधिकांश देशों के बाजार खुले हैं। यद्यपि विकासशील एवं पिछड़ें देशों के लोगों को इस व्यवस्था में कार्य के नये– नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथापि बाजार के दबाव में राष्ट्र राज्य की नीतियां प्रभावित हो रही हैं। औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्रों का विश्व बाजार पर वर्चस्व कायम है। पिछड़े एवं गरीब देशों के कराड़ों लोगों की बाजार में भागीदारी महत्वहीन है।

उपभोक्तावाद

वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद को बढावा दिया है। उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसा व्यवहार जो कि वस्तुओं को खरीदते – प्रयोग करते, मूल्यांकन करते नष्ट करते तथा वस्तुओं से जुड़ी सेवाओं के बारे में रखते समय उपभोक्ता द्वारा व्यवहार में प्रकट होता है। किसी भी मनुष्य के मनुष्यपक्ष पर उसके उपभोक्ता के पक्ष को हावी कराने की प्रक्रिया से उपभोक्तावाद का जन्म होता है। वैश्वीकरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति उपभोक्तावाद है।

पूंजीवाद

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व बाजार का एकीकरण किया है। उदारीकरण एवं मुक्त अर्थव्यवस्था ने कारपोरेट पूंजीवाद का विश्व में

विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त किया। वैश्वीकरण और पूंजीवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विविध काल खण्डों में पूंजीवाद का विविध आयाम सामने आया। यह व्यापारिक पूंजीवाद से प्राम्भ होकर क्रमशः भू सम्पदा पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राज्य पूंजीवाद, ठीकेदारी पूंजीवाद, कारपोरेट पूंजीवाद में रुपान्तरित होते हुए आज वैश्वीकरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में अस्तित्ववान है।

व्यक्तिवाद

सुखवाद, समाज विज्ञान ने व्यक्तिवाद को एक ऐसे विचारधारा के रूप में स्थापित किया जो ६, उपयोगितावाद, स्वहितवाद, स्वतंत्र अनुबन्ध, स्वतंत्र उद्योग, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र प्रेरणा तथा अहस्तक्षेप आदि तत्वों पर आधारित है। वैश्वीकरण जहां एक ओर राज्य के हस्तक्षेप को कम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवाद को बढावा दे रहा है। सन 1991 में संयुक्त सोवियत संघ के विघटन से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मार्ग की एक बड़ी बाधा समाप्त हुई और पूंजीवाद तथा व्यक्तिवाद के तीव्र प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भाषाई वर्चस्व

वैश्वीकरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति भाषाई वर्चस्व है। वैश्वीकरण से कमजोर देशों की भाषाएं मार खा गयीं। आज इन्टरनेट में आने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी क्योंकि समस्त आधुनिक ज्ञान किसी एक भाषा में मिल सकता है तो वह भाषा अंग्रेजी ही है। वैश्वीकरण का सबसे प्रभावी और उदीयमान उपकरण इन्टरनेट अंग्रेजी का सबसे बड़ा वाहक बन गया है। इससे भाषाओं के विलोपीकरण का मुद्दा आ खड़ा होता है।

सूचना साम्राज्यवाद

संचार क्रान्ति ने विश्व का स्वरूप ही बदल दिया है। जन संचार के अत्याधुनिक साधन वैश्वीकरण के प्रमुख निर्वाहक हैं। विश्व में एक कोने से दूसरे कोने तक तत्काल सूचनाएं पहुंच रही हैं। इस क्रम में राष्ट्र और राज्य की सीमाएं गौण हो गई हैं। टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल माइक्रो साफ्ट, आप्टिकल फाइबर केबल डाटकाम, इन्टरनेट, साफ्टवेयर हार्डवेयर आदि नवीनतम संचार उपकरण पुराने तकनीकों से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। इन्टरनेट

के कारण ई– मेल, ई–कामर्स, ई–बैंकिंग, ई–लर्निंग, आदि का चलन आरम्भ हुआ। आज विश्व दो भागों में विभक्त हो गया है। एक सूचना सम्पन्न विश्व दूसरा सूचनाविपन्न विश्व–वैश्वीकरण के दौर में जो समाज सूचना सम्पन्न होगा उसी का वर्चस्व कायम होगा। वैश्वीकरण से सूचना साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

वैश्वीकरण की इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त मानवाधिकार, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद का बहिष्करण, आउट सोर्सिंग, जन संस्कृति का प्रसार आदि प्रवृत्तियां भी वैश्वीकरण में दृष्टिगोचर होती हैं।

12.4.3 वैश्वीकरण की व्यापकता

वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि विविध आयाम हैं। इसके माध्यम से विश्व अत्यधिक अन्तर्सम्बन्धित हो रहा है। वैश्वीकरण मानव जीवन के सभी अंगों को प्रभावित कर रहा है। इसकी व्यापकता एक छोटे से गांव से लेकर सम्पूर्ण विश्व तक तथा व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन तक है। इसकी व्यापकता का सम्यक् मूल्यांकन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करना समीचीन होगा।

राजनीतिक वैश्वीकरण

वैश्वीकरण ने सम्पूर्ण विश्व में राजनैतिक व्यवस्था के एकीकरण को तीव्र कर दिया है। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक के पूर्व तीन खेमों में बंटा हुआ तथा दो महाशक्तियों के शीतयुद्ध से संतुलित शक्ति वाला विश्व सन 1991 में संयुक्त सोवियत संघ के विघटन से एक आयामी हो गया। इससे उत्साहित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय देशों के सहयोग एवं समर्थन से एक नई राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत की। उदारीकरण की नीति, मुक्त बाजार व्यवस्था तथा खुली अर्थव्यवस्था रूप में एक नयी राजनीतिक प्रक्रिया का शुभारम्भ हुआ। लोकतंत्र की विचारधारा पर आधारित विश्व राजनीति का एकीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक शान्ति, सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त प्रयास भूमंडलीकरण की ओर बढते विश्व का परिचायक है। अभी हाल ही में नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्वापसी और

राजशाही की शक्ति को नगण्य करने का संवैधानिक प्रयास विश्व जनमत के दबाव का ही परिणाम है। राजनीतिक वैश्वीकरण का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि विश्व के शक्तिशाली विकसित देश वैश्विक शान्ति सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना एव मानवाधिकार संरक्षण के नाम पर विकासशील एवं अविकसित देशों की आन्तरिक राजनैतिक व्यवस्था में सैन्यशक्ति के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ की आड़ में हस्तक्षेप करके कठपुतली राजनैतिक नेतृत्व को सत्ता सौंप कर वहाँ की अर्थव्यवस्था एवं बाजार पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान एवं इराक की घटना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी क्रम में इरान, उत्तरी कोरिया आदि अनेक देशों को चेतावनी दी जा रही है। विकसित देशों के द्वारा स्वार्थसिद्धि के लिए किया जा रहा यह प्रयास विश्व में एक नये अन्तरसंघर्ष को जन्म दे रहा है। जो विश्व मानवता के लिए घातक है।

आर्थिक वैश्वीकरण

एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं खुला, उदार, मुक्त बाजार एवं व्यापार द्य वैश्वीकरण के दौर में अन्तर्राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उस देश और क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रयासरत हैं जहां श्रम सस्ता है। इससे राष्ट्र राज्य की आर्थिक स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठन आदि वैश्विक संगठन विभिन्न देशों की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आज सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में तथा बाजार को इसके उपकरण के रूप में स्वीकार्यता बढ़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजारों में चलने वाले आन्दोलनों एवं गतिविधियों द्वारा किसी भी देश की राष्ट्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण हो रहा है। यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और चीन को उदारवाद की ओर अग्रसर होना पड़ा।

सामाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण

वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धता का द्योतक है। सामाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण की

प्रक्रिया एकपक्षीय नहीं है। वैश्विक संस्कृति अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिश्रण का परिणाम है। विभिन्न टी.वी. चौनल्स, इन्टरनेट, मोबाइल, फोन, पेजर, फैक्स, कम्प्यूटर, दृश्यश्रव्य माध्यम सांस्कृतिक वैश्वीकरण के सशक्त निर्वाहक हैं। विश्व पर्यटन, विश्व संगीत, विश्व कला, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, विश्व खेलकूद प्रतियोगिताएं विश्व साहित्य, विश्व धर्म, विश्व फैशन आदि ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण को तीव्रता प्रदान की। आज हम जहां एक ओर वैश्विक संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर हमारी स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल रही हैं। विश्व एक एकिक समाज व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है।

12.5 वैश्वीकरण और अन्तरसांस्कृतिक संचार

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता और अन्योन्याश्रिता ही वैश्वीकरण है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्र में परस्पर अन्तर्सम्बन्ध को अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तीव्र गति प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के इतना निकट आ गये हैं कि किसी भी देश में घटित घटनाओं, गतिविधियों और क्रियाकलापों का प्रभाव तत्काल अन्य देशों में देखा जा सकता है। सम्पूर्ण विश्व अर्थ, व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और सहभागिता को महत्व दे रहा है। वैश्वीकरण के दौर में इसी पारस्परिकता, अन्योन्याश्रिता और सहभागिता से अन्तरसांस्कृतिक संचार को भी बढ़ावा मिल रहा है।

12.5.1 वैश्वीकरण के समय में अन्तर्सास्कृतिक संचार

वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई अन्तर्सम्बन्धता का द्योतक है। इस अन्तर्सम्बन्धता को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में विभिन्न टी.वी. चौनल्स, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, सांस्कृतिक समिश्रण के सशक्त साधन हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के मध्य अन्तर्क्रिया को गति प्रदान कर रहे हैं। विश्व की अधिकांश संस्कृतियों की खिड़की दूसरी संस्कृतियों के लिए वैश्वीकरण की दौर में खुल गयी हैं और अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आकाशीय मार्ग द्वारा एक संस्कृति दूसरी

संस्कृति में प्रवेश कर रही है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व स्तर पर एकीकरण हुआ है। इण्टरनेट के तीव्र विस्तार के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। जिन देशों में वैश्वीकरण की तीव्रता का दर उच्च है, उन्हीं देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का दर भी उच्च है। वैश्वीकरण के वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही अन्तरर्सास्कृतिक संचार को तीव्र गति मिल रही है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के अलावा वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में लोगों के उत्प्रवास, आउट सोर्सिंग, विश्व पर्यटन, विश्व फैशन, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व साहित्य, विश्वसंगीत, विश्व कला, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, विश्व खेलकूद प्रतियोगिताएं, वैश्विक राजनीतिक संस्थाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार एवं वाणिज्य, क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठन आदि ने भी अन्तरसांस्कृतिक संचार को एक नया आयाम प्रदान किया है, जिससे सांस्कृतिक वैश्वीकरण की गति को तीव्रता प्राप्त हुई है। विश्व बहुत तेजी से एक वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर है।

12.5.2 वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

वैश्वीकरण के दौर में आज मानव जीवन के अनेक पक्ष हजारों मील दूर स्थित समाज के सामाजिक ताने बाने से प्रभावित हो रहे हैं। विश्व की विभिन्न संस्कृतियां आपस में अन्तर्किया कर रही है। इस प्रकार एक विश्ववादी सामान्य जीवन शैली की स्वीकारोक्ति बढ़ती जा रही है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से विश्व एक एकिक समाज व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का दूसरा पक्ष यह भी है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जूझ रही है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भाषाई वर्चस्व और पश्चिम के सांस्कृतिक आक्रमण से अनेक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियां अपने संरक्षण की समस्या से ग्रस्त हैं। जहां एक ओर ज्ञान के विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना के प्रसार से रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास, जातीय एवं साम्प्रदायिक कटुता समाप्त हो रही है वहीं दूसरी ओर परम्परागत

संस्कृतियों, परम्पराओं और लोकाचारों पर कुठाराघात भी हो रहा है। जहाँ एक ओर विश्व मानवता की अवधारणा का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार एवं अपसंस्कृति का प्रसार भी हो रहा है। जहां एक ओर राष्ट्रों की दूरियां सिकुड़ रही हैं वहीं दूसरी ओर व्यक्ति से व्यक्ति की दूरियां बढ़ रही हैं। मस्तिष्क विस्तृत हो रहा है और ह्रदय संकुचित हो रहा है। इस प्रकार वैश्वीकरण का अन्तर्सास्कृतिक संचार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहा है।

क. सकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण का अन्तर सास्कृतिक संचार पर पडने वाले सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन निम्नलिखिति शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है–

वैश्विक संस्कृति का विस्तार

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी और जनसंचार माध्यमों के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की गति में आयी तीव्रता से सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गयी है। एक ओर जहां हम पश्चिमी विकसित देशों विशेषकर अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति का प्रभाव भी पश्चिमी देशों पर पड़ रहा है। जहां मैकडोनाल्ड, कोकोकोला, फास्टफूड, संस्कृति जैसे गिने चुने जन संस्कृति के प्रतीकों को विकासशील और पिछड़े देशों ने अपनाया वहीं पूर्वी दर्शनों और प्रबन्धनों के तरीकों, संगीत, भोजन, धर्म, आदि जैसे दूसरी सभ्यताओं के तत्वों को अमेरिका और यूरोप ने भी स्वीकार किया। अमेरिका और योरोप में शाकाहारी भोजन के प्रति रुझान बढ़ रहा है। आज यूरोप और अमेरिका में शाकाहारी और भारतीय व्यंजनों वाले रेस्टोरेन्ट तेजी से खुल रहे हैं। भारतीय फैशन एवं धर्म के प्रति आकर्षण पश्चिम में तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति का पश्चिमी देशों पर प्रभाव आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ साथ उत्प्रवास, आउटसोर्सिंग और विश्व पर्यटन के माध्यम से पड़ रहा है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया एकपक्षीय नहीं है। सांस्कृतिक प्रभावों की दोहरी स्वीकृति एक नई समिश्रित वैश्विक संस्कृति

उत्पन्न कर रही है। इस नई समिश्रित वैश्विक संस्कृति को संचार क्रान्ति, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, विश्व बाजार का एकीकरण, विधि व्यवस्था का एकीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीयसंस्थाएं एवं वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रयास विस्तार प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान

वैश्वीकरण के दौर में स्थानीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान तथा राष्ट्रीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल रही है। आज से कुछ दशक पूर्व तक जिन स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्कृतियों के बारे में लोग जानते तक नहीं थे उसके बारे में ढेर सारी जानकारी वर्तमान समय में इन्टरनेट पर उपलब्ध है और आधुनिक जनसंचार माध्यमों द्वारा उसका वैश्विक प्रचार–प्रसार निरन्तर जारी है। यह वैश्वीकरण की देन है कि बिसमिल्लाह खान, पं० रविशंकर और छत्तीसगढ जैसे दूरस्थ क्षेत्र की रहने वाली तीजन बाई की आज वैश्विक पहचान बन पाई है। जातियों, जनजातियों, भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय संस्कृतियों को जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहचान प्रदान कर रहे हैं।

जन संस्कृति का प्रसार

वैश्वीकरण ने जन संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल फोन जैसे जन माध्यमों को देखने पढ़ने अथवा सुनने के फलस्वरूप एवं वृहद विजातीय समाज में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों का उदय जन संस्कृति के नाम से जाना जाता है जो समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। आज पूरे विश्व के प्रत्येक समाज में चाय, काफी, मीट, मछली, साबुन, तेल, कास्मेटिक्स, दंतमंजन, फास्टफूड, कोको कोला, मैकडोनाल्ड आदि का प्रयोग आम हो गया है। प्रौद्योगिक द्वारा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने से स्त्रियां चहारदीवारी से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आ गयी है। परिवार के जो मनोरंजन कार्य थे वह सिनेमा ग्रह, क्लब, दूरदर्शन आदि ने ले लिया है। प्रेम विवाह विलम्ब विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। आज विश्व के प्रत्येक समाज में केक काटकर जन्म दिन मनाने की परम्परा दिखलाई पड़ रही है। ये जनसंस्कृति के कुछ चुनिन्दा उदाहरण एवं प्रतीक हैं। जो वैश्विक

समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं।

ज्ञान का विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना का संचार

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के फलस्वरूप लोगों में ज्ञान का विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना का संचार हुआ जिससे एक ओर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जागरुकता एवं विकास की प्रक्रिया को गति मिली वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक द्वन्द्व से मूल्यांकन की प्रवृत्ति विकसित हुई और तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप अन्धविश्वास, रुढ़िवादिता, जातीय विभेद, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कटुता एवं अस्पृश्यता का अन्त हुआ।

विश्व मानवता की अवधारणा का विकास

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व बाजार और विधि व्यवस्था का एकीकरण, संचार क्रान्ति, उत्प्रवास, पर्यटन, वैश्विक संगठन,सम्मेलन एवं खेल– कूद आदि प्रतियोगिताएं, जन संस्कृति का प्रचार प्रसार और वैश्विक संस्कृति के विस्तार से विश्व मानवता की अवधारणा का विकास हुआ है।

ख) नकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है.

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सूचना क्रान्ति के उपरान्त संस्कृतियों के बीच सहज मेल मिलाप या संवाद नहीं हो रहा है। बल्कि सूचना क्रान्ति के हथियारों से लैस पश्चिमी और यूरोपीय देशों की ताकतवर प्रभुत्ववादी संस्कृति सांस्कृतिक आक्रमणों के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृतियों का गला घोंटने में लगी हुई है। यद्यपि इस आक्रमण को पश्चिमी देशों द्वारा समरुपीकरण का नाम दिया जा रहा है। किन्तु इसमें सार्थक लेन देन के तत्व नदारद हैं। यह प्रक्रिया एक तरह का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद ही है। आज विकासशील देशों के लोग अपनी माटी और संस्कृति से कटते जा रहे हैं और पश्चिम की आयातित

संस्कृति विविध कारणों से स्वीकार करते जा रहे हैं। वैश्वीकरण ने पश्चिम के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को एक नया आयाम प्रदान किया है।

अपसंस्कृति का प्रसार

वैश्वीकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा विकासशील देशों में अपसंसस्कृति का प्रसार बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जनसंचार माध्यमों द्वारा हिंसा, अश्लीलता, नग्नता, फूहड़पन जिस तरह से परोसा जा रहा है वह अपसंस्कृति का समाज में प्रसार कर रहा है। सेटेलाइट चौनलों द्वारा आकाशीय मार्ग से विदेशी संस्कृति सीधे हमारे शयन कक्ष में प्रवेश कर रही है। नई पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है। इससे हमारे सामाजिक नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है।

भाषाई वर्चस्व

वैश्वीकरण का एक दुष्पर्रिणाम यह हुआ कि कमजोर देशों की भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। वैश्वीकरण का सबसे प्रभावशाली एवं उपयोगी उपकरण इण्टरनेट आज अंग्रेजी का सबसे बडा संवाहक बन गया है। इस व्यवस्था में अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए इण्टरनेट में आना होगा ओर इण्टरनेट में आने के लिए अंग्रेजी सीखनी होगी। आज सारा का सारा आधुनिक ज्ञान अंग्रेजी भाषा है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य की भाषा भी अंग्रेजी होती जा रही है। विश्व के लगभग सभी देशों में साइनबोर्ड या बिल बोर्ड द्विभाषी हो गये हैं एक भाषा राष्ट्रीय या क्षेत्रीय और दूसरी भाषा अंग्रेजी। ऐसी स्थिति में हिन्दी, जो देश की आन्तरिक शक्ति है पर उतना संकट नहीं है जितना दुर्बल कमजोर एक कम आबादी वाले देशों की भाषाओं पर है। आज भाषाओं के विलोपीकरण और अंग्रेजी के वर्चस्व का मुद्दा आ खड़ा हो गया है।

उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार

वैश्वीकरण ने उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। आज विश्व अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार और विश्व बाजार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण है। उसे अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार चाहिए तथा उपभोग करने वाले लोगों का समूह चाहिए। अतः बहु राष्ट्रीय कम्पनियां आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञापनों के माध्यम से किसी भी मनुष्य के मनुष्य पक्ष पर उसके उपभोक्ता पक्ष को हावी

कराकर उपभोक्ता वाद को बढावा दे रही है। विदेशी कम्पनियों ने जनता को उपभोक्ता बनाने के लिए युद्ध स्तर पर मुहिम के हर हथकण्डे और हथियारों का जमकर प्रयोग शुरु कर दिया। आय एवं आयु के साथ – साथ अन्य समस्त पक्षों को आधार बनाकर उपभोक्ताओं के लिए सर्वेक्षण, विपणन उत्पाद बिक्री आदि की रणनीतियां बनने लगी। आज संचार के सभी माध्यम नागरिकों को उपभोक्ता बनाने में जुटे हैं। परम्परागत भारतीय समाज में अभौतिक संस्कृति का वर्चस्व था किन्तु उपभोक्तावाद ने व्यक्ति की भौतिकता सम्बन्धी अनन्त भूख को पैदा कर दिया। उससे हमारे परम्परागत मूल्य प्रकारान्तर से प्रभावित हो रहे है।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या

वैश्वीकरण के दौर में सूचना हथियारों से लैस संस्कृतियां अन्य संस्कृतियों के अस्तित्व पर खतरे के बादल की तरह मंडरा रही हैं। मानव सभ्यता का इतिहास विविध संस्कृतियों का संगम रहा है। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच स्वस्थ संवाद और पारस्परिक प्रभाव के बल पर ही मानव सभ्यता की उपलब्धियों में सभी किसी न किसी रूप में हिस्सेदार रहे हैं। यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि आज आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने मानव समाजों और संस्कृतियों के सहज और स्वाभाविक विकास में आक्रामक हस्तक्षेप से उथल पुथल पैदा करके लोगों को अपनी माटी एवं संस्कृति से कटने को मजबूर कर दिया है। इससे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। वैश्विक संस्कृति के विस्तार, जनसंस्कृति के प्रसार एवं उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भाषाई वर्चस्व से परम्परागत संस्कृतियों, परम्पराओं एवं लोकाचारों पर कुठाराघात हो रहा है। समाज का एक वर्ग पश्चिम की आयातित संस्कृति से प्रभावित हो रहा है, वही दूसरा संवर्ग ऐसे लोगों का है जो अपनी स्थानीय परम्परागत संस्कृति के संरक्षण को अपरिहार्य मानता है ऐसे में सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है।

12.6 सारांश

इस इकाई के अन्तर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी के रुप स्वरूप को बताया गया है। आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कम्प्यूटर, इण्टरनेट, मोबाइल फोन, टी.वी. चौनल्स द्वारा संचार क्रान्ति की विवेचना करते हुए उसका अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया गया है। आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के संवाहक हैं। वैश्वीकरण का अर्थ, प्रवृत्तियां एवं व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए उसका अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का भी अध्ययन एवं विवेचन किया गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण ने जहां एक ओर ज्ञान का विस्तार किया, वैज्ञानिक चेतना, वैश्विक संस्कृति, जनसंस्कृति का प्रसार किया वहीं दूसरी ओर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई साम्राज्यवाद, अपसंस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार भी किया। इस प्रकार हम आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देख सकते हैं।

12.7 शब्दावली

अन्तर्वेशन समावेश करना बहिष्करण बहिष्कार करना अन्तर सांस्कृतिक संचार–दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य संवाद या सम्प्रेषण

12.8 सन्दर्भ

ग्रन्थ वैश्वीकरण एवं समाज	डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय
ई जर्नलिज्म	डॉ. अर्जुन तिवारी
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनमाध्यम	डॉ. हरिमोहन
संचार माध्यम	सं. अभिलाषा कुमारी

12.9 सम्बन्धित प्रश्न

4.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संचार क्रान्ति क्या है? स्पष्ट करें ।

2. आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार को स्पष्ट करें।

3. बाजार वाद से क्या तात्पर्य है ?

4. उपभोक्तावादी संस्कृति पर टिप्पणी लिखें।

4.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. आधुनिक प्रौद्योगिकी के रूप–स्वरूप पर प्रकाश डालिए।

2. आधुनिक प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना करें।

3. वैश्वीकरण की व्यापकता पर प्रकाश डालिए

4. वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए।

12.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रिन्टिंग प्रेस के आविष्कारक थे –

   (अ) जी. मारकोनी

   ब) जे. गुटेनवर्ग

   स) थामस अल्वा एडिसन

   द) जान लोगी वेर्यड

2. टेलीफोन के आविष्कारक थे

   अ) सी. सोल्स

   ब) चार्ल्स टाउन्स

   स) जान नेपियर

   द) एलेक्जैण्डर ग्राहम बेल

3. मोबाइल फोन है –

   अ) प्रिन्ट मीडिया

ब) इलेक्ट्रानिक मीडिया

स) इन्टरैक्टिव मीडिया

द) ट्रेडिशनल मीडिया

4. वैश्वीकरण का अंग्रेजी में अनुवाद है–

अ) ग्लोबलाइजेशन

(ब) ग्लोबल

स) ग्लोब

द) ग्लोबलाइज

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (ब)
2. (द)
3. (स)
4. (अ)

MJMC-118N
अन्तर सांस्कृतिक संचार : अवधारणा एवं आयाम

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

04

वैश्वीकरण एवं मीडिया

इकाई– 13

संस्कृति, संचार एवं लोक माध्यम

इकाई– 14

संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएं रू अन्तर सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप में

इकाई– 15

नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

इकाई—16

अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था

इकाई—17

वैश्वीकरण : विविध आयाम

खण्ड— 4 खण्ड परिचय

'वैश्वीकरण एवं मीडिया'

'वैश्वीकरण एवं मीडिया' के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं

1— संस्कृति संचार एवं लोक माध्यम

2— संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएँरू अन्तर सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप में 3 — नव संस्कृति का संवाहक मीडिया 4— अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था 5— वैश्वीकरणरू विविध आयाम

संचार मानव की मूलभूत आवश्यकता है, संचार से ही संस्कृति प्रवहमान रहती है। मनुष्य संचार द्वारा अपनी संस्कृति से दूसरों को परिचित कराता है तथा दूसरी संस्कृतियों से वह स्वतः परिचित होता है। गीत—संगीत, नृत्य, संचार के प्रमुख प्रभाकारी उपकरण हैं।

सम्प्रति नव संस्कृति का प्रभुत्व है जिसमें प्राचीनता का लोप और आधुनिकता का वर्चस्व है। औद्योगीकरण एवं अर्थव्यवस्था नव संस्कृति के आधार हैं। समय के प्रवाह और नित—नूतन संचार उपकरणों के आविष्कार ने अन्तर राष्ट्रीय संचार को महत्त्वपूर्ण बना दिया है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में पूरा विश्व अर्थ आधारित हो गया है। मैकब्राइड आयोग गुटनिरपेक्ष समाचार समिति पूल नई विश्व सूचना एवं संचार

व्यवस्था की जानकारी इस खण्ड में दी गई है। अंतिम इकाई में आधुनिक वैश्वीकरण के विविध आयामों पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है।

इकाई– 13 संस्कृति संचार एवं लोक माध्यम

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 संस्कृति

13.2.1 संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति

13.2.2. भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि

13.2.3 भारतीय संस्कृति में लौकिकता

13.2.4 लोक संस्कृति की विशेषता

13.3 संस्कृति एवं संचार का अन्तर्सम्बन्ध

13.4 लोक माध्यम

13.4.1 लोक संचार (माध्यम) की विशेषता

13.4.2 लोक माध्यमों के प्रकार

13.4.3 लोक माध्यमों की उपयोगिता

13.5 सांस्कृतिक संचार और लोक माध्यम

13.6 सारांश

13.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

13.8 प्रश्नावली

13.8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

13.8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

13.8.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

13.8.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

संस्कृति संचार एवं लोक माध्यम इस इकाई का उद्देश्य आपको संस्कृति, विशेषकर भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार से समझाना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे–

1. संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बारे में
2. संस्कृति और संचार के अर्न्तसम्बन्ध के बारे में
3. लोक माध्यमों के बारे में
4. संस्कृति और संचार के सन्दर्भ में लोक माध्यमों की उपयोगिता के बारे में।

13.1 प्रस्तावना

संस्कृति का सीधा सम्बन्ध मानव समाज से हैं और संचार मानव की मूलभूत आवश्यकता है। संचार के द्वारा ही संस्कृति सतत् प्रवाहमान रहती है। संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण संचार के द्वारा ही सम्भव है। मनुष्य अपने ज्ञान और अनुभव को विरासत में प्राप्त हुई पारम्परिक संस्कृति में जोड़ कर अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करता है। इस प्रकार पारम्परिक संस्कृति काल के प्रवाह के साथ समृद्ध होती जाती

है। संस्कृति के संरक्षण और हस्तान्तरण में संचार के लोक माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक माध्यम क्या है, उनकी क्या विशेषता है तथा संचार क्रान्ति के वर्तमान युग में संस्कृति के संचरण में उनकी क्या भूमिका है, इन्हीं सब बातों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में आप करेंगे।

13.2 संस्कृति

सामान्य रूप से संस्कृति का तात्पर्य संस्कार से लिया जाता है। जिस मानव समाज का आचरण जितना अधिक संस्कार युक्त होता है उस समाज की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध होती है। साहित्यिक एवं दार्शनिक अर्थों में संस्कृति का तात्पर्य शिक्षण प्रशिक्षण से प्राप्त शिष्ट एवं नैतिक आचरण से लिया जाता है। समाज वैज्ञानिकों एवं मानव शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य ने जीवन यापन के लिए जो तरीके अपनाए वे ही कालान्तर में संस्कृति के नाम से जाने गए। हर पीढ़ी ने इसमें अपने देश, काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन किए और इस प्रकार समय के साथ संस्कृति समृद्ध होती गई। संस्कृति सीखी जाती है। मनुष्य जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस परिवेश में पलता है, जहाँ शिक्षा प्राप्त करता है, समाज में जो व्यवसाय अपनाता है उन सभी का प्रभाव उस पर पड़ता है। इस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन काल में ही अनेक प्रकार के सांस्कृतिक समूहों के सम्पर्क में आता है, प्रभावित होता है और आवश्यकतानुसार अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य संचार के द्वारा अपनी संस्कृति से दूसरों को परिचित कराता है और दूसरी संस्कृतियों से परिचित भी होता है।

13.2.1 संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति

मानव जीवन में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय सन्दर्भ में तो मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन संस्कृति के घेरे में बंधा हुआ है। भारतीय संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति धर्म के आवरण से ढकी हुई है। इसकी प्राचीनता सर्वविदित है –

भारत में चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के राज पुस्तकालय से प्राप्त एक वंशावली को अपने ग्रन्थ में

लिखा है। जिसमें 154 राजाओं के राज्यकाल 6451 वर्ष 3 माह तक के शासन को मेगस्थनीज ने उदधृत किया है। इसमें एक आश्चर्य की बात है, माह की भी गणना की गयी। चन्द्रगुप्त के शासन काल (321 ई. पू.) को लगभग 2324 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार सन् 2005 तक भारत का कुल इतिहास (मेगस्थनीज को जोड़कर) 5 8777 वर्ष का हुआ। (मेगस्थनीज की सूचना के अनुसार 6451. 321 ई. पू. मेगस्थनीज का लेखन समय. ईसा पूर्व से अब तक 2005 वर्ष) जबकि इतिहास ईसा पूर्व 5550 वर्ष और वर्तमान 2005 वर्ष जोड़कर कुल 7555 वर्ष का इतिहास हुआ। इस प्रकार भारत का इतिहास मिस्र के इतिहास से (8777––7555= 1222) वर्ष प्राचीन है।

धार्मिक सम्प्रदायों में हिन्दू पारसी, यहूदी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान प्रमुख है। शेष सभी इन्हीं की शाखाएं हैं। इन धार्मिक सम्प्रदायों में पारसी धर्म से ही क्रमशः यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान धर्म हुए हैं। बौद्ध और जैन धर्म, हिन्दू धर्म की शाखा के रूप में हैं। पारसी धर्म का ग्रन्थ जेंद अवेस्ता और हिन्दू धर्म के ग्रन्थ वेद में परस्पर समानता है। पारसी धर्म ग्रन्थों में पूर्वी हिन्दू व पश्चिमी हिन्दू नाम से भारतीय एवं पारसीक जातियों के लिए उल्लेख आया है। इन दोनों का हिन्दू रक्त एक ही है किन्तु इनका भौगोलिक क्षेत्रीय विभाजन पूर्वी हिन्दू और पश्चिमी हिन्दू के नाम से उल्लेख किया गया है।

भारतीय संस्कृति का प्रभाव इससे समझा जा सकता है कि मिस्र में एल अर्मना नामक स्थान में मिट्टी की पट्टिका खण्ड पर बेबिलोनिया की लिपि प्राप्त हुई है। जिस पर वैदिक नाम से मिलते जुलते नाम हैं– जो बेबिलोनिया नरेशों के हैं– अर्तमन्य, अजीविय, यशदत्त, शुतर्न आदि।

1400 ई. पू. एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से एक लेख मिला है जिसमें वैदिक देवताओं के नाम इन्द्र, मित्र, वरुण, नासत्यौ (अश्विन कुमार) का नाम मिलता है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से' पर हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीनतम होने के बाद आज भी अमिट है, अमर है।

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय संस्कृति जिसे प्राचीन समय से हिन्दू संस्कृति कहा गया, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति

है। यहीं के देवताओं को देवता मानकर सभी सभ्यताओं में पूजा गया। अतःहिन्दू संस्कृति या भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण विश्व की आदि संस्कृति है।

13.2.2 भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि

विदेशी इतिहासकारों ने भारत को एक देश न मानकर अनेक देशों से युक्त, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा। उन्होंने भारत को अजायबघर (संग्रहालय) कहा, जहाँ भिन्नभिन्न जातियाँ, भाषाएँ एवं रीति रिवाज के लोग रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को ही भारत कहा गया है जिसमें छः देश हैं।

1. भारत 2. बंग्लादेश 3. भूटान 4. नेपाल 5. पाकिस्तान 6. अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप ही भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि है।

विदेशी इतिहासकारों ने कई देशों का समूह कहा, उनका यह कथन भ्रामक है। क्योंकि हमारी संस्कृति, एक है, भारत, विविधता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। .

विष्णु पुराण में लिखा है –

"उत्तरम् यत् समुद्रस्य हिमद्रश्चौव दक्षिणम्

वर्षम् तद् भारतम् नाम भारतीयत्र सन्तति।"

'यह देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष कहा जाता है जहाँ की सन्तानें भारतीय कहलाती हैं'

कालिदास ने लिखा है– 'पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डण्डा।"

भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत द्वारा साइबेरिया की ठण्डी हवाओं से अपने देश की रक्षा होती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा भारत का उत्तरी मैदान या गंगा यमुना का मैदान संसार का सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ क्षेत्र है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट (गौरी शंकर) हैं। उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रेणियों में खैबर, बोलन, गोमल, कुर्रम, टोची, आदि ऐतिहासिक दर्रे हैं। ऋग्वेद में मूजवन्त नामक हिमालय की चोटी का उल्लेख है। जो 'सोम'

के लिए प्रसिद्ध थी।

हिन्दू शब्द की उत्पत्ति षसिन्धु से ही हुई है। फारसी में हिन्दू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड्डू, लैटिन में इंडस और चीन में हिएन– तू या तिएन–चू आदि। इन सभी शब्दों की उत्पत्ति सिन्धु नदी के सिन्धु शब्द से हुई है जिसका प्रयोग उन्होंने भारत के लिए या भारतीयों के लिए किया। सिन्धु नदी के सिन्धु शब्द से हिन्दू बना और हिन्दुओं के रहने के स्थान को अरबवासियों ने हिन्दुस्तान कहा। पश्चिमी लोगों ने सिन्धु को हिन्दू या इन्दू कहा। इसी इन्दूको इन्डु इण्डस या इण्डोस् कहा और इसी शब्द से इण्डिया बना। भारत को इण्डिया यूनानियों ने कहा।

विष्णु पुराण में लिखा है कि ष्वह देश जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसे भारतवर्ष कहा जाता है जहाँ की संतानें भारतीय कहलाती है।'

मनुवंशी ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन भारत का क्षेत्रीय विभाजन

प्राचीन भारतीय साहित्य में भारत का क्षेत्रीय विभाजन इस प्रकार है–

1. **आर्यावर्त–** 150 ई. पू. के समय आर्यावर्त प्रदेश दक्षिण में विन्ध्य पर्वत से उत्तर में हिमालय पर्वत तक तथा पूर्व में राजमहल की पहाड़ी (कालक वन) से पश्चिम में अरावली की पहाड़ी (आदर्शावली) तक था।
2. **ब्रह्मवर्त–** ऋग्वैदिक काल में सरस्वती (घग्घर) एवं द्वषद्वती (चौतंग) नदियों के मध्य का भूभाग। ऋग्वैदिक काल में दशराज्ञ युद्ध (ऋग्वेद का 7वां मण्डल) इसी क्षेत्र में हुआ था।
3. **मध्य देश** – सिन्धु नदी व गंगा नदी के बीच का भू–भाग
4. **उत्तरापथ** – विन्ध्य के उत्तर भू– भाग से हिमालय तक का प्रदेश ।
5. **दक्षिणापथ–** विन्ध्य के दक्षिण एवं कृष्णा नदी मध्य के क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा गया।

6. **पूर्वी देश** –गंडक नदी (सदानीरा नदी) के पूर्व के क्षेत्र को पूर्वी देश कह गया।
7. बह्मर्षि देश – थानेश्वर (दिल्ली के पास) से पूर्व में राजमहल की पहाड़ी (भागलपुर) तक ।

13.2.3 भारतीय संस्कृति में लौकिकता

देश काल और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ भिन्न हुआ करती हैं। विश्व की समस्त प्राचीन संस्कृतियों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो प्रत्येक देश की संस्कृति में भारतीय संस्कृति के बीज निहित मिलते हैं। मिस्र, असीरिया, ईरान, बेबीलोनिया, चीन और रोम की संस्कृति बहुत पुरानी मानी जाती है। किन्तु इन देशों में प्राप्त पुरातत्व सामग्री में भारतीय संस्कृति का व्यापक और प्रमुख प्रभाव है। मिस्र का हीलोलिन (हलिन), ईरान का अहुरमज्द (असुरमहत्), मिस्र का ओसारिस (उषारस) आदि भारतीय वैदिक देवता है। पाली ग्रन्थ श्बाबरू जातक' में बेबीलोनिया की कथाएँ हैं। वहाँ मयूर पक्षी नहीं होता था, वह यहीं भारत से ले जाया गया है। संस्कृति की परिभाषा या उसका स्वरूप अध्ययन से नहीं वरन् अनुभव से जाना जाता है। जैसे गुड़ बहुत मीठा होता है, इतना कह देने या सुन लेने मात्र से गुड़ का मिठास का परिचय नहीं मिलता, अपितु खाकर अनुभव करने से माधुर्य का वास्तविक बोध होता है।

'संस्कृति में परिवर्तन और परिवर्द्धन काल क्रमानुसार हुआ करते हैं किन्तु उसकी सत्ता सदैव अक्षुण्ण रहा करती है। संस्कृति मरती नहीं, मिटती नहीं। इतिहास के उदय काल से अब तक की भारतीय संस्कृति का समालोचन करने से यह बात बहुत सरलता से राष्ट होती है। वैदिक युग में वैदिक (आर्य) और अवैदिक (अनार्य) दो संस्कृतियों का संघर्ष भारतवर्ष में रहा। तमिल संस्कृति जिसे द्रविड़ सभ्यता या संस्कृति कहा जाता है, से वैदिक संस्कृति का सर्वप्रथम संघर्ष आरम्भ होता है। उपनिषद् काल, स्मृति काल, सूत्रकाल, पुराणकाल, तंत्रकाल, बौद्धकाल और मध्य काल से अब तक लगातार यह संस्कृति संघर्ष चल रहा है, किन्तु इतने पर भी हमारी भारतीय संस्कृति विनष्ट नहीं हुई। हाँ, विकास भले ही इसमें उत्पन्न हो गये हैं। यूनान, मिस्र, रोम और चीन की प्राचीन

संस्कृतियां लुप्तप्राय हो गयी हैं, किन्तु हमारी भारतीय संस्कृति अपनी सत्ता ज्यों की त्यों सुरक्षित बनाये हुए हैं, इसलिए कि भारतीय संस्कृति की आत्मा लोक संस्कृति है द्य यही इसका वैशिष्ट्य है।

भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा साधारण जनता है, जो नगरों से दूर गांवों, वन पर्वतों में निवास करती हैं। श्आत्मौपम्येन सर्वत्र यही भारतीय लोक संस्कृति का सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त का स्वभावतः पालन करती हुई भारतीय साधारण जनता ब्रह्मतत्व और मायातन्त्र को अनजाने समझती हैं। भारतीय ग्रामवासिनी संस्कृति के मूलाधार, जिन्हें आजकल की परिभाषा में अपढ़ बनेचर कहा जाता है, भारतीय संस्कृति के जीवित, जाग्रत प्रहरी हैं। जिस मायातत्व को हर्बर्ट स्पेन्सर आजीवन समझने में असमर्थ रहा, उसे हमारे अपढ़ भारतीय किसान सरलता से समझते हैं। भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षक, प्रतिष्ठापक ये ग्रामीण, परमहंस अथवा अबोध बालक की भाँति स्वयं अपने को कुछ भी नहीं समझा करते। इनमें मर्म ओर वास्तविक स्वरूप का अध्ययन मननशील विद्वान ही समझते हैं। लोक संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को जो सब से महत्वपूर्ण दान दिया है, वह है, श्आत्मीयता। अपने समान सभी को समझना यह भाव भारत के अतिरिक्त किसी भी देश की संस्कृति में नहीं है। बहुत दिन पहले जर्मन तत्ववेत्ता पॉलडूसेन भारत आया हुआ था।

13.2.4 लोक संस्कृति की विशेषता

भारतीय लोक संस्कृति की यह अनवद्य विशेषता कथा– प्रणाली द्वारा प्राप्त हुई है। भारतीय संस्कृति में पौराणिक कथाओं, तीर्थाटन, व्रत, उत्सव और पर्वों की जो प्रणाली परम्परागत चली आ रही है, उसी से लोक संस्कृति का सम्पादन हुआ है। इस प्रशस्त प्रणाली ने, भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति और भारत देश को प्राणवान् एवं जाग्रत बनाये रखने में बड़ा योगदान दिया है। कैलाश से कन्याकुमारी और परशुराम कुंड (आसाम) से सिन्धु तक की भाषा, रहन सहन की विभिन्नता होते हुए भी तीर्थाटन प्रणाली देश की एकता को अविच्छिन्न बनाये हुए हैं। लोकगीत, लोकचित्र, लोकनृत्य, ले काभिनय और लोकचर्चाएँ आदि सभी कथाप्रणाली से समुद्भूत हैं। इस प्रणाली ने हमारे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक इतिहास को जनसाधारण के मानस पट पर ऐसा अंकित किया है कि

उसे काल परिस्थिति की हरताल मिटा नहीं सकती। कवीन्द्र रवीन्द्र जब प्रथम बार यूरोप भ्रमण करने गये थे, उसी यात्रा के प्रसंग में उन्होंने श्यूरूप प्रवास पत्र और यूरोप' यात्री डायरी दो पुस्तकें भी लिखी है। लिवरपूल या मैनचेस्टर के देहातों में घूमते हुए टैगोर ने रास्ता चलते हुए कुछ लोगों से पूछा कि श्तुम ईसाई हो ? उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात नहीं समझी।' टैगोर ने कहा कि तुम ईसा क्राइष्ट को जानते हो?ष उन लोगों ने कहा कि क्या वह कोई कुली हैं? अपने देवता और धर्म के प्रति इस प्रकार की अज्ञानता उस देश की साधारण जनता की है, जो आज विश्व में अपनी सभ्यता की उच्चता का ढिंढोरा पीट रहा है। लेकिन भारत के जंगली अपढ़ व्यक्ति से भी यदि राम और कृष्ण के संबंध में पूछा जाय तो वह व्यास, वाल्मीकि और तुलसी के भावों के साकार रूप प्रस्तुत कर देगा, क्योंकि लोक संस्कृति द्वारा वह शिक्षित और चौतन्य बनाया गया है। लोक संस्कृति में ऐसे प्राणदायी स्रोत हैं जो भारतीय जन जीवन और भारतीय संस्कृति को सशक्त एवं प्राणवान् बनाये हुए –

लोक संस्कृति और लोकेतर संस्कृति में उतना ही अन्तर है जितना श्रद्धा और तर्क, सहज और सजावट में होता है। लोक संस्कृति प्रकृति की गोद में पलती और पनपती हैय लोकेतर संस्कृति आग उगलती हुई चिमनियों, हुंकार करती हुई मशीनों और विद्युत बल्बों से प्रदीप्त नगरों में निवास करती हैं। लोक संस्कृति के उपासक या संरक्षक बाहर की पुस्तकें न पढ़कर अन्दर की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके हृदय सरोवर में श्रद्धा के सुमन सदैव फूले रहते हैं लोकेतर संस्कृति के उपासकों संरक्षकों में धन, पद, शिक्षा का स्वाभिमान रहता हैय उनके हृदयों में तर्क की चिनगारियाँ सुलगती रहती हैं। लोक संस्कृति की शिक्षा प्रणाली में श्रद्धा भक्ति की प्राथमिकता रहती है। उसमें अविश्वास तर्क का कोई स्थान नहीं रहता। इसी से ज्ञान और सिद्धि की सहज प्राप्ति भी होती है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः यह सिद्धान्त लोक संस्कृति के उन्नायक भगवान कृष्ण के मुख से उच्चरित हुआ है। लोक संस्कृति में श्रद्धा भावना की परम्परा शाश्वत हैय वह अन्तः सलिला सरस्वती की भाँति जनजीवन में सतत प्रवाहित हुआ करती है। वस्तुतः लोक संस्कृति एवं लोकेतर तथा विश्व की सभी संस्कृतियों का बीज एक ही है। स्थान, काल, वातावरण की विभिन्नता से ही यह विभिन्न रूप

धारण करता है। जैसे जल वास्तव में एक ही है, किन्तु उसके बूंद नीम के वृक्ष में पड़कर कड़वाहट पैदा करते हैं और आम के वृक्ष में पड़कर वही रसाल बन जाते हैं। यह बीज लोक संस्कृति ही है, जो भारतीय संस्कृति और भारत देश को जीवन्त बनाये हुए हैं, इसलिए कि इसमें जीवन हैं, प्राणद स्पर्श और समन्वय के अनंत स्रोत हैं अतएव इस यथार्थ संस्कृति का संरक्षण संवर्द्धन करना हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य है।

13.3 संस्कृति और संचार का अर्न्तसम्बन्ध

संस्कृति और संचार दोनों का सम्बन्ध मनुष्य से है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्वतः हस्तान्तरित नहीं होती बल्कि संचार के माध्यम से अगली पीढ़ी तक हस्तान्तरित की जाती है। एक नवजात शिशु अपने परिवार की संस्कृति अपने माता पिता के मौखिक संचार से सीखता है। जब वह स्कूल जाता है तो उस समूह की संस्कृति सीखनी पड़ती है। उच्च शिक्षा के लिए वह विश्वविद्यालय में जाता है और वहां की संस्कृति से परिचित होता है। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात समाज में वह किसी न किसी व्यवसाय में लगता है और एक नए प्रकार की व्यवसायिक संस्कृति से परिचित होता है। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान उसे मौखिक और लिखित (मुद्रित) संचार माध्यम से होता है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट होता है कि संस्कृति की निरन्तरता बनाए रखने के लिए संचार आवश्यक है।

एक संस्कृति अपने प्रचार प्रसार के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग करती है। संचार के द्वारा ही मनुष्य विभिन्न संस्कृतिययों के गुण दोष की विवेचना करने में सक्षम होता है। इस गुण–दोष विवेचन के आधार पर ही हम किसी संस्कृति को श्रेष्ठ बता सकते हैं। यह क्षमता भी मनुष्य को संचार माध्यमों से ही प्राप्त होती है।

जिस समाज (देश) की संस्कृति जितनी समृद्ध होगी वहां के संचार माध्यम भी उतने ही परिष्कृत होंगे। परिष्कृत संचार माध्यमों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके हम इसकी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकते हैं। संस्कृति ही मनुष्य के जीवन स्तर में परिवर्तन लाती है। संचार माध्यमों के द्वारा दूसरी श्रेष्ठ संस्कृति के बारे में जानकर हम उसे अपना सकते हैं। संस्कृति और संचार दोनों ही विकास की दृष्टि से एक

दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति और संचार मानवीय परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं।

13.4 लोक माध्यम

संचार के लोक माध्यम आदि काल से ही अस्तित्व में है। जन सामान्य ने आदिम युग में संचार के लिए गीत, संगीत, संकेतों, प्रतीकों आदि का आश्रय लिया था और ये माध्यम आज भी यथावत प्रचलित हैं। मुद्रित माध्यम शिक्षित समाज में संचार की भूमिका निभाते हैं किन्तु लोक माध्यम शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही समाज में सन्देश सम्प्रेषित करने में समर्थ हैं। संचार के लोक माध्यमों में गीत संगीत, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक नाट्य, धार्मिक कथा प्रवचन, वार्ता, पर्यटन, यात्रा वृत्तान्त आदि लोक माध्यमों के प्रचलित रूप हैं।

'लोक माध्यमों की यह अद्‌भुत विशेषता होती है कि जिस समाज में सन्देश का सम्प्रेषण करना होता है उस समाज की भाषा और परिवेश में ही सन्देश प्रसारित किए जाते हैं। यही कारण है कि लोक माध्यम सन्देश सम्प्रेषण में सार्थक और प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लोक माध्यमों की पहुँच सर्वत्र है। यह भी इनकी सार्थकता का ही प्रमाण है।

13.4.1 लोक माध्यमों की विशेषताएं

लोक संचार एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। इसमें न तो व्यावसायिक अथवा कुशल सम्प्रेषक होते हैं और न स्पष्ट एवं सुनिश्चित संचार। इसमें सामाजिक स्थिति एवं सम्बन्ध के आधार पर सम्प्रेषण की प्रक्रिया सम्पादित होती हैं। लोक संचार की विषयवस्तु भी उसी सामाजिक परिवेश से जुड़ी होती है। इसमें सम्प्रेषक एवं श्रोता की सामाजिक स्थिति के अनुरूप संचालित होता है। इसमें घटना के स्रोत से भी जुड़ाव रहता है।'

यदि सामाजिक व्यवहार को देखें तो स्पष्ट होता है कि वर्तमान समाज में लोक संचार की प्रक्रिया विद्यमान हैं। इसे हम आधुनिक संचार प्रक्रिया की समानान्तर प्रक्रिया कह सकते हैं। इस की कुछ प्रमुख विशेषताएं (Characteristics) इस प्रकार हैं–

(क) **निरंतरता (Continuity)** – लोक माध्यम की मुख्य विशेषता निरंतरता है। यह किसी न किसी रूप में प्रत्येक समय अथवा समाज में हमें प्राप्त होती है।

(ख) **व्यवसाय रहित (Non professional)–** लोक संचार मूलतः गैर व्यवसायिक प्रकृति का होता है। इसमें आधुनिक व्यावसायिक संचार प्रक्रिया की भांति नियोजन आदि नहीं होता। यह वास्तव में समाज की स्वतः स्फूर्त सम्प्रेषण व्यवस्था का अंग होता है।

(ग) **यान्त्रिकता रहित (Non Mechanical)–** लोक संचार प्रक्रिया में अति यान्त्रिकता का प्रयोग नहीं होता द्य समाज अपने उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के अनुरूप इसे संचालित करता है। यान्त्रिकता की स्थिति में यह लुप्त हो जाता है।

(घ) **परस्पर की सम्बद्धता (Close Relationship)–** इस प्रकार की संचार व्यवस्था में सम्बद्ध लोगों में परस्पर निकट का सम्बन्ध होता है। परस्पर की अनुभूति एवं भावना के आधार पर इस के श्रोता तथा सम्प्रेषक परस्पर जुड़े होते हैं।

(3) निरपेक्ष संदेश (Absolute Message)–

लोक संचार में संदेश का स्वरूप निरपेक्ष तथा आदर्शात्मक होता है। क्योंकि नकारात्मक संदेशों की मात्रा परम्परागत सम्प्रेषण प्रक्रिया में नहीं हो सकती है। इससे भी यह स्पष्ट है कि परम्परागत संचार के संदेश निरपेक्ष होते हैं।

(च) **लगाव एवं आकर्षण (Attachment and Attraction)** लोक संचार के प्रति सम्बद्ध समूह के लोगों में लगाव एवं आकर्षण का भाव पाया जाता है। लोग परम्परागत संचार के आदर्श के अनुरूप अपना मार्ग भी तय करते हैं।

(छ) **व्यवहार का नियंत्रण (Control of Behaviour)–** लोक संचार प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक समाज में मानव व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है। यह संचार उचित अनुचित सत्य – असत्य आदि रूपों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करता है।

(ज) सामाजिक स्तर का प्रभाव (Impact of Social Status)– लोक संचार में सामाजिक स्तर की भी भूमिका मुख्य होती है। इसी स्तर के अनुसार परम्परागत सम्प्रेषण प्रक्रिया में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है।

(झ) परम्परागत संदेश (Traditional Message)– लोक व्यवहार, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा आदि से सम्बद्ध संदेश प्रचारित तथा प्रसारित होते हैं। इसमें धार्मिक कहानी किस्से आदि भी सम्मिलित हैं।

(ञ) परम्परागत माध्यम (Traditional Media)– परम्परागत संचार के वाहक या माध्यम भी परम्परागत होते हैं। आधुनिक समय में भी हम उनका उपयोग कर रहे हैं। जैसे नृत्य, नाटक, कठपुतली, रामलीला, मूर्ति, कथा, वार्ता, संगोष्ठी, उत्सव, भंगाड़ा, ढोल, बांसुरी, आदि। परम्परागत माध्यमों का महत्व वर्तमान में भी है।

13.4.2 लोक माध्यमों के प्रकार

लोक माध्यमों के प्रकार को हम निम्नलिखित विवरण के अनुसार आसानी से समझ सकते हैं।

परम्परागत माध्यमों के संदर्भ में भी भ्रम की स्थिति विद्यमान है। परम्परागत संचार माध्यमों के गर्भ से ही आधुनिक संचार माध्यमों का विकास हुआ है। परम्परागत माध्यमों के जितने प्रकार हैं, उतने ही प्रकार आधुनिक संचार माध्यम के भी हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं।

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि परम्परागत माध्यमों की प्रकृति दृश्य, श्रव्य एवं दृश्यश्रव्य हैं।

चित्र

13.4.3 लोक माध्यमों की उपयोगिता

परम्परागत और आधुनिक माध्यम जिन सूचनाओं, विचारों को सम्प्रेषित करते हैं उनकी दो श्रेणियाँ हैं। दृश्य और अदृश्य। आधुनिक माध्यम केवल दृश्य कोटि की सूचनाएं सम्प्रेषित करने में ही समर्थ हैं जबकि पारम्परिक माध्यम दोनों कोटि की सूचनाएं सम्प्रेषित कर सकती हैं। गति और दूरी की दृष्टि से भी वह अत्यधिक सक्षम हैं मानव मन को प्रभावित करने में परम्परागत मीडिया आधुनिक मीडिया से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं।

घोर जंगलों में रहने वाली कुछ जन जातियों को छोड़कर संसार के प्रायः सभी लोग आधुनिक मीडिया के प्रभाव में हैं। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जो आधुनिक मीडिया के प्रभाव से अछूता हो। आज किसी व्यक्ति का प्रबुद्ध कहलाना इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रकार की सूचना तथा किसी विषय की श्अद्यतन' सूचना से कितना अवगत है। आज के युग में ज्ञान विज्ञान की विलक्षणता इसके प्रचार प्रसार की क्षमता तथा लोक कल्याण की शक्ति सभी संचार माध्यमों पर आश्रित हैं। यह सत्य है कि धार्मिक फिल्मों में देवी–देवताओं के सन्दर्भ में अथवा विचारों के प्रत्यक्षीकरण के अर्थ में दर्शन की वह अनुभूति नहीं हो सकती जो देव मन्दिरों में अथवा देवता या ज्ञान के प्रत्यक्ष होने पर होती है। इसी प्रकार टेप रिकार्डर द्वारा ध्वनित मंत्रों में मनुष्य द्वारा उद्घोषित मन्त्रों की शक्ति नहीं रहती। दर्शन की पूर्ण अनुभूति तभी होगी जब दर्शन और दृश्य का अन्तर, ज्ञाता और ज्ञेय का अन्तर समाप्त हो जाए। मंत्र की पूर्ण शक्ति तभी प्रकट अथवा क्रियात्मक

होगी जब मंत्र और मंत्र के उद्घोषक के बीच एकरूपता स्थापित हो जाये द्य दो समधर्मी वस्तुओं का ही एक–दूसरे में पूर्ण विलय सम्भव है।

मनुष्य की चेतना शक्ति और मशीन की इलेक्ट्रानिक शक्ति समधर्मी नहीं हैं। अतः प्रगति की किसी भी अवस्था में आधुनिक मीडिया मनुष्य की आध्यात्म शक्ति का सृजन नहीं कर सकता। यह मनुष्य के बाह्य जगत में तात्कालिक सुविधा दे सकता है किन्तु अर्न्तजगत के मर्म को स्पर्श नहीं कर सकती। यह निर्विवाद सत्य है कि आधुनिक मीडिया ने जीवन को अस्त–व्यस्त कर दिया है। इस निराशाजनक कल्पना से त्रस्त मनुष्य को पारम्परिक माध्यमों से ही राहत मिल सकती है। पारम्परिक माध्यमों के सार्थक सन्देश सम्प्रेषण और प्रभाव क्षमता में कमी नहीं आई है बल्कि इन माध्यमों के कुशल उपयोग में कमी आई है। इन माध्यमों की व्यापक प्रभाव क्षमता का सार्थक उपयोग इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा किया जा रहा है। आज सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए सरकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम लोक संगीत एंव लोक नृत्य जैसे पारम्परिक माध्यमों का भरपूर प्रयोग करते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण, पोलियोउन्मूलन आदि कार्यक्रमों की जानकारी क्षेत्रीय जनता को इन्हीं माध्यमों द्वारा उपलब्ध होती है। कठपुतली के स्थान पर टेलीविजन पर प्रदर्शित होने वाली कार्टून फिल्में लोकप्रिय होती जा रही हैं। नाटकों का स्थान धारावाहिकों ने ले लिया है। पारम्परिक माध्यमों का जो विकसित रूप हमें आज के तीन– चार दशक पूर्व तक दिखाई देता था। निश्चित रूप से उसमें कमी आयी है। इस कमी का एक प्रमुख कारण संचार के क्षेत्र में आयी क्रान्ति है। संचार क्रान्ति के इस युग में परिष्कृत इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा पारम्परिक माध्यमों को प्रासंगिक बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है। पारम्परिक माध्यमों पर, सार्थक सन्देश प्रेषण की दृष्टि से, इलेक्ट्रानिक माध्यमों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। यह इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि संचार के पारम्परिक माध्यम जनमानस की भावनाओं के काफी निकट हैं और सार्थक सन्देश सम्प्रेषण में आज भी उसी प्रकार समर्थ हैं जिस पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों के विस्तार से पूर्व थे।

13.5 सांस्कृतिक संचार और लोक माध्यम

लोक माध्यम संस्कृति का संवाहक होता है। संस्कृति का सतत् प्रवाह लोक माध्यमों के द्वारा ही सम्भव है। गीत संगीत, लोक संगीत, लोक कलाएं, धार्मिक कथाएं आदि सभी संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती हैं। संस्कृति को लोक माध्यमों के द्वारा ही समृद्ध किया जा सकता है। लोक का मतलब सामान्य जन होता है। सामान्य जन के बीच संचार के द्वारा ही वैचारिक आदानप्रदान होता है। इस वैचारिक आदान प्रदान से ही संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। आज के संचार क्रान्ति के युग में भी जब भी सफलतापूर्वक और कुशलता पूर्वक सांस्कृतिक संचार करते हैं तो हमें इन लोक माध्यमों का ही आश्रय लेना पड़ता है। लोक माध्यम के द्वारा हमें जिस समाज में सांस्कृतिक संचार करना होता है उस समाज के सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप और उस समाज की भाषा में ही हम सन्देश प्रसारित करते हैं। यही सांस्कृतिक संचार में लोक माध्यमों की महत्ता और उपयोगिता को स्पष्ट करता है।

13.6 सारांश

इस इकाई में आपने संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति और विशेष कर लोक संस्कृति के बारे में विस्तार से जाना। लोक माध्यमों के प्रकार, उनकी विशेषता, उनकी उपयोगिता और सांस्कृतिक संचार में लोक माध्यमों की उपयोगिता का विस्तार से अध्ययन किया।

13.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता –डॉ. अर्जुन तिवारी
2. जन संचार कल और आज –डॉ. मुक्ति था
3. जन संचार के सिद्धान्त –डॉ. ओम प्रकाश सिंह

13.8 प्रश्नावली

13.8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें।

लोक माध्यमों के प्रकार बताएं।

लोक माध्यम और संस्कृति का क्या सम्बन्ध है ?

13.8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

भारतीय संस्कृति में लौकिकता को स्पष्ट करें।

लोक संस्कृति की विशेषताएं बताएं ।

लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।

संचार क्रान्ति के वर्तमान युग में लोक माध्यमों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

लोक माध्यमों का सांस्कृतिक संचार में क्या योगदान है? स्पष्ट करें।

13.8.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिमालय को कहा जाता हैः

   (क) हिम का कारखाना

   (ख) नगाधिराज

   (ग) हिम खण्ड

   (घ) इनमें से कोई नहीं

2. 'हिन्दू' शब्द निकला है

   (क) सिन्धु से

   (ख) हिन्दूवी से

   (ग) हिन्दुस्तान से

   (घ) हिन्दूस्थान से

3. वैश्वीकरण एवं मीडिया कठपुतली है –

   (क) एक लोक माध्यम

   (ख) एक सिनेमा

(ग) एक नाटक

(घ) इनमें से कोई नहीं

13.8.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1. ख
2. क
3. क

इकाई— 14 संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएं रू अन्तर सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप में

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 पारम्परिक जन माध्यम

14.2.1 उद्भव एवं विकास

14.2.2. महत्व एवं प्रासंगिकता

14.3 सांस्कृतिक संचार के उपकरणः संगीत, नृत्य एवं नाट्य

14.4 संगीत एवं संस्कृति

14.4.1 संगीत का स्वरूप

14.4.2 संगीत के प्रकार

14.4.3 संगीत और सांस्कृतिक पहचान

14.5 नृत्य एवं सांस्कृतिक दृष्टि

14.5.1 नृत्य की अवधारणा

14.5.2 नृत्य के प्रकार

14.5.3 नृत्य का संस्कृति से सम्बन्ध

14.6 नाट्य कलाएं एवं संस्कृति

14.6.1 नाटक

14.6.2 धार्मिक नाट्य

14.6.3 लोक नाट्य

14.7 सारांश

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

14.9 प्रश्नावली

14.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

14.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

14.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

14.9.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि किस प्रकार संगीत, नृत्य एवं नाट्य संचार के उपकरण के रूप में काम करते हैं। इस इकाई के अध्ययन पश्चात आप जान सकेंगे

1. संचार के पारम्परिक माध्यमों का आज के युग में क्या महत्व है?
2. संगीत विविध रूपों में किस प्रकार से संचार का कार्य करती है?
3. नृत्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं तथा उनका क्या सांस्कृतिक महत्व है ?
4. नाट्य कलाएं सन्देश सम्प्रेषण में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं?

14.1 प्रस्तावना

मानव सभ्यता का जब विकास हुआ और उसने संचार के महत्व को जाना तभी से सन्देशों के आदान प्रदान के नए नए तरीके अपनाये जाने लगे। भाषा के आविष्कार के साथ सन्देश सम्प्रेषण की प्रक्रिया भी विकसित हुई। मनुष्य ने अपने वैचारिक आदान प्रदान के लिए गाना आरम्भ किया। कालान्तर में गाने के निश्चित नियम बनाए गये। यही नियमबद्ध गान ही आगे चल कर संगीत के नाम से जाना जाने लगा। हर्ष की अभिव्यक्ति मनुष्य पहले उछल– कूद कर किया करते थे। यही उछलना कूदना जब लयबद्ध हुआ तो नृत्य की उत्पत्ति हुई और आज यही नृत्य मनोरंजन और संचार के प्रमुख माध्यम के रूप में विख्यात है। यही स्थिति नाटकों की है। मूल रूप से मनोरंजन के निमित्त उत्पन्न हुई संचार की यह विधा कालान्तर में वैचारिक आदान प्रदान की संवाहक बनी। इस प्रकार संगीत, नृत्य और नाट्य संचार के प्रमुख उपकरण के रूप में विकसित हुए। इन्हीं तथ्यों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा।

14.2 पारम्परिक जन माध्यम

14.2.1 उद्भव एवं विकास

चर– अचर सभी सम्प्रेषण करते हैं। यही नहीं मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, जैसे–कीट, पतंग, पशु– पक्षी आदि वे सभी प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक सम्पर्क द्वारा सूचना सम्प्रेषित करने में समर्थ हैं। ये सभी अपने अपने समूह में दृश्य, स्पर्श, श्रवण शक्ति, कंठ ध्वनि अथवा संगीत,

नृत्य एवं नाट्य कलाएं रू अन्तर सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप—

स्वाभाविक बुद्धि के बल पर सूचना का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना सम्प्रेषण की शक्ति इनमें नहीं होती है। यही असमर्थता इन प्राणियों को मनुष्य से अलग करती है। मनुष्य का यह विशेष गुण है कि वह अपना अनुभव ज्ञान सम्प्रेषित करता है। सामूहिक सम्प्रेषण से मानव संस्कृति की सृष्टि होती है और इसमें निरन्तरता बनी रहती है।

आदि कालीन मानव समाज में जब शिक्षा का प्रसार नहीं था तब जीवनयापन के लिए शिकार, जातीय सुरक्षा के लिए युद्ध प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए देवयोनियों के साथ सम्पर्क तथा सामूहिक जीवन में त्वरित एवं गोपनीय सूचनाओं का सम्प्रेषण करने के लिए, कंठ ध्वनि, वाद्य यन्त्र, नृत्य एवं प्रतीक आदि का आश्रय लिया जाता रहा। संरचना की दृष्टि से आदिम समाज की पारम्परिक मीडिया साधारण है परन्तु प्रभाव शक्ति की दृष्टि से विलक्षण है। आज जिन आदिम जातियों का आधुनिकीकरण हो चुका है उसमें भी अपने सामाजिक विकास एवं राजनीतिक आन्दोलनों को प्रखर बनाने के लिए सार्थक संवाद सम्प्रेषण परम्परागत गीत संगीत के द्वारा ही किया जाता है। निरक्षर आदिम संस्कृति की मीडिया तथा साक्षर एवं सभ्य संस्कृति की मीडिया मूलतः अभिन्न हैं।

इस प्रकार आदिम समाज में उत्पन्न हुई मीडिया जिसे हम पारम्परिक माध्यम के नाम से जानते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हुई आज भी जीवन्त है और जब तक मानव समाज का अस्तित्व रहेगा ये माध्यम अपनी उपयोगिता बनाए रखने में सक्षम रहेगे।

14.2.2 महत्व एवं प्रासंगिकता

आधुनिक साक्षर समाज भी संगीत, नृत्य, नाटक और प्रतीकों द्वारा वैचारिक सम्प्रेषण करता है। परम्परागत माध्यम पूर्ण रूप से मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था पर आश्रित है। इसके विपरीत आधुनिक माध्यम स्वतः

चालित जटिल यन्त्रों पर निर्भर है। किसी भी मीडिया की कुशलता और सक्षमता इस बात में निहित होती हैं कि वह किस प्रकार की सूचना, कितनी गति, कितनी दूरी और कितनी गहराई से सम्प्रेषित कर पाती है।

आधुनिक माध्यमों की सीमित सम्प्रेषण क्षमता कई सन्दर्भों में देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप नृत्य, नाटक, संगीत जैसी पारम्परिक मीडिया का प्रभाव दीर्घकालीन और अन्तःरूपी होता है जबकि टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा और समाचार पत्र जैसी आधुनिक मीडिया का प्रभाव तात्कालिक और बाह्‌य रूपी होता है। इन दोनों मीडिया की वास्तविक भिन्नता को समझने के लिए नाटक और सिनेमा की तुलना की जा सकती है। नाटक में अभिनेता और दर्शक एक दूसरे से प्रत्यक्ष एवं जीवन्त रूप से जुड़ जाते हैं। अभिनेता दर्शक की प्रतिक्रिया और संवेदनशीलता के अनुसार अपने को सुव्यवस्थित करता है। दर्शक भी अभिनेता के जीवन्त स्वरूप से प्रभावित होकर सत्यता का अनुभव करने लगता है। दर्शक, अभिनेता और कथावस्तु के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति दर्शक और चित्रपट पर प्रदर्शित अभिनेता के बीच नहीं बन पाती है। जीवन्त दर्शक और निर्जीव चित्र के बीच संवेदनात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता द्य दृश्य के बीच दर्शक सीधे कथावस्तु से जुड़ता जाता है और अपने आप में उद्वेलित होता रहता है। दर्शक की संवेदनशीलता अपेक्षित प्रतिक्रिया के अभाव में शीघ्र ही बेकार (निष्प्राण) हो जाती है। वैज्ञानिक उपकरणों की विशेषता के कारण सिनेमा अधिक लोकप्रिय बन चुका है। सिनेमा की लोकप्रियता से यथार्थ में इसका आकलन नहीं किया जा सकता कि यह नाटक से अधिक कुशल एवं प्रभावकारी हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि परम्परागत और आधुनिक मीडिया मानवीय सन्दर्भ में अतुलनीय एवं एक– दूसरे के विपरीत हैं। परम्परागत माध्यमों में सम्प्रेषक, सम्प्रेष्य और सम्प्रेषित रामरस होकर, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। आधुनिक माध्यम निर्जीव उपकरण, अविकसित नये मूल्य से और जीवन्त दर्शक के बीच समरसता स्थापित नहीं कर पाते। मन के सूक्ष्म तरंगों को, रसबोध की शक्ति को, आन्दोलित करने वाला मानव स्पर्श का स्थान कभी भी मशीन नहीं ले सकती। आधुनिक मीडिया का सम्प्रेषण सही और तात्कालिक होता है। स्थान विस्तार की दृष्टि से भले ही यह अति व्यापक हो, किन्तु काल क्रम की दृष्टि से परम्परागत माध्यम अधिक दीर्घकालीन हैं। सम्प्रेषण के तात्विक

भेद की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि आधुनिक माध्यम सूचना प्रधान है जबकि परम्परागत माध्यम ज्ञान प्रधान ।

14.3 सांस्कृतिक संचार के उपकरण संगीत, नृत्य एवं नाट्य

सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप में संगीत, नृत्य एवं नाट्य का महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये तीनों संस्कृति की प्रधानता स्पष्ट करते हैं।

संगीत

संगीत से केवल आनन्द की अनुभूति ही नहीं होती बल्कि इसकी स्वर लहरियां मानसिक स्थिति की भी सूचक होती हैं। संगीत मनुष्य के मनोभावों को भी प्रभावित करता हैं। यह मानवीय आत्मा में भक्तिमय अनुभूतियां भर देता है। संगीत के स्वरों के आरोही अवरोही क्रम एक प्रकार की गति का आभास कराते हैं। मनुष्य की संवेदनाओं में भी इसी प्रकार की गति होती है। दोनों में सादृश्य एवं समानता होने के कारण ही ध्वनिमय रागिनियाँ मानव मन को प्रभावित करने में सफल होती हैं। लय और राग का संयमित सामन्जस्य ही प्रभावकारी होता है। यही कारण है कि संगीत प्रिय होता है और सन्देश सम्प्रेषण में प्रभावी भूमिका भी निभाता है।

नृत्य

संगीत की ही भांति नृत्य भी सांस्कृतिक संचार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नर्तकों एवं नर्तकियों की वेष भूषा उनका नृत्य प्रदर्शन सभी उनकी सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप होते हैं। अपनी विशिष्ट संस्कृति को नृत्य के माध्यम से सम्प्रेषित कर वे मनोरंजन के साथ–साथ संस्कृति के संचरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

नाटक

नाटकों का उद्भव ही मनोरंजन के निमित्त हुआ है। नाटक के पात्रों की वेश–भूषा, संवाद की भाषा, स्टेज का निर्माण, मंच सज्जा आदि सभी उस वर्ग विशेष की संस्कृति को दर्शाता है जिनके द्वारा नाटकों का मंचन होता है। पात्र अपने अभिनय एवं वाक्पटुता से उस संस्कृति को

जीवन्त कर देता है जिसके लिए नाटकों का मंचन किया जाता है। नाटकों के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन तो होता है साथ– साथ उनमें वांछित सन्देश का सम्प्रेषण भी किया जाता है।

14.4 संगीत एवं संस्कृति

संगीत जीवन के ताने बाने का वह धागा है जिसके बिना जीवन सत् ओर चित् का अंश होकर भी आनन्दरहित रहता है तथा नीरस प्रतीत होता है। यह न तो सामान्य शिक्षण अथवा व्यसन पूर्ति की वस्तु हैं और न ही कठिन परिश्रम के परिहारार्थ साधारण सा मनोरंजन मात्र। संगीत ईश्वरीय वाणी है। अतः वह ब्रह्मरूप ही है। शास्त्रों से ज्ञात होता है कि ब्रह्म एक, अखण्ड अद्वैत होते हुए भी परब्रह्म और शब्द ब्रह्म इन दो रूपों में कल्पित होता है। शब्द ब्रह्म को भली भाँति जान लेने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से संगीतसृष्टि ध्वनि आन्दोलनों का परिणाम है। दो वस्तुओं की टक्कर अथवा रगड़ पास की वस्तु को आन्दोलित करती है तथा जल तरंग की भांति वह वायु वातावरण में कम्पन उत्पन्न करती हुई हमारे कर्ण रन्ध्रों में प्रवेश कर प्रकृति प्रदत्त कर्णयन्त्र को स्पन्दित करती है जिससे हमारी चेतना को ध्वनि का अनुभव होता है। जब तक हमारे कर्ण यन्त्र वातावरण में उत्पन्न आन्दोलनों को ग्रहण नहीं करते तब तक हमारे लिए ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं होता। यद्यपि विश्व नाद से भरपूर है किन्तु हम अपने कर्ण यन्त्रों की सीमित शक्ति के कारण उन सबका श्रवण नहीं कर पाते।

इसी प्रकार हमें इंजन की छक छक रेल पटरियों की खट–खट, घोड़े के टाप आदि सभी में कुछ ऐसी प्रबल तथा अबल ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी जो अपना समूह बताती तथा एक– दूसरे से विभक्त होती रहती है और हमारे कानों को तुष्टि प्रदान करती है। पहले प्रबल गति खण्ड अबल गति खण्ड के छोटे छोटे विभाग निर्मित होते हैं। फिर क्रमशः विभाग विस्तृत होने लगते हैं। प्रबल अबल गति खण्डों का यह चक्र हमारे जीवन के चारों ओर सहस्त्रों रूपों में विद्यमान हैं। संगीत के स्वरों में प्रबलत्व तथा अबलत्व के कारण छोटे बड़े स्वर समूह निर्मित होते रहते हैं जो हमारे भावों के उद्घाटन में सहायक बनते हैं। इन लय खण्डों के समूहों का विस्तार ही भारतीय संगीत में आगे चलकर ताल के

रूप में प्रस्फुटित हुआ। सृष्टि का समस्त अन्तर–बाह्य व्यापार के शाश्वत नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए जब हम संगीत अथवा अन्य किसी भी विधा में गति के शाश्वत विधान की प्रतिष्ठा कर पाते हैं तो हम स्वभावतः सन्तोष, शान्ति तथा पूर्णता की भावना से ओत प्रोत हो उठते हैं। संगीत का दूसरा तत्व है स्वर, स्वर समूह अथवा धुन विशेष, जिसमें प्रकृति का व्यापक स्वरूप परिलक्षित होता है। वृक्षों में पत्तों के सूख जाने पर हरे पत्ते लहलहा उठते हैं, पर्वतों पर हिमपात होता है और फिर वह ग्रीष्म में जल बनकर बह जाता है। समुद्र की भाप मेघ का रूप धारण कर धरती को सींचती है, और फिर नदी के रूप में बहते हुए समुद्र में पुनः मिलती हैं। उक्त सभी वस्तुओं में हम जिस प्रकार एक का उतार और दूसरे का चढ़ाव देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी प्रकार स्वरों में भी आरोहण अवरोहण के रूप में यह क्रम सदा विद्यमान रहता है, जो विशेष आनन्द और नवीनता का हेतु है। कुशल कलाकार अपने संगीत में स्वर प्रतीकों से इन सभी अनुभूतियों को व्यक्त करता हुआ प्रकृतिजन्य आनन्द को अपने स्वरों में समेटकर विश्व को विभोर कर देता है।

14.4.1 संगीत का स्वरूप

श्री अर्नेस्ट हंट (H-Earnest Hant) ने अपनी पुस्तक श्स्पिरिट ऑफ म्यूजिक में लिखा है, ष्संगीत केवल सामान्य ध्वनि नहीं है, अपितु यह सूक्ष्म अन्तर्वृत्तियों के उद्‌घाटन का सबल साधन है।ष भारतीय विद्वानों ने भी संगीत को हृदयगत भावों के उदघाटन का सबल साधन माना है। प्राणी मात्र की रोदन चीत्कार और हास्य इत्यादि क्रियाओं से जनित ध्वनियों का निर्वाध, निरपवाद एवं अव्यभिचारित रूप से सदा एक जैसी रही है। विभिन्न भावों को प्रकाशित करने वाली ये ध्वनियां सम्भवतः संगीत की उत्पत्ति में मूल हेतु हैं। भारतीय मनीषियों ने संगीत को हृदयगत भावों के उद्‌घाटन का सफल साधन मानते हुए इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय भी माना है। आचार्य शारंगदेव ने संगीत की महत्ता का वर्णन करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए संगीत को उपयुक्त बताया है। भारत में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि परम्पराओं में अनेक विषयों पर मतभेद रहते हुए भी संगीत का महत्व निरपवाद माना गया है। यह भारतीय

संगीत की अध्यात्म निष्ठा का परिणाम है। वस्तुतः न केवल संगीत अपितु भारत की प्रत्येक कला का चरम लक्ष्य इस आध्यात्मिक निष्ठा की प्राप्ति ही रहा है। संगीत का सम्बन्ध वेदों से है अतएव यह अनादि है इसका न आदि है और न अन्त। संगीत के सम्बन्ध में यह कोई नहीं कह सकता कि इसका प्रारम्भ कब से हुआ तथा अन्त कब होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई यह नहीं बता सकता कि जन्म मरण की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ हुई तथा कब तक चलती रहेगी। फिर भी भारतीय परम्परानुसार जिस प्रकार वेद प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी माने जाते हैं, उसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में दो आदि देव माने जाते हैं देवाधिदेव शंकर तथा सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी कुछ विद्वानों का मत है कि संगीत का जन्म ओम् शब्द के गर्भ से हुआ, ओम शब्द एकाक्षर होकर भी अ उम् इन तीन ध्वनियों से निर्मित हुआ है। तीनों अक्षरों के संयोग से इसकी ध्वनि एक ही अक्षर के समान होती हैं। ओम् शब्द संगीत के जन्म का उपकरण है। समस्त कलाएं ओम् के विशाल गर्भ से आविर्भूत हुई हैं। जो ओम् की साधना कर पाते हैं, वे ही वास्तव में संगीत का यथार्थ रूप समझ पाते हैं। इसमें लय, ताल, स्वर सभी कुछ हैं।

"गीतं वाद्यं तग नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते।

गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों कलाओं का सामुहिक नाम संगीत हैं। अर्थात संगीत के अन्तर्गत ये तीनों कलाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार संगीत के मूल तत्व ही रूप, भेद तथा मात्रा, भेद से गीत, वाद्य तथा नृत्य के मूल तत्व कहे जा सकते हैं। इन तीनों के मूल आधार स्वर तथा लय हैं जो नाद एवं गति के परिष्कृत रूप हैं। नाद एवं गति अति सूक्ष्म होने से सार्वकालिक हैं। अर्थात् न इसका आदि है न अन्त। संगीत की यह सम्मोहिनी शक्ति उसके मूल से ही आयी है।

14.4.2 संगीत के प्रकार

सार्वभौम रूप से संगीत के दो प्रकार दिखाई देते हैं। वे निम्न लिखित हैं–

शास्त्रीय संगीत

शास्त्रीय संगीत संगीत की वह विधा है जिसमें गायन, वादन और

नृत्य के कुछ निश्चिंत नियम और मानक हैं। किस समय किस राग का गायन वादन होगा यह भी निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित नियमों एवं मानकों में किसी प्रकार का परिर्वतन सम्भव नहीं होता। रागों की क्लिष्टता, भावाभिव्यक्ति की जटिलता शास्त्रीय संगीत का मूल तत्व हैं इसे समझने के लिए श्रोता दर्शक में उच्च स्तर का कला संस्कार अपेक्षित होता है। शिष्ट, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत समाज में ही इसका प्रचलन होता है क्योंकि यह आम जन की समझ से परे होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज के विशिष्ट वर्ग में जिस संगीत का प्रचलन है वही शास्त्रीय संगीत है।

लोक संगीत

आदि मानव के मस्तिष्क में जब से चेतना जागृत हुई, उसने अपनी हर खुशी, हर गम को, अपनी हर प्रकार की प्रतिक्रियाओं को ध्वनि का सहारा लेकर मुक्त कंठ से व्यक्त किया। इन ध्वनियों की पुनरावृत्ति होने लगी। अभिव्यक्ति और घटना के सम्बन्ध के आधार पर अर्थबोध होने लगा और इन्हें संज्ञा दी जाने लगी।

अबाधित गति से चली आ रही यह मानवी प्रक्रिया विभिन्न दलों, समूहों, बस्तियों, जातियों आदि के द्वारा चीखने चिल्लाने से ऊपर उठकर गति में आकर्षक स्वर समूहों में व्यक्त होने लगी तो जनमानस की धुनें उभरने लगी। कालान्तर में इसे जब शब्दों का आवरण दिया गया तो ये श्लोकगीत' नाम से कहलाने लगे।

लोक शब्द का अर्थ जन, संसार और समाज होता है। जो लोग आडम्बर और परिष्कार से दूर रहकर अपनी पुरानी स्थिति में ही रहते हैं उन्हीं को लोक की संज्ञा दी गयी है। लोक संस्कृति में लोक साहित्य, लोक जीवन के रीति रिवाज और लोक जीवन में प्रचलित विश्वास सम्मिलित होता है। लोक संगीत लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित और लोक के लिए ही लिखे गये एवं गाये गये गीत हैं। लोक संगीत लोक जीवन की अनायास प्रवाहात्मकता की अभिव्यक्ति है जो सुसभ्य प्रवाह से दूर रहकर आदिम अवस्था के करीब रहते हैं। शास्त्रीय विधि विधानों से हटकर मानव जब आनन्दातिरेक से छन्दोबद्ध वाणी सहज ही अभिव्यक्त करता है तो वही लोक संगीत होता है।

लोक संगीत के सन्दर्भ में भारतीय समकालीन संगीतकारों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। पं० रविशंकर के अनुसार लोकधुनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग वह है जिसका मूल सूत्र भक्ति रस है। इसमें हरिकथा से लेकर रामायण तक गायन होता है। दूसरे भाग में गांव के गीत आते हैं जो अलग– अलग अवसरों पर गाये जाते हैं। इसमें हिमाचल और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत भी सम्मिलित हैं। तीसरे भाग में गोंड़, भील, संथाल, नागा तथा भरिया आदि आदिवासियों के लोक गीत आते हैं। रविशंकर का यह भी कहना है कि विश्व में लोकधुनों का अदभुत मेल हैं। ये एक दूसरे से. मिलती जुलती हैं। मेक्सिकन धुन सुनने पर तमिलनाडु के लोक गीतों की याद आती है। जार्जियन धुनें महाराष्ट्र की लोकधुनों से मिलती–जुलती हैं।

इसी क्रम में प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व का मानना है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से हुई है। कुमार गंधर्व ने लोक धुनों की विशेषताओं को इस प्रकार से उल्लिखित किया है–

1. साधारणतया ऐसी लोकधुनों जो चार या पांच स्वरों तक सीमित लयबद्ध लोक धुनें हैं।
2. समय के अनुकूल स्वरों का प्रयोग करने वाली लोक धुनें
3. रागों के कलात्मक मिश्रण वाली लोकधुनें
4. अलग– अलग प्रसंगों के अनुरूप स्वर रचना वाली लोक धुनें
5. होता है। धुन एक ही हो परन्तु जिस पर भिन्न–भिन्न गीत गाये जाते हैं जिससे रूप में परिवर्तन
6. नादमय लोकधुनें आदि ।

इन समकालीन विद्वानों के मतों की पुष्टि हमें हजारों वर्ष पूर्व भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र में लोक शब्द की व्याख्या से मिलती है। लोक शब्द की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए भरतमुनि ने लिखा है कि ‘अपने ग्रन्थ में मैने जो कुछ नहीं कहा है, वह बुद्धिमानों को लोक से ग्रहण कर लेना चाहिए।

14.4.3 संगीत और सांस्कृतिक पहचान

शास्त्रीय संगीत का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे ही यह वर्ग विशेष तक सीमित होता गया। इस वर्ग विशेष में केवल शास्त्रीय संगीत के साधक, उनकी शिष्य परम्परा, प्रशंसक और आश्रयदाताओं का ही समावेश हुआ। जन सामान्य से वह दूर होता गया। परन्तु लोक संगीत में यह सीमितता नहीं आ सकी। अवकाश क्षणों में, उत्सवों, पर्वों में, जन्ममरण के समय, शादी ब्याह के अवसरों पर लोग गीत गाते ही रहे, सुनने वाले झूमते ही रहे परन्तु शिष्ट व सभ्य समाज इससे कटता रहा। राज परिवार की महिलाएं अपने मनोरंजन के लिए गायक, वादक, नर्तक नर्तकियों का दल रखने लगीं। कालान्तर में इसे जीविका के रूप में अपनाने वालों का दल बन गया। इस प्रकार लोक संगीत सभ्य कहे जाने वाले सामाजिक वर्ग से परे हट गया।

लोकगीत अधिकांशतः सामूहिक होते हैं। जीवन की सरलता के समान ही सहज स्वर समुदायों, सरल धुनों और गीत के बाकी के चरणों को पहले चरण और अन्तरा की तरह दुहराते जाना परम्परा हो गयी। इससे दल के लोगों के लिए उस गीत का गाना बजाना आसान हो गया।

ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में भावों के उन्मुक्त प्रकाशन का अवसर यदि हर जगह एक सा पाया जाने लगा तो अवसर विशेष, संकट विमोचन, आभार प्रदर्शन आदि के गीत देवी देवताओं के लिए गाये बजाये जाने लगे। भक्ति, उपासना, कर्मकाण्ड के साथ साथ अन्धविश्वासों की आधार शिला पर त्रस्त मानव की शान्ति के लिए किये जाने वाले स्वर प्रयोग, धुन और गीत लोकगीतों के अंग बन गये। इसके लिए प्रान्त और भाषा की दीवार का कोई अर्थ नहीं रहा। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इसकी गूंज अपने ढंग से सुनाई देती है। देश के विभिन्न भागों में प्रकृति की शोभा अलग अलग ढंग से लोगों को आकर्षित करती हैं घाटी, ब्रह्मपुत्र तट की हो या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके की हो, उसका सम्मोहन दोनों को अपने –अपने ढंग से रिझाता है। बरसात की ओट में नई फसल का संकेत प्रेम गीतों में मिलता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सावन की फुहारों में गमकती कजली का स्वर भी गूंजता है। डोगरी गीत (कश्मीर) बाथरी (बनजारा गीत) का भी अपना अलग महत्व है।

अवधी, ब्रज, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊँनी, बुन्देलखण्डी, आसामी, डोगरी, पंजाबी आदि भाषाओं में रचे गीतों में ग्राम्य जीवन की झांकी मिलती है। नगरों में प्रायः खड़ी बोली के पारम्परिक गीत मिलते हैं। लोक में प्रचलित गीत, लोक सर्जित गीत, लोक विषयक गीतों में लोक मानस की लयात्मक अभिव्यक्ति, लोक कामना की स्वतः स्फूर्तिजन्य अभिव्यक्ति एवं लोक जीवन की छाया प्राप्त होती है। लोक गीतों में सामूहिक प्रवृत्ति अधिक व्यापक होती है। अकृत्रिमता, सामूहिक भाव भूमि, परम्परात्मकता तथा संगीतात्मकता ही लोक गीतों की विशेषता है। समाज में लोकतंत्र की भावना को पुष्ट करने में लोक गीतों की रचनात्मक भूमिका है। लोकगीतों की रचना व्यक्ति नहीं समूह करता है और यदि कोई एक व्यक्ति करता है तो वह समूह से तादात्म्य स्थापित कर लेता है।

14.5 नृत्य एवं सांस्कृतिक दृष्टि

14.5.1 नृत्य की अवधारणा

नृत्य कला संगीत की एक विधा है। मनुष्य प्राचीन काल से ही नृत्य कला के माध्यम से अपने जीवन के सुख– दुःख व्यक्त करता रहा है। नृत्य चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य, उसमें संगीत का समन्वय लयबद्धता बरकरार रखने के लिए अवश्य किया जाता है। यह संगीत गायन या वादन किसी भी रूप में हो सकता है।

नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य दो प्रकार के होते हैं। ताण्डव और लास्य। ताण्डव देवताओं के लिए पवित्र है और उनके मनोरंजन का कार्य करता है। इसे भगवान शंकर ने किया था और मानव को सौंप दिया। ताण्डव नृत्य में क्रिया एवं संवेदनाओं का निरूपण अत्यन्त शक्ति एवं पौरुष के साथ किया जाता है। लास्य नृत्य अत्यन्त आकर्षक एवं कोमल होता है और भावों की अभिव्यक्ति अत्यन्त कोमलता से की जाती हैं। यह नृत्य मानव के मनोरंजन के लिए हैं।

14.5.2 नृत्य के प्रकार

भारत में शास्त्रीय नृत्य की चार शैलियां प्रचलित थीं। कत्थक, कथकली, भरतनाट्यम और मणिपुरी। सन् 1958 में संगीत नाटक अकादमी ने आन्ध्र प्रदेश के कुचीपुड़ी और उड़ीसा के ओडिसी नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार भारत में शास्त्रीय नृत्य की छः शैलियां प्रचलित हैं जो इस प्रकार से हैं –

1. **भरतनाट्यम्** – नृत्य की इस शैली का विकास तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मन्दिरों में हुआ। इस नृत्य की सम्पूर्ण शब्दावली और तकनीक नाट्यशास्त्र पर आधारित है। आरम्भ में यह नृत्य मन्दिरों की महिला नर्तकियों (देवदासियों) द्वारा मन्दिर की सेवा, विवाह और धार्मिक आयोजनों के अतिरिक्त राजाओं के मनोरंजन के लिए किया जाता था। इस नृत्य का प्रथम सार्वजनिक आयोजन 1930 में किया गया। इस नृत्य का प्रदर्शन बिना रुके लगभग 2 घन्टे तक चलता है। मंच के पिछले हिस्से में नर्तक– नर्तकी को संगीत प्रदान करने के लिए वाद्य यन्त्रों को बजाया जाता है। वाद्य यन्त्रों का संचालन एवं गायन का कार्य साधारणतया नर्तक के गुरु द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है, पैर घुटनों से विशेष प्रकार से झुके होते हैं। और हाथ कंधे और गर्दन विशेष प्रकार से गतिमान रहते हैं। इस नृत्य शैली का आरम्भिक नाम श्दासी अट्टम' था। देवदासियों की नृत्य शैली होने के कारण यह उपेक्षित होती हुई लुप्त हो गई थी। 20वीं शताब्दी में रवीन्द्रनाथ टैगोर, उदयशंकर और मेनका जैसे कलाकारों, मनीषियों के संरक्षण में इस नृत्य कला का पुनरुद्धार हुआ और इसे भरत नाट्यम नाम से प्रतिष्ठित किया गया। 20वीं सदी में तमिलनाडु की रुक्मिणी देवी प्रथम प्रख्यात नृत्यांगना हुई। यह नृत्य कला आज भारतीय शास्त्रीय र त्य की पहचान बन चुका है।

2. **कथकली** – कथकली का उद्भव और विकास भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में हुआ। इसकी तकनीक भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है किन्तु विषय वस्तु रामायण, महाभारत और शैव साहित्य से ली जाती है। कथकली भी मन्दिर से जुड़ा हुआ नृत्य है जिसका प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और

महिलाओं की भूमिका लड़के निभाते हैं। कथकली नृत्य का प्रदर्शन खुले आकाश के नीचे होता है जो रात भर चलता है। इस नृत्य में गति अत्यन्त उत्साहपूर्ण और भड़कीली होती है। इसमें शरीर एवं चेहरे की भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। नर्तक अति आकर्षक शृंगार का प्रयोग करते हैं। जिसके लिए कई घन्टे लग जाते हैं। कथकली का अर्थ कहानी नाट्य होता है और इसकी विषय वस्तु भी धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। –

3. **कत्थक**– कत्थक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मूलतः यह भरत के नाट्यशास्त्र पर आधारित हैं किन्तु दक्षिण भारत के नृत्यों की भांति यह मंदिरों पर आश्रित नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से कत्थक का उद्भव वैदिक युग से माना जाता है जब कथावाचक घूम घूम कर कविता, नृत्य एवं संगीत के माध्यम से रामायण, महाभारत की कथा सुनाया करते थे। कालान्तर में राज्याश्रय पाकर मुगलकाल में यह कला खूब विकसित हुई। धीरेधीरे इसमें धार्मिक आख्यानों के साथ साथ लौकिक विषयों को भी शामिल किया जाने लगा। आगे चलकर कत्थक जयपुर और लखनऊ घरानों में विभक्त हो गया। जयपुर घराने में राजस्थानी सिद्धान्तों का समावेश किया जाने लगा। लखनऊ घराने के जनक के रूप में नवाब वाजिद अली शाह का नाम लिया जाता है। इनके संरक्षण में यह कला खूब विकसित हुई और इसने उत्कृष्टता प्राप्त की। आज यह उत्तर भारत की विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हैं।

4. **मणिपुरी** – मणिपुरी नृत्य का उद्भव और विकास उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुआ। यह नृत्य शैली भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है किन्तु यह भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों से पूर्णतया भिन्न है। मणिपुर में यह नृत्य सामुदायिक है और धार्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न त्यौहारों के समय खुले आकाश के नीचे इसका प्रदर्शन किया जाता है। मणिपुरी के विषय मुख्यतया कृष्ण की रासलीला पर आधारित होते हैं।

मणिपुरी नृत्य अति आकर्षक एवं तकनीकी दृष्टिकोणों से अन्य शास्त्रीय नृत्यों की अपेक्षा सरल नृत्य है। इसमें हाथों का उपयोग मूक अभिनय करने के स्थान पर केवल श्रृंगारिकता के लिए किया जाता है। पैरों की गति अत्यन्त कोमल होती है और अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भांति पैरों को जमीन पर पटका नहीं जाता। मणिपुरी नृत्य की सबसे विशेष बात शरीर की अत्यन्त आकर्षक एवं मृदु गति होती है। जो इसे एक विशिष्ट सौन्दर्य प्रदान करती हैं।

5. **कुचीपुड़ी–** यह भारत की प्रधान शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक हैं। दक्षिण भारत का प्रारम्भिक नृत्य नाट्य 'शिव–लीला नाट्यम' था जिसे भगवान शिव से सम्बन्धित मिथकों पर आधारित नाटकों को कहते थे। दक्षिण भारत में वैष्णववाद के उदय के पश्चात् भक्ति आन्दोलन के कवि ग्रामीण क्षेत्रों में कृष्ण लीला का वर्णन एक नए तरीके से करने लगे। जिसमें गीत, संगीत और नाटक का अदभुत समन्वय होता था। इस नृत्य नाटय रुप का नामकरण कुचीपुड़ी किया गया। कुचीपुड़ी में नृता, नृत्य और वाचिक अभिनय का अदभुत समन्वय होता है। वाचिक अभिनय के कारण यह केवल नृत्य न होकर नृत्य नाटिका में परिवर्तित हो जाता है।

कुचीपुडी कलाकारों के लिए तेलगू एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान तथा गायन का ज्ञान अनिवार्य होता है द्य इस नृत्य के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रदर्शन खुले आकाश के नीचे केवल रात्रि के समय ही होता है। आधुनिक युग के कुचीपुड़ी कलाकारों में लक्ष्मी नारायण शास्त्री, चिन्ताकृष्ण मूर्ति, राजा एवं राधा रेड्डी प्रमुख हैं।

6. **ओडिसी** – यह भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। हाल के वर्षों में इसका पुनरुत्थान हुआ है। ओडिसी उड़ीसा (कलिंग) की प्रधान नृत्य शैली है। इसका उद्‌भव और विकास ई. पू. दूसरी शताब्दी से माना जाता है। यह अत्यन्त शैलीबद्ध नृत्य हैं। यह मुख्यतः नाट्यशास्त्र और अभिनव दर्पण पर आधारित है किन्तु इसमें कुछ उड़िया ग्रन्थों के तत्वों का समावेश भी है। इस नृत्य की अपनी तकनीकी शब्दावली हैं। उदाहरणस्वरुप इसमें

चार पाद भेद (पैरों की मौलिक स्थिति), पांच मौलिक भूमि (नृत्य के समय नर्तक जिस तरह गति करता है), आठ, मौलिक बेलि (नृत्य की मौलिक गति के साथ संयुक्त मुख्य शारीरिक स्थिति), आदि होते हैं। ओडिसी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व भंगी श्और श्कर्ण' होते हैं। ओडिसी में विभिन्न शारीरिक भंगिमाओं में शरीर की साम्यावस्था का विशेष महत्व होता है। ओडिसी में संगीत शुद्ध होता है। इस संगीत में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैलियों का आकर्षण होता है। इसके वाद्य यन्त्रों में मरडोला (ड्रम), गिनी (छोटे मंजीरें) और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। आचार्य केलुचरण महापात्र ने इस नृत्य शैली के पुनरुत्थान में विशेष योगदान किया। उन्होंने ही इसको ओडिसी नाम दिया। संयुक्ता पणिग्रही, सोनल मानसिंह, मिलानी दास, प्रियम्बदा मोहन्ती, मधुमिता राउत आदि ओडिसी की प्रमुख कलाकार हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्य की भी अनेक शैलियां प्रचलित हैं। जिनमें केरल का श्मोहिनी अट्टम, पंजाब का श्भांगड़ा' गुजरात का श्गरबा, मिजोरम का श्बम्बू डांस अत्यधिक प्रचलित और लोकप्रिय हैं।

14.5.3 नृत्य का संस्कृति से सम्बन्ध

नृत्य का संस्कृति से बड़ा गहरा सम्बन्ध होता है। नृत्य के अनेक प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार का नृत्य अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण ही जाना जाता है। नर्तक नर्तकियों की वेशभूषा, ताल वाद्यों के प्रकार सभी नृत्य शैली के अनुरूप होते हैं और नृत्य शैली उस क्षेत्र की संस्कृति के अनुरूप होती हैं जिस क्षेत्र की ये उपज होती हैं। उदाहरण के लिए कत्थक नृत्य उत्तर भारत की संस्कृति का प्रतिबिम्ब है तो कुचीपुड़ी, मोहिनीअट्टम कथकली और भरत नाट्यम दक्षिण भारतीय संस्कृति की पहचान है। ओडिसी नृत्य में हमें वंश प्रदेश (उड़ीसा) की संस्कृति देखने को मिलती है। 1

लोक नृत्यों में भी क्षेत्रीय लोक संस्कृति के ही दर्शन होते हैं द्य पात्रों की

वेश भूषा, गायन वादन सभी क्षेत्र विशेष की संस्कृति ही दर्शाते हैं। भांगड़ा नृत्य चाहे कहीं भी हो हमें तुरन्त पंजाब की संस्कृति का आभास होता है। इसी प्रकार तमाशा में महाराष्ट्र की, गरबा में गुजरात की, जात्रा में बंगाल की छाऊ में आसाम की संस्कृति स्पष्ट झलकती है चाहे इनका रू प्रदर्शन कहीं भी हो। ये सभी तथ्य इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि नृत्य का संस्कृति से गहरा सम्बन्ध होता है।

14.6 नाट्य कलाएं एवं संस्कृति

नाटकों के बारे में कहा गया हैं कि–

श्रमार्तानां, दुःखार्तानां, शोकार्तानां, तपस्विनाम।

विश्रामजननं काले नाट्यमेतद्भविष्यति ।।

अर्थात् श्रम, दुःख तथा तप के परिश्रम से थके हुए तपस्वी जनों के विश्राम एवं मनोरंजन के निमित जो कार्य किये गये उन्हें नाटक कहा गया है। अर्थात नाटक के मूल में मनोरंजन का तत्व निहित हैं। नाटक मनोरंजन का एक सर्वसुलभ साधन है। इसके माध्यम से शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही वर्ग का स्वस्थ मनोरंजन किया जा सकता है। सूचनाओं एवं विचारों के सार्थक सम्प्रेषण में नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है।

14.6.1 नाटक

भारत वर्ष में नाट्य कला का उदय वैदिक काल के पूर्व से ही माना जा सकता है। देवी देवताओं का विभिन्न रूपों में अवतरित होकर तदनुरूप आचरण करना नाट्यकला का ही परिचायक है।भारत में व्यवस्थित नाट्य कला का आरम्भ भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र से माना जाता है। इसके पश्चात अनेकों मनीषियों ने अपनी विभिन्न रचनाओं से नाट्य कला को समृद्धता प्रदान की। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र नाटकों का एक मात्र प्राचीन एवं पूर्णतया व्यावहारिक लक्षण ग्रन्थ हैं। इस ग्रन्थ में नाट्य प्रस्तुति के विविध पक्षों और व्यवहारों का सर्वांगीण विश्लेषण किया गया है। नाट्य शास्त्र में नाट्यकला के सिद्धान्त पक्ष के साथ नाट्य प्रयोग और अभिनय के विविध प्रकार लोकधर्मी और नाट्यधर्मी वृत्तियां

और प्रवृत्तियां, नाटक में संगीत और नृत्य का प्रयोग तथा रंग प्रदर्शन के कुछ व्यवहार का स्पष्ट और व्यवहारिक विवेचन है। नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचनीय ग्यारह विषयों का उल्लेख किया है –

रसाः भावाह्यभिनयाः धर्मी, वृत्तप्रवृत्तयः।

सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रंगश्च संग्रहः ।। ना. शा. 6.10

अर्थात् रस तथा भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्तियां और प्रवृत्तियां नाट्य सफलता के लिए अनिवार्य तत्व, वाद्य तथा मौखिक संगीत और नाट्य में उनका एकजुट प्रयोग रंग–संग्रह है।

अति प्राचीन काल से प्रवाहित भारत की नाट्य धारा का क्रम कभी भंग नहीं हुआ। यहाँ का नाट्य इतिहास संस्कृत के शास्त्रीय क्लासिकी युग से भी पहले आरम्भ होता है। जब आद्य नाट्य का प्रचलन था और उसका धीरे–धीरे शास्त्रीयकरण हो रहा था। गुप्तकाल तक संस्कृत नाटकों का काफी विकास हुआ। धीरे–धीरे इन नाटकों का केन्द्रीय संश्लिष्ट रूप बिखरने लगा और आद्य नाट्य रूपों की मूल परम्पराएं उस पर हावी होने लगी। इस तरह अनेक रुपाकृतियों वाले क्षेत्रीय पारम्परिक नाट्य कला का विस्तार होने लगा। इस परिवर्तन का मूल कारण भाषा का बदलाव था जो अब संस्कृत की जगह नव विकसित क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित कर रहा था। भक्तिकाल में काशी में रामलीला के रूप में एक ऐसा विलक्षण नाट्यरूप विकसित किया जो पूरे भारत में अकेला है। औपनिवेशिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ओर उस युग के अन्य लेखकों ने अपनी नाट्य रचनाओं का उपयोग सामाजिक सरोकार की चेतना के तहत जन जागरण के लिए किया।

14.6.2 धार्मिक नाटक

12वीं शदी के आस –पास इस्लामी आक्रमण और शासन के आरम्भिक दौर में हिन्दुत्व का भी अन्त होने लगा था। इस्लामी करण की प्रक्रिया के चलते हिन्दू धर्मावलम्बी प्रताड़ित होने लगे थे। हिन्दुओं के धर्म कर्म में व्यवधान पड़ने लगा, मन्दिर तोड़े जाने लगे। इन सबका दुष्परिणाम यह रहा कि हिन्दू समाज में धर्म में आस्था के प्रति उदासीनता का उदय होने लगा। इस उदासीनता के कारण आगामी

पीढ़ी अपनी धार्मिक मान्यताओं से अनभिज्ञ होने लगी। इन सब कारणों से भारतीय रंगमंच सर्वाधिक प्रभावित हुआ। लगभग एक शताब्दी तक चले

इस्लामीकरण की प्रक्रिया के कारण अनेकों नाट्य कर्मियों ने अन्य व्यवसाय अपना लिये। 14वीं शदी में इस नवीन विजातीय तत्वों के प्रति शक्तिशाली प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। इस प्रतिक्रिया में भारत में जो भक्ति आन्दोलन उत्पन्न हुआ उसका प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा पड़ा। इस भक्ति आन्दोलन का पारस प्रभाव रंगमंच पर भी पड़ा। परम्परा से चले आ रहे भारतीय नाट्यकला को र्भात आन्दोलन ने इस प्रकार नये रुपरंग में संवारा कि नाट्य कला के एक नये युग का आरम्भ हो गया। जात्रा, रामलीला, रासलीला, नृसिंह लीला, अंकिया नाट, कृष्ण लीला, चौतन्य लीला आदि धार्मिक नाट्य रुप भक्ति आन्दोलन की ही देन हैं।

भक्ति आन्दोलन के साथ नाट्य रूपों के इस पुर्नजीवन के दो प्रमुख कारण थे। एक वैष्णव धर्म में ईश्वर, मानव रूप में अवतरित होकर भक्तों के कष्ट निवारण कर उन्हें आनन्दित करते हैं, इस तथ्य को प्रचारित करना। दो, भक्ति पद्धति जिस रागात्मिका वृत्ति पर आधारित है, लीलानुकरण को उसका साधन बनाना। भक्ति आन्दोलन के पुरस्कर्ताओं ने नाट्य रूप को प्रचार प्रसार माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने का सफल प्रयास किया। आरम्भ में संस्कृत भाषा के धार्मिक नाटकों का आश्रय लिया गया। किन्तु सामान्य जन का आश्रय लेकर चलने वाले भक्ति आन्दोलन के लिए संस्कृत नाट्य प्रयोग की अप्रासंगिकता को आचार्यों ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया और भक्ति साहित्य के साथ धार्मिक नाटकों के लिए भी जन भाषा को स्वीकार किया गया। भक्ति आन्दोलन ने नाट्य शिल्प और पद्धति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि नाट्य कर्म परम्परागत नाट्यकर्मी जातियों के हाथ से निकलकर मुख्य रूप से ब्राह्मणों के हाथ में आ गया। इसका कारण यह था कि पारम्परिक रंगजीवी जातियों का सामाजिक स्तर निम्न कोटि का था और राम, कृष्ण आदि की भूमिका ग्रहण कर लेने के बाद अभिनेताओं में उसी प्रकार का देवत्व प्रतिष्ठित माना जाता था जिस प्रकार पूजा की देव प्रतिमाओं में, अतः पूज्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त ये भूमिकाएं दूसरे कैसे

ग्रहण कर सकते थे। दूसरा बड़ा परिवर्तन स्त्री भूमिकाओं के लिए अभिनेत्रियों की लम्बी परम्परा खत्म हो जाना है। आचार्यों को आशंका थी कि स्त्रियों के धार्मिक नाटकों से सम्बद्ध होने पर उसमें विकृति और चारित्रिक पतन अनिवार्य है। परिणामस्वरूप भक्ति रंग आन्दोलन से स्त्रियां पूर्णतः निष्कासित कर दी गई और नारीपात्रों का अभिनय कम उम्र के लड़कों से कराया जाने लगा। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन था नाट्य शास्त्रीय पद्धतियों का सरलीकरण और उनमें लोक नाट्य के तत्वों का समन्वय। विद्वानों ने नाट्य शास्त्र के अनेक तत्व सरलीकृत करके लिए और लोक नाटयों से भी कुछ तत्व लेकर एक सरल किन्तु प्रभावशाली नाट्य पद्धति विकसित की।

धार्मिक नाटक मुख्य रूप से वैष्णव काव्य पर आधारित हैं। यह कई दिनों तक श्रृंखला रूप में चलने वाली नाट्य कला है। इसमें कथा के घटना स्थल के अनुरूप अभिनय स्थल में भी परिवर्तन होता है। अभिनय मुद्राएं, रूप, सज्जा और वर्ग योजना नाट्य शास्त्र की रूढ़ियों पर आश्रित होने पर भी बहुत सरलीकृत रूप में स्वीकृत की गई है। उत्तर भारत में भक्ति मूलक रंगरूपों में रासलीला और रामलीला विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। कृष्ण भक्ति से सम्बद्ध रासलीला का प्रादुर्भाव ब्रज मण्डल से हुआ और कुछ समय पश्चात यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित हो गया। अवतारवाद के पोषक धर्माचार्यों ने काशी में वामन लीला, नृसिंह लीला और रामलीला जैसे धार्मिक नाट्य रूपों को प्रचलित किया। इनमें से रामलीला का विस्तार तो पूरे भारत एवं विदेशों तक में हुआ किन्तु वामन लीला और नृसिंह लीला काशी क्षेत्र में ही सिमट कर रही गई ।

भक्ति आन्दोलन ने जिन नाट्यरूपों की उत्पत्ति की उनमें रामलीला का स्थान सर्वोपरि है। रामलीला भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हैं। रामलीला आरम्भ करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को है। रामलीला स्थापित करने के लिए तुलसीदास ने व्यापक स्तर पर परिश्रम किया। इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित रामलीला संघर्षों की कहानी रही, मूल्यों को विघटित होने से बचाने का प्रयास रहा। उनका यह प्रयास समाज में चेतना जागृत करने का एक अद्वितीय उदाहरण बना। रामलीला के साथ गोस्वामी तुलसीदास का नाम

भी जुड़ गया। रामलीलाओं का न केवल आधार तुलसीकृत रामचरित मानस है बल्कि लीला पद्धति पर भी रामचरित मानस का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इन लीलाओं के माध्यम से अनेक लोगों में बचपन से ही अभिनय कला के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। लीला प्रदर्शन के समय बिकने वाले मुखौटे, तीर धनुष तथा तलवार आदि खिलौने के रूप में बच्चे खरीदते हैं तथा उनसे लीलाभिनय दुहराने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बच्चों में अभिनय कला के बीज सहज रूप से अंकुरित हो जाते हैं। इन लीलाओं की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

14.6.3 लोक नाट्य

1. **लोक नाट्य –** भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अनेक छोटे राज्यों का उदय हुआ। राज्य सत्ता के इस विकेन्द्रीकरण के कारण संस्कृतज्ञों का अभाव होने लगा और संस्कृत भाषा का राजकीय संरक्षण भी समाप्त होने लगा। राज दरबारों में संस्कृत की अपेक्षा जन भाषा का संरक्षण आरम्भ हुआ। कला संस्कार से रहित सामान्य जन शास्त्रीय नाट्य प्रदर्शनों में रूचि नहीं ले पाते थे। जन भाषा भी क्रमशः परिवर्तित होती हुई संस्कृत से बहुत दूर हो गयी थी। शास्त्रीय नाट्य कर्मी तत्कालीन समाज का संरक्षण प्राप्त करने में विफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप नाटकों का प्राचीन शास्त्रीय कलात्मक पक्ष विलुप्त होने लगा। नाट्यकर्मियों को प्राप्त होने वाली शासकीय वृत्ति समाप्त हो गई। इस बदलते परिवेश ने नाट्य जगत में काफी हलचल पैदा की। नाट्य कर्मियों ने अन्य व्यवसायों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इसी दौर में कुछ नाट्य कर्मियों ने परिवर्तन की इस चुनौती को स्वीकार किया और नये परिवेश में समायोजन द्वारा अपनी रक्षा का प्रयास किया। इन नाट्य कर्मियों ने जन भाषा के माध्यम से रंगमंच को ग्रामीण जनता से जोड़ने का प्रयास किया। इन नाट्यकर्मियों ने पहले से चली आ रही लोक नाट्यों की परम्परा में घुल मिलकर उसी प्रकार के नाट्य प्रयोगों से अपने को सम्बद्ध कर लिया। इस

प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी जीविका का भी प्रबन्ध हो गया। इस प्रकार के व्यवसायिक नाट्य कर्मियों की जाति का उल्लेख मध्यकालीन साहित्य में भगत, भेषधर, नट, विट और रंगाचार्य आदि के रूप में मिलता है। इनके अतिरिक्त कथक और गंधर्व नामक रंगजीवी जातियों का भी उल्लेख मिलता है। मध्य कालीन साहित्य में स्वांग, तमाशा, भगत, नौटंकी आदि जिन परम्परागत जन नाट्यों का उल्लेख मिलता है उसमें अभिनय इन्हीं जातियों के नाट्यकर्मी किया करते थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित इन जन– नाट्यों को ही लोक , लोक नाट्य आदि कहा जाता हैं इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।

कला

2. **नौटंकी** – **12वीं** सदी तक उत्तर भारत के नाट्य कर्मियों ने किसी न किसी रूप में, नाटकों में जन भाषा का प्रयोग आरम्भ कर दिया था। इस्लामी संस्कृति के अक्रमण के फलस्वरूप यह प्रयोग परम्परा का रूप नहीं ग्रहण कर सकीं। ये नाट्यकर्मी आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर उन्मुख हुए और वहाँ की संस्कृति में रंगमंचीय क्रियाओं को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार की रंगमचीय क्रियाओं को नौटंकी की संज्ञा दी गयी। नौटंकी के माध्यम से आजीविका का प्रबन्ध करने वाली पेशेवर जातियों का उदय हुआ। भारतीय शास्त्रीय रंगमंच की अभिनेत्रियों ने भी इन लोक नाट्यों को अपनाकर अपनी खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की। नौटंकी में गीत, संगीत, नृत्य और नाट्य सभी का समन्वय होता है। इसके संवाद पद्यात्मक होते हैं। इसकी भाषा ग्रामीण जनता की आम बोल चाल की भाषा होती है। जिसके कारण यह ग्रामीण जनमानस में काफी लोकप्रिय हुई। नौटंकी की उपयोगिता इसके उदय काल से लेकर आज तक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में यह सर्वाधिक लोकप्रिय हैं।

   ग्रामीण एवं **अशिक्षि**त जनता में लोकप्रिय नौटंकी की कथावस्तु अधिकांशतः ऐतिहासिक एवं पौराणिक होती हैं। ग्रामीण जन में मनोरंजन के प्रमुख साधन के रूप में प्रतिष्ठित इस कला का प्रयोग स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय जागरण के निर्माण में

सफलतापूर्वक किया। स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास एवं साक्षरता अभियान के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए इस कला का प्रयोग अब भी जारी है। भाषा की सरलता और जन भाषा होने के कारण यह ग्रामीण जनता में सार्थक सन्देश सम्प्रेषण का प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम है। नौटंकी व्यवसाय में लगे लोगों ने आधुनिक परिवेश के अनुकूल परिवर्तन करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने का सफल प्रयास किया है।

3. **भाँड** – भांड़ शब्द संस्कृत साहित्य के श्भाण का अपभ्रंश है। संस्कृत साहित्य में दृश्य काव्य एकांकी, जिसमें हास्य की प्रधानता होती है, को श्भाग' कहा जाता था। समरूपता के कारण ही भांड़ शब्द की उत्पत्ति हुई। इस्लामी संस्कृति के बर्बर आक्रमण और इस्लामीकरण की तीव्र प्रक्रिया से अपनी प्राण रक्षा हेतु बहुत से नाट्यकर्मी इस्लाम धर्म ग्रहण कर मुसलमान हो गये। इन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावना को आघात पहुँचाए बिना अपने नाट्यकर्म से उनका स्वस्थ मनोरंजन आरम्भ किया। इस पारम्परिक अभिनय प्रणाली को जिसमें निम्न स्तर का हास्य होता था, भांड़ कहा गया। शासकीय संरक्षण और प्रोत्साहन मिलने के कारण इस कला का समुचित विकास हुआ। विधा के आधार पर इसके प्रदर्शनकारी नाट्यकर्मी भी भांड़ कहलाने लगे। धीरे– धीरे मुगल दरबार में इन्हें काफी महत्व मिलने लगा। भांड़ की यह परम्परा मध्यकाल से लेकर आज तक समयानुकूल परिवर्तनों के साथ चली आ रही है। आरम्भिक दौर में ये एकल अभिनय का ही प्रदर्शन करते थे। कालान्तर में इन्होंने अपने अभिनय को गीत– संगीत के साथ जोड़ कर एक टोली बना ली और समूह में प्रदर्शन करने लगे। भांड़ों की इस टोली को भांड़ मण्डली कहा जाने लगा। भांड़ अभिनय कला की वह परम्परा है जिसके माध्यम से किसी भी सन्देश का, हास्य व्यंग्य का सहारा लेकर, क्षेत्र की जनता तक सहजता से सार्थक सम्प्रेषण किया जा सकता है। आज भी विभिन्न प्रकार की ग्रामीण विकास तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के सरकारी

प्रचार माध्यम संचार के इन्हीं माध्यमों का सहारा लेते हैं।

4. **तमाशा** — तमाशा महाराष्ट्र की प्राचीनतम लोक नाट्यशैली है। शतमाशा' पारसी शब्द है। जिसका शब्दिक अर्थ होता है मनोरंजन यह महाराष्ट्र का एक आकर्षक लोक रंगमंच है। यह एक सशक्त, विषयगत, दर्शनीय संगीतमय हास्य प्रदर्शन है। तमाशा एक सामूहिक लोक कला है। इसके कलाकारों को 'फद्द' कहा जाता है। समूह का नेता सरदार कहलाता है। वह प्रबंधक के साथ निर्देशक भी होता है तमाशा प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में नर्तकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह एक कुशल नृत्यांगना होती है। महिला पात्र की अनुपलब्धता की स्थिति में नर्तकी की भूमिका पुरुष पात्र भी निभाते हैं।

सोलहवीं शताब्दी के पूर्व केवल महाराष्ट्र में प्रचलित तमाशा आज भारत की लोक कलाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। आजादी की लड़ाई में नेताओं ने राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने के लिए इस माध्यम का भरपूर प्रयोग किया। आज भी इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियों, टी.वी. के द्वारा इस आधार पर अनेक कार्यक्रम बनाए हैं जो भाषायी बाधा के बावजूद दर्शकों द्वारा पसन्द किये जाते हैं।

5. **भवाई** — परिधान, वेष भूषा एवं रंगमंच की दृष्टि से यह गुजरात की लोक कला है। इसमें नाटक, संगीत, स्वांग, संवाद, करतब, जादू एवं आशुरचना आदि का समावेश होता है। भवाई की विषय वस्तु ऐतिहासिक एवं सामाजिक होती है। और यह स्थानीय जीवन और घटनाओं से सम्बद्ध होती है। भवाई प्रदर्शन के लिए किसी पूर्व निर्मित मंच की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी ऊंचे चबूतरे या स्थान का प्रयोग भवाई प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है। जहाँ पर भवाई का प्रदर्शन होता है वहाँ ग्रामीण जन समूह कलाकारों के चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाता है। यही जन समूह दर्शक होता है। इसके लिए किसी विशेष परिधान, स्थान अथवा समय की आवश्यकता नहीं होती। यह कभी भी, कहीं भी प्रदर्शित किया जा सकता है। संगीत वाद्यों एवं तेज आवाज में गायन के साथ दो तीन कलाकार इस कला का

प्रदर्शन आरम्भ करते हैं। तमाशा की ही भांति भवाई का आरम्भ भी गणेश वन्दना से ही होता है।

6. भवाई कलाकारों के समूह गाँव गाँव घूमते रहते हैं और उत्सुक ग्रामीण जन को निःशुल्क स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध करा 1 हैं। भवाई का प्रभावी प्रयोग किसी सन्देश के पक्ष– विपक्ष में जनमत तैयार करने में सन्देश के सार्थक सम्प्रेषण में एवं व्यंग्य के संचार में किया जाता है। आज भी गुजरात एवं राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में भवाई की लोक प्रियता बनी हुई है ।

7. **जात्रा** – जात्रा अथवा यात्रा का तात्पर्य समारोह अथवा जुलूस से होता है। बंगाल, उड़ीसा एवं आस पास के क्षेत्रों में यह एक नृत्य नाट्य के रूप में प्रचलित हैं। मन्दिरों एवं अन्य पूजा स्थलों के लिए प्रस्थान करने से पूर्व भक्तगण टोलियों में सड़कों पर नाचते गाते थे। कालान्तर में यही नृत्य गान एक लोक रंगमंच के रूप में विकसित हुआ। सत्कर्म एवं दुष्कर्म के अच्छेबुरे परिणामों का चित्रण इस लोक रंगमंच में होता है जो जनता को शिक्षित और प्रेरित भी करता है।

जात्रा के पात्र पारम्परिक होते हैं। इसमें सेवक और उसकी पत्नी हास्य उत्पन्न करने और नाटक को गतिशील बनाने का कार्य करते हैं। गरीबी, शोषण, श्रमिक एवं निम्न वर्ग के दुःख दर्द जैसी सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं तथा विदेशी शासन जैसी समस्याओं को प्रकट करने में जात्रा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। जात्रा में हास्य के लिए एक विदूषक, पारम्परिक संगीत वाद्य, तबला, हारमोनियम, ड्रम, मजीरा, तुरही, आदि तथा पशुओं एवं देव दानवों के प्रतीक चित्र आदि जात्रा के ऐसे आवश्यक अंग हैं जो इसे सामान्य जन में लोकप्रिय बनाते हैं और सशक्त जनाकर्षण पैदा करते है।

जात्रा के विषय अत्यनत लोकप्रिय रहे हैं। और आज भी यह मनोरंजन के एक माध्यम के रूप में जीवन्त हैं। अनेक नाट्य मंडलियां जात्रा के विभिन्न नये रूपों पर प्रयोग कर रही है। सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है ताकि विकास योजनाओं की

जानकारी सामान्य जन तक पहुँचाई जा सके।

8. **बुर्राकथा** – आन्ध्र प्रदेश की यह एक उत्तम प्रदर्शनात्मक लोककला है। इस लोक मंच के प्रदर्शन के लिए किसी विशाल स्टेज की या विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती। इसे बुर्रा (दुन्दुभी) के साथ तीन कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह साधारण लोक नाट्य आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण समुदाय में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आज के भौतिकवादी युग में भी यह आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सार्थक सन्देश सम्प्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार के पारस्परिक माध्यमों में लोक नाट्यों का विशेष महत्व होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रचलित लोक नाट्य इस प्रकार से हैं–

रामलीला, रासलीला, नौटंकी (उत्तर प्रदेश), तमाशा (महाराष्ट्र) माच (मध्य प्रदेश) नकल (पंजाब) भवाई (गुजरात) जात्रा (बंगाल, उड़ीसा), ख्याल (राजस्थान) अंकियानाट (असम) कुडियट्टम (केरल) जन– जीवन के उल्लास को अभिव्यक्त करने एवं प्रभावी सम्प्रेषण में इन लोक नाट्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

14.7 सारांश

इस इकाई में आपने यह अध्ययन किया कि संगीत नृत्य और नाट्य क्या है यह कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका उद्‌भव कब और किन परिस्थितियों में हुआ। इस सब अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है कि संगीत, नृत्य और नाट्य का सम्बन्ध सांस्कृतिक अस्मिता से होता है और ये संस्कृति के प्रमुख संवाहक के रूप में कार्य करती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएं सांस्कृतिक संचार में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में क्रियाशील रहती है।

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. 2. 3. 4. सम्पूर्ण पत्रकारिता जन संचार समग्र जन संचार कल और

आज रू अर्न्तसांस्कृतिक संचार रू रू रू डॉ. अर्जुन तिवारी डॉ. अर्जुन तिवारी डॉ. मुक्ति नाथ झा डॉ. मुक्तिनाथ झा

14.9 प्रश्नावली

14.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संगीत के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए ।
2. लोक माध्यमों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए ।
3. लोक नाट्य क्या है? इनके प्रकार बताएं।
4. शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए ।

14.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएं : अन्तर सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप–

1. माध्यम आज भी महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं? लोक माध्यमों के उद्भव एवं विकास को स्पष्ट करते हुए बताएं कि क्या ये–

- धार्मिक नाट्य कलाओं पर प्रकाश डालिए।
- लोक नृत्य एवं लोक नाट्य में क्या अन्तर है ?
- लोक नाट्यों के प्रमुख प्रकार का वर्णन करें?

14.9.3 बहु विकल्पीय प्रश्न

1. तमाशा किस प्रान्त का लोक नृत्य है?

   (क) अरुणाचल

   (ख) मध्य प्रदेश

   (ग) महाराष्ट्र

   (घ) उड़ीसा

2. गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य क्या है?

(क) गरबा

(ख) जात्रा

(ग) तमाशा

(घ) छाऊ

3. भांगड़ा किस प्रान्त की नृत्य शैली है ?

(क) छत्तीसगढ़

(ख) उत्तरांचल

(ग) झारखण्ड

(घ) पंजाब

4. कत्थक भारत के किस क्षेत्र की नृत्य शैली है।

(क) पूर्वी

(ख) पश्चिमी

(ग) उत्तर

(घ) दक्षिण

13.9.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1. ग
2. घ
3. ग

इकाई – 15 नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 नव संस्कृति

15.2.1 नव संस्कृति रू अर्थ, अवधारणा

15.2.2. नव संस्कृति के कारक

15.3 नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

15.3.1 पारम्परिक मीडिया

15.3.2 प्रिन्ट मीडिया

15.3.3 इलेक्ट्रानिक मीडिया

15.4 नव संस्कृति का सशक्त संवाहक सेटेलाइट मीडिया–

15.5 नवसंस्कृति सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में –

15.6 सारांश

15.7 शब्दावली

15.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

15.9 प्रश्नावली

15.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

15.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

15.9.3 बहु विकल्पीय प्रश्न

15.9.4 बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

15.0 उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको नव संस्कृति के बारे में विस्तार से समझाते हुए यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार संचार माध्यम नव संस्कृति को समाज में संचारित करते हैं। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप नव संस्कृति की व्याख्या कर सकेंगे ।

नव संस्कृति के संचार में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे। सेटेलाइट माध्यमों की उपयोगिता स्पष्ट कर सकेंगे।

सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में नव संस्कृति को स्पष्ट कर सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना

संचार एक सहज प्रवृत्ति है। संचार ही जीवन है, संचार शून्यता ही मृत्यु है। आधुनिक जन जीवन की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का ताना बाना संचार साधनों द्वारा ही सुव्यवस्थित है। संचार व्यवस्था समाज की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति के विकास का माध्यम है। असभ्य को सभ्य, संकीर्ण को उदार तथा नर को नारायण बनाने की अभूतपूर्व शक्ति संचार में ही निहित है। इसके बिना मानव गरिमा की कल्पना नहीं हो सकती। संचार ही तथ्यों और विचारधाराओं के विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है, सांस्कृतिक परिवर्तन की आधारशिला है तथा वर्तमान नव संस्कृति का सशक्त संवाहक है। इन्हीं सब बातों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा।

15.2 नव संस्कृति

15.2.1 नव संस्कृति अर्थ एवं अवधारणा

आदि काल से चली आ रही संस्कृति की मुख्य धारा देश – काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण है सांस्कृतिक हस्तान्तरण। प्रत्येक पीढ़र्दा, पारम्परिक संस्कृति में जो उसे विरासत में मिलती है, अपने ज्ञान और अनुभव को जोड़ती है। इस प्रकार वह प्राचीन संस्कृति में अपने ज्ञान अनुभव जोड़कर अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करती हैं। सांस्कृतिक हस्तान्तरण का यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी अबाध गति से चलता रहता है। इस हस्तान्तरण की प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब प्राचीन संस्कृति अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। यही परिवर्तित संस्कृति समाज में नव संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित होती है। नव संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति की नवीनता से है। मानव का यह स्वभाव रहा है कि वह समयानुकूल परिवर्तनों को अपनी सुविधानुसार आत्मसात करता है।

आधुनिक युग की जीवन शैली इतनी जटिल हो गयी है कि मनुष्य कम से कम समय में ही अपने सारे निर्धारित कार्य सम्पन्न करना चाहता है। इस आपा–धापी और समयाभाव का प्रभाव उसकी जीवन शैली पर पड़ता है और वह जीवन यापन की प्राचीन मान्यताओं को भुलाकर अपनी सुविधानुसार जीवन शैली अपनाता है। इस प्रकार उसके दैनिक आचरण के तरीके बदल जाते है। खान पान, पहनावा, संस्कार आदि सभी परिवर्तित हो जाते हैं। आज के **वैश्वीकरण एवं मीडिया**

मनुष्य के पास भोजन करने तक का समय नहीं है किन्तु जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता को देखते हुए उसने श्फास्ट फूड संस्कृति अपना ली। इसमें भोजन बनाने, खाने और उसे पचाने में अपेक्षाकृत कम श्रम, समय व्यय करना पड़ता है। आवश्यक पौष्टिक तत्वों का समावेश करके वह कम समय में ही अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। यही स्थिति पहनावे की भी है। पारम्परिक वेश भूषा की जटिलता को त्यागकर कुछ भी पहन लेने की संस्कृति का विकास हुआ। रेडीमेड वस्त्रों का प्रचलन बढ़ा। इन सबके साथ मनुष्य की जीवन शैली भी बदल गई है।

आज के वैज्ञानिक युग में मानव जीवन का हर पक्ष वैज्ञानिक

उपकरणों पर निर्भर हो गया है मनुष्य की उपकरणों के प्रति बढ़ती निर्भरता भी सांस्कृतिक परिवर्तन का ही सूचक हैं। इस प्रकार उपर्युक्त स्वरूपों में परिवर्तित संस्कृति ही समाज में नव संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित होती है। अर्थात नव संस्कृति को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि यह वह संस्कृति है जिसमें प्राचीनता का लोप और आधुनिकता का वर्चस्व होता है।

15.2.2 नव संस्कृति के कारक

नव संस्कृति के अनेक कारक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. आधुनिकता नव संस्कृति में प्राचीन प्रचलित पारम्परिक मान्यताओं के स्थान पर आधुनिक मान्यताएं स्थापित हो जाती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिक तत्वों का समावेश हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के साथ जीवन जीने का आदी हो जाता है मनुष्य और उसे पुरानी जीवन शैली के स्थान पर आधुनिक को अपनाने में कोई समय नहीं लगता।

2. **औद्योगीकरण–** आज का युग औद्योगीकरण का युग है। आज का विश्व औद्योगिक विकास से विविध रूप से त्रस्त है क्योंकि वह मानवीय श्रम शक्ति को क्षीण कर प्राकृतिक सम्पदाओं को नष्ट करता हुआ समाज को सुविधाभोगी बना रहा है। इस प्रक्रिया में जहाँ एक ओर नव संस्कृति की स्थापना हो रही हैं वहीं समाज की नैतिकता, आस्था और मान्यताएं नष्ट हो रही हैं। इसके बावजूद नवसंस्कृति के विस्तार में औद्योगीकरण ने महत्वपूर्ण योगदान किया है।

3. **अर्थव्यवस्था**– वर्तमान विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसी है जहां मनुष्यों को स्वार्थी बनना पड़ता है। जन जन को जमीन से जोड़ कर विकास की गति बढ़ाने की अवधारणा का लोप हो गया है। पहले व्यक्ति स्वतः समाज में अपने अर्थ का बँटवारा करता था तथा ऐसा करने में उसे सुख और शान्ति मिलती थी परन्तु आज का मनुष्य समाज के लिए कुछ नहीं सोचता। उसका मानना है

कि उसके द्वारा अर्जित धन सम्पत्ति में समाज क्यों भागीदार बने। पाप और पुण्य रूपी आस्था का नियन्त्रण समाप्त हो गया और इसी कारण मनुष्य स्वार्थ प्रिय हो गया। यह नव संस्कृति की ही देन है।

खान–पान– हमारे पूर्वजों ने पारम्परिक संस्कृति की खान–पान व्यवस्था हमें सौंपी थी। अन्नत्याग और अन्न कें बँटवारे को पूर्वजों ने व्रत त्यौहार से जोड़ा था। अन्न का त्याग व्रत के माध्यम से होता था तो अन्न का बँटवारा हर रसोई में बनने वाले पदार्थों से। रसोई में बनने वाले व्यंजन का हिस्सा जानवरों से लेकर मनुष्य तक को लगता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी घर से बिना कुछ खाये नहीं जाता था। इन सबके पीछे मात्र यही अवधारणा थी कि समाज के हर व्यक्ति को अन्न की प्राप्ति हो।

नव संस्कृति ने खान– पान की अवधारणा में आमूल परिवर्तन किया है। अब फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है, रसोई की अवधारणा ही परिवर्तित हो गई है। आज के मनुष्य के पास इतना भी समय नही है कि वह बना के खाने में समय दे सके। इसीलिए उसने विकल्प के रूप में फास्टफूड परम्परा को अपनाया। उसकी नजर में पारम्परिक रसोई की अवधारणा अब कोई मायने नहीं रखती। रसोई का तात्पर्य वह आत्म तुष्टि से लगाता है और वह चाहे जिस रूप में भी उसे प्राप्त हो। यह सब नव संस्कृति को और भी बढ़ावा देने वाली बातें हैं।

संस्कृतियों का अन्धानुकरण –

हाल के दशक में संस्कृतियों के अन्धानुकरण की प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति की स्वच्छन्दता और उन्मुक्तता का अनुकरण पूर्वी संस्कृति के युवा वर्ग में तेजी से हो रहा है। वे अपनी पुरानी पारम्परिक संस्कृति के आदर्शों एवं मूल्यों का त्याग कर तेजी से पश्चिमी संस्कृति के आदर्शों को अपना रहे हैं। वहीं पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारतीय आध्यात्मिक पारम्परिक संस्कृति के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात कर रहे हैं। इस प्रकार ये दोनों संस्कृतियां एक–दूसरे का अन्धानुकरण कर अपनी मौलिकता का त्याग कर एक नई संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। यह नई संस्कृति वर्तमान आधुनिक

समाज में नव संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है।

इस प्रकार नव संस्कृति का विश्वव्यापी प्रसार हो रहा है। यह किसी एक देश विशेष या संस्कृति विशेष के साथ नहीं हो रहा है। बल्कि यह सांस्कृतिक परिवर्तन नव संस्कृति के रूप में विश्व व्यापी हो गये हैं अतः नव संस्कृति आज के युग में विश्व व्यापी अवधारणा बन गई है। इनके कारक भी ऐसे हैं जो सार्वभौम रूप से संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं।

15.3 नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

मीडिया प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग के कारण मानव जीवन की विभिन्न गतिविधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं। इसका प्रभाव समाज की अर्थ व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा है। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में मीडिया ने एक विशेष स्थान अर्जित कर एक नई व्यवस्था का सूत्रपात किया है। यह नई व्यवस्था ही आधुनिक संस्कृति है जिसे नव संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है और इस संस्कृति का जन्म, संरक्षण एवं पोषण सब कुछ मीडिया द्वारा ही हो रहा है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मीडिया नव संस्कृति की सशक्त संवाहक है। मीडिया के विविध रूपों के विश्लेषण से इस स्थिति को और भी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

15.3.1 पारम्परिक मीडिया

पारम्परिक मीडिया ग्राम्य संस्कृति की उपज है। इसकी मौलिकता तथा विश्वसनीयता असंदिग्ध है। पारम्परिक मीडिया देशवासियों के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक जीवन के अत्यन्त निकट होते हैं। इनकी विषय वस्तु जन सामान्य की परम्परा, रीति रिवाज, उत्सव और समारोह से सम्बद्ध बातें होती हैं जिसमें रोचकता और अपनापन होता है। लोक कलाओं का उद्‌भव और विकास अनपढ़, अकृत्रिम ग्रामीण जनता ॠ बीच हुआ। ग्रामीण परिवेश में उद्‌भूत संचार के पारम्परिक माध्यमों में पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों से तादात्म्य स्थापित कर लेने की अदभुत क्षमता होती है। जैसा कि मैकब्राइड आयोग का कथन है कि –

''जन सामान्य के प्रति अपने व्यापक आकर्षण और लाखों निरक्षर लोगों के गहनतम संवेगों को छूने के अपने गुण की दृष्टि से गीत और नाटक का माध्यम अद्वितीय होता है।''

विश्व के सभी अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में, नशा उन्मूलन, साक्षरता अभियान, पोलियो उन्मूलन, एड्स नियंत्रण आदि कार्यक्रमों की सफलता बहुत हद तक इन पारम्परिक माध्यमों पर ही निर्भर करती है। धार्मिक अन्धविश्वास, कुपोषण, दहेज आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागृति पैदा करने में पारम्परिक माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पारम्परिक मीडिया की इस प्रभाव क्षमता से प्रभावित होकर इलेक्ट्रानिक मीडिया भी इसे आत्मसात कर रही हैं।

पारम्परिक मीडिया अपनी संस्कृति का सफलतापूर्वक संचार करती है। यही कारण है कि नवीन सकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रचा प्रसार भी पारम्परिक मीडिया द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नव संस्कृति के संवहन में पारम्परिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

15.3.2 प्रिन्ट मीडिया

प्रिन्ट मीडिया (पत्रकारिता) को स्पष्ट करते हुए डॉ. अर्जुन तवारी ने लिखा है कि लोक मानस की अभिव्यक्ति की जीवन्त विधा ही पत्रकारिता है जिससे सामयिक सत्य मुखरित होते हैं समय और समाज के सन्दर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। जन संवेदना के संचार का सर्वसुलभ प्रभावकारी जन माध्यम ही पत्रकारिता है। युगबोध के प्रमुख तत्वों के साथ ही मानवता के विकास और विचारोत्तेजन का राजमार्ग ही पत्रकारिता है जिससे जन जीवन पल पल पर उद्वेलित होता रहता है।

समाज, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के चलते मानव संघर्ष, क्रान्ति प्रगति, दुर्गति से प्रभावित जीवन सागर में उठने वाले ज्वार भाटा को दिग्दर्शित करने वाली पत्रकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो चुकी है। जनता, समाज, राष्ट्र और विश्व को गरीबी का भूगोल, पूंजीपतियों का अर्थशास्त्र और नेताओं का समाजशास्त्र पढ़ाने में पत्रकारिता ही सक्षम है। इस जीवन्त विद्या सें जन

जन के सुख दुःख, आशा, आकांक्षा को मुखरित किया जाता है।

पत्रकारिता अपने सांस्कृतिक परिवेश से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। समाचार पत्रों के आकार– प्रकार, मेक अप और प्रस्तुतीकरण में निरन्तर हो रहे परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन के ही परिचायक हैं। वर्तमान समय की पत्रकारिता में तकनीकी और प्रौद्योगिकी परिवर्तन स्पष्ट है। भारतीय परिवेश में जिस हिन्दी भाषा में ज्ञान, दर्शन, आध्यात्म और रचनात्मक सृजन के मानदण्ड रचे गये हों उसके लिए यह स्वाभाविक है कि अब वह आधुनिक तकनीकों से अपना तालमेल बनाए। आधुनिक तकनीक नव संस्कृति की संवाहक हैं और उनसे तालमेल बिठाकर पत्रकारिता भी नव संस्कृति की संवाहक बन गयी है।

सूचना तकनीकी के अधिकाधिक प्रयोग और विशेष रुप से इंटरनेट के विस्तार के कारण सारी दुनिया के दृष्टिकोण में तेजी से बदलाव आ रहा है। जिस गति से विश्व में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है उसी अनुपात में इंटरनेट एक क्रान्तिकारी माध्यम के रूप में उभर रहा है। इसका लोगों, परिवारों, पूरे समाज, अर्थ व्यवस्था और देशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। प्रिन्ट मीडिया भी इससे अछूती नहीं है। प्रिन्ट मीडिया में काम करने वाले लोग दिनोंदिन अपनी जानकारी और स्रोतों के लिए इन्टरनेट को अपनाने लगे हैं। राष्ट्रीय, प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय स्तर का शायद ही कोई ऐसा समाचार पत्र हो जिसने इन्टरनेट को न अपनाया हो।

इस प्रकार नव संस्कृति की पहचान बन चुकी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का आश्रय लेकर अब प्रिन्ट मीडिया भी अपने प्राचीन मूल्यों, आदर्शों को संशोधित करके सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन का व्यवसाय करने लगी है। पहले पाठकों की रुचि परिष्कृत करने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। अब पाठकों की रुचि का सर्वेक्षण करके उसके अनुरूप समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाने लगा है। पाठकों की रूचि नव संस्कृति को अपनाने की ज्यादा है इसीलिए अब समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं स्वयं को नव संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके प्रिन्ट मीडिया नव संस्कृति की प्रमुख संवाहक बन गई है। प्रिन्ट मीडिया के द्वारा शिक्षित जनमानस की विचारधारा में परिवर्तन

लाकर उन्हें नव संस्कृति के प्रसार में वैचारिक योगदान के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि प्रिन्ट मीडिया आधुनिक युग में नव संस्कृति की प्रमुख संवाहक है।

15.3.3 इलेक्ट्रानिक मीडिया

संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों में रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन अन्य की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण और सर्वसुलभ है। इनके द्वारा सांस्कृतिक संचार का कार्य विश्व व्यापी. और प्रभावी हो गया है। इनका क्रमशः विश्लेषण करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि नव संस्कृति के संवहन में इनकी क्या उपयोगिता है।

रेडियो–

वर्तमान संचार क्रान्ति की अग्रदूत सूचना प्रौद्योगिकी ने रेडियो को एक नए दौर में पहुँचा दिया है। इससे रेडियों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार हुआ है, श्रोताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अपने श्रोताओं तक सूचनाओं के प्रसार तथा शिक्षा प्रद एवं भने रंजक कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास में रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है ।

रेडियो प्रसारण की भाषा सरल और सुबोध होती है। इसके श्रोताओं में शिक्षितअशिक्षित सभी वर्ग के लोग होते हैं। भाषा व्यक्ति के अभावों की सहचरी होती है। वह अभिव्यक्ति का कारण है, परिणाम नहीं। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ कहने को आतुर रहता है। उसके अपने अभाव, अपूर्णता और असफलताएं उसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए बेचौन किए रहती हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच भाषा भावनात्मक रिश्ता कायम करती है। और इस प्रकार वह समाज का निर्माण करती है। भाषा सही अर्थों में मनुष्य का परिचयपत्र होती है। रेडियो प्रसारण मे हम इसी भाषा की तलाश करते हैं जो व्यक्ति के लौकिक जीवन की सच्ची संवाहिका बने। प्रसारण की भाषा में स्वाभाविकता, ओज, प्रभाव और चुटीलापन आदि का समन्वय होता है इसीलिए श्रोता उसे रुचिपूर्वक सुनता है। यही कारण हैं कि रेडियो सन्देश जन जन को प्रभावित करके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के कारक बनते हैं।

अपनी सुलभता और प्रसारण क्षमता के कारण रेडियो एक सर्वसुलभ संचार माध्यम हैं। इसके द्वारा समाज में हो रहे अभिनव परिवर्तनों का प्रचार प्रसार करके समाज में सांस्कृतिक चेतना का विस्तार किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि नव संस्कृति के प्रचार–प्रसार में रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य करता है।

सिनेमा का प्रयोग प्रायः मनोरंजन के लिए ही किया जाता है। इसकी आवश्यकता की अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति थक जाता है, अवकाश के समय कुछ मनोरंजन चाहता है। ऐसे समय में सिनेमा का चलायमान चित्र अपने कथानक में दर्शक को समेट लेता है। वस्तुतः दर्शक तन मन से चित्र पट में अपने को खो देता हैं। जो चित्र और संवाद सिनेमा में दिखाई और सुनाई पड़ते हैं, वे उस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव कभी– कभी तो क्षणिक होता है। परन्तु कभी–कभी तो इसका प्रभाव स्थायी रूप से पड़ता है। मानव मन पर गहरा प्रभाव डालने क्षमता के कारण सिनेमा जन संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है।

सिनेमा में विज्ञान की शक्ति और कला का सौन्दर्य होता है। यह मस्तिष्क को खुराक देता है। और ह्रदय को आन्दोलित करता है। सिनेमा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। जो किसी घटना अथवा विचार को मनोरम ढंग से प्रस्तुत करता है। व्यक्ति के अन्तःकरण को स्पर्श कर उसे सकारात्मक भूमिका के लिए उत्प्रेरित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वस्तुतः सिनेमा मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है। बल्कि यह अतीत का अभिलेख, वर्तमान का चितेरा और भविष्य की कल्पना है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण का महत्वपूर्ण दायित्व सिनेमा ही निभाता है। यह ऐसा प्रभावकारी माध्यम हैं जो शिक्षित – अशिक्षित, धनी– निर्धन, नर नारी तथा सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय एकता, अछूतोद्धार, नारी जागरण, अन्याय, शोषण, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, जैसे प्रश्नों पर जन जन को जागृत करने वाला माध्यम सिनेमा ही है, कलाओं के संगम के रूप में प्रदर्शित सिनेमा सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना का साधन तो है ही, जनता को प्रशिक्षित करने की भी उसमें अदभुत क्षमता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपने इन बहुआयामी गुणों के

कारण सिनेमा सांस्कृतिक संचार का एक सशक्त माध्यम है और नव संस्कृति का सफल संवाहक भी है।

टेलीविजन आधुनिक संचार क्रान्ति में टी. वी. की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है द्य टी. वी. किसी राष्ट्र की प्रगति का प्रामाणिक व्याख्याता है। यह राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप का दर्पण हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन में टी. वी. की घुसपैठ ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है जिस गति से वर्तमान विश्व में टी. वी. का विकास हुआ है उसी गति से विश्व की संस्कृति भी परिवर्तित हुई है। तात्कालिलता, घनिष्ठता और विश्वसनीयता के कारण टी. वी. सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सर्वाधिक सशक्त भूमिका का निर्वाह करता है। –

टी. वी. के साथ ही केबिल टी. वी. के विकास ने नये संस्कृति के प्रचार प्रसार में सार्थक और सकारात्मक भूमिका निभाई हैं। वर्तमान समय में टी. वी. एक साथ आदर्श शिक्षक, विकास अभिकर्ता, मनोरंजनकर्ता और सूचनादाता के रूप में समाज का निर्माता और संस्कृति का संवाहक हैं। हर देश की युवा पीढ़ी के आचरण में टी. वी. की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है इसी कारण आज की युवा पीढ़ी को टी. वी. जनरेशन की संज्ञा भी दी जाती हैं। यह सब इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि नव संस्कृति के संवाहक के रूप में टी. वी. की भूमिका महत्वपूर्ण है।

रेडियों, टी. वी. और सिनेमा के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर है। आज के मनुष्य के दैनिक जीवन का हर पल कम्प्यूटर नियन्त्रित हो गया है। कम्प्यूटर और वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व में नव संस्कृति के प्रचार प्रसार में सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि चाहे पारम्परिक मीडिया हो, प्रिन्ट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया अपनी प्रसार सीमा के अन्तर्गत अपने प्रभाव क्षमता का पूर्ण उपयोग करके नव संस्कृति का संवहन करते हैं।

15.4 नव संस्कृति का सशक्त संवाहक सेटेलाइट मीडिया

आज का युग संचार क्रान्ति का युग है संचार क्रान्ति और सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के हर पल को अपने नियन्त्रण में ले रखा है। संचार क्रान्ति का मूल आधार अन्तरिक्ष में स्थापित उपग्रह हैं जो सेटेलाइट मीडिया के नाम से विख्यात हैं। सभी संचार उपकरण और विश्व व्यापी संचार व्यवस्था अब पूर्ण रूप से सेटेलाइट मीडिया पर आश्रित हो गयी हैं सेटेलाइट के अभाव में संचार क्रान्ति की कल्पना भी नही की जा सकती हैं।

मानवीय विकास और औद्योगिक क्रान्ति ने समूचे विश्व परिवेश को प्रभावित किया। निःसन्देह संचार जगत भी इससे अछूता नहीं रहा, बल्कि संचार प्रक्रिया इससे सर्वाधिक प्रभावित हुई। यह प्रभाव अपेक्षाकृत सकारात्मक अधिक है। तकनीकी विकास के कारण संचार जगत में जो युगान्तरकारी बदलाव आये, उनका सीधा सम्बन्ध अंतरिक्ष में उपग्रहों के प्रक्षेपण से हैं। उपग्रहों के कारण वायु तरंग पर बैठकर न सिर्फ ध्वनि बल्कि चित्र में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते पहुँच जाते हैं। इस प्रगति ने संचार को आकाशीय बना दिया आज हम प्दवितउंजपवद ंहम (इनफारमेशन एज) में जी रहे हैं। सूचना ही आज शक्ति है। जिसके पास त्वरित सूचना प्राप्त करने के साधन हैं। वह इस युग में सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह त्वरित सूचना अंतरिक्ष उपग्रहों के माध्यम से सम्भव हो सकी है।

प्रश्न उठता है कि आखिर उपग्रह क्या है? दरअसल ग्रह और उपग्रह आकाश में स्थित एक पिण्ड हैं जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर निश्चित स्थिति पर स्थित हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमता रहता है। पृथ्वी के अलावा आठ अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इन ग्रह उपग्रहों को सूर्य का परिवार भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों तरफ चन्द्रमा घूमता रहता है। आकाशीय उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्राकृतिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी, चन्द्रमा और दूसरे कृत्रिम उपग्रह। कृ त्रिम उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं–

1. **कक्षीय उपग्रह–** यह लगातार पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं।

2. **भू–स्थिर उपग्रह–** इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं यह पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष स्थित रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है किसी प्रकार भी ग्रह के चारों ओर जब कोई आकाशीय पिण्ड एक निश्चित कक्षा में घूमता रहता है तो उसे उपग्रह कहते हैं।

सन 1957 में विश्व का पहला उपग्रह आकाश में भेजा गया। विकास के अगले चरण में दिसम्बर 1968 में पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके द्वारा चौबीस घण्टे सूचना प्रसारण सुविधा मिल सकी। अंतरिक्ष की विभिन्न कक्षाओं में कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित करने के लिए राकेट की सहायता ली जाती हैं। इस राकेट को लांचर कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगता है। घूमने के साथ उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से संतुलित करता है, जिससे उपग्रह नीचे न आकर लगातार अपनी कक्षा में घूमता रहता है।

उपग्रहों ने संचार की दुनिया को आज काफी विस्तृत कर दिया है। इसके लिए विषुवत् रेखा के ऊपर एक निश्चित ऊँचाई पर उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। इन उपग्रहों को भू–स्थिर उपग्रह कहते हैं। ये प्रसारण में सहयोग देते हैं। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के किसी कक्ष में एक जगह पर स्थिर होता है तो वह पृथ्वी के साथ– साथ घूमने लगता है। इस प्रकार उपग्रह की परिक्रमा करने का समय तथा पृथ्वी का स्वयं अपनी कक्षा में घूमने का समय बराबर होता है। इन्हीं को संचार उपग्रहों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। उपग्रह संचार माध्यम में सबसे पहले पृथ्वी से कोई भी संकेत उपग्रह की ओर भेजा जाता है, उपग्रह इन्हें ग्रहण करते हैं फिर इनका आवर्धन करते हैं, इसके बाद उपग्रह इन्हें विभिन्न दिशाओं में भेज देते हैं। इन संकेतों को पृथ्वी पर स्थित प्रसारण केन्द्र ग्रहण कर उन्हें प्रसारित करते हैं। इस तरह से संचार प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं।

भारत में अंतरिक्ष संचार प्रणाली का शुभारम्भ सन 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ ही हो गया। सन 1962 में थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र सन 1967 में अहमदाबाद स्थित प्रायोगिक उपग्रह संचार भू– केन्द्र की स्थापना के बाद भारत को

अंतरिक्ष विज्ञान में अनेक सफलताएं मिली। सन 1965 में उपग्रह संचार में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग इंटरनेट के माध्यम से व्यवहार में लाया गया, जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को संचार उपग्रह की सुविधा प्रदान करना था। इसके लगभग 75 उपग्रह अंतरिक्ष में हैं।

अन्तरिक्ष में स्थित संचार उपग्रहों ने समस्त संचार उपकरणों एवं संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों को एक विशेष गति दी है। इस गति से संचार की सार्थकता सिद्ध हुई और विश्व ग्राम की परिकल्पना साकार हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि सेटेलाइट मीडिया अर्थात उपग्रह संचार माध्यम विश्व में नव संस्कृति के सर्वाधिक सशक्त संवाहक है।

15.5 नव संस्कृति सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में

निरन्तरता, प्रवाहात्मकता तथा हस्तान्तरण संस्कृति का प्रथम और अनिवार्य गुण है। देश–काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हुई संस्कृति कभी–कभी अपना मूल स्वरूप खो देती है। संस्कृति में जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो प्राचीनता के पोषक इसे अपसंस्कृति की संज्ञा देते हैं। उन्हें संस्कृति में आए इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। नयी जीवन शैली, खान–पान, आचरण के तरीके ये सब प्राचीनता से समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। उनमें द्वन्द होता है जिसकी परिणति सांस्कृतिक संघर्ष में होती हैं।

इस सांस्कृतिक संघर्ष में संचार माध्यम मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वे समाज को प्राचीन संस्कृति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हैं, परिवर्तित संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराते हैं तथा दोनों में सामन्जस्य बिठाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्राचीनता के पोषक जो इस सांस्कृतिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे थे, मीडिया के द्वारा ज्ञान होने पर उसे स्वीकार कर लेने में नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार एक वर्ग की अपसंस्कृति और दूसरे वर्ग की नव संस्कृति के मध्य एक सामंजस्य बन जाता है तथा धीरेधीरे समाज का हर वर्ग इस सांस्कृतिक परिवर्तन को स्वीकार कर उसे नव संस्कृति के रूप में अपना लेता है। सांस्कृतिक परिवर्तन की यह स्थिति हर 100 200 वर्ष में बनती है। आधुनिकता और परम्परा के मध्य द्वन्द होता है और फिर नव संस्कृति के रूप में एक नयी संस्कृति का जन्म होता है।

हजारों वर्षों से सांस्कृतिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया चली आ रही है और अनन्त काल तक चलती भी रहेगी। –

इस प्रकार हम पाते हैं कि नव संस्कृति सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में समाज में स्थापित होती है और समाज के हर वर्ग द्वारा स्वीकार की जाती है।

15.6 सारांश

इस इकाई में आपने जाना कि नव संस्कृति क्या है इसके क्या कारण तथा परिणाम हैं तथा किस प्रकार संचार के पारम्परिक माध्यम मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रानिक माध्यम नव संस्कृति के संवाहक की भूमिका निभाते हैं। ८

आपने यह भी जाना कि सेटेलाइट क्या है और इनके द्वारा नव संस्कृति का संवहन किस प्रकार से होता है। नव संस्कृति वस्तुतः कोई नई अवधारणा नहीं है बल्कि देश– काल, परिस्थिति के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन ही नव संस्कृति है। यह परिवर्तन जब तीव्र गति से होता है तो इसे नव संस्कृति ही कहा जाता है। अन्यथा मन्द गति से होने वाला परिवर्तन केवल सांस्कृतिक परिवर्तन ही कहा जाता है।

15.7 शब्दावली

15.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

सम्पूर्ण पत्रकारिता — डॉ. अर्जुन तिवारी

जनसंचार समग्र — डॉ. अर्जुन तिवारी

जनसंचारः कल और आज — डॉ. मुक्ति नाथ झा

15.9 प्रश्नावली

15.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

नव संस्कृति का क्या तात्पर्य है। नव संस्कृति की संवाहक पारम्परिक मीडिया किस प्रकार से है। सेटेलाइट मीडिया क्या है? संक्षप्ति चर्चा करें।

15.9.2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न

1. नव संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कारक बताएं।
2. नव संस्कृति का संवाहक मीडिया किस प्रकार से है ?
3. नव संस्कृति क्या है?
4. यह सांस्कृतिक परिवर्तन से किस प्रकार भिन्न हैं?

15.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. नव संस्कृति का संवाहक है

   (क) कठपुतली

   (ख) कुम्भ मेला

   (ग) सेटेलाइट माध्यम

   (ग) इनमें से कोई नहीं

2. फिल्म है–

   (क) इलेक्ट्रानिक मीडिया

   (ख) नाट्य परम्परा

   (घ) मुद्रित माध्यम

   (ग) इनमें से कोई नहीं

15.9.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1– (ग)

2– (क)

इकाई – 16 वैश्वीकरण : विविध आयाम

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 वैश्वीकरण की अवधारणा

16.3 वैश्वीकरण के विविध आयाम

16.3.1 आर्थिक वैश्वीकरण

16.3.2 सांस्कृतिक वैश्वीकरण

16.3.3 राजनीतिक वैश्वीकरण

16.4 वैश्वीकरण और संचार

16.5 वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण

16.6 वैश्वीकरण और मास मीडिया (जन माध्यम)

16.7 वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद

16.8 सारांश

16.9 शब्दावली

16.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

16.11 प्रश्नावली

16 11.1लघु उत्तरीय प्रश्न

16.11.2दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

16.11.3बहु विकल्पीय प्रश्न

16.11.4बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

16.0 उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको वैश्वीकरण के विविध स्वरूपों से अवगत कराना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे।

1. वैश्वीकरण के बारे में
2. आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में, आधुनिकीकरण और उपभोक्तावाद के बारे में,
3. जन माध्यम एवं संचार को वैश्वीकरण ने कितना प्रभावित किया है, इसके सन्दर्भ में

16.1 प्रस्तावना

हजारों वर्ष पूर्व भारतीय साहित्य में पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानते हुए श्वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा विकसित की गई थी। मानव–मानव एक समान का नारा देकर मानवीय संवेदनाओं को आधार बनाकर विकसित हुई उस अवधारणा को हम वर्तमान वैश्वीकरण का आरम्भिक रूप भी कह सकते हैं। वर्तमान वैश्वीकरण 1990 के दशक की उपज है और इसका मूल आधार 'अर्थ' है। जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ (GATT) की पूर्व में चली आ रही व्यवस्था ने उदारीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था से गुजरते हुए अब वैश्वीकरण का रूप ले लिया है। वर्तमान वैश्वीकरण ने समय और स्थान की दूरी को मिटा दिया है किन्तु दिलों के बीच दूरियाँ बढ़ी हैं यह भी एक तथ्य है। वर्तमान वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संचार आदि सभी क्षेत्रों पर समान रूप से पड़ा है। इन्हीं सब बिन्दुओं पर विस्तार से इस इकाई में चर्चा की गई है जो वैश्वीकरण के विविध आयामों को समझने में सहायक होगी।

16. 2 वैश्वीकरण की अवधारणा

वैश्वीकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन कोटियों (School of Thought) में विभक्त करके देखा

जा सकता है। इन तीनों की क्रमवार विवेचना निम्नलिखित है–

कुछ विद्वान मानते हैं कि वैश्वीकरण कोई नयी प्रक्रिया नहीं है। उपनिवेशवाद (Colonization) के आरम्भ होने के साथ ही साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गयी थी। दुनिया में सत्रहवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद की एक नीति के रूप में उपनिवेशवाद आरम्भ हो गया था। इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे अनेक देशों ने यूरोप तथा एशिया सहित दुनिया के तमाम देशों को अपनी कालोनी बना लिया था। उपनिवेशवाद के अधीन देशों (कालोनियों) से कच्चा माल (Raw materials) उपनिवेशवादी देशों में जाया करता था। इससे औद्योगिक उत्पादन होता था। उत्पादित माल पुनः (बिक्री) हेतु उन्हीं कालोनियों में आया करते थे। इस प्रक्रिया में विश्व के बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई। दुनिया के विभिन्न देश निकट आये। विश्व अर्थ–व्यवस्था का एकीकरण आरम्भ हुआ। यद्यपि इसमें एकीकरण की प्रकृति कुछ भिन्न थी। इस प्रकार से उपनिवेशवाद के आरम्भ के साथ–साथ वैश्वीकरण का भी आरम्भ हो गया।

विद्वानों की एक दूसरी कोटि है जो उक्त विचारों से सहमत नहीं है। वे मानते हैं कि आधुनिक युग के विकास का मुख्य परिणाम दुनिया का एकीकरण था। अतः वैश्वीकरण की जड़ें आधुनिकता में विद्यमान रही हैं। इस कोटि के विद्वान आधुनिकता में आई तेजी को वैश्वीकरण के रूप में देखते हैं। आधुनिकीकरण का सम्बन्ध प्रौद्योगिकीय आविष्कारों तथा औद्योगिक क्रान्ति से है। उपनिवेशवाद और आधुनिकीकरण के बीच गहरा रिश्ता है, जो सम्पूर्ण विश्व पर आधुनिकता के प्रभावों के विस्तार के माध्यम से दुनिया को संकुचित कर रहा है अथवा नजदीक ला रहा है। ये विद्वान मानते हैं कि प्रौद्योगिकीय आविष्कारों के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से वैश्वीकरण को गति तथा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से इस कोटि के विद्वान आधुनिकता में आई तेजी को वैश्वीकरण के रूप में देखते हैं।

विद्वानों की एक तीसरी कोटि है जो उक्त दोनों विचारों से असहमत हैं। इस कोटि के विद्वान वैश्वीकरण को एक नयी अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि, यद्यपि, वैश्वीकरण पूर्णतया

एक नई प्रक्रिया नहीं हैय तथापि इसे उपनिवेशवाद और आधुनिकीकरण के सदृश्य भी नहीं माना जा सकता है। इस कोटि के विद्वान मानते हैं कि 1980 के दशक से द्विआयामी विश्व का परिदृश्य बदलने लगा। संयुक्त सोवियत संघ के विघटन के बाद से एक ऐसे अनियंत्रित पूंजीवाद का विकास हुआ, जिसे कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा। परिणामस्वरूप एक आयामी विश्व प्रभावी हो गया। पूंजीवाद ने विश्व के मानचित्र पर अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत किया। इस नवीन परिवर्तित व्यवस्था के साथ अपने को पुनर्समायोजित करने का दुनिया ने प्रयास किया। नयी आर्थिक नीति (NEP) तथा उदारीकरण कार्यक्रमों (Liberalisation programmes) का परिचय देने वाला संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAP) किया गया। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विशेष रूप से इण्टरनेट ने वैश्विक सम्बन्धों तथा सम्पर्कों की तीव्रता को और अधिक बढ़ा दिया। बेहतर सम्भावना की तलाश में लोग उत्प्रवासित होने लगे। इसके परिणामस्वरूप एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक बुनियादी पुनर्संरचना के निर्माण की वैश्विक परिस्थिति उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रान्ति के समय से ही एक प्रकार के वैश्विक परिस्थिति उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रान्ति के समय से ही एक प्रकार के वैश्विक एकीकरण का विकास हुआ। यह विकास राष्ट्र राज्य की सीमाओं को लांघकर हुआ है। वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों, वित्त और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण है। इसमें दुनिया मध्य आकार से सूक्ष्म आकार में सिकुड़ रही हैं जिससे हम सभी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में तत्काल तथा कम से कम लागत में पहुंच सके। पूर्व की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से घरेलू राजनीतों, आर्थिक नीतियों तथा सभी राष्ट्रों की विदेश नीतियों को स्वरूप प्रदान कर रही हैं।

अतः वैश्वीकरण एक बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके अर्न्तगत बाजारों, वित्त और प्रौद्योगिकीयों का एकीकरण हो रहा है। विश्व का ऐसा संकुचन हो रहा है जिसके प्रत्येक कोने में हम इतनी जल्दी और सस्ते में पहुंच जायें जितने में पहले कभी सम्भव नहीं था। पूर्व की सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतों, आर्थिक नीतियों तथा सभी देशों के विदेशी सम्बन्धों को स्वरूप प्रदान कर रहा है।

16.3 वैश्वीकरण के विविध आयाम

वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि विविध आयाम हैं। ये सभी आपस में अन्तर्सम्बन्धित तथा परस्पर निर्भर है। इनमें से किसी एक आयाम का स्वतंत्र मूल्यांकन मात्र आंशिक अथवा एकांकी तथ्य को उद्घाटित करता है। इसका सम्यक मूल्यांक समग्रता तथा सभी आयामों का समावेश की वकालत करता है, तथापि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक वैश्वीकरण के अर्थ को स्पष्ट करना समय की मांग हैं।

16.3.1 आर्थिक वैश्वीकरण

आर्थिक वैश्वीकरण को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजारों में चलने वाले आन्दोलनों द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता हैं। सम्पूर्ण विश्व को एक समग्र इकाई के रूप में तथा बाजार को इसके एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक वैश्वीकृत दुनिया में अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं—खुला, उदार, मुक्त बाजार तथा मुक्त व्यापार। इसे अन्तर्राष्ट्रीय निवेश और तात्कालिक पूँजी के प्रवाहों द्वारा चिन्हित किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाएं श्रेष्ठ आर्थिक परिधियों में आ रही है और इनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा वित्तीय बाजारों की दुनिया से एकीकरण हो रहा है जो कम्प्यूटर के माध्यम से तत्काल सम्पन्न होता है।

विदेशी सीधा निवेश की गति तथा इसके विस्तार और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तात्कालिक पूँजी के प्रवाह को आर्थिक वैश्वीकरण के रूप में देखा जाता है। इसके परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उस देश और क्षेत्र में पहुँचने के लिये प्रयासरत है जहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध है। इससे राष्ट्र राज्य की आर्थिक स्वायत्ता प्रभावित हो रही है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) जैसी आर्थिक तथा इससे सम्बन्धित इकाईयों की भूमिका बढ़ रही है। ये वैश्विक संगठन विभिन्न देशों की नीतियों तथा कार्यक्रमों के निमार्ण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। विश्व बैंक तथा

आई. एम. एफ. जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर विभिन्न देशों की आधारभूत सुविधाओं के विकास का दायित्व बढ़ रहा है। इस क्रम में विभिन्न राष्ट्र राज्य की सीमाओं से लोग बाहर निकल रहे हैं और अपना कार्य क्षेत्र तथा निवास परिवर्तित कर रहे हैं और अपने आप को एक नये सांस्कृतिक परिवेश में समयोजित कर रहे हैं।

5.3.2. सांस्कृतिक वैश्वीकरण –

यह सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धता का द्योतक है। लोगों के उत्प्रवास, पर्यटन, वैश्विक अर्थ व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं के कारण दुनिया के विभिन्न भागों में सादृश्य जीवन पद्धति के रूप में इसे देखा जा सकता है। वैश्वीकरण क्षेत्रीय संस्कृति के लिये विकल्प उपलब्ध कराता है। मानव अधिकारों, जनतंत्र, बाजार अर्थ व्यवस्था, उत्पादन के नये तरीकों, उपभोग हेतु नये उत्पादों तथा विश्राम की आदतों आदि के विचारों को क्षेत्रीय संस्कृति के नवीन दृ ष्टिकोण द्वारा उपस्थित किया जाता हैय इससे नई संस्कृति की समझ, राष्ट्रीयता, दुनिया में 'स्व' एक विदेशी हेतु क्या है? एक नागरिक हेतु क्या है? लोगों की राजनीतिक भागीदारी कैसे हो? तथा सामाजिक जीवन के अन्य विविध पक्षों आदि का आविर्भाव होता है।

वैश्वीकरण घनिष्ठ रूप में आधुनिकता से जुड़ा है। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि यह पश्चिम द्वारा फैलाया जा रहा है। यह तकनीकी, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक समक्रमण (Synchronization) के माध्यम से एकता और मानकीकरण को प्रस्तुत करता है। सांस्कृतिक सम्प्रेषण कर्ताओं के विदेशी प्रभावों को उद्घाटित करता है। ऐसा नहीं है कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं और तरीकों की कमजोरी के कारण सिर्फ गैर पश्चिमी समाज ही अमेरिकी जीवन पद्धति से प्रभावित हुए हैं, बल्कि पूर्वी दर्शनों और प्रबन्धनों के तरीकों, संगीत, भोजन आदि जैसे दूसरी सभ्यताओं के तत्वों को अमेरिका तथा यूरोप ने भी स्वीकार किया है। इस प्रकार से सांस्कृतिक प्रभावों की दोहरी स्वीकृति एक नई वैश्विक संकट संस्कृति (Global hybrid culture) अर्थात् एक सम्मिश्रण (A-melange) को उत्पन्न करती है। –

सामान्यतया कहा जाता है कि आज वैश्वीकरण के कारण

अमेरिकी संस्कृति दुनिया पर हावी हो रही है, जबकि यह कथन तथ्यपरक नहीं हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मैकडोनाल्ड (डबक्वदंसके), कोका कोला और फास्ट फूड संस्कृति जैसे चुनिंदा मास संस्कृति के प्रतीकों के साथ एक तात्कालिक वैश्विक अमेरिकन संस्कृति के विरुद्ध दलील दी जाती है। कि गैर अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों द्वारा इस संस्कृति को सांस्कृतिक स्वीकृति नहीं है। अमेरिका और यूरोप में निम्न मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय लोग इन उत्पादों के मुख्य ग्राहक हैं। इसमें सांस्कृतिक आधार हैं जबकि, बहुत सारे गैर पश्चिमी तथा गैर अमेरिकी देशों में उत्पादों के मुख्य ग्राहक उच्च वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्ग के सदस्य हैंय इनमें सर्वाधिक युवा वर्ग हैय जो अपने आप को आधुनिक (कुछ हद तक पश्चिमी) समझते हैं) ये इस खाद्य वस्तुओं को खाने पीने के लिये ऐसे रेस्टोरेन्टों, होटलों तथा अन्य स्थानों पर जाते हैं जहाँ परिवार का नियंत्रण न होय ऐसे स्थान के चयन का कारण सांस्कृतिक स्वीकृति नहीं है।

दूसरी ओर अमेरिका तथा यूरोप में शाकाहारी भोजन के प्रति रूझान बढ़ रहा है। विभिन्न शोध तथा पत्र –पत्रिकाओं से प्राप्त तथ्य बताते हैं कि आज यूरोप और अमेरिका में शाकाहारी तथा भारतीय व्यंजनों वाले रेस्टोरेन्ट तेजी से खुल रहे हैं तथा इनमें बिक्री की दर लगातार बढ़ रही है।

अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक पक्षीय नहीं है। भूमण्डलीय संस्कृति अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं का परिणाम है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बहुत सारे आयाम हैं। इनमें से एक आयाम नव संस्कृतिकरण (छमव बनसजनतंजपवद) हैय इसमें नवीन संस्कृति तत्वों को अपनाने, सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है।

विभिन्न टी.वी. चौनल्स, इण्टरनेट, मोबाइल फोन आदि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के सशक्त निर्वाहक हैं। एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में आकाशीय मार्ग से प्रवेश कर रही है। इसे कुछ हद तक जन स्वीकृति प्राप्त है। टेलीविजन इण्टरनेट, मोबाइल आदि के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर की संस्कृति दूसरे क्षेत्र के निवासियों के घर में आकाशीय मार्ग से सीधे प्रवेश कर रही है। दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों के वातायन सामान्यतया दूसरी संस्कृतियों के लिये खुल गये हैं।

विश्व पर्यटन, विश्व खेलकूद प्रतियोगिताएं, विश्व कला, विश्व संगीत, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, विश्व फैशन, विश्व साहित्य, विश्व धर्म आदि ने भी सांस्कृतिक वैश्वीकरण की गति को तीव्रता प्रदान किया है।

16.3.3 राजनीतिक वैश्वीकरण

ऐतिहासिक संदर्भ से। विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि अधिराष्ट्रीय राजनीतिक संरचना (Supranational Political Structure) के द्वारा एक विश्व समाज (World society) प्रस्तुत किया जायेगा। इन विद्वानों की दलील रही है कि तुलनात्मक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों पर शासन की निर्भरता बढ़ेगी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझौतों द्वारा इसमें वृद्धि होगीय इस प्रकार से स्वतंत्रता घटेगी। अतः प्रश्न यह खड़ा होता है कि वैश्वीकरण के दौरान राष्ट्र राज्य का क्या होगा? क्या इसका महत्व घटेगा? क्या ये अन्ततः अप्रचलित हो जायेंगे और इनका स्थान विश्व शासन (World governance) ले लेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Interstates Systems) में शासन की भूमिका में महत्वपूर्ण होगीय जबकि, राजनीतिक संघटनों का कार्य सम्पादनीय स्वरुप तुलनात्मक दृष्टि से कम सफल होगा। इसका कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन्स जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण राष्ट्र राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ही हैय जबकि गैर सरकारी संस्थाओं (नागरिक समूहों तथा NGO'S आदि) की भागीदारी के लिए सम्मिलित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक राज्य की वैधता का प्रमुख स्रोत उसे दूसरों द्वारा मिलने वाली स्वीकृति होती है। अतः एक राष्ट्र–राज्य को उसके घरेलू परिप्रेक्ष्य में मिलने वाली स्वीकृति की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। इस अन्तर्राज्यीय व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीयकरण प्रतिनिधित्व के नियमों के फैलाव से सम्बन्धित था।

अब वैश्वीकरण और राष्ट्र–राज्य का विश्लेषण प्रासंगिक है। राष्ट्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैय एक समान संस्कृति, भाषा, इतिहास और परम्परा वाले लोग जो एक राजनीतिक व्यवस्था में (जर्मन मॉडल) अथवा एक इच्छा शक्ति (फ्रेंच मॉडल) में जीते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स (US) और दूसरों के बीच अर्थ की भिन्नता से सम्बद्धता प्राप्त

होती है। "ge (We)" नागरिक हैंय जिन्हें कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त हैंय जो उनसे (Them) जो विदेशी हैं, से पृथक करते हैं जबकि, आरोपित सम्बन्ध परम्परागत समाजों को जोड़ने वाले बनते हैं। नागरिकों में भातृत्व नैसर्गिक गुण नहीं होता है, बल्कि उसकी कल्पना करना है इसे सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्धित बनाना पड़ता हैय जिससे वो आपस में एकता का निकट भाव महसूस करें। इसे भजनों, झंडा, पासपोर्ट आदि जैसे प्रतीकों और एक स्पष्ट विदेशी की रूपरेखा द्वारा प्राप्त किया जाता है।

अतः सही मायने में राष्ट्र –राज्य को एक श्कल्पित समुदाय के रूप में देखा जाता है। सामान्य (Common) नृजाति अथवा सांस्कृतिक विरासत की कल्पना क्षैतिज एकता और मातृदेश के रूप में समान्य सामानों हेतु संयुक्त प्रयास को पैदा करती है। जबकि, राष्ट्र राज्य का यूरोपीय मॉडल मुख्य रूप से ज्ञानोदय के मूल्यों, उदारता, व्यक्तिवाद, मानवता, हिंसा पर राज्य का अधिकार, लोकतांत्रिक संरचना, शक्ति का पृथक्करण, विधि का शासन, गोपनीयता/निजी (Privacy) का संरक्षण, प्रेस की स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं भागीदारी, मिलने–जुलने की स्वतंत्रता आदि पर आधारित हैं। यह सामान्यतया एक अच्छे शासन की विशेषताएँ हैं।

समुदाय, समाज और राष्ट्र राज्य की धारणा नैतिक दृष्टि से आपस में अन्तर्सम्बन्धित हैं। परम्परागत समाजों में मानव प्राणी सामाजिक सम्बन्धों के एक बंद जाल में रहा करते थेरू जिनके पास न तो अपेक्षित चेतना होती थी और न ही अकेले क्रिया करने की सम्भावना। आधुनिक समाजों में नैतिक क्रिया जो समुदायों और समाजों के लिये लाभकारी होती हैं वे हमेशा अहंवादी तथा व्यक्ति विशेष के लाभ वाली प्रतियोगिताओं से सम्पन्न होती हैं वे हमेशा अहंवादी तथा व्यक्ति विशेष के लाभ वाली प्रतियोगिताओं में सम्पन्न होती हैं। लोग अपने देश के लिये जान क्यों कुर्बान कर देना चाहते हैं, यह बात सिर्फ नैतिक धरातल पर ही समझी जा सकती है।

पश्चिमी योरोप में आधुनिकीकरण के दौरान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक प्रतिनिधयों के रूप में अगुआ राष्ट्र– राज्य वैश्विक और स्थानीय पहचानों

के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं ।

अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक मिश्रित प्रक्रिया है। इसकी असाधारण उपस्थिति और प्रभाव प्रत्येक समाज की ऐतिहासिकता द्वारा संचालित होते हैं। इसकी कुछ सार्वभौमिक विशेषताएँ होती हैं, यह समाज और उसकी अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को समान तरीके से प्रभावित नहीं करता है। वैश्वीकरण की मिश्रित प्रकृति इसकी उपस्थिति को रेखांकित करने वाली प्रक्रियाओं के उप–सेटों (Sub-sets) के प्रकारों में दिखती है। इसमें सम्मिलित होते हैंय संचार के साधन और प्रौद्योगिकी में समकालीन क्रान्ति, वित्त और पूँजी की गति की उच्च तीव्रता और बाजारों के विस्तार कार्य की बढ़ी हुई गतिशीलता, कार्मिकों के उत्प्रवास, अन्तर्सांस्कृतिक सम्पर्कों को बढ़ाने वाला उदीयमान वैश्विक डायेस्फोरा (Global diaspor) आदि ।

16.4 वैश्वीकरण और संचार

मानव समाज में सम्प्रेषण की प्रक्रिया इसके आरम्भिक काल से विद्यमान रही है। मानवीय समूहों में सामाजिक अन्तक्रिया की प्रक्रिया वाणी, अथवा भाषा अथवा संकेतों अथवा लिपि के माध्यम से सम्पन्न होती रही है। सम्प्रेषण के उच्च रूप, जिसे भाषा अथवा लिपि कहते हैं, के माध्यम से ही मानव एक दूसरे से अपने अनुभवों, विचारों, विश्वासों और भावनाओं के आदान– प्रदान द्वारा समान क्रिया कलापों तथा भावनाओं को जन्म देने में सफल हुआ है। अतः मानव समूहों में सम्प्रेषण एकता तथा संस्कृति की निरन्तरता के संचरण का मुख्य तत्व है। संस्कृ ति के रूप में मानव के पास जो सामाजिक विरासत है, उस सबका आधार मानवीय सम्प्रेषण का प्रमुख रूप भाषा है। मानव ने भाषा का निर्माण करके अन्तः क्रिया की समस्या को हल कर लिया है। मानव समाज ने अपनी विकास यात्रा के दौरान प्रगति के रास्ते तलाशे। इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 16वीं शताब्दी के बाद से आरम्भ हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तर्क, विवेकीकरण ज्ञानोदय का विकास हुआ। इसने मानव समाज के सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में सूचना एवं जनसंचार की नई तकनीकों का प्रादुर्भाव हुआ। 20वीं शताब्दी के अर्द्धशतक तक इस क्षेत्र में आविष्कारों का ताँता लगा रहा।

नई नई तकनीकें विकसित होती गयी। रेडियो, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, समाचार पत्र पत्रिकाएँ, सिनेमा, वायरलेस, आदि अनेकानेक माध्यम विकसित हुए जिनसे जन संचार का कार्य व्यवस्थित ढंग से आरम्भ हुआ। 1960 के दशक के बाद सेटेलाइट क्रान्ति ने जनसंचार माध्यमों की नई नई तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया द्य टेलीविजन, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, माइक्रोचिप्स, मोबाइल फोन, टेलीटेम्स, माइक्रो तरंगें आदि अनेकानेक एक के बाद एक तकनीकों का आविष्कार हुआ। इसे आई.टी. युग (Information Technology era) के रूप में जाना जा रहा है।

संचार क्रान्ति ने दुनिया में नई जान फूंक दी है। जनसंचार के अत्याधुनिक साधन वैश्वीकरण के प्रमुख निर्वाहक हैं। ये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक तत्काल सूचनाएं पहुँचा रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्र राज्य की सीमाएं गौण हो गई हैं। विश्व एक ग्राम बन गया है। संचार क्रान्ति ने युगान्तरकारी परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व स्तर पर एकीकरण हुआ है। इसके अधिकाधिक प्रयोग से विशेष रूप से इण्टरनेट के तीव्र विस्तार के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में मानव गतिविधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन दृ ष्टिगोचर होते हैं इसका प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक आदि समस्त व्यवस्थाओं पर व्यापक रूप से पड़ा है। व्यापारिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में इस नई प्रौद्योगिकी ने एक उल्लेखनीय विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस कम में ई वाणिज्य, ई कामर्स, ई बैंकिंग आदि के माध्यम से वैश्विक व्यापार एवं वाणिज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ई–शिक्षा ने अविश्वसनीय ढंग से शिक्षण के नए–नए आयामों का विकास किया है। ई–जर्नलिज्म ने समय और दूरी समाप्त कर दी है।

टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर, टेलविजन, रेडियो, डिजिटल माइक्रो साफ्ट, आप्टिकल फाइवर, केबल, डाटकाम, इन्टरनेट, साफ्टवेयर, हार्डवेयर अर्थात नवीनतम संचार उपकरण पुरानी तकनीकों से कहीं अधिक प्रभावकारी हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र भी कई गुना अधिक विस्तृत है। आधुनिक संचार तकनीक का मूल आधार है–कम्प्यूटर/इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क है। जो पूरी दनिया के कोने कोने में फैला हैं। इससे दुनिया की दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन आ रहा है।

ई बैंकिंग, ई–लर्निंग धड़ल्ले से हो रहा है। कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठकर हजारों मील दूर दूसरे कोने से धनराशि जमा कर सकता और निकाल सकता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे हजारों मील दूर से प्रशक्षिण प्राप्त कर सकता है। विभिन्न टी. वी. चौनल्स द्वारा प्रतिपल हमारे घर के अन्दर दुनिया के सभी कोने के समाचारों का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। इसके माध्यम से विश्व एक परिवार में सिमट सा गया है। सेटेलाइट ने दुनिया के तार को एक में पिरो दिया हैं। आई. टी. अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) के अधिकांश उपकरण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तथा ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। आई. टी. (Information technology) के सूचकों के प्रयोग सम्बन्धी आँकड़ों से वैश्वीकरण के बारे में एक प्रस्थापना निर्मित की जा सकती है।

16.5. वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण

आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के बीच गहरा सम्बन्ध है। आधुनिकीकरण को कुछ विद्वानों ने एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है और कुछ विद्वानों ने इसे एक प्रतिफल के रूप में स्वीकार किया है। एक प्रक्रिया के रूप में आधुनिकीकरण का अगला चरण वैश्वीकरण है। एक प्रतिफल के रुप में अगला प्रतिफल वैश्वीकरण है।

आधुनिकीकरण (Modernization) यह राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास की एक ऐसी मिली जुली पारस्परिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐतिहासिक तथा समकालीन अविकसित समाज अपने आपको विकसित करने में संलग्न रहते हैं। जहाँ कहीं, जब कभी और जिस किसी संदर्भ में इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी मूल आत्मा तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा परिष्कृत तकनीक से जुड़ी रही है। परिवर्तन की एक विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में, आधुनिकीकरण एक विशिष्ट वांछित प्रकार की तकनीक तथा उससे सम्बन्धित सामाजिक संरचना, मूल्य व्यवस्था, प्रेरणाओं तथा आदर्श नियमाचारों का एक पुंज है, जो पारम्परिकता से भिन्न होता है। अलग–अलग क्षेत्रों में आधुनिकता का जो आशय है उसका सार निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्अ किया जा सकता है : (1) राजनीतिक आधुनिकीकरण,

लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, संसद, वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान जैसी प्रमुख संस्थाओं की मांग करता है। विधि का शासन सुनिश्चित करने पर बल देता है। (2) सांस्कृतिक आधुनिकीकरण से तात्पर्य लौकिकीकरण (सेक्युलराइजेशन) की प्रक्रिया को उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ावा देने से है। (3) आर्थिक आधुनिकीकरण का आशय श्रम विभाजन, प्रबंधन की तकनीकों का प्रयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी और व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तनों से सम्बन्धित है (4) सामाजिक आधुनिकीकरण का आशय विवेकीकृत, तर्कणापूर्ण तथा वैइ निक दृष्टिकोण एवं उत्तरोत्तर साक्षरता में विकास, बढ़ता हुआ नगरीकरण तथा पारम्परिक सत्ता का ह्रास का संकेत देता है। इन सभी परिवर्तनों को बढ़ते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक वैभिन्नयीकरण के संदर्भ में देखा जाता है।

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से आधुनिकता के उक्त चारों बिन्दुओं का एक नया संशोधित संस्करण वैश्विकवाद हैं तथा इसे गतिशील बनाए रखने वाली प्रक्रिया वैश्वीकरण है। इसे बिन्दुवार इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हैरू (1) राजनीतिक आधुनिकीकरण ने विधि का शासन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया। सार्वभौमिकीकरण आधुनिकीकरण की विशेषता है, जिसने राजनीतिक आधुनिकीकरण को वैश्विक पैमाने पर फैलाया तथा राजनीतिक वैश्वीकरण को उत्पन्न करने की पृष्ठभूमि तैयार की। (2) सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण को उर्जा प्रदान की। (3) श्रम विभाजन प्रबन्धन की नवीन तकनीकों का प्रयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी और व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तनों वाली आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने इनके वैश्विक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। समय और दूरी समाप्त कर दी। जिससे आर्थिक वैश्वीकरण का आरम्भ हुआ। विश्व अर्थव्यवस्था विश्व बाजार व्यवस्था तथा विश्व प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने वैश्वीकरण की गति तीव्र की। उदारीकरण तथा मुक्त बाजार व मुक्त अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण को बल प्रदान किया। (4) उत्तरोत्तर साक्षरता में विकास, बढ़ता हुआ नगरीकरण, पारम्परिक सत्ता का ह्रास और विवेकीकृत, तर्कणापूर्ण व वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले सामाजिक आधुनिकीकरण ने इन्हें वैश्विक स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। परिणामस्वरूप सामाजिक वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस क्रम में एक बात विशेष रूप से

उल्लेखनीय है कि आधुनिकीकरण की उक्त चारों कोटियों ने अपने अगले चरण में वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जबकि सम्बन्धित विशेषताओं में भिन्नता भी प्रकट होती गयी ।

आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण प्रक्रियाएं एक युग विशेष की प्रतीक हैं। इसे ऐतिहासिक रुपान्तरण के आइने में देखा जा सकता है। मार्टिन एलब्रो (Martin Albrow) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ग्लोबल एज' (Global Age] State and Society Beyond Modernity) मे ऐतिहासिक रुपान्तरण का एक गम्भीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

आधुनिकता के रूप में वैश्विक युग और वैश्विकवाद, आधुनिकता है। वास्तव में इसे वैश्विक युग में पहचानने का एक का०ण यह हैं कि ष्वैश्विक युगष वह सम्पूर्ण कड़ी है जो वैश्विक के साथ शुरू होती है तथा वैश्वीकरण के माध्यम से आगे बढ़ती है। मार्टिन एलब्रो के अनुसार यदि, किसी को वैश्विक कहा जाए तो इसका यह अर्थ है कि वह आधुनिक है। एक खास तरह से तोड़ी मरोड़ी गई चेतना के रूप में वैयक्तिक वैश्विकता की चाहत की से पहचान की जा सकती है जो आधुनिकतम फैशन के अन्तर्गत वैश्विक बनाने के द्वारा वैश्विक से आधुनिक को आत्मसात करने का गुण रखती है। किन्तु जिस प्रकार से समाज, वैज्ञानिक एक शुद्ध प्रकार के आधुनिक व्यक्तित्व को देखते हैं उससे एक प्रभावशाली वैश्विक व्यक्तित्व बनने नहीं जा रहा है। यह भी एक ऐसा कारण है जिससे वैश्विक युग वैयक्तिक के सम्मुख चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

'वैश्विक संदर्भ' आधुनिक के अर्थ की विभिन्न योजनाओं में विद्यमान रहते हैं। 'आधुनिक समय के संदर्भ से ऊपर होता है, आविष्कार तथा अप्रचलन पर जोर देता है, अनुपयोगी पुराने को स्थानान्तरित करता है तथा अस्वीकार करता है, स्वागत और नियंत्रण करता है इसलिए विस्तार करता है। 'आधुनिक के लिए दूरी इसके समय के उत्पादन और उपभोग का परिणाम होती है। 'वैश्विक' दूरी की सीमा से ऊपर होता है।

जीवन के अनुभवों से निकलने वाले अर्थों के एक सामान्य भण्डार पर अनुभवकर्ता ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि उत्पादों द्वारा भी

इनके प्रतीकों को निर्धारित किया जाता है। कोका कोला द्वारा वैश्विकता की खोज नहीं की गई थी, बल्कि हर जगह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। पूँजीवाद ने इसे लाभ के लिए प्रेरित किया, और हर जगह इसके बाटलिंग प्लांट बैठाए गये। आज यह वैश्विकता का प्रतीक बन चुका है। 'वैश्विक अपने आप में अब इसके वाहक हो गये हैं। जो मानवता के वाणिज्यीकरण से हुआ है।

इसके अतिरिक्त वैश्विकवाद ने दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। सामान्यतया नारी अधिकार तथा मानव अधिकार को भी इसी रूप में देखा। इस तरह से, ये पुराने आधुनिक आन्दोलनों में समाहित हो गये, जो अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द तथा शान्ति के विचार पर आधारित हुए। सार्वभौमिकता का अर्थ है हर समयों तथा स्थानों के सत्य नियमों में विश्वास, विशेष रूप से मानव अधिकारों के व्यापक क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीयता के संदर्भ में मानवता के समुदायों में विश्वास जो आधुनिकता के विस्तार के मुख्य अंश थे। किन्तु, दोनो में, एक आशावादी प्रगतिशीलता तथा मूर्त आदर्शवाद रहा, जो धर्म परायण तथा अराथार्थवादी का वैश्विकता के भौतिक संदर्भों के साथ तुलना में अक्सर प्रकट हुए।

जब पृथ्वी की समीपता (Sinitude) और वैश्विक ताकतों की विशेष रूप में शक्ति और बाजारों की वास्तविकताओं के बीच संघर्ष हुआ तो पुनर्वितरण के लिए संघर्ष में व्यवहारिक और सीधी भागीदारी, अनुदान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार हेतु विश्व स्तर पर विशेष पहल के लिए पुराने आन्दोलनों को नए के अनुरूप समाहित किया गया। इसके चलते मूल्यों तथा दृष्टिकोणों की क्षेत्रीय तथा स्थानीय परिभाषाओं के संदर्भ में सभी प्रकार के आन्दोलनों के (आपरेशन) संचालन हेतु पृथ्वी एक वास्तविक फ्रेम (खाका) के रूप में बदल गई। इस संदर्भ में वैश्विक आन्दोलन स्थापित हुए तथा इनका वैश्विक स्तर पर संस्थाकरण हुआ।

दुनिया के स्तर पर हो चुका रुपान्तरण वैश्वीकरण है, जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर परिवर्तन को अग्रसारित कर रहा है अब यह एक गम्भीर सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐसा पैमाना हो गया है जिसके आधार पर इसकी पहचान की जाती है। किसी चीज को विश्लेषित अन्वेषित और व्याख्यायित होने के बजाए समय और

वैश्वीकरण को व्याख्या के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवन के किसी क्षेत्र में किसी समकालीन परिवर्तन की व्याख्या के रूप में वैश्वीकरण से अपील करने पर यह शैक्षिक स्तरों और पत्रकारिता पूर्ण टिप्पणी में व्याप्त होती हैं। इस रूप में यह जादुई गुण ग्रहण करता है जो सार्वभौमिक ज्ञानोदय उपलब्ध कराने में एक बौद्धिक पारस पत्थर की भूमिका में होता है। किन्तु, यह अन्धाधुन्ध प्रयोग, इसकी सीमा के बजाए अद्यतन समझदारी (Current Understanding) की सीमाओं को प्रदर्शित करता है। यह कैसे और क्यों अपील करता है तथा कर्मकाण्ड, कुछ नई और रहस्यपूर्ण ताकतों की प्रार्थना से परे हमारे विचारों का विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान करता है, इन बातों की प्रशंसा करने के लिए वैश्वीकरण के विचार की आलोचनात्मक अवधारणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है।

16.6 वैश्वीकरण और मास मीडिया (जन माध्यम)

वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। यह दो विरोधाभासी शक्तियों द्वारा चिन्हित की जाती है। यह एक तरफ तो अत्यधिक आर्थिक विस्तार और प्रौद्योगिकीय आविष्कारों की शक्ति वाली प्रक्रिया हैय जब कि दूसरी ओर यह बढ़ती विषमता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक हलचल और वैयक्तिक परकीयकरण की विशिष्टताओं को प्रस्तुत करती है।

मॉस मीडिया कावैश्वीकरण संगठनों तथा ताकतों द्वारा आगे बढ़ाया घटना का एक आन्तरकि भाग है जो उसी वैचारिकी, जाता है। डिजिटल क्रान्ति और नई संचार प्रौद्योगिकी राजनीतिक विचार और समाज में शक्ति की संरचना को प्रभावित किया है। इसने ऐसे लोगों की शक्ति को बढ़ाया है जो सूचना को त्वरित ढंग से फैला सकते हैं, नियंत्रित करते हैं तथा अत्यधिक प्रभावपूर्ण ढंग से उपलब्ध करा सकते हैं।

मात्रा और प्रकार की दृष्टि से मानव संचार का विस्तार हो रहा है तथा कम समय में ज्यादे दूरी तय हो रही है। यह वैश्विक समझदारी, समानता और समरसता में योगदान दे रहे हैं।

कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इलेक्ट्रानिक संचार का यह आशय नहीं है कि इससे मानव संचार और सहयोग में सिर्फ वृद्धि ही होय बल्कि इसका आशय यह भी है कि परिवार, धर्म, समुदाय जैसी परम्परागत संरचना की तुलना में मास मीडिया, राष्ट्र राज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को स्थापित किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के उत्पन्न होने से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ऊर्जा मिलेगी जिससे सरकार, ट्रांसनेशनल निगमों तथा मीडिया प्रबंधकों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। अतः वैश्वीकरण वास्तव में जनसंचार उद्योग के विकास के लिए एक पूर्वपेक्षा (Pre requisite) तथा कारण दोनों ही हैं।

मास मीडिया से वैश्वीकरण के परिणामस्वरुप स्थानीय से वैश्विक स्थानान्तरण होता है। सामान्यतया इसे लाभकारी माना जा रहा है। किन्तु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसकी विवेचना के क्रम में एक उदाहरण उल्लेखनीय है। सन् 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स के वाणिज्य विभाग ने "मास मीडिया के वैश्वीकरण (Gobalization of Mass Media) पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें इस बात का उल्लेख है कि मीडिया बाजार का उदारीकरण पश्चिम दोनों ही वैश्वीकरण को व्यवसायिक इण्टरप्राइजेज के रूप में देखते हैं, जो देश की सीमाओं के पार उनकी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से उनके सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार– प्रसार कर रहे हैं। यह विवरण सही हैय किन्तु इसमें पश्चिम में पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभावों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही औद्योगिक दुनिया में इसके कारण समता तथा जनतंत्र के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभावों का खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वास्तव में व्यक्ति को धीरे–धीरे नीचे लाएंगे। इसमें यह भी सुझाया गया है कि नई संचार प्रौद्योगिकी और मीडिया विद्यमान संरचना तथा मूल्यों को फैला रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली हैं और मुक्त बाजार प्रणाली एवं पूंजीवादी उदार जनतंत्र पर बल देते हैं।

मास मीडिया के वैश्वीकरण से सम्बन्धित हमारे विमर्श में जनांकिकी पक्ष की अत्यधिक उपेक्षा की जाती हैय जबकि मास मीडिया

के वैश्वीकरण की विवेचना जनांकिकी संदर्भ में आवश्यक है। आगामी कुछ दशकों में ही सिर्फ चीन और भारत की जनसंख्या दुनिया की सम्पूर्ण जनसंख्या की आधी हो जायेगी। जनसंख्या का यह आंकड़ा बाजार के भौगोलिक तथा आर्थिक आधार के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा। जनसंख्या का यह आँकड़ा मास मीडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।

मास मीडिया का त्वरित विस्तार इस अनुमान पर निर्भर करता है कि सूचना स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक होती है। इस विचार को वैश्वीकरण की प्रक्रिया में साझीदार संगठनों तथा कम्पनियों द्वारा आवर्धित (Magnified) किया जाता है जबकि सूचना को आकार प्रदान करने में सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा की जाती है। सरकारी अधिकारियों, नेटवर्क प्रबन्धकों तथा मीडिया प्रबंधकों एवं क्रियान्वयन अधिकारियों तथा वितरकों द्वारा प्रतिदिन इस बात का निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार के एवं कौन से समाचारों को प्रसारित करना है एवं प्रमुखता दी जानी है। इसमें राजनीतिक, व्यवसायिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण विशेषरूप से प्रभाव डालते हैं। यह तय किया जाता है कि जनता के बीच किस प्रकार के विचार, मूल्य और मानक खड़े किये जाने हैं।

मास मीडिया को विविधता, जनतंत्र तथा प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तीकरण के एक साधन के रूप में देखा जाता है। जबकि, अयोग्य वैश्विक निगमों की आशावादी छवि एवं उनकी साझीदारी वैश्वीकरण के एक भाग पर निर्भर करती हैय जिसकी सामान्यतया मीडिया द्वारा उपेक्षा की जाती है।

सूचना क्रान्ति तथा मास मीडिया के विस्तार के फलस्वरुप बहुत सारे अनिच्छित एवं अनावश्यक अप्रत्यक्ष प्रभाव (side effects) होते हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि इस पर सरकार, विज्ञापनों तथा समाज की अन्य शक्तिशाली संस्थाओं का नियंत्रण होता है। वैश्वीकरण अक्सर ऐसे मार्ग के रूप में चित्रित किया जाता है जो सूचना प्रसारण के प्रकारों (variety) को सम्मिलित करने के माध्यम से हमारी संस्कृति की

विविधता तथा समृद्धि को बढ़ाता है।

वैश्विक मीडिया अधिकांशतया पश्चिमी उत्पादों तथा हालीवुड (Hollywood) मूल्यों के प्रभाव में रहते हैं। अमेरिकी टेलीविजन तथा चलचित्रों (उवअपमे) के माध्यम से प्रसारित होने वाले समाचार अधिकांशतया विज्ञापन अभिमुख होते हैं। राजनीतिक भागीदारी तथा सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले समाचारों को प्रसारित करने वाले मास मीडिया के दावे अब संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत से लोग टेलीविजन और प्रिन्टमीडिया में सनसनीखेज विविधता की कमी की शिकायत करते हैं। वास्तव में पर्याप्त मात्रा में चलने वाले टेलीविजन और केबल चौनल्स जिनसे यह उम्मीद की गयी थी कि वे विविध प्रकार के तथा उपभोक्ताओं की पसंद के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, उन्होंने किसी एक विषय की सूक्ष्म सीमा के अन्तर्गत एक विस्मयकारक संख्या में कार्यक्रमों को परोसा है। मीडिया ने दुनिया की बहुत सीमित तथा उग्र छवि प्रस्तुत की है।

एक प्रकार की मूक सेंसरशिप (Silent censorship) विद्यमान है। इसमें ऐसा केन्द्रीयकरण किया जा चुका है कि जिससे मीडिया गेटकीपर्स (media gatekeepers) के माध्यम से सूचना प्रवेश पा सके। मीडिया नियंत्रण की यह एकाग्रता मीडिया में व्यवस्था की कतिपय आलोचनाओं की ही स्वीकृति देती है। वैश्वीकरण और त्वरित व्यवसायिक तथा तकनीकी विस्तार के प्रभावशाली दृष्टिकोण की आलोचना को सुझाए जाने वाले विकल्पों की प्रतिक्रिया अथवा अव्यवसायिक होने के रूप में चित्रित किया जाता है।

संचार विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि औद्योगिकृत दुनिया में विकसित हो रही मीडिया पर निर्भरता बहुत नुकसानदायक सिद्ध होगी। 'नवीन (The new)', 'आधुनिक (Modern)" तथा 'समस्याओं का प्रौद्योगिकी समाधान' में एक प्रकार का अंधविश्वास पैदा हो रहा है तथा परम्परागत मूल्यों और संरचना का क्षरण हो रहा है जिसे शताब्दियों में प्रतिष्ठा मिली थी। लोग प्रतिक्रिया में अपनी देशी परम्पराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों को त्याग रहे हैं तथा इन्हें अपने जीवन में अप्रासंगिक

मान रहे हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में अत्यधिक प्रचलित धारणा यही है कि इसके द्वारा अनियंत्रित मुक्त बाजार, कम्पनियों के बीच जबरदस्त प्रतियोगिता तथा सूचना का एक मुक्त प्रवाह प्रस्तुत किया जायेगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ (Adam Smith) का ”इनविसिबुल हैंण्ड (Invisible) सूचना का प्रवाह और विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य का मार्ग के निर्धारण का यही अनुमान लगाता है।

यह विचार, व्यवसायिक सूचना और विस्तार के मुक्त प्रबाह के साधन के रूप में रूपान्तरित हो रहा है। आज, व्यवसाय, सरकारी संरचनाएं और अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियाँ इतनी विशाल हो चुकी हैं कि वे लोगों की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के प्रति लम्बे अर्से तक जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हैं। मीडिया एक ओर लगातार केन्द्रित करती है, जबकि दूसरी ओर समानान्तर, दर्शकों की एक बड़ी संख्या पर जीवित रहती है। व्यक्ति विशेष के लिए सूचना उत्पन्न और वितरित करने वाले तत्वों और व्यवस्था को प्रभावित करना कठिन है। अतः कॉर्टेन (ब्वतजमद) इस बात के लिए चेतावनी देते हैं कि व्यक्ति विशेष (प्दकपअपकनंसे) के पास अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं की नीतियों, उद्देश्यों तथा दिशाओं को प्रभावित करने की क्षमता बहुत कम होती है।

16.7 वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद

औद्योगिक समाज ने मनुष्य के उपभोग की चेतना में वृद्धि की है। आधुनिक अमेरिकी तथा यूरोपीय समाज ने इस चेतना में और अधिक वृद्धि की है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व बाजार को क्रियाशील किया है, इस क्रम में जहाँ एक ओर नए नए बाजार की तलाश हो रही है, वहीं दूसरी ओर नए नए बाजार निर्मित किये जा रहे हैं। जनसंसार के माध्यमों द्वारा व्यक्ति के उपभोग की चेतना को उत्पन्न किया जा रहा है जिससे इन नए बाजारों के माल की खपत हो सके। बहुराष्ट्रीय निगमों, ट्रांसनेशनल निगमों द्वारा भी मनुष्य के उपभोग की भूख को उत्पन्न किया जा रहा है। इस प्रकार से उपभोगवाद की चेतना का विस्तार हो रहा है। उपभोग करने वाला उपभोक्ता है। अतः उपभोक्तावाद की

अवधारणा को अत्यधिक बल मिल रहा है। उपभोक्तावाद को समझने के लिए सर्वप्रथमक यह समझना होगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता व्यवहार कैसा होता है आदि।

हम सबमें एक स्थाई तथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपसी विभिन्नताओं के बावजूद हम सब उपभोक्ता हैं। खाद्य सामग्री, वस्त्र, मकान, आवागमन, शिक्षा, अन्याय उपभोगकारी वस्तुओं, अवकाश, आवश्यकताएं, विलासिताएं, सेवाएं तथा विचार आदि सभी का हम उपयोग एवं उपभोग करते हैं। एक उपभोक्ता के नाते हम सब देश के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह भूमिकां स्थानीय राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हो सकती है। खरीददारी के सम्बन्ध में हमारे द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का प्रभाव कच्चे मालों की मांग पर भी पड़ता है, साथ ही श्रमिकों के रोजगार तथा संसाधन लगाने, कुछ उद्योगों की सफलता एवं विफलता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

आज व्यापार में सफलता के लिए व्यापारियों को अपने उपभोक्ता के बारे में उसके सभी पक्षों की जानकारी रखना होगा जैसे उपभोक्ता क्या चाहता है? क्या सोचता है, कैसे काम करता है, अपना खाली समय कैसे बिताता है तथा इसके अतिरिक्त उसे इस बात की जानकारी भी रखनी होती है कि कैसे व्यक्तिगत या समूहगत प्रभाव उपभोक्ता के निर्णयय को प्रभावित करता है।

उपभोक्ता का व्यवहार उपभोग के दो पक्षों को दर्शाता है जो अधोलिखित है (क) व्यक्तिगत उपभोक्ता (ख) संगठनात्मक उपभोक्ता ।

(क) व्यक्तिगत उपभोक्ता (The Personal Consumer): जो अपने व्यवहार प्रयोग तथा सेवा के लिए वस्तुओं को खरीदता है या तो घर में प्रयोग अथवा दूसरों को देने के लिए इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता इस कोटि के अन्तर्गत आता है। इसमें उपभोगकारी वस्तुओं का इस्तेमाल व्यक्ति ही करता है जिसे हम अन्तिम प्रयोक्ता (End users) कहते हैं।

(ख) संगठनात्मक उपभोक्ता (Organizational Consumer) : जो अपने व्यापार को चलाने के लिए (लाभ अथवा हानि) सरकारी

एजेन्सियों (स्थानीय, राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रय) एवं संस्थान शिक्षण संस्थाएँ, जेल, सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय अस्पताल) को चलाने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदते हैंय उन्हें हम संगठनात्मक उपभोक्ता कहते हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व बाजार का एकीकरण किया है। उदारीकरण तथा मुक्त अर्थव्यवस्था ने कारपोरेट पूँजीवाद का विश्व में विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त किया है। बहुराष्ट्रीय निगम, ट्रांसनेशनल निगम तथा अन्य राष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने उत्पाद और सेवाओं को विश्व स्तर पर मुहैय्या करा रहे हैं। आज अधिकांश निगम (Corporation) अपने उत्पाद को दूसरे देशों में बेच रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय निगमों बहुराष्ट्रीय निगमों के संचालन के परिणामस्वरूप बाजार की शब्दावली में " Glocal" (Global + Local = Glocal) जैसे शब्द जुड़ गऐ हैं। इसका अर्थ यही है कि निगम अथवा कम्पनियाँ वैश्विक एवं स्थानीय चीजों को मिश्रित करके लाभ उठा सकते हैं। यह एक नई चुनौती है जिसका एक विशेष अर्थ है। इसे यूरोप के एकीकरण द्वारा समझा जा सकता है। यूरोप के विविध देशों को एक बाजार के रूप में परिवर्तित करके एक व्यवस्था निर्मित की गयी है। इसीलिए सन 2001 में यूरोप के सभी देशों के लिए एक सामान्य (Common) मुद्रा 'यूरो' को भी स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार से North American थ्तमम ज्तंकम ।हतममउमदज (NAFTA) जो कि अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको को सम्मिलित करके निर्मित किया गया है। तथा इसके अन्तर्गत 400 मिलियन उपभोक्ता मुक्त बाजार व्यवस्था के रूप में संयुक्त कर दिए गये हैं। एशिया के संदर्भ में आसियान (ASEAN) (Association of South East Asian Nations) बनाया गया है। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड, फिलीपीन्स, मलेशिया, ब्रूनेई (Brunei) तथा वियतनाम को सम्मिलित करने का प्रयास हुआ है। इस समूह के माध्यम से एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (Asian Free Trade Area) बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

विश्व स्तर पर व्यापार के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे निगम यह समझते हैं कि समुद्र पार के बाजार में उनके व्यापार को बढ़ावा देने की अपार सम्भावनाएं एवं अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके देश का

बाजार, उनके उत्पादों से परिपूर्ण हो चुका हैं। यह चेतना इन निगमों को इस बात के लिए बाध्य करती हैं कि वे वैश्विक व्यापार का विस्तार करें तथा अपने नए–नए ग्राहक बनाएं। दूसरा उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि पूरे विश्व में विदेशी उत्पादों की माँग बढ़ रही हैं। तथा उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इस स्थिति ने विशेष रूप से विकासशील देशों में एक नए मध्यम वर्ग को उत्पन्न किया है।

इस प्रकार से भारत में उपभोक्तावाद अस्तित्ववान थाय किन्तु विगत डेढ़ दशक पूर्व जब भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई तो विदेशी निवेश, विदेशी कम्पनियाँ भारत में तेजी से अपने विस्तार की सम्भावनाएँ तलाशने लगे। इस क्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में जनता को उपभोक्ता बनाने के लिए युद्ध स्तर पर मुहिम के हर हथकंडे और हथियारों का जमकर प्रयोग शुरु हो गया। आय और आयु के साथ साथ अन्य समस्त पक्षों को आधार बनाकर उपभोक्ताओं के लिए सर्वेक्षण विपणन, उत्पाद, बिक्री आदि की रणनीतियाँ बनने लगी। बहुराष्ट्रीय तथा ट्रांसनेशनल निगमों द्वारा भारतीयों को उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किया जाने लगा। आज सरकारी दूरदर्शन हो अथवा निजी टी. वी. चौनल अथवा सरकारी रेडियो हो अथवा निजी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, सभी विज्ञापन के अर्थशास्त्र से संचालित हो रहे हैंय जो नागरिकों को उपभोक्ता बनाने में जुटे हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होने के पूर्व भी भारत में उपभोक्तावाद थाय किन्तु उसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता थाय जबकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद से भारत में बढ़ रहे उपभोक्तावाद से देशी और विदेशी दोनों अर्थव्यवस्थाएं लाभान्वित हो रही हैं। परम्परागत भारतीय समाज में अभौतिक संस्कृति का वर्चस्व था, जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति से व्यक्ति संतुष्ट रहता था, किन्तु उपभोक्तावाद ने व्यक्ति की भौतिकता सम्बन्धी अनन्त भूख को पैदा कर दिया हैं। परिणामस्वरूप भौतिकतावादी अंधी तथा अन्तंहीन दौड़ में भारतीय जनता भी दौड़ना शुरू कर दी है।

16.8 सारांश

इस इकाई में आपने वैश्वीकरण की अवधारणा को समझा।

वर्तमान वैश्वीकरण के विविध स्वरूपों, खासकर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से जाना। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के अन्तर का अध्ययन किया। उपभोक्तावाद का विस्तार से अध्ययन किया तथा वैश्वीकरण का संचार और जन माध्यमों के ऊपर क्या और कितना प्रभाव पड़ा है इसका विस्तार से अध्ययन किया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान वैश्वीकरण ने संचार माध्यमों का आश्रय लेकर पूरे विश्व को एक गांव के रुप में परिवर्तित कर दिया है। इस विश्व ग्राम में मनुष्य की आवश्यकता और उसकी पूर्ति के साधन सभी वैश्विक हो गये हैं।

16.9 शब्दावली

उपनिवेशवाद	तकनीकी
प्रौद्योगिकीय	साम्राज्यवाद
सांस्कृतिक सम्प्रेषण	संस्कृति संचार
सार्वभौमिकीकरण	समस्त विश्व के लिए किया गया।

16.10 संदर्भ ग्रंथ

जन संचार समग्र — डॉ. अर्जुन तिवारी

वैश्वीकरण एवं समाज — डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय

अन्तर्राष्ट्रीय संचार — डॉ. मुक्ति नाथ झा

16.11 प्रश्नावली

16.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण क्या है? स्पष्ट कीजिए।
2. राजनीतिक वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करें।
3. आर्थिक वैश्वीकरण की व्याख्या कीजिए उपभोक्तावाद क्या है? इसके कितने प्रकार हैं।

16.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विविध आयामों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
2. वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण में क्या अन्तर है। विवेचना कीजिए।
3. वैश्वीकरण ने संचार और जन माध्यमों को किस रूप में प्रभावित किया है, स्पष्ट करें।

16.11.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. NEP है–

   (क) नयी आर्थिक नीति

   (ख) नयी ई–मेल नीति

   (ग) नयी समानता नीति

   (घ) इनमें से कोई नहीं

2. विश्व एक ग्राम बन गया है–

   (क) टेलीफोन के कारण

   (ख) ग्रामोफोन के कारण

   (ग) संचार क्रांति के कारण

   (घ) संचार क्रांति के कारण

3. 'ग्लोबल एज' के लेखक हैं

   (क) मक्लूहान

   (ख) मॉर्टिन एलब्रो

   (ग) मैक्डूगल

   (घ) इनमें से कोई नहीं

16.11.4 बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1. (क)
2. (ख)
3. (ग)
4. (घ)